ISSN-0971-8397

योजना

मार्च 2015 विकास को समर्पित मासिक ₹ 20

विशेषांक

केंद्रीय बजट 2015-16

वैश्विक निर्माण हब के रूप में भारत
अमिताभ कांत

कठिन हालात में बेहतर बजट
अश्विनी महाजन

आर्थिक स्वास्थ्य का विश्लेषण
आशिमा गोयल

दूरदर्शी और विकासोन्मुखी रेल बजट
अरविन्द कुमार सिंह

उदारीकरण के दौर में रोज़गार व योजनाएं
अजीत झा

विशेष आलेख
सहयोगी व प्रतिस्पर्धी संघवाद को मिली राह
रहीस सिंह

फोकस
राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रमः भावी रूपरेखा
स्वदेश सिंह

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

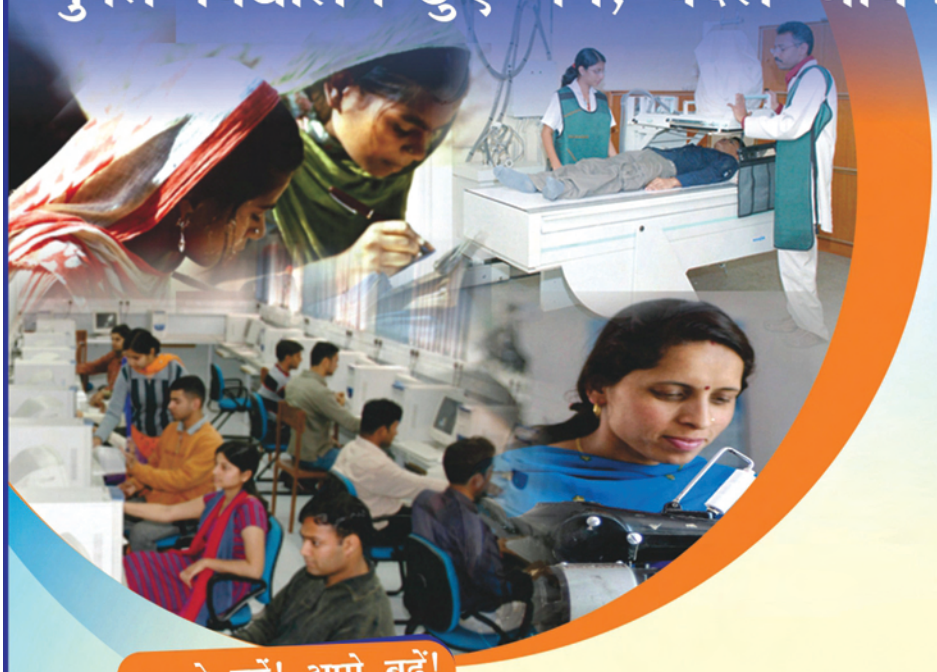

आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें...
मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा–III, V एवं VIII	–	–	–	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेन्डरी (कक्षा - X)				ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1350	₹ 1100	₹ 900	1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 200	₹ 200	₹ 200	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क)
				1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा - XII)				ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1500	₹ 1250	₹ 975	1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 230	₹ 230	₹ 230	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क)
				1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रो, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

ए–24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. **1800-180-9393**; ईमेल : **lsc@nios.ac.in** वेबसाइट : **www.nios.ac.in**

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

YH-338/2014

योजना

वर्ष:59 • अंक 3 • मार्च 2015 • फाल्गुन-चैत्र, शक संवत 1936-37 • कुल पृष्ठ:84

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल

संपादक
जय सिंह
ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष: 24365920
ई-मेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
वी. के. मीणा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष: 26100207
फैक्स: 26175516
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: **जी. पी. धोपे**

इस अंक में

संपादकीय	–	7
कठिन हालात में बेहतर बजट	अश्विनी महाजन	9
वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में भारत	अमिताभ कांत	13
विशेष आलेख		
सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मिली राह	रहीस सिंह	17
आर्थिक स्वास्थ्य का विश्लेषण	आशिमा गोयल	21
फोकस		
राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम: भावी रूपरेखा	स्वदेश सिंह	25
दूरदर्शी और विकासोन्मुखी रेल बजट	अरविंद कुमार सिंह	29
आर्थिक समेकन की 'मुद्रा'	प्रवीण शुक्ला	33
जन धन, आधार, मोबाइल और डिजिटल सशक्तीकरण	उमाशंकर मिश्र/सुबोध कुमार	37
आम बजट में शिक्षा पर विशेष ज़ोर	कविता पंत	40
केंद्रीय बजट: मुख्य बातें	–	42
क्या आप जानते हैं?	–	44
उदारीकरण के दौर में रोजगार व योजनाएं	अजीत झा	45
स्थिर सरकार बनाम मज़बूत इरादे	ज्ञानेंद्र बरतरिया	51
मज़दूर वर्ग के लिए सामान्य बजट	देवेंद्र शर्मा	55
केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रियाएं	रवींद्र एच ढोलकिया	59
आम बजट और पर्यावरणीय मुद्दे	प्रभांसु ओझा	63
कृषि क्षेत्र को अपर्याप्त आवंटन	भुवन भास्कर	67
मेक इन इंडिया की ओर मजबूत क़दम	दीपू राय	71
आम बजट के सामाजिक आयाम	मनीष गोविल	74
जनता के स्वास्थ्य की चिंता करता बजट	रवि शंकर	77
बजट के आईने में महिला उत्थान	सुभाष सेतिया	80

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें। व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड IV, तल VII, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली-66 दूरभाष: 26100207, 26105590

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं: सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205) *701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686) *8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) *'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673) *प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) *ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) *फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244) *बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) *हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455) *अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रैवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है। योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

आपकी राय

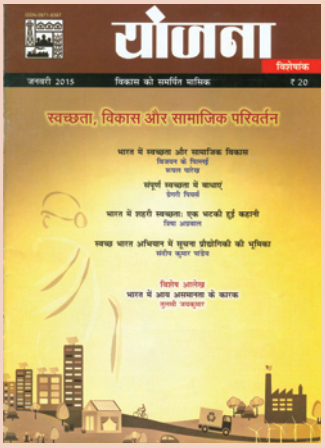

उपयोगी आलेख

योजना के जनवरी 2015 अंक में प्रकाशित आलेख 'स्वच्छ भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्ता' मुझे बहुत ज्ञानवर्धक लगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दौर के स्वच्छता अभियान और वर्तमान समय का स्वच्छता अभियान में बहुत बदलाव आ चुका है। 'डिजिटल इंडिया' का उद्देश्य भारत को तकनीकी दृष्टि से मज़बूत बना सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। सार्वजनिक शौचालय के अलावा निजी शौचालयों को भी स्वैच्छिक भागीदारी जन उपयोग में लाया जा सकता है।

अशोक कुमार ठाकुर
ग्राम-मालीटोल, पो. अदलपुर,
जिला-दरभंगा (बिहार)

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत

2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना शुरू हो चुकी है। इस अभियान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी जो दूसरों को करने के लिए बताया करते थे स्वयं वे अपने जीवन में करके देखते थे। आज स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री द्वारा लिया जा चुका है जिसमें देश के सभी लोगों को एकजुट होकर बिना राजनीतिक भेदभाव के इसमें जुड़ना चाहिए। यह संकल्प किसी एक जाति, समुदाय, वर्ग का नहीं है बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है जिसमें सबका हित निहित है। जब तक स्वच्छ भारत नहीं होगा तब तक स्वस्थ्य भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वच्छ समाज में स्वस्थ्य समाज का वास होगा। आज शहरों में जितनी गंदगी दिन-प्रतिदिन लगाई जा रही है इससे क्या शहरी क्षेत्र के लोग स्वस्थ्य रह सकेंगे? कभी नहीं। आज लोगों द्वारा मीडिया के सामने हाथों में झाड़ू लेकर कुदाल व टोकरी के साथ बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिखावे मात्र से भारतवर्ष स्वस्थ्य नहीं होगा बल्कि इसके लिए कर्म की आवश्यकता है। यदि घर-घर से अपने पास पड़ोस की सफाई के लिए आवाज़ बुलंद हो तो क्या भारत देश-विदेशों की तरह नहीं चमक सकेगा? विदेशों में लोगों की मानसिकता स्वस्थ्य समाज बनाए जाने की होती है न कि राजनीति करने की। ऐसे में स्वच्छ भारत बनाने के लिए सभी बाधाओं को तोड़कर आगे आना होगा। हम बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी एक हैं। उसी तरह हम आज गर्व से कहें व कहते रहें कि हम स्वच्छ भारत बनाकर स्वस्थ्य भारत का निर्माण करेंगे। पत्रिका ने जनवरी 2015 अंक में स्वच्छता, विकास और सामाजिक परिवर्तन विशेषांक प्रकाशित किया। इसके लिए संपादक मंडल को बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. सत्य प्रकाश
ग्राम-बरवां, पो.- मीरगंज,
जिला-गोपालगंज (बिहार) 841438

दंडात्मक व्यवस्था से होगा सुधार

जनवरी 2015 के अंक में "सामाजिक मानसिकता में बदलाव से ही संभव है स्वच्छ भारत" पर लेखक का लेख पढ़ा। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्वच्छता एक मनोवृत्ति है और मेरा मानना यह है कि स्वच्छता के लिए किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शिक्षित होना ज़रुरी नहीं है।

यदि किसी चीज की आवश्यकता है, तो वह है मात्र जागरुकता। यदि जागरुकता आ जाए तो निश्चित रुप से स्वच्छता की स्थिति स्वयं ठीक हो जाएगी। स्वच्छता का दूसरा पहलू है कि यदि गंदगी करने पर दंडात्मक व्यवस्था अपनाई जाए तो इससे समाज में रहने वाले और गंदगी करने वाले लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा। जिससे स्वच्छ भारत की परिकल्पना मूर्त रूप ले सकेगी। और यही बदलाव स्वच्छता लाएगा। योजना एक अद्वितीय पत्रिका है जिसके लेख एक झलक दिल को छू गए। इसके लिए संपादक महोदय का धन्यवाद।

जय हिन्द।

कमलेश चंद्र पांडेय, शोध छात्र
हे.न.ब.ग.वि.वि, श्रीनगर, गढवाल

उत्कृष्ट प्रस्तुति से लैस अंक

साहित्यिक शब्दों से परिपूर्ण संपादकीय से गौरवान्वित पत्रिका योजना का जनवरी 2015 अंक पढ़ा। खासकर सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों में नवीन चेतना, स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार करने वाली यह पत्रिका भारतीय पत्रिका इतिहास के नभमंडल पर दिव्यमान सूर्य की तरह है।

उक्त अंक में शिशिर सिन्हा का स्वच्छता पर आलेख रोचकता से सुसज्जित लगा। विकास पथ तथा शशांक द्विवेदी का *बढ़ता प्रदूषण और घटती पैदावार* में काफी तथ्य पिरोए हुए दिखे। पूरे विशेषांक के अद्योनपरांत में यह निष्कर्ष निकाला कि यह पत्रिका न केवल उत्कृष्ट पथ-प्रदर्शक है, अपितु अपार प्रेरणा की अज्ञय स्रोत भी है। *भारत में आय असमानता*

के कारक जैसे लेख इस पत्रिका की उत्कृष्टता की मूक अभिव्यक्ति है।

निस्संदेह उक्त अंक अप्रतिम है। व्यक्तित्व विकास में यह पत्रिका मील का पत्थर साबित होगी, यह मेरा अनुमान है।

नचिकेता वत्स
ग्राम व पोस्ट - लारी,
जिला-अरवल, बिहार-804421

'स्वच्छता में समृद्धि का वास'

मैंने स्वच्छता विकास और सामाजिक परिवर्तन जैसे तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित योजना का जनवरी 2015 विशेषांक पढ़ा। नये साल के इस प्रथम संस्करण के सभी आलेख अतुल्य, ज्ञानप्रद, अद्वितीय, रचनात्मक विशिष्ट भाषा-शैली युक्त व्यापक महत्व वाले व उत्साहवर्धक लगे।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के राष्ट्रीय व सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए देशभर में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ राष्ट्रहित के पर्याय के रूप में किया गया। केंद्र सरकार की यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। स्वच्छ भारत अभियान को अत्यधिक सफल बनाने के लिए इस दिशा में उत्तरोत्तर हो रही प्रगति का वास्तविक आंकलन करते हुए नववर्ष में हमें निर्मल भारत के महात्मा गांधी के सपने को हक़ीक़त में बदलने का दृढ़संकल्प अपरिहार्य तरीके से करना होगा।

स्वच्छता के मामलों से अभिन्न रूप से जुड़े सामाजिक विकास और स्वास्थ्य सुधार जैसे कार्यक्रमों के मापदंडों के निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों और उनके संचालन को लेकर बापू के दर्शन, दृष्टिकोण तथा उनकी विचारधारा से अभिप्रेरित स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध एवं आधुनिकता से ओत-प्रोत एक हरित भारत की स्थापना हमारे लिए सदैव हितकारी सिद्ध होगी।

स्वच्छता के अभाव में नित्य नई-नई बीमारियों का ख़तरा हमारे ऊपर मंडराता रहता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को क्षय पहुंचाकर हमारी समृद्धि में बाधक बनता है। यहां यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है तथा प्रत्येक राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में इन कारकों का बहुमूल्य योगदान होता है।

स्वच्छता समृद्धि की परछाई के रूप में राष्ट्र के कौशल हितों के साथ-साथ नागरिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति में भी सहयोग करती है। यह राष्ट्र के नवनिर्माण में आने वाले कतिपय प्राकृतिक-अप्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को काफी हद तक सीमित रख हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है और वातावरण के नकारात्मक प्रभावों से पृथ्वी के समस्त जीवों, प्राणियों की रक्षा करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में स्वच्छता के सद्गुणों को आत्मसात् करने की प्रवृत्ति को सर्वोपरि मानते हुए उनका पालन करना चाहिए।

राकेश रंजन
'जी' ब्लॉक, 12/1, राम कॉलोनी,
छत्तरपुर, नई दिल्ली-110074

स्वच्छता और बदलता भारत

योजना का जनवरी 2015 अंक प्राप्त हुआ। संपादकीय अच्छा लगा। संपादक जी ने चन्द अल्फाजों में बहुत सारी बातें कह दीं। इसी प्रकार दिग्गज लेखकों के आलेख अच्छे लगे। आज भारतवर्ष में स्वच्छता का नारा जोरों पर है। भारत सरकार की ओर से स्वच्छता का अभियान गांधी जी की जयंती (2 अक्टूबर) के साथ किया गया है।

गांधी जी एक मिसाल थे। उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं था। आज के नेता उनके आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। सिर्फ एक दिन हाथों में झाड़ू लेकर और फोटोग्राफर को बुलाकर अख़बारों में फोटो छपवाने से कोई गांधी नहीं बन सकता। अगर हमारे देश के रहनुमाओं को वास्तव में भारतवर्ष को स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो पहले स्वयं के घर के शौचालयों की सफाई करनी होगी। गांधी जी किसी को उपदेश देने से पहले स्वयं पर लागू करते थे। आज के नेताओं और भारतवर्ष को देखकर गांधी जी की रुह निश्चित रूप से जलती होगी। आज देश को ज़रूरत है सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, आतंकवाद व भ्रष्टाचार रूपी गंदगी से पाक किया जाए। आज भारतवर्ष रूपी चमन सांप्रदायिकता की गंदी भट्टी में जल रहा है।

दिलावर हुसैन क़ादिरी
मेहराबाद, जैसलमेर (राज.)

स्वच्छ भारत के लिए पॉलीथीन प्रतिबंध ज़रूरी

'योजना' का जनवरी अंक पढ़ा। जोकि स्वच्छता, विकास और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित था। इस अंक में सभी आलेख काफी अच्छे और महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर थे। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है वह स्वच्छता की ओर एक बेहद ही अहम क़दम है। प्रत्येक नागरिक को इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। ताकि हमारा देश स्वच्छ रह सके। केवल दिखावे के लिए झाड़ू न लगाई जाए, बल्कि मन में भी देश को स्वच्छ रखने का संकल्प होना चाहिए। आज भी कई बड़े शहरों में देखा गया है कि किसी भी खाली पड़ी ज़मीन को कूड़ादान बना दिया जाता है। कहीं तो नगर-निगम द्वारा भी गड्ढ़ा करके ढेरों कूड़ा उसमें भर दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल स्रोत भी प्रभावित होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है कि नगर-पालिका परिषद के द्वारा कूड़े को खाई में ही डलवा दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक जल स्रोत तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही पहाड़ की खूबसूरती को भी ग्रहण लगता है। रास्ते पर या सार्वजनिक स्थल पर भी कई लोग पान या पान-मसाला खाकर थूक देते हैं, जिससे भी काफी गंदगी फैलती है। सरकार को चिप्स और कुरकुरे की पैकिंग में भी पॉलीथीन का उपयोग बंद कराना चाहिए। क्योंकि चिप्स और कुरकुरे के खाली पैकेट भी बहुत गंदगी फैलाते हैं। लोग चिप्स, कुरकुरे खाकर इनके खाली पैकेट यहां-वहां फैंक देते हैं। जो भूमि प्रदूषण तो करते ही हैं और कूड़े में जलने पर वायु-प्रदूषण भी करते हैं। खाली पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए, ताकि हरियाली बढ़े, जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके और वातावरण स्वच्छ हो। पॉलीथीन पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जब भी समान लेने बाज़ार जाए, कपड़े या जूट का थैला लेकर जाए और उसी में सामान लाए। ये छोटी-सी पहल भी हमारे देश को स्वच्छ रखने में काफी मदद कर सकती है। देश को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम यह जिम्मेदारी समझें और उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं, तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा।

महेन्द्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा

दृष्टि The Vision

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स–2016

निःशुल्क कार्यशाला

20

मार्च, प्रातः 11:30 बजे

CSAT

16 मार्च, सायं 3:30 बजे

निःशुल्क परिचर्चा

Test Series
For Preliminary Exam-2015

➡ **General Studies & CSAT**

Online Test Series also available. For more details: visit: drishtiias.com

DP **Distance Learning Programme**

यह पाठ्य-सामग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो किसी कारण से दिल्ली आकर कोचिंग लेने में असमर्थ हैं। यह पाठ्य-सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) एवं परीक्षोपयोगी बनाया गया है।

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(30 Booklets)

सामान्य अध्ययन
+ सीसैट
(30+8 Booklets)

दिल्ली के अतिरिक्त हमारी कहीं कोई शाखा नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने हमें बताया है कि इंदौर आदि शहरों में कुछ संस्थाएँ हमारे नाम का अवैध प्रयोग कर रही हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि उनके झाँसे में न आएँ।

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47532596, (+91)8130392354,56,57,58,59
E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

YH-337/2014

संपादकीय

निवेश और विकास पर ध्यान

बहुत सारी उम्मीदों के बीच वर्तमान सरकार का पूर्ण बजट आ चुका है। हालांकि लोकप्रिय घोषणाओं के उलट इस बजट में कई छोटे लेकिन प्रभावी कदमों की घोषणा की गई है जो निवेश और विकास को बढावा देंगे। वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मौलिक मुद्दों के समाधान का प्रयास किया है जिसमें लंबे समय के लिए टिकाऊ विकास और 8 फीसदी से ऊपर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है ताकि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बन सके।

सरकार के समावेशी विकास को केंद्र में रखते हुए इस बजट में देश के विकास में आम-लोगों की भागीदारी को स्वीकार किया गया है और उनको सशक्त करने की कोशिश की गई है ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। इस बजट में जीविका और निवेश के मौकों को विस्तृत करने की नींव रखी गई, दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा तंत्र के निर्माण करने की भी कोशिश है।

नई पेंशन योजना में टैक्स कटौती सीमा को 1.5 लाख तक बढ़ाना, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25 हज़ार रुपये तक कर छूट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना की घोषणा-जिसमें नाममात्र प्रीमियम पर किसी की आकस्मिक मृत्यु होने पर दो लाख रुपये के बीमा का प्रावधान है-इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण क़दम हैं। महिला सुरक्षा, जागरूकता व प्रचार अभियान के लिए साल 2015-16 के बजट में निर्भया फंड में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

देश के युवाओं की असीम क्षमताओं का दोहन करने के लिए और उनकी रोज़गार-क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में कई सारे संस्थानों को खोलने की घोषणा की गई है जिसमें हरेक बच्चे के निवास के पांच किलोमीटर के अंदर एक उच्च-विद्यालय से लेकर उच्च तक़नीकी संस्थान और कौशल विकास संस्थानों को देश के अलग-अलग हिस्सों में खोलने का प्रस्ताव किया गया है। जहां एक तरफ अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा और आजीविका से जोड़ने के लिए 'नई मंजिल' के नाम से योजना की शुरुआत की गई है वहीं माइक्रो यूनिट डेवलमेंट रिफिनांस एजेंसी (एमयूडीआरए) की बात कही गई है जो लघु वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्तीय मदद मुहैया कराएगी और जिसमें दलित-आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वरोज़गार और प्रतिभा-उपयोगीकरण (टैलेंट युटिलाइजेशन) कार्यक्रम के द्वारा किसी नये क़ारोबार/व्यवसाय के सभी पक्षों को-ख़ासकर स्वरोज़गार गतिविधियों और तक़नीक-संचालित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल मिशन उन सारी कौशल संबंधित योजनाओं को एक जगह लाने का काम करेगा जो कई मंत्रालयों में फैले हुए हैं और उसकी प्रक्रियाओं और नतीज़ों के मानकीकरण की इज़ाज़त दी जाएगी।

'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में किसी विनिर्माण संबंधी परियोजना को सरल और अपेक्षाकृत कम ख़र्चे पर स्थापित करने में मदद की घोषणा की गई है। कुछ विशेष अभिभावकीय प्रावधानों के साथ सामान्य गैर-उपेक्षणीय नियमों (जीएएआर) को टालना, अगले चार वर्षों तक कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करना और कर व्यवस्था को तार्किक बनाने के प्रस्ताव कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे सरकार ने संदेश दिया है कि भारत एक स्थाई और अनुमानित कर व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयार है। समान वस्तु और सेवा कर 1 अप्रैल 2016 से लागू किए जाने की घोषणा कर अक्षमता को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम है जो वर्तमाम व्यवस्था में मौजूद है और इससे सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अन्य दूसरे महत्वपूर्ण क़दम-प्रक्रियाओं का सरलीकरण, उनकी तार्किकता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है जिनसे 'व्यवसाय करने में आसानी' हो सके।

इन शुरुआतों को अमल में लाने के लिए एक मज़बूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी और इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने इस बजट में 70,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी इस मद में की है। साथ ही एक नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की घोषणा की गई है जिसमें सालना 20,000 करोड़ के रक़म के प्रवाह की बात कही गई है और रेल, सड़क और सिचाई क्षेत्र के लिए एक कर-मुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बांड की भी घोषणा की गई है।

इस बजट में सुसुप्त संसाधनों का दोहन कर धन जुटाने का इंतजाम किया गया है और उन्हें औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में लाने की बात कही गई है। जहां एक तरफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम-जिसमें सार्वभौम स्वर्ण बांड के विकास और एक भारतीय स्वर्ण सिक्के की शुरुआत-स्वर्ण बचतों को आर्थिक निवेश के रूप में परिवर्तन के लिए लोगों को उत्साहित करेगी, तो दूसरी तरफ काले धन पर एक व्यापक कानून छुपे हुए धन और बिना किसी हिसाब-किताब के धन को रोकने में करेगा। इस कानून में 10 साल के कारावास और 300 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा संपत्ति कर को ख़त्म किए जाने का प्रस्ताव और अत्यधिक धनी व्यक्तियों (1 करोड़ रुपये से ज्यादा की वार्षिक आमदनी वाले लोगों पर) पर 2 फीसदी अतिरिक्त कर के प्रावधान से कर संग्रहों में बढ़ोतरी ही होगी।

राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए वित्त मत्री ने सेवा कर को 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है जो निजी ख़र्चों को थोड़ा प्रभावित करेगा। हालांकि इसे एक अलोकप्रिय क़दम कहा जा सकता है, लेकिन एक बार जब समान वस्तु और सेवा कर लागू हो जाएगा तो यह उपाय तार्किक स्वरूप ग्रहण कर लेगा और सबसे आख़िरी और महत्वपूर्ण बात ये कि इस बजट में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सकल विभाज्य कर राजस्व में से राज्यों का हिस्सा 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। यह राज्यों को उपलब्ध संसाधनों में सिर्फ बढ़ोतरी ही नहीं करेगा बल्कि राज्यों को अपने हिसाब से योजनाएं बनाने, लागू करने और वित्त पोषित करने में भी लचीलापन दर्शाने का अधिकार देगा।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस बजट के द्वारा आम जनता के दीर्घकालीन हितों के मददेनज़र सकारात्मक क़दमों को उठाया गया है और देश के विकास का एक रोडमैप तैयार किया गया है जो हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह बजट एक भविष्यगामी बजट है जिसमें उद्देश्यों की दृढ़ता नज़र आती है। ❑

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - ४११ ००७
प्रबंध शिक्षण केंद्र
Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management
Centre for Management Education
(Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Government of India)
Chaturshingi, Savitribai Phule Pune University Road, Pune - 411 007 Tel. No. : 020-66221400/66221506/507/511, Telefax : 020-25537735
Website: www.vamnicom.gov.in e-mail : cme@vamnicom.gov.in

ADMISSION NOTICE PGDM - ABM : 2015-2017

Common Selection Process for VAMNICOM, Pune and URICM, Gandhinagar.
Applications are invited for admission to two years full time residential
POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT - AGRI BUSINESS & MANAGEMENT (PGDM-ABM) 2015-2017 BATCH

VAMNICOM, PUNE - 23rd Batch

The VAMNICOM, Pune is a National level Co-operative Management Institute under Ministry of Agriculture, Govt. of India. • Ranked one among the top five national level institutes in ABM • Awarded as "Top Institute" by CSR, New Delhi • Honoured with BSA & Dewang Mehta "B-School Leadership Award-2014". • NCUI Scholarship for six Students. • IFFCO Scholarship for three SC/ST Students • VAMNICOM Scholarship • CICTAB Meritorious Awards

PROGRAMME HIGHLIGHTS:
• Rigorous full-time residential programme • Updated Course Structure. • Case method pedagogy • Summer Internship for eight weeks • Separate hostels for Boys and Girls with internet connection in each room. • Industry visit • sufficiant sporting facilities including gymnasium are available for student

'The PGDM-ABM programme offered at VAMNICOM, Pune is approved by AICTE and recognized by Association of Indian Universities as equivalent to MBA degree

PLACEMENT: 100% Highly successful placement in Private, NGOs, Public & Co-operative Organizations. • Summer Internship at Sri Lanka & Nepal for few students at institute's cost.
MOU with Vijaya Bank (PSU Bank) for Educational Loan.

URICM, Gandhinagar - 8th Batch

Udaybhansinhji Regional Institute of Co-operative Management, Gandhinagar is a regional level premier Management Institute catering to the training and education needs of Western India of the country under the same set-up • AICTE approved PGDM-ABM programme is offered from 2008 • Personal Interview will be conducted separately, if required. • Best infrastructure supported by well stocked library facilities, hostel facilities for boys and girls, internet connectivity, student activities. • For further details, visit website. www.urimanage.org

VAMNICOM COMMON SELECTION PROCESS

ELIGIBILITY : Any Graduate from a recognized University, with minimum education of 15 years full time education (10+2+3) with at least 50% marks for General/OBC candidates and 45% for SC/ST candidates in graduation and having valid test scores of one of the National Level Common Entrance Tests - **CAT / MAT / XAT/ ATMA / CMAT of AICTE. GMAT/GRE for foriegn national candidates.** These guidelines may get modified / subject to be modified depending upon AICTE guidelines from time to time. Candidates appearing in forthcoming degree examinations can also apply subject to fulfillment of conditions by 15.8.2015 Reservation of seats for OBC (Non Creamy) /SC/ST/ Differently Abled persons as per Govt. of India rules. Few seats are available for wards of NCCT / NCUI / VAMNICOM employees and co-operative sponsored candidates at VAMNICOM.

HOW TO APPLY

The Selection to PGDM-ABM programme is based on Entrance Examination comprising of (a) Written test - latest valid test score of CAT / MAT / XAT / ATMA / CMAT is acceptable (b) Group Discussion and (c) Personal Interview of VAMNICOM. Candidates can submit application online in VAMNICOM website and pay application fees of Rs. 500/-. The prescribed application forms may also be downloaded from the website and applied with valid score of CAT/MAT/XAT/ATMA/CMAT of AICTE and demand draft of Rs. 500/- in favour of Director VAMANICOM, Pune or through NEFT.

The last date for submission of filled-in Application is 31st March, 2015.

GD and PI will be conducted at select centres during April / May - 2015. For further details on admission, course structure and fee structure visit our website **www.vamnicom.gov.in**

GD & PI CENTRES

Bengaluru, Bhubaneshwar, Chennai, Dehradun, Gandhinagar, Jabalpur, Jaipur (Rajasthan), Kalyani (West Bangal), Nagpur, New Delhi, Patna, Pantnagar & Pune (Subject to adequate number of candidates opting in a particular centre)

The Institutions which are conducting CAT / MAT/ XAT/ ATMA / CMAT of AICTE have no role either in selection or conduct of the programme.

Prof. R. N. Reddy
Head of Centre

Dr. M.R.Joshi
Registrar

Er. Sanjeeb Patjoshi, I.P.S.,
Director , VAMNICOM & CICTAB

YH-341/2014

कठिन हालात में बेहतर बजट

अश्विनी महाजन

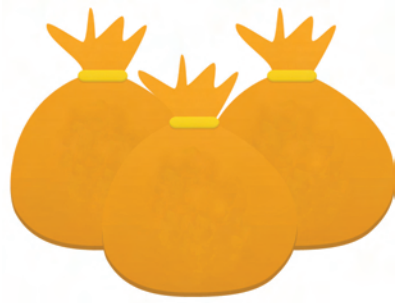

सरकार से यह आशा थी ही कि वह सामाजिक सेवाओं, कृषि एवं सिंचाई औद्योगिक विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ख़र्च करेगी। हालांकि राजकोष की वर्तमान स्थिति बहुत बड़े खर्चों की इज़ाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी वित्तमंत्री ने इन तमाम परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया है। यह बजट सरकार राजकोष में आई भारी कमी की चुनौती के वाबजूद एक ऐसा बजट कहा जा सकता है, जिसमें ग़रीब और छोटा काम करने वालों से लेकर बड़े-बड़े कारपोरेट को खुश करने की कोशिश की गई है

बजट 2015-16, फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में पेश किया गया, जो वास्तव में केंद्र में नई सरकार का पहला ही बजट है। हालांकि पिछले साल जुलाई में भी बजट पेश किया गया था, लेकिन उस बजट पर पिछली सरकार की ही छाया दिखाई दी थी। कुछ फेरबदल को छोड़, आमदनियां और ख़र्चे जो पिछली सरकार ने दिए थे, कमोबेश उन्हीं को नई सरकार ने भी मान्य किया था।

भारत की उड़ान की बारी

इस बार का बजट ना सिर्फ पिछले बजट की छाया से मुक्त रहा है बल्कि उस समय की समस्याओं से भी मुक्त है। जीडीपी ग्रोथ दर इस साल 7.4 प्रतिशत और अगले साल 8 से 8.5 प्रतिशत अपेक्षित, 5 फीसदी उपभोक्ता महंगाई और शून्य पर पहुंचती थोक महंगाई और विदेशी भुगतान घाटा जीडीपी का मात्र 1.3 फीसदी रह जाना वास्तव में अनुकूल स्थितियों की तरफ इंगित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि आज अर्थव्यवस्था एक 'मधुर स्थिति' में है, जो कभी-कभार ही होता है। आज भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विदेशी निवेश का प्रवाह भी बढ़ रहा है और दुनिया का रुख भी भारत के बारे में बदला है। वित्तमंत्री ने यह भी कहा है कि अब भारत की उड़ने की बारी है, यह दुनिया मानती है।

राजकोष की स्थिति

तेल की घटती अंतरराष्ट्रीय क़ीमतों और ग्रोथ में आ रही तेजी के चलते परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी सरकार के ख़जाने में पैसा कम ही है। केंद्र सरकार की आमदनी में थोड़ी वृद्धि होने के वाबजूद 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकार को ज़्यादा पैसा राज्यों को देना होगा, जिसके चलते उसके पास स्वयं के बजट के लिए पैसा कम बचेगा। पिछले साल के 3.8 लाख करोड़ की तुलना में राज्यों को 2015-16 में 5.8 लाख करोड़ मिलने वाला है। ग़ौरतलब है कि 2014-15 के बजट में 17.9 लाख

तालिका 1 : कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव (केंद्र सरकार)
(2009-10 से 2014-15) *(करोड़ रुपयों में)*

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निगम कर	72,881	57,912	61,765	68,720	76,116	62,399
निजी आयकर	45,142	36,826	39,375	33,536	40,414	40,435
उत्पाद शुल्क	1,69,121	1,92,227	1,95,590	2,90,940	1,95,679	1,84,764
सीमा शुल्क	1,95,288	1,72,740	2,36,852	2,54,039	2,60,714	3,01,688
कुल	4,82,432	4,59,705	5,33,582	5,66,235	5,72,923	5,89,286

स्रोत : केंद्र सरकार का बजट 2015-16 एवं पूर्व के बजट दस्तावेज

लेखक पीजीडीएवी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पुस्तकें–इकनॉमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकनॉमेट्रिक्स, एन्वायरमेंटल इकनॉमेट्रिक्स, एनसाक्लोपीडीया ऑफ वर्ल्ड इकनॉमेट्रिक्स क्रिसीस (दो भागों में), दत्त एवं सुंदरम: इंडियन इकनॉमी इत्यादि। सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में आर्थिक विषयों पर लेखन के साथ ही वह जर्नल ऑफ कॅटेम्परी इंडियन पालिटी एंड इकनॉमी के मुख्य संपादक भी हैं। ईमेल: ashwanimahajan@rediffmail.com

तालिका 2 : केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजकोषीय
2009-10	414041 (6.0)
2010-11	373591 (4.9)
2011-12	521980 (5.9)
2012-13	520925 (5.2)
2013-14	502858 (4.4)
2014-15 (संशोधित)	512628 (4.1)
2015-16 (बजट)	555649 (3.9)

स्रोत : केंद्र सरकार के विभिन्न बजट दस्तावेज

करोड़ का ख़र्च तय किया गया था (हालांकि वास्तविक खर्चा 16.81 लाख करोड़ ही हुआ); लेकिन इस बार के बजट में पिछले बजट से भी कम राशि ख़र्च के लिए रखी गई है, यानि 17.77 लाख करोड़। ज़ाहिर है कि राज्यों को ज़्यादा राशि देने के बाद केंद्र सरकार के पास ख़र्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचा ही नहीं है।

स्थाई खर्चे हैं यथावत

सरकार को कई मदों पर ख़र्च करना निहायत ज़रूरी है, जैसे– ब्याज की अदायगी ज़रूरी है, जिस पर 4.56 लाख करोड़ रुपया जाना है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, पुलिस, प्रतिरक्षा इत्यादि पर कुल ख़र्च हर बार की भांति बढ़ाया गया है। ऐसे में स्वभाविक ही है कि सरकार सामाजिक सेवाओं पर ख़र्च ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगी। उच्च शिक्षा पर पिछले साल के बजट से मात्र 244 करोड़ रुपये ही ज़्यादा ख़र्च का प्रावधान है, जबकि स्कूली शिक्षा पर पहले से 100 करोड़ रुपया कम ख़र्च किया जाएगा। स्वास्थ्य पर भी ख़र्च मामूली बढ़ा है। माना जा सकता है कि सरकार पर इन खर्चों को कम करने के लिए ख़ासा दबाव रहा होगा।

कालेधन पर सख्ती

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विदेशी बैंकों में कालेधन के विषय पर विशेष छानबीन टीम (एसआईटी) का गठन केंद्र सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है, लेकिन उस टीम का कार्यक्षेत्र सीमित है और विदेशों में कालेधन और अघोषित संपत्तियों के मामले में कार्यवाही में वर्तमान कानून नाकाफी माने जा रहे थे। इसलिए वर्ष 2015-16 के बजट में विदेशों में कालेधन पर कड़ाई के वास्ते, नया कानून लाया जा रहा है। इस कानून के माध्यम से देश में कर की चोरी करते हुए विदेशों में संपत्ति रखने के मामले में 10 साल के कारावास समेत कई प्रावधान नए कानून में होंगे और इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) में व्यापक परिवर्तन करते हुए इन प्रावधानों को उसमें शामिल किया जाएगा।

हालांकि कालेधन के मसले पर वर्तमान में भी व्यापक कानून मौजूद हैं, लेकिन कालेधन वाले लोगों का दबदबा इतना रहता है कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया को वे दरकिनार करने में सफल हो जाते हैं। बजट में विदेशों में कालाधन रखने वालों पर कड़ाई से निपटने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। विदेशों में कालाधन रखने पर सजा का प्रावधान वास्तव में अच्छा क़दम है, जो लोगों को देश का पैसा बाहर ले जाने के लिए हतोत्साहित करेगा लेकिन कंपनियों पर यह बजट मेहरबान दिखाई दिया

वैयक्तिक आयकर में छूट, जो 2014-15 में 40,435 करोड़ रुपये थी और लघु उद्योगों को मिलने वाली उत्पाद शुल्क में छूट, जो कारपोरेट कर दाताओं के छूटों के तुलना में दसवां हिस्सा भी नहीं है, को निकाल दिया जाए तो केंद्रीय कर प्रणाली के केंद्रीय राजस्व पर पड़ने वाला अधिकतर प्रभाव कारपोरेट जगत को मिलने वाली छूटों के कारण है।

और कारपोरेट कर की दर को अगले चार सालों में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की बात की गई है। यह बात दूसरी है कि साथ ही साथ कारपोरेट को मिलने वाले छूटों को कम करने की बात भी बजट में की गई है। यानि कहा जा सकता है कि कारपोरेट पर यह बजट खासा नरम रुख अपना रहा है।

ग़ौरतलब है कि यदि वैयक्तिक आयकर में छूट, जो 2014-15 में 40,435 करोड़ रुपये थी और लघु उद्योगों को मिलने वाली उत्पाद शुल्क में छूट, जो कारपोरेट कर दाताओं के छूटों के तुलना में दसवां हिस्सा भी नहीं है, को निकाल दिया जाए तो केंद्रीय कर प्रणाली के केंद्रीय राजस्व पर पड़ने वाला अधिकतर प्रभाव कारपोरेट जगत को मिलने वाली छूटों के कारण है। देखा जाए तो कर प्रोत्साहनों के कारण केंद्र सरकार को 2014-15 में कुल 5.89 लाख करोड़ रुपये का राजस्व में नुक़सान हुआ। वर्तमान में जबकि केंद्र सरकार के पास राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद बहुत कम राजस्व बचता है, ऐसे में कारपोरेट जगत को दी जाने वाली अनावश्यक छूटों को कम करने का विशेष किया जाना ज़रूरी हो गया है। हालांकि इस बजट में वित्तमंत्री ने इस बावत कुछ घाषणाएं की हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक काम करने की ज़रूरत है।

घाटे पर अंकुश यानि महंगाई पर अंकुश

पिछले वर्षों में राजकोषीय घाटा खासा बड़ा रहता रहा है। पिछले साल के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह जीडीपी का 4.1 प्रतिशत रहा। बजट में वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को अगले साल 3.9 प्रतिशत और अगले तीन वर्षों में 3 प्रतिशत तक ले जाने की बात कही है। ग़ौरतलब है कि राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 में 6.0 प्रतिशत तक पहुंच गया था। पिछले वर्षों में लगातार बढ़ती महंगाई के पीछे यह एक प्रमुख कारण था। ग़ौरतलब है कि इस घाटे की पूरी भरपाई उधार से न कर पाने के कारण सरकार को रिज़र्व बैंक से ऋण लेना पड़ता है और इस कारण से ज़्यादा नोट छपते हैं और महंगाई बढ़ती है। पिछले 4 साल का ज़ायज़ा यदि लें तो हर साल करैंसी की मात्रा 9 से 17 प्रतिशत तक बढ़ी, जो महंगाई का प्रमुख कारण रही। आशा की जा सकती है कि राजकोषीय घाटे को काबू में रखने की प्रतिबद्धता आम आदमी के लिए महंगाई पर अंकुश लगाएगी।

'मेक इन इंडिया' की राह

'मेक इन इंडिया' इस सरकार का नारा रहा है, जिसका मतलब है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन। ग़ौरतलब है कि आज

तालिका 3 : जनता के पास कैरेंसी

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	जनता के पास कैरेंसी मात्रा
2009-10	768049
2010-11	914170
2011-12	1067890
2012-13	1145490
2013-14	1248340
दिसंबर 12, 2014	1335820

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक, विभिन्न मासिक बुलेटिन और केंद्र सरकार के विभिन्न बजट

हमारे टेलीकॉम के आयात 100 अरब डालर तक पहुंच रहे हैं, आज देश में कंप्यूटर चिप से लेकर कंप्यूटर, मोबाईल फोन समेत विभिन्न प्रकार के टेलीकॉम उत्पाद आयात किए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन वस्तुओं के आयात पर कम शुल्क लगता है, जबकि देश में उत्पादन करने पर ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं, यह बात पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में भी स्वीकार की गई। ऐसे में स्वभाविक ही था कि सरकार 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अनुसार इस विसंगति को दूर करे। बजट में आयातित स्पेयर पार्ट पर शुल्क कम करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे 'मेक इन इंडिया' को बल मिलेगा और तैयार माल के आयात घटेंगे। इसके साथ ही यह ज़रूरी था कि विदेशों से आने वाली तैयार वस्तुओं के आयातों पर शुल्क को बढ़ाया जाता ताकि भारत में बना सामान प्रतिस्पर्धा में टिक सके।

पिछले 2 महीनों में कुल 50 बिंदु ही सही, दो बार 'रेपोरेट' घटाई भी गई है। यदि आने वाले समय में महंगाई थमने पर ब्याज दर में और गिरावट आती है तो उसका सीधा असर इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश पर तो पड़ेगा ही, आटोमोबाईल, घरों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी ख़ासा इज़ाफ़ा हो सकता है।

औद्योगिक विकास के अनुकूल हालात

पिछले 4-5 वर्षों में बढ़ती महंगाई के कारण रिज़र्व बैंक ब्याज दरों को लगातार पहले तो बढ़ा रहा था और उसके बाद उसे घटा नहीं पा रहा था। ऊंची ब्याज दरों के कारण औद्योगिक ही नहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश नहीं हो पा रहा था। इसका असर यह हुआ कि उद्योगों में नई क्षमता का निर्माण ही नहीं हुआ और साथ ही साथ सड़क निर्माण हो या बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि या अन्य प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश न बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की संभावनाएं समाप्त होती गई। यही नहीं ऊंची ब्याज दरों से ऑटोमोबाईल समेत तमाम प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की मांग ही नहीं घटी, नये घरों की मांग भी थम गई।

इन कारणों से रुकी औद्योगिक ग्रोथ के लिए अब अनुकूल वातावरण है। अब रिज़र्व बैंक भी ब्याज दरें घटाने की ओर अग्रसर है। पिछले 2 महीनों में कुल 50 बिंदु ही सही, दो बार 'रेपोरेट' घटाई भी गई है। यदि आने वाले समय में महंगाई थमने पर ब्याज दर में और गिरावट आती है तो उसका सीधा असर इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश पर तो पड़ेगा ही, आटोमोबाईल, घरों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी ख़ासा इज़ाफ़ा हो सकता है। यानि कह सकते है कि अर्थव्यवस्था में विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।

मध्यम वर्ग को सीमित लाभ

भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों के दौरान यह संकेत दिया गया था कि आयकर की छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्व की कमी के दबाव के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका। हालांकि नई पेंशन योजना में निवेश और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भरने पर कर में छूट ज़रूर बढ़ाई गई है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट एलाउंस पर छूट की सीमा भी बढ़ी है, जिसका फायदा मध्यम वर्ग को मिलेगा।

हालांकि, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्यम वर्ग और ग़रीब वर्ग की अनदेखी हुई हो। छोटे और माइक्रो उद्योगों के लिए ऋण की सुविधा बढ़ाने हेतु 'मुद्रा बैंक' की स्थापना और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान व्यापार और छोटे उद्योगों में लगे मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सुविधा लाएगा, ऐसा माना जा सकता है। ग़रीब वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान जैसे– 12 रुपये सालाना देकर 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 365 रुपये देकर 2 लाख का सामान्य बीमा (प्राकृतिक मृत्यु), वृद्धावस्था पेंशन हेतु सरकार द्वारा अंश दान कुछ ऐसे क़दम हैं जो ग़रीबों के हित में कहे जा सकते हैं।

घटती तेल की क़ीमतों, थमती महंगाई और विदेशी भुगतान की स्थिति में सुधार के चलते अब नीति-निर्माता राहत में दिखाई देते हैं लेकिन इस मौके पर सरकार को अधिक सतर्कता से बचत करने की ज़रूरत है, ताकि विकास के लिए ज़रूरी परियोजनाओं को अंजाम दिया जा सके। यह सही है कि पुराने ऋणों पर ब्याज की अदायगी, वेतन, पेंशन, पुलिस, प्रतिरक्षा (डिफेंस) समेत ऐसे कई ख़र्च हैं, जहां राजकोष का बड़ा हिस्सा ख़र्च हो जाता है, पिछला अनुभव बताता है कि सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल एवं महिला विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विकास, पेयजल इत्यादि को बजट का 10 प्रतिशत भी हिस्सा नही मिलता।

सरकार से यह आशा थी ही कि वह सामाजिक सेवाओं, कृषि एवं सिंचाई औद्योगिक विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ख़र्च करेगी। हालांकि राजकोष की वर्तमान स्थिति बहुत बड़े खर्चों की इज़ाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी वित्तमंत्री ने इन तमाम परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया है। ज़रूरत इस बात की है कि राजस्व में इज़ाफ़ा हो। सामान्य तौर पर कराधान बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक अतिरिक्त मदों पर कर लगाना और दूसरा कर की दर बढ़ाना। इन दोनों तरीकों से आमजन पर करों का बोझ बढ़ता है और विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आजकल सरकार स्पैक्ट्रम, सरकारी उपक्रमों के शेयरों की बिक्री, इत्यादि से अपनी आमदनी बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही है, आशा की जा सकती है कि वर्ष 2015-16 में औद्योगिक विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर परिस्थितियां बनेगी।

ग़रीब वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान जैसे– 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 365 रुपये देकर 2 लाख का सामान्य बीमा (प्राकृतिक मृत्यु), वृद्धावस्था पेंशन हेतु सरकार द्वारा अंश दान कुछ ऐसे क़दम हैं जो ग़रीबों के हित में कहे जा सकते हैं।

हालांकि सरकार ने कहा है कि व्यापार, व्यवसाय को आसान बनाने के लिए नियमों को सुगम बनाया जाएगा और बिना वजह अनुमतियों के चक्कर में व्यवसाय शुरू करने में कठिनाई दूर होगी, जिसे 'प्लग एंड प्ले मॉडल' का नाम वित्तमंत्री ने दिया है, देश में व्यापार, व्यवसाय और उत्पादन के लिए बेहतर वातावरण देगा, ऐसा माना जा सकता है। यह बजट सरकार राजकोष में आई भारी कमी की चुनौती के वाबजूद एक ऐसा बजट कहा जा सकता है, जिसमें ग़रीब और छोटा काम करने वालों से लेकर बड़े-बड़े कारपोरेट को खुश करने की कोशिश की गई है। ❑

Career Launcher

सिविल सेवा अभ्यर्थी

Career Launcher News www.careerlauncher.com/civils

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2015

13* बार आयोजित की जाएगी

यदि आप CL की टेस्ट सीरीज़ में भाग लेते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सच है। CL से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको हूबहू प्रारंभिक परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त करने के 12 अवसर प्राप्त होंगे जबकि अन्य संस्थान यह अवसर मात्र 2 या 3 बार ही प्रदान करते हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ से आप के लिए प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत सरल हो जाएगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप 13वाँ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। CL की टेस्ट सीरीज़ के अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:

	UPSC	CL
1. संपूर्ण भारत में आयोजन	✓	✓
2. 10,000 से अधिक अभ्यर्थी	✓	✓
3. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र I एवं II एक ही दिन	✓	✓
4. हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में प्रश्न पत्र	✓	✓
5. ओएमआर शीट	✓	✓
6. स्कूलों में परीक्षा	✓	✓
7. ऑल इंडिया रैंक	×	✓
8. टेस्ट परिचर्चा	×	✓
9. पर्सनल फीडबैक	×	✓
10. टेस्ट के तुरंत बाद प्रश्न पत्र का हल	×	✓

*CL के 12 मॉक टेस्ट + 1 UPSC की असली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा

22 मार्च 2015 से टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ

प्रारंभिक एवं प्रधान परीक्षा उत्तीर्ण एवं CL के पूर्व छात्रो के लिए विशेष छूट

₹10,500/- का सीमित ऑफर

1069 CL अभ्यर्थी सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा '14 के लिए योग्य पाये गये

CL | Civil Services Test Prep

www.careerlauncher.com/civils

/CLRocks

नए बैच शीघ्र प्रारंभ, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निकटतम् CL केंद्र पर संपर्क करें!

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46

ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29

बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन – 26566616/17

ग़ाज़ियाबाद: सी–27, द्वितीय तल, आरडीसी मार्केट, राज नगर, (बीकानेर स्वीट्स के सामने) फोन – 0120–4380996

इलाहाबाद: 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन – (0)9956130010

"CL Educate Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its equity shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the website of Kotak Mahindra Capital Company Limited at www.investmentbank.kotak.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Draft Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors".

YH-349/2014

वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में भारत

अमिताभ कांत

आज भारत की साख पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है। हर तरफ दृश्यमान गति, ऊर्जा और आशावाद है। 'मेक इन इंडिया' भारत में निवेश के दरवाजे खोल रहा है। एकाधिक उद्यम अपने इस मंत्र को अपना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 'मेक इन इंडिया' संकट की इसी पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था, मगर देखते देखते भारत के असंख्य हितधारकों तथा भागीदारों के लिए यह एक नारा बन गया। यह भारतीय नागरिकों और कारोबारी प्रतिनिधियों, तथा दुनियाभर के निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली तथा प्रेरक आह्वान था

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2014 में राष्ट्र निर्माण की पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब में बदलने के लिए इसकी रूप रेखा बनाई गई, '*मेक इन इंडिया*' एक संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की समयबद्ध कार्यक्रम था, 2013 तक छलांग लगाते बाज़ार का बुलबुला एकाएकट फूट चुका था और भारत की विकास दर एक दशक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुकी थी। ब्रिक्स राष्ट्रों के वादे फीके पड़ चुके थे और भारत को विश्व के सबसे नाज़ुक पांच देशों के रूप में चिह्नित किया जा चुका था और बहस तेज हो गई थी कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र निवेशकों के लिहाज़ से एक अवसर देने वाली जगह है या जोख़िम भरी जगह बन कर रह गया है। भारत के 120 करोड़ की आबादी वाले नागरिक सवालों के घेरे में थे कि वो बड़ा इसलिए हैं कि उन्हें सफल होना है या बड़ा इसलिए हैं कि उन्हें असफल होना है।

प्रक्रिया

'मेक इन इंडिया' संकट की इसी पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था, मगर देखते देखते भारत के असंख्य हितधारकों तथा भागीदारों के लिए यह एक नारा बन गया। यह भारतीय नागरिकों और कारोबारी प्रतिनिधियों, तथा दुनियाभर के निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली तथा प्रेरक आह्वान था। लेकिन 'मेक इन इंडिया' सही मायने में सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ है। यह पुराने पड़ चुकी प्रक्रियाओं और नीतियों में व्यापक और अभूतपूर्व आमूल चूल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह सरकार कि व्यापार भागीदार के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने की जगह *न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन* की मानसिकता के बदलाव का द्योतक है।

योजना

किसी भी तरह की शुरुआत के लिए आप एक रणनीति की ज़रूरत को महसूस करते हैं, जो प्रेरित करती है, सशक्त करती है और समान मात्रा में सक्षम बनाती है। विज्ञापनों से लदे अख़बारों और पारंपरिक सांख्यिकी के बावजूद '*मेक इन इंडिया*' की ज़रूरत अलग तरह के अभियान की है, इस तरह की परंपरावादी चलन की लिए यह संदेश देना आवश्यक है कि वो सूचनात्मक था, अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था और सबसे अहम था कि वो विश्वसनीय था। इसे (अ) अपने अंतर्राष्ट्रीय संभावित भागीदारों के बीच भारत की क्षमता को लेकर उनके विश्वास को प्रेरित करना था और बड़े पैमाने पर भारतीय क़ारोबारी समुदायों और नागरिकों के बीच भी भरोसा पैदा करना थाय (ब) 25 उद्योग क्षेत्रों को लेकर एक बड़ी मात्रा में तक़नीकी सूचना के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना था और (स) सोशल मीडिया से व्यापक स्थानीय तथा वैश्विक स्तर तक पहुंच बनाना तथा उन्हें अवसरों तथा सुधारों के बारे में लगातार अद्यतन करना आदि।

एक समर्पित हेल्प डेस्क और आकर्षक तथा सामान्य विषय सूची में सूचनाओं की एक व्यापक सरणी वाली एक चलित-पहली वेबसाइट के साथ-साथ ब्रांड नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए औद्योगिक विभाग नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) ने अति विशिष्ट एजेंसियों

लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल कैडर: 1980) के अधिकारी तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) में सचिव हैं, बुनियादी ढांचे के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योग में व्यापक अनुभव रखते हैं। इन्होंने केरल को देवभूमि के तौर पर ब्रांडिंग और पोजिशनिंग को लेकर उसकी संकल्पना गढ़ी, उन संकल्पनाओं को लागू किया, फिर बाद में उन्होंने अतुल्य भारत अभियान की संकल्पना और प्रवर्तन किया। इन अभियानों को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और व्यापक बाज़ार शोध आधारित बुनियादी ढांचे के विकास, उत्पाद वर्धन, सांगठनिक संस्कृति में बदलाव और प्रचार भागीदारी जैसी अनेक गतिविधियों में मेज़बानी की। ईमेल: amitabh.kant@nic.in

मेक इन इंडिया: प्रतीक चिह्न की अवधारणा

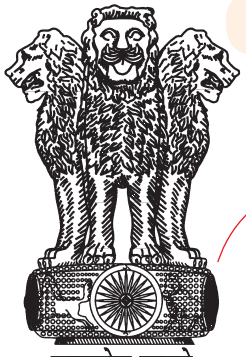

अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का केंद्र बिंदु है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का केंद्र भी बनाता है। चक्र शांतिपूर्ण प्रगति और गतिशीलता-भारत के चमकते अतीत से लिया गया प्रतीक तथा जीवंत भविष्य की ओर ले जाने का द्योतक है।

प्राचीन समय से ही शेर भारत का आधिकारिक प्रतीक रहा है। यह ताक़त, साहस, दृढ़ता और ज्ञान का प्रतीक है, ये वो मूल्य हैं, जिसके साथ चलकर आज का भारत बना है।

के एक समूह साथ काम किया। घरेलू और वैश्विक व्यापारिक प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं तथा हाई प्रोफाइल मीडिया सदस्यों के सामने दिल्ली में 25 सितंबर 2014 को एक बड़े आयोजन द्वारा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का अनावरण किया गया। व्यापक रणनीति के साथ इस आयोजन को अंजाम दिया गया और सोशल मीडिया, टीवी तथा समाचारपत्रों की दिलचस्पी में महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में सामने आया।

उद्घाटन के घंटे भर बाद ही 'मेक इन इंडिया' को विश्वव्यापी ट्रेंड मिला। 48 घंटे में 1.08 अरब इंप्रेशन के साथ 99,000 से ज़्यादा उल्लेख थे और नौ करोड़ 40 लाख लोगों तक इसने अपनी पहुंच बनाई। 'मेक इन इंडिया' ने 31 जनवरी को 2015 को प्रत्येक 3 सेकेंड में एक फैन बनाते हुए 30 लाख से ज़्यादा फेसबुक फैन्स बनाए; @makeinindia ने ट्विटर पर हर 32 सेकेंड में अपना एक नया फॉलोवर बनाया; और makeinindia.com पर 56.7 लाख बार पेज देखा गया है।

भागीदारी

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम सहयोगात्मक प्रयासों के स्तरों पर बनाया गया है। डीआईपीपी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत केंद्रीय मंत्रियों, भारत सरकार के सचिवों, राज्य सरकारों, औद्योगिक प्रतिनिधियों और विभिन्न बौद्धिक भागीदारों की भागीदारी के लिए आमंत्रित करके की।

दिसंबर 2014 में आयोजित क्षेत्र विशेष उद्योगों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत सरकार के सचिवों तथा औद्योगिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का काम किया गया ताकि वो अगले तीन सालों के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा कर सकें, ताकि 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर जीडीपी के 25 प्रतिशत तक लाया जा सके। इस योजना को केंद्रीय सरकार के सचिवों तथा राज्य सरकारों की ओर से महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उद्योग संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों के सामने रखा। ये कोशिश हाल के इतिहास में एक राष्ट्र द्वारा अपनाई गई एकलौती सबसे बड़ी पहल के लिए एक रोड मैप तैयार करती है। ये कोशिश सार्वजिनिक-निजी भागीदारी की रूपांतरण शक्ति का प्रदर्शन करती हैं और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की एक बानगी बन गई हैं। इस सहयोगात्मक मॉडल का विस्तार भारत के वैश्विक भागीदारों तक सफलतापूर्वक किया गया है और इसका सबसे बड़ा सुबूत है; हाल के दिनों में भारत-अमरीका के बीच की परस्पर संवाद।

प्रगति

बहुत ही कम समय में, एक पारदर्शी तथा उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिहाज़ से एक सहज़ प्रणाली ले आई गई है, जिससे निवेश को गति मिली है, नवाचार, विकास कौशल, आईपी सुरक्षा को मज़बूती मिली है तथा विनिर्माण के बुनियादी ढांचे का शानदार निर्माण हुआ है। प्रगति के सबसे बेहतरीन संकेतों में जिन मुख्य क्षेत्रों की अभूतपूर्व शुरुआत हुई है, इनमें शामिल हैं; रेलवे, रक्षा, बीमा तथा चिकित्सकीय उपाय, इससे नाटकीय रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है।

'मेक इन इंडिया-क्षेत्रगत परिप्रेक्ष्य और पहल' नाम से एक कार्यशाला का आयोजन 29 दिसंबर 2014 को आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत 1 और 3 सालों के लिए एक कार्य-योजना बनाई गई ताकि 25 चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश को ज़बरदस्त बढ़ावा मिल सके। विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर मंत्रालय उन बिंदुओं को चिह्नित करने में लगा है, जिससे विश्व बैंक की प्रणाली के तहत हो रहे कारोबार में सुधार लाया जा सके।

'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए समर्पित एक आठ सदस्यीय निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ (आईएफसी) का गठन सितंबर 2014 में किया गया। इस प्रकोष्ठ के गठन का मुख्य लक्ष्य है; नियामक स्वीकृत की तलाश कर रहे निवेशकों को सहायता करना, पूर्व निवेश चरण, उसका निष्पादन और बाद में उसकी देखभाल के लिए तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराना।

भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को इस बात की सूचना दे दी गई है कि वो चिह्नित क्षेत्रों में निवेश के लिए संभावना पर पर्याप्त सूचनाएं मुहैया कराएं। डीआईपीपी ने 'जापान प्लस' नाम से एक विशेष दल का गठन किया है, जो जापान से आने वाले निवेश प्रस्ताव को जितना ज़ल्द हो सके, उसे सुविधाएं मुहैया कराते हुए बिना किसी परेशानी के निपटा सके। इस दल को ऑक्टूबर से तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया गया है।

रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष आदि जैसे कई क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया है। निवेश को बढ़ावा देने और क़ारोबार की सहज़ता के लिए कई नियामक नीतियों को और आसान बना दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में छः औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इन कॉरिडोरों के साथ औद्योगिक शहर भी आएंगे।

मेक इन इंडिया के 100 दिन

- जनधन पहल के सहयोग से नौ करोड़ बैंक खाते
- प्रवेश और निकास नियामक को आसान कर दिया गया है, एक्जिम नियमों को व्यापक रूप से आसान कर दिया गया है।
- औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, आवेदन देने और सेवाकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए साइट, EBIZ चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
- औद्योगिक लाइसेंस की शुरुआती वैध अवधि को बढ़ाकर 2-3 साल, भूमि ख़रीद के लिए तथा आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय, गृहमंत्रालय ने

औद्योगिक लाइसेंस पर 12 दिनों के भीतर सुरक्षा मंज़ूरी निश्चित की।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में, रकम को लेकर समय सीमा की प्रक्रियाएं स्वचालित, निश्चित समय पर ईएसआईसी निबंधन।
- लाइसेंसधारी सुरक्षा उद्योगों के लिए एक सुरक्षा नियमावली हाल ही में जारी।

प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र

ऑटोमोबाइल

- सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता; दूसरा सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता; दूसरा सबसे बड़े बस निर्माता; पांचवा सबसे बड़ा भारी ट्रक निर्माता; छठा सबसे बड़ी कार निर्माता आठवां सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता
- भारत के कार बाज़ार की क्षमता : 2020 तक वार्षिक रूप से 6 लाख से अधिक इकाई

वाहनों के पुर्जे

- ग्लोबल ओईएम के 35 से अधिक आईपीओ तथा भारत से 1 टीयर ख़रीद
- पड़ोसियों मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक
- प्रमुख बाज़ारों की बंद संभावना- आसियान, जापान, कोरिया तथा यूरोप पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रदान करता है

विमानन

- विश्व का 9 वां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाज़ार; 1.2 अरब डॉलर
- 2020 तक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाज़ार बनने की संभावना तथा 2030 तक सबसे बड़ा बाज़ार होने की उम्मीद। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरा स्थान।

जैव प्रौद्योगिकी

- जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े 12 स्थलों में से एक, तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरा।
- 2012-17 के दौरान 3.7 अरब डॉलर, उत्पाद विकास, शोध तथा नवाचार के लिए बायोटेक पार्क पर ज़्यादा ज़ोर।

रासायनिक पदार्थ

- एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में उत्पाद के लिहाज़ से छठा।

मेक इन इंडिया-बजट 2015-16

- रोज़गार सृजन के लिए घरेलू विनिर्माण में विनेश तथा विकास का पुनर्जीवन।
- सहज़ क़ारोबार हेतु सरलीकृत कर प्रणाली।
- आसान प्रणाली के साथ विभिन्न पूर्व अनुमतियों को बदलने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट विधायन तथा संभावना की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति।
- कोष प्रबंधकों को भारत में स्थानांतण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थाई स्थापना मानदंडों में संशोधन।
- सामान्य प्रति परिहार नियम (गार) को दो वर्षों के लिए स्थगित किया जाना।
- 01-04-2017 या उसके बाद के निवेश को भविष्यत प्रभाव से लागू किया जाना।
- रॉयल्टी पर आयकर की दर तथा तकनीकी सेवाओं से लिए जा रहे शुल्क को 25 से 10 प्रतिशत घटाया जाना ताकि प्रौद्योगिकी प्रवाह को और सहज़ बनाया जा सके।
- 22 आदानों/कच्चे पदार्थों पर बुनियादी सीमाशुल्क को कम करना ताकि कर विपर्यय के प्रभाव को कम से कम किया जा सके तथा विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण की लागत को घटाया जा सके।
- संपत्ति से आरईआईटी के किराए की आय को सुविधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाना।
- श्रेणी 1 और श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष का टैक्स पास के माध्यम से अनुमति।

- रंग उद्योग: लगभग 75 प्रतिशत निर्यात खाते के साथ 6.8 अरब अमरीकी डॉलर।
- मुख्य विकास घटक : बड़ी आबादी कृषि पर निर्भरता + ज़्यादा निर्यात मांग

निर्माण

- 20 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 650 अरब डॉलर आवश्यक
- निवेश अवसर: आवासीय, वाणिज्यिक, खुदरा तथा हॉस्पिटलिटी।
- टिकाऊ शहरों तथा एकीकृत टाउनशिप के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी।
- भारत के निर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश नियमों को आसान बनाया गया है, बिल्टअप एरिया की आवश्यकता तथा न्यूनतम पूंजी की ज़रूरत को कम किया गया है।

रक्षा विनिर्माण

- एफडीआई अब तक: सरकारी रास्तों के ज़रिये 49 प्रतिशत तक एफडीआई को अनुमति दी गई है तथा रक्षा पर कैबिनेट समिति की मंज़ूरी के बाद 49 प्रतिशत से ऊपर का निवेश किया जा सकता है, इससे देश में प्रौद्योगिकी को संभवत: आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी तथा सटीक परिणाम हासिल करने में सहायता मिलेगी।
- निजी क्षेत्र में रक्षा उपकरण विनिर्माण के लिए 53 प्रतिशत उपकरणों को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, सेना और नागरिक दोनों के उपयोग वाले सामानों का निर्माण अविनियमित।
- स्वत: अनुमोदित रास्तों के अंतर्गत विशेष निवेश तथा एफवीसीआई द्वारा निवेश को एक साथ 24 प्रतिशत तक अनुमति।

इलेक्ट्रिकल मशीनरी

- बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, ख़दान, तेल तथा गैस, रिफाइनरी, इस्पात, मोटर वाहन और उपभोक्ता टिकाऊ में क्षमता सृजन।
- 2022 तक भारत में सृजन उपकरण उद्योग 25-30 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां

- 2020 तक सरकार द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं जैसे, राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क के ज़रिये संभावित मांग 400 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच की संभावना
- आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज़: 10 साल के लिए 25 प्रतिशत तक योजना पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराए जाने की योजना है

खाद्य प्रसंस्करण

- एक समृद्ध कृषि संसाधन आधार
- फूड पार्क की स्थापना निवेशकों के साथ ही उद्यमियों के लिए अद्भुत अवसर
- फल- सब्ज़ियां, पेय पदार्थ, डेयरी, खाद्य और पौष्टिक चीज़ों, मांस और पोल्ट्री, मछली, समुद्री भोजन और फीस प्रोसेसिंगय खाद्य संरक्षण तथा पैकेजिंग आदि।

आईटी तथा बीपीएम

- आईटी तथा बीपीएम क्षेत्र देश की जीडीपी का 8.1 प्रतिशत का निर्माण करते हैं तथा जनकल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं
- फर्मों में से 60 फीसदी के लिए भारत का उपयोग परीक्षण सेवाओं के लिए
- राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 का उद्देश्य 2020 तक आईटी तथा बीपीएम उद्योग का राजस्व 300 अरब डॉलर तक बढ़ाना तथा 2020 तक निर्यात 200 अरब अमरीकी डॉलर करना है

चमड़ा

- विशाल घरेलू बाज़ार तथा निर्यात की बड़ी संभावना के साथ कुल उत्पादन मूल्य 11 अरब अमरीकी डॉलर
- सालाना 24 प्रतिशत की अनुमानित बढ़ोतरी
- सभी सहायक सेवाओं और आवश्यक आधारभूत संरचना के साथ चमड़ा उद्योग के लिए नये उत्पादन केंद्र के सृजन करने के ख्याल से मेगा लेदर कलस्टर (एमएलसी) उप योजनाएं

मीडिया और मनोरंजन

- 2018 में 1785.8 अरब रुपये के क़ारोबार तक पहुंचते हुए 14.2 प्रतिशत के सीएडीआर का अनुमान
- भारतीय सिनेमा उद्योग का आकार 2018 तक 219.8 अरब रुपये तक होने का अनुमान, 2013 तक इसका आकार 125.3 अरब रुपये का था

खदान

- 20-30 वर्षों की लंबी अवधि के लिए लीज पर दिए जा रहे ख़दानों के साथ भारत के पास विशाल खनिज संभावना है
- अनुमानित विकास-7 प्रतिशत

तेल एवं गैस

- न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी तथा कोल बेड मिथेन नीति उद्योग मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करने वाली है
- भारत के गाद वाले क्षेत्र के 48 प्रतिशत का पता लगाया जाना बाकी, शहरों में गैस तथा वितरण क्षेत्र के रूप में बेहतर अवसर

औषधि निर्माण

- 2020 तक बढ़ते विकास के संदर्भ में सबसे बड़े फर्मास्यूटिकल बाज़ारों में अपनी जगह बनाने का अनुमान
- दवा बाज़ार हिस्सेदारी में 7.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 2016 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार होने का अनुमान।

बंदरगाह

- लदान संचालन क्षमता 2009 के 575 एमएमटी से 2014 में 800 एमएमटी करना
- व्यापार गतिविधियों में बढ़ोतरी तथा बंदरगाहों के आधारभूत संरचनाओं के विकास में निजी कंपनियों की भागीदारी
- सागरमाला परियोजना का तटीय राज्यों में बंदरगाहों के ज़रिए विकास का लक्ष्य
- बंदरगाहों के आस-पास विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोयला आधारित ऊर्जा परियोजना, इस्पात प्लांट्स तथा तेल रिफायनरी का विकास

रेलवे

- बुनियादी रेलवे ढांचे में स्वत: संचालित रास्तों के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई
- प्राथमिकता: बंदरगाहों से जुड़ाव
- बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाएं: हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाएं, कोयले के ख़ादानों तथा बंदरगाहों के बीच रेलवे लाइन, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर

सड़क और राजमार्ग

- 48.6 लाख किमी का व्यापक सड़क संजाल: विश्व का दूसरा सबड़े बड़ा सड़क संजाल
- निजी क्षेत्र: सड़क बुनियादी ढांचे के विकास में मुख्य भूमिका
- भारत सरकार की योजना है कि वो विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 66.117 किमी सड़क का विकास करेगी

अक्षय ऊर्जा

- (2014 के अंत तक) 33,792 मेगावाट की क्षमता के साथ विश्व की पांचवी समग्र अक्षय ऊर्जा की क्षमता
- 165 मेगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता की योजना, 2019 तक इसमें सौर ऊर्जा 100 गीगावाट तक होगी
- त्वरित मूल्यह्रास, निर्माण आधारित प्रोत्साहन सहित सरकार द्वारा प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहन प्रदत्त; टैरिफ और व्यवहार्यता अंतर अनुदान में पोषण से अनुमान है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा

अंतरिक्ष

- सस्ती लागत अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत विश्व का अगुआ देश है तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व में सबसे कम लागत वाला है। दूसरे देशों में मार्स मिशन जैसे अभियान पर जो ख़र्च होते हैं, उसके मुकाबले मंगल मिशन की लागत बेहद छोटी है और वह सिर्फ 74 डॉलर है
- अब तक 30 भारतीय तथा 40 विदेशी सैटेलाइट लॉंच किया गया है, भारत के पास विश्व को इस मामले में सेवा प्रदाता बनने की अकूत संभावना है। भारत ने 19 देशों में 40 सैटेलाइट लॉंच किया है

कपड़ा और वस्त्र

- वैश्विक रूप से भारत दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण क्षमता वाला देश है
- विश्व बाज़ार के 63 प्रतिशत हथकरघों के साथ भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा करघा क्षमता वाला देश है
- भारत कुशल श्रमिकों तथा बड़े कपड़ा उत्पादकों की उत्पादन लागत के लिहाज़ से तुलनात्मक रूप से लाभमंद रहने की हालत में है
- 2025 तक भारत से कपड़ा निर्यात 300 अमरीकी डॉलर तक अनुमानित है

ऊष्मा ऊर्जा

- 2012-17 के दौरान 88.5 गीगावॉट और 2017-22 के दौरान 86.4 गीगावॉट की अतिरिक्त क्षमता हासिल करने का लक्ष्य
- निवेश अवसर: विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, पावर ट्रेडिंग और ऊर्जा समाशोधन

पर्यटन

- विदेशी पर्यटकों का आगमन 2014 में 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गया है
- पर्यटन के विकास को संचालित करने में जिन संभावित कारकों का योगदान हो सकता है, उनमें है; केंद्रित विपणन और उन्हें बढ़ावा देने के प्रयास, हवाई परिवहन का उदारीकरण, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल का विकास, बढ़ रहे अंतर-क्षेत्रीय सहयोग और अधिक प्रभावशाली सार्वजनिक निजी भागीदारी
- पर्यटन मंत्रालयय के योजना बजट का आधा से ज्यादा हिस्सा गंतव्यों के विकास, सर्किट्स, बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए है

स्वास्थ्य

- 20 फीसदी वार्षिक दर से वृद्धि, 2014 में 162 अरब रुपये तक होने का अनुमान
- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के मंत्रालय (आयुष) की स्थापना, ताकि स्वाथ्य के इन प्राचीन पद्धतियों के लक्षित ज़ोर के साथ उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। ❑

(मेक इन इंडिया के बारे में नई जानकारियों के लिए सोशल नेटवर्किंग बेवसाइटों पर निम्नलिखित पतों पर संपर्क किया जा सकता है:

facebook.com/makeinindiaofficia
twitter.com/makeinindia_
youtube.com/MakeInIndiaOfficial)

सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मिली राह

रहीस सिंह

पिछले कुछ वर्षों में संघवाद सर्वाधिक उलझनपूर्ण चुनौतियों से गुजरा। ऐसे अनगिनत अवसर देखे जा सकते हैं जहां केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार की स्वायत्तता को बाधित या समाप्त करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री 'सहयोग से, न कि बल संघवाद से' की विचारधारा को प्रश्रय दे रहे हैं क्योंकि वे मानते हैं कि केंद्र से राज्य का संबंध अधीनीकरण का न होकर सहयोग का होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि प्रत्येक सरकार- केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत तक-एक बेहतर भारत बनाने में बराबर की भागीदार है

सत्ता के ऊपरी स्तर से नहीं बल्कि बुनियादी स्तर से काम करना चाहिए.....सत्ता के बहुत अधिक केंद्रीकरण से पूरी व्यवस्था विकृत होकर आखिरकार ठप हो जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मूलभूत भावना के साथ भारतीय संघवाद की व्यवहारिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। इसी पृष्ठभूमि पर संघवाद पोषित होकर विकास की इस दीर्घावधि में सहयोगात्मक संघवाद की स्थिति तक पहुंच गया है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारिता और प्रतिस्पर्धात्मक से सम्पन्न संघवाद के रूप में देखने की बात कर रहे हैं। वाईवी रेड्डी के नेतृत्व में 14वें वित्त आयोग ने भी रक्षात्मक कदम बढ़ाने की बजाय बेहद साहसिक क़दम उठाते हुए राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार सौंपकर 'सहयोगी संघवाद' का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सिर्फ सिद्धांत या रूपरेखा ही किसी व्यवस्था का वास्तविक आकार लेने के लिए पर्याप्त नहीं होती बल्कि राज्य की नीतियां और शासन के उपाय भी ज़रूरी होते हैं। इसलिए सहकारी संघवाद की प्रतिष्ठा, उसका विकास और सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र और राज्य किस प्रकार की राजकोषीय प्रविधियों का आश्रय लेते हैं, केंद्र और राज्यों के राजनीतिक उद्देश्य किस तरह से समानांतर रेखा में चलते हैं और दोनों की आर्थिक क्षमताएं और प्रतिस्पर्धाएं अपने समुच्चय के साथ चलने में समर्थ होती हैं। यह देखने की भी ज़रूरत है कि क्या 2015-16 के बजट में ऐसी राह बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं?

बजट 2015-16 में किए गए प्रावधानों में 'सहयोगी संघवाद' की विशेष लक्षणों के संपोषणीय भाग की खोजबीन करने से पहले यह जानना ज़रूरी होगा कि संघवाद या सहयोगी संघवाद भारतीय संविधान में किस तरह से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है और एक संवैधानिक संस्था के रूप में 'वित्त आयोग' इसके पोषण में किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। लेकिन यहां पर संघीयता सही अर्थों में 'फेडरलिज़्म इन इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स' ही कही जाएगी क्योंकि भारतीय संघ अमरीका या कनाडा जैसी संघीयता संबंधी लक्षणों से सम्पन्न नहीं है और न ही यह राज्यों के साथ किए गए करार का परिणाम है। भारतीय संघवाद में मूल बात है शासन की वह प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता तथा अधिकार विभाजित हों। डॉ. अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय कहा था– 'यह देखने योग्य बात है कि प्रारूप समिति ने संघ की बजाय समुच्चय (यूनियन) शब्द का प्रयोग किया है। दरअसल वे यह चाहते थे कि भारत संघवाद के लिए शब्द कोई भी प्रयुक्त किया जाए लेकिन इसे सार रूप में एक समुच्चय के अर्थ में लिया जाए। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक-सामाजिक, आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें प्रकाशन केंद्र (लखनऊ), पियर्सन (किंडर्सले डार्लिंग प्रकाशन ब्रिटेन की दक्षिण एशिया के लिए फ्रेंचाइजी) तथा हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय आदि प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई है। एक अन्य पुस्तक ''नई विश्व व्यवस्था में भारत'' प्रकाशनाधीन है। ईमेल: raheessingh@gmail.com

संज्ञा दी है (द इंडियन कन्सटीट्यूशन)। लेकिन भारत संघ की व्यवस्था राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार बदलती गई, इसलिए संघवाद को उसी के अनुरूप परिवर्तित किया गया या वह स्वयं ही परिवर्तित होता गया जिसे समय-समय पर केंद्रीकृत संघवाद, एकात्मक संघवाद और सौदेबाजी संघवाद के नाम से व्यक्त किया गया। अब 'सहयोगी संघवाद' (कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म), जिसका अर्थ है– सत्ता का विकेंद्रीकरण और संघ, राज्य तथा स्थानीय एजेंसियों व संस्थानों के पास समान अधिकार का होना, स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार हो रहा है। इसमें वित्त आयोग, नीति आयोग और बजेटरी व्यवस्था की भूमिका निर्णायक होगी।

पिछले कुछ वर्षों में संघवाद सर्वाधिक उलझनपूर्ण चुनौतियों से गुजरा। ऐसे अनगिनत अवसर देखे जा सकते हैं जहां केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार की स्वायत्तता को बाधित या समाप्त करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री 'सहयोग से, न कि बल संघवाद से' की विचारधारा को प्रश्रय दे रहे हैं क्योंकि वे मानते हैं कि केंद्र से राज्य का संबंध अधीनीकरण का न होकर सहयोग का होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि प्रत्येक सरकार- केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत तक-एक बेहतर भारत बनाने में बराबर की भागीदार है। 'सरकार सहायक हो' के सिद्धांत को वे समर्थन देते हैं जिसका तात्पर्य है सरकार के विभिन्न प्रकारों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, जो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं और यह ग्राम पंचायत के स्तर से शुरू होता है। वे बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया के सीओएजी व्यवस्था वाली मान्यता भारत के सहयोगी संघवाद में भी देखना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि 1992 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने काउंसलि ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स (सीओएजी) का गठन किया था। सीओएजी दुनिया में अपनी तरह का एक निकाय है जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि व राज्यों के नेता स्थानीय सरकारों से समय-समय पर मिलते है। जिन नीतियों को केंद्रीय और राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, सीओएजी के माध्यम से लागू किया जाता है। सीओएजी ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को निष्पादित करने के लिए जिसमें जलवायु परिवर्तन, राजस्व बंटवारा, शिक्षा, पानी वितरण, केंद्रीय सरकार की योजनाओं का प्रारूप तैयार करना और अंतर-सरकार गतिविधियों का समन्वय करना सरकार के हर प्रयास को एक मंच प्रदान करता है।

तालिका 1: 13वें व 14वें वित्त आयोगों द्वारा अंतरण सिफारिशें

परिवर्तनीय कारक	प्रदत्त भारांष	
	13वां	14वां
जनसंख्या (1971)	25	17.5
जनसंख्या (2011)	0	10
राजकोषीय क्षमता/आय वितरण	47.5	50
क्षेत्रफल	10	15
वन क्षेत्र	0	7.5
राजकोषीय अनुशासन	17.5	0

स्रोत : 14वां वित्त आयोग (आर्थिक समीक्षा 2014-15 अध्याय 10)

सहयोगी संघवाद की दिशा में 14वें वित्त आयोग ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रत्येक पांच वर्ष पर गठित किए जाने वाले इस आयोग का कर्त्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे–

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में।

(ख) संघ और राज्यों को दिए जाने वाले सहयोता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में।

(ग) राज्यों के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की अनुपर्ति के लिए राज्य की निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में।

(घ) नगरपालिकाओं की निधि की आपूर्ति के लिए पूर्ववर्ती पैरा (ग) के समापन प्रस्तावों के बारे में

(ङ) कोई अन्य विवरण जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट हो।

इस तरह से वित्त आयोग संघीय शासन ढांचे में एक सेतु के रूप में कार्य करता है और इसके गठन के पीछे मूल विचार भी यही रहा होगा कि यह कर लगाने वाली शक्तियों और व्यवहारिक जिम्मेदारियों के बीच संभावित या विद्यमान असंतुलनों पर ध्यान देगा। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच के इस असंतुलन पर ध्यान दिया है, बल्कि इसने राज्यों के बीच भी निष्पक्ष समानता के सिद्धांत का भी खयाल रखा है। इसे 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं-

- 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) में राज्यों का हिस्सा वर्तमान 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है, जो ऊर्ध्वाधर अंतरण में अब तक का सबसे अधिक है। पिछले दो वित्त आयोगों अर्थात 12वें (2005-2010) और 13वें (2010-2015) ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा क्रमशः 30.5 प्रतिशत (1 प्रतिशत वृद्धि) तथा 32 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत की वृद्धि) की सिफारिश की थी। (सारणी 1)
- विभाज्य पूल में राज्य हिस्से के वितरण के लिए नए क्षैतिज सूत्र का भी सुझाव जिसके तहत 13वें वित्त आयोग ने की अपेक्षा 14वें वित्त आयोग ने दो नए परिवर्तनीय कारक जोड़े हैं– 2011 की जनसंख्या और वन क्षेत्र (और राजकोषीय अनुपालन कारक को निकाल दिया है।
- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदानों सहित निष्पादन अनुदान।

महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त आयोग ने राज्यों का विभाज्य पूल से कर अंतरण के साथ-साथ जो अन्य प्रावधान किए हैं वे भारत में राजकोषीय संघवाद (फिस्कल फेडरलिज़्म) को भी पोषित करते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों में सामान्य श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत समग्र संदर्भों में, सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश हैं जबकि विशेष श्रेणी

प्राप्त राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम हैं। इसके प्रभाव का बेहतर पैमाना आय प्रति व्यक्ति लाभ है। प्रति व्यक्ति लाभ के संदर्भ में, प्रमुख लाभान्वित राज्यों में सामान्य श्रेणी के राज्यों में केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम हैं। 14वें वित्त आयोग आयोग के अंतरणों का अधिकतम लाभ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड को हुआ है और जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा सबसे पहले कतिपय सुविधाहीन और ज़रूरतमंद राज्यों की केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में प्राथमिकता देने की दृष्टि से पांचवें वित्त आयोग द्वारा 1969 में शुरू की गई थी। आरंभ में असम, नगालैंड और जम्मू और कश्मीर आदि तीन ही राज्य शामिल थे लेकिन 8 और राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) और जुड़ गए। इनके अलावा, अन्य सभी राज्य सामान्य श्रेणी के राज्य हैं। ध्यान रहे कि विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) सकल कर राजस्व (ग्रास टैक्स रेवेन्यू) का वह भाग होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उद्गृहीत अधिभारों और उप-कर के सिवाय सभी करों, निवल संग्रहण प्रभार से मिलकर बनता है।[1] विभाज्य पूल से कर अंतरण के साथ-साथ पिछले वर्षों में राज्य के लिए अनुदानों का क्षेत्र और भी काफी बढ़ गया है जिनसे कि उनकी विशिष्ट सेवाएं शामिल की जा सकें।

विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) सकल कर राजस्व (ग्रास टैक्स रेवेन्यू) का वह भाग होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उद्गृहीत अधिभारों और उप-कर के सिवाय सभी करों, निवल संग्रहण प्रभार से मिलकर बनता है। विभाज्य पूल से कर अंतरण के साथ-साथ पिछले वर्षों में राज्य के लिए अनुदानों का क्षेत्र और भी काफी बढ़ गया है जिनसे कि उनकी विशिष्ट सेवाएं शामिल की जा सकें।

बहरहाल 14वें वित्त आयोग से पहले कर-राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किसी वित्त आयोग ने नहीं की थी। अब यह संभव है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कटौती हो और राज्यों के वापस वित्तीय साधनों की हो रही वृद्धि को देखते हुए उन पर विकासात्मक जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसके संकेत 2015-16 के रेल बजट और आम बजट, दोनों में दिखाई भी दे रहे हैं। अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्तीयन भी कुछ सीमा तक राज्यों की ओर हस्तांतरित होगा जैसा कि वित्त मंत्रालय के बयान से संकेत मिल भी चुका है जिसमें कहा गया है कि वह इस तरह की आठ योजनाओं पर विचार कर रहा है। कुल मिलाकर 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के इन शब्दों पर- 'हमने कर राजस्व के हस्तांतरण के उद्देश्य से राज्यों को श्रेणियों में नहीं बांटा है। हमने प्रोत्साहनों व शर्तों के इस्तेमाल को न्यूनतम किया है और खुले हस्तांतरण का दायरा बढ़ाया है। यह बताता है कि शासन के सभी स्तरों में हम विश्वास रखते हैं', ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्त आयोग ने सहयोगी संघवाद की प्रतिष्ठा हेतु कर्त्तव्य पूरा कर दिया है।

जहां तक 2015-16 के बजट में सहयोगी संघवाद की तरफ बढ़ाए गए क़दमों का प्रश्न है तो बजट में किए गए उपबंधों से पहले यह जान लेना ज़रूरी होगा कि संघवाद को प्रोत्साहित करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूट क्या हैं? पहला रूट तो विभाज्य पूल से कर अंतरण और अनुदान ही है, जो राज्यों को अपनी नीतियां बनाने के लिए वित्तीय आधार प्रदान करता है। दूसरा-स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं को मिलने वाली राशि या प्रोत्साहन के तरीके हैं, तीसरा रूट धरोहर अर्थव्यवस्था (हेरिटेज इकोनॉमी) के विकास के ज़रिये राज्यों की पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर हो सकता है और अंतिम रूट ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक गतिकी (रूरल सोशल-इकोनॉमिक डायनॉमिक्स) में परिवर्तन सम्बंधी हो सकता है। ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक गतिकी संघवाद की आधारिक संरचना को समृद्ध एवं गतिशील बनाती है। अब यदि 2015-15 के बजट ने इन क्षेत्रों पर अपेक्षित ध्यान दिया है तो सहयोगी संघवाद व्यवहारिक स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में प्रस्थान कर जाएगा। सर्वप्रथम तो भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली हैं और बजट में यह स्पष्ट किया गया है कि सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए करों के विभाज्य कोष (पूल) का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को अंतरित करना स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला अनुदान या राजस्व घाटा इन अनुदानों में शामिल नहीं है, जो इसके अतिरिक्त है। इससे राज्यों को अधिक संसाधन मिलने से वे सशक्त हो जाएंगे। राज्यों को 2014-15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3.38 लाख करोड़ रुपये के अंतरण की तुलना में 2015-16 में यह अंतरण 5.24 लाख करोड़ रुपये होगा। अनुदानों एवं आयोजनागत राशि के अंतरण के रूप में 3.04 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अंतरित की जाएगी। इस प्रकार से राज्यों को कुल अंतरण केंद्र के निवल कर राजस्व का लगभग 62 प्रतिशत हो जाएगा।

राज्यों को 2014-15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3.38 लाख करोड़ रुपये के अंतरण की तुलना में 2015-16 में यह अंतरण 5.24 लाख करोड़ रुपये होगा। अनुदानों एवं आयोजनागत राशि के अंतरण के रूप में 3.04 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अंतरित की जाएगी। इस प्रकार से राज्यों को कुल अंतरण केंद्र के निवल कर राजस्व का लगभग 62 प्रतिशत हो जाएगा।

स्वाभाविक है कि अब राज्यों को व्यापक संसाधनों का हस्तांतरण होने से अधीनस्थ संघवाद (सबआर्डिनेट फेडरेशन) से सहयोगी संघवाद की स्थिति निर्मित होगी और राज्यों का केंद्र से नाता अब अधिक बराबरी वाला होगा। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संसद में पेश किए जाने के तुरंत बाद

1. संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करने के पश्चात् वित्त आयोग को स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में इज़ाफ़ा करने के उपाय सुझाने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था। इससे वित्त आयोग अनुदानों के क्षेत्र में और विस्तार हो गया है। 10वां वित्त आयोग ऐसा पहला आयोग था जिसने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश की। इस प्रकार पिछले वर्षों में सहायता अनुदानों के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि, 'यह सहयोगी संघवाद के मेरे वादे को पूरा करने की दिशा में बढ़ा क़दम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तय करने की पहल में राज्यों को शामिल करने का निश्चय किया है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि केंद्र या राज्य द्वारा ख़र्च किए जा रहे एक-एक रुपये से ज़्यादा से ज्यादा फल प्राप्त किया जा सके।' बजट के कुछ अन्य प्रावधानों पर गौर करें, जो सामाजिक-आर्थिक गतिकी को बदल सकते हैं।

बजट के 16वें बिंदु में कहा गया है कि वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन और राज्य सरकारों के नेतृत्व में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित 'टीम इंडिया' के विज़न में शामिल विषय हैं– सबके लिए 2022 तक 'सबके लिए घर' जिसमें शहरी क्षेत्रों में दो करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चार करोड़ घरों का निर्माण शामिल होगा; देश के प्रत्येक घर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों की उपलब्धता और गांवों को सड़कों से जोड़ना शामिल होगा; प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोज़गार अथवा उस तक आर्थिक अवसर की पहुंच, ग़रीबी में पर्याप्त कमी लाना, देश के शेष 20,000 गांवों का 2020 तक विद्युतीकरण, सड़क मार्ग से जुड़ी 1,78,000 बस्तियों में से प्रत्येक को बारहमासी सड़कों से जोड़ना एवं वर्तमान में निर्माणाधीन एक लाख किमी की सड़कों का निर्माण-कार्य पूरा करने एवं अन्य एक लाख किमी की सड़क की मंजूरी और निर्माण की मंजूरी; युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पांच किलोमीटर के दायरे में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की उपस्थिति के लिए 80,000 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन तथा 75000 जूनियर/मिडिल स्तर तक के विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्तर करना; ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उपजों के लिए वाजिब दाम प्रदान करना; सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सिंचाई प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने तथा मूल्य वर्धन एवं कृषि से होने वाली आय में वृद्धि करने तथा कृषि उत्पादों के लिए उचित क़ीमतें सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना; गांवों और शहरों के बीच संचार भेदभाव समाप्त करना और ग्रामीण युवाओं को उचित रोज़गार देने हेतु भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए *मेक इन इंडिया* और *स्किल इंडिया* कार्यक्रम को सफल बनाना तथा पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के शेष भागों के समतुल्य बनाना। ये प्रावधान न केवल ग्रामीण जीवन, ग्रामीण कौशल और ग्रामीण अधिसंरचना को समृद्ध बनाएंगे जिससे ग्रामीण मनोदशा विकास के अनुकूल बनेगी बल्कि क्षेत्रीय समरूपता को भी स्थापित करने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होंगे जो सहयोगी संघवाद प्राथमिक अपेक्षा है।

बजट के 69वें बिंदु में हेरिटेज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर के 25 स्थलों में भूदृश्य बहाली, संकेत तथा भाषांतर केंद्र पार्किंग, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगमन सुविधाएं, सुरक्षा एवं आगमन सुविधाएं, प्रकाशीकरण एवं आने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं आदि को सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। ये सुविधाएं निम्नलिखित धरोहरों पर उपलब्ध होंगी- चर्च और कॉन्वेंट (गोवा), हम्पी (कर्नाटक), एलीफैंटा गुफाएं (महाराष्ट्र), कुम्भलगढ़ एवं अन्य पहाड़ी किले (राजस्थान), रानी की वाव (पाटन, गुजरात), लेह पैलेस (लद्दाख, जम्मू और कश्मीर), वाराणसी मंदिर टाउन (उत्तर प्रदेश), जलियांवाला बाग (अमृतसर, पंजाब), कुतुबशाही मकबरा (हैदराबाद, तेलंगाना)...आदि। यही नहीं पर्यटकों को जारी आगमन वीजा अब 43 देशों से बढ़ाकर 150 देशों के लिए कर दिया गया है। पर्यटन से होने वाली आय राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी सहयोगी होगी जो राज्यों के स्वतंत्र विकास को प्रोत्साहन देगी। संभव है कि इसके बाद राज्य विकास के मामले में स्वत: स्फूर्त हों या फिर आपस में मिलजुल कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध बनाने का प्रयास करें। अगर ऐसा हो जाता है तो संघर्ष एवं वैमनस्यता के लक्षणों का पतन तथा सहयोग एवं संघवाद की सही अर्थों में स्थापना होगी।

पर्यटन से होने वाली आय राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी सहयोगी होगी जो राज्यों के स्वतंत्र विकास को प्रोत्साहन देगी। संभव है कि इसके बाद राज्य विकास के मामले में स्वत: स्फूर्त हों या फिर आपस में मिलजुल कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध बनाने का प्रयास करें। अगर ऐसा हो जाता है तो संघर्ष एवं वैमनस्यता के लक्षणों का पतन तथा सहयोग एवं संघवाद की सही अर्थों में स्थापना होगी।

फिलहाल सहयोगी संघवाद के लिए हो रहे प्रयास अनुकूल और अग्रगामी हैं लेकिन बजट ने स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं किए हैं जबकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद से संविधान में भाग 9 तथा 9(क) जुड़ जाने के बाद से संघीय विशेषता में दो नहीं, बल्कि तीन सहभागियों– केंद्र, राज्य और पंचायत/नगरपालिका (तीसरी सरकार) से विशेषित होने लगी। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों (नगरपालिकाओं) को 'स्वायत्त शासन की संस्था' का स्थान देता है। इसलिए वास्तविक संघवाद किसी भी निर्वाचित स्थानीय निकाय तक होना चाहिए। यही नहीं नागालैंड एवं मिजोरम को छोड़कर देश में 2.5 लाख से अधिक स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं और उनमें 32 लाख से भी अधिक जनप्रतिनिधि। इसलिए इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

दूसरी चुनौती जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की होगी क्योंकि इसके लागू होने के पश्चात राज्यों के कर शासन/प्रशासन की स्वतंत्रता कमी आएगी। हालांकि पूरे देश के आर्थिक एकीकरण के लिए एसजीएसटी (सिंगल गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का लागू होना ठीक लगता है। हो सकता है कि एक चुनौती राज्यों के असमान विकास सम्बंधी भी आए क्योंकि स्वतंत्र विकास के लिए राज्य के नेतृत्व का विज़न और कौशल का होना ज़रूरी होगा। जो भी हो, इस सबके बावजूद जो प्रयास सहयोगी संघवाद की दिशा में हो रहे हैं, आशावादी और राज्यों को सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने के अनुकूल हैं। अन्यथा इससे राज्य उन केंद्रीय योजनाओं को भी धन के अभाव में लागू नहीं कर पाते थे जिनमें राज्यों को भी अपनी राशि ख़र्च करनी होती थी। यह वज़ह भी उनके पिछड़ेपन का कारण बन जाती थी लेकिन अब राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए एक स्थाई वित्तीय आधार प्राप्त हुआ है, जो उन्हें स्वतंत्र, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। ❑

आर्थिक स्वास्थ्य का विश्लेषण

आशिमा गोयल

हालांकि सरकार को अपारदर्शी और प्रतिगामी कर प्रणाली की विरासती छवि बदलनी होगी, लेकिन कॉरपोरेट और एफआईआई को कर छूट देने के लिए उसे हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी-20 और ओईसीडी गंभीरतापूर्वक बेस इरोजन और प्रोफिट शिफ्टिंग की पहल को आगे बढ़ा रही है जिससे भारत को भी जुड़ना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। दोहरा कर को रोकने के लिए जो संधियां हैं उनका इस्तेमाल- दोहरा कर नहीं- के रूप में होना देसी कंपनियों के लिए उचित नहीं है। यह कई तरह के सरकारी व्यय को नुक़सान पहुंचाता है जोकि अन्यथा देश के लिए फायदेमंद हो सकता है

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, छोटे-छोटे क़दम ही बड़े आर्थिक बदलाव (आर्थिक बिग बैंग) तक का सफर पूरा करेंगे। इसके मुताबिक, वर्तमान स्थिति में आधारभूत ढांचा ख़ासकर विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता बढ़त हासिल करने की सबसे ज़्यादा संभावना है। हमारे पास जो मानवीय-कौशल मौजूद हैं उनके लिए रोज़गार सृजन की भी बेहतर संभावना है। यही कारण है कि वित्तीय घाटे के बोझ को आसान करने के लिए यह समझदारी की बात होगी कि निवेश अनुमति दी जाए। निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें ज़रूरी प्रोत्साहन दिया जाए और 'जेएएम' को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू करते हुए उनके आंसू पोंछे जाएं जिनको किस्मत का कम सहारा मिल रहा है। चूंकि ये विचार सरकार के राजनीतिक दर्शन के करीब हैं इसलिए यह हैरत की बात नहीं है कि इनमें से कई बातें बजट में दिखाई देती हैं।

8 प्रतिशत की विकास दर संतोषजनक है। सीएसओ ने कंपनियों के काफी उन्नत आंकड़ों के आधार पर संशोधित जीडीपी तैयार किया है। वास्तविक मूल्यांकन अनुमानित आंकड़े से मेल नहीं खाते लेकिन नये आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय हैं। लेकिन कई अन्य आंकड़े जैसे कि क्रेडिट और आईआईपी ग्रोथ अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत देते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धि की संभावना पहले कम कर के आंकी गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण जैसा इशारा करते हैं उसके मुताबिक वृद्धि के हालात वास्तव में उससे कहीं बेहतर हो सकते हैं। कारण यह कि न तो फर्मों की बैलेंस शीट और न ही बैंकों का वित्तीय प्रतिरोध उतना अनियंत्रित है जितना आर्थिक सर्वेक्षण में प्रतीत होता है। इसके अलावा 'जेएएम ट्रिनिटी' में न सिर्फ संकट उन्मूलन की बल्कि उत्पादकता बढ़ाने की भी क्षमता है। हालांकि कभी-कभी वृद्धि की संभावना बदतर हो सकती है, क्योंकि अमल करने वाले कारकों का बजट में या सर्वेक्षण में यथोचित वर्णन नहीं होता।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निजी निवेश को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा जन- निवेश अनिवार्य है। अगर यह सच है तो निराशाजनक होगा क्योंकि बजट में ख़र्च वृद्धि जीडीपी के 0.3 प्रतिशत ही की गई है, जबकि पहले के वित्तीय घाटे के 4.1 के लक्ष्य और दो अंकीय कैपेक्स ग्रोथ के वादे के मद्देनज़र यह महज़ 2.5 प्रतिशत थी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पादक-व्यय में कटौती बीतों वर्षों में खूब हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नेंस में बदलाव के बगैर सरकारी निवेश की क्षमता की अपनी सीमाएं हैं। यह पिछले कुछ वर्षों से जीडीपी के एक प्रतिशत के आसपास सिमटा रहा है।

हालांकि अत्यधिक जन ख़पत वाले व्यय नुकसानदेह हैं। इसलिए सरकारी ख़र्च की संरचना में बदलाव अनिवार्य है और इस दिशा में उठाए गए छोटे क़दम भी स्वागत योग्य हैं। क्या निजी निवेश की भी सीमाएं हैं? सर्वेक्षण कहता है कि कंपनियां अति-उत्साहित हैं इसलिए निवेश नहीं कर सकतीं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सही आंकड़े हों। सीएमआईई के आंकड़ों पर आधारित आकृति 1 और 2 बताते हैं कि 50 प्रमुख उत्पादक कंपनियों के ऋण

आईजीआईडीआर मुंबई में प्रोफेसर हैं और माइक्रोइकनॉमिक्स तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर एक पत्रिका की सहसंपादक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ओयूपी हेंडबुक की संपादक हैं। उन्हें कई फैलोशिप और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वह एशियाई विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयोग जैसे संस्थानों के साथ शोध परियोजनाओं पर काम कर चुकी हैं। ईमेल: ashima@igidr.ac.in

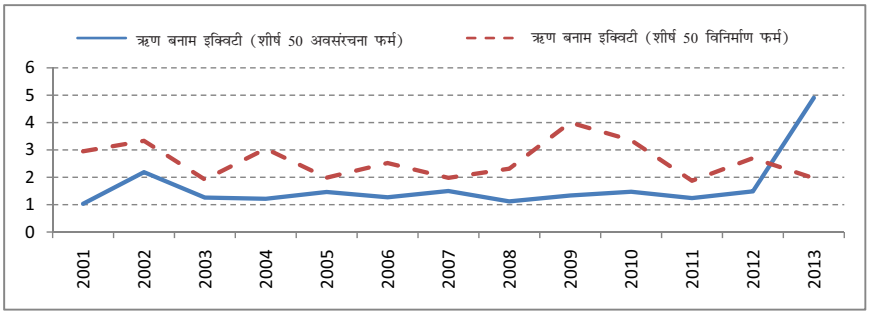

आकृति 1: अवसंरचना तथा विनिर्माण फर्मों में ऋण व इक्विटी का अनुपात

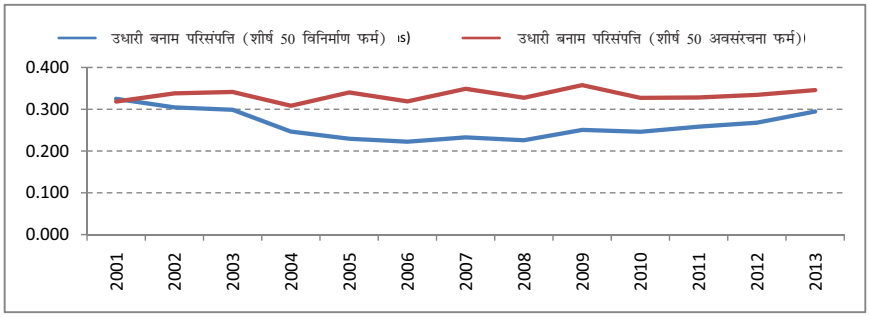

आकृति 2: अवसंरचना तथा विनिर्माण फर्मों में उधारी तथा परिसंपत्तियों का अनुपात

अनुपात में (बिक्री के मद्देनज़र) 2000 के मध्य के वर्षों की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि उस दौर में ये कंपनियां काफी सक्रियता से निवेश कर रही थीं। सन् 2013 को छोड़ दें तो आधारभूत ढांचा बनाने वाली 50 शीर्ष कंपनियों के अनुपात में भी कोई वृद्धि नहीं हुई थी लेकिन इस सब के बावजूद उधारी बनाम परिसंपत्ति रेशियो (ग्राफ 2) में कोई वृद्धि नहीं दिखती। वैसे कई कंपनियों ने सन् 2000 के आसपास भारी नकदी राशि जमा कर रखी थी।

वास्तव में आर्थिक सर्वेक्षण बीएसई द्वारा निर्धारित 500 शीर्ष कंपनियों के कहीं वृहद आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अनुसार ऋण ईक्विटी अनुपात अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से ऊंचा है लेकिन एक ऐसे देश में जहां बैंक वित्तीय निवेश का मुख्य साधन है, वहां यह तुलना वाज़िब नहीं होगी। इसके अलावा कई कंपनियों ने 2014 में स्टॉक मार्केट में आई तेजी का इस्तेमाल ऋण अनुपात घटाने के लिए किया है। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को रेखांकित करता है कि क्लासिक क्रेडिट बब्बल के नतीज़े को कंपनियां प्रदर्शित कर रही हैं जो अस्थिर है। जो आंकड़े ये दे रहे हैं उनके अनुसार, भारतीय क्रेडिट जीडीपी अनुपात 2013 में 2000 के 35.5 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया। इसकी चीन के 150 और अमेरिका के 190 से तुलना कीजिए ! भारतीय क्रेडिट वृद्धि निम्न मध्य आय वाले देशों की वृद्धि से नीचे थी। आर्थिक सर्वेक्षण हमें आश्वस्त करता है कि भारत न तो अति बैंक-केंद्रित है और न ही इसका बाज़ार आय-समकक्षी अन्य देशों की तुलना में अत्यंत छोटा है। आर्थिक प्रगति की शुरुआत के बाद भारत के क्रेडिट में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई लेकिन इसी समयावधि में चीन और जापान जैसे देशों में क्रेडिट वृद्धि कहीं ज़्यादा गति से हुई।

आरबीआई के कुछ हज़ार कंपनियों वाले नमूने की तुलना में- जिसे पहले उड़ा दिया जाता था- कथित तौर पर एमसीए 21 के डैटाबेस में 5 लाख कंपनियां शामिल हैं। इसने चुकता पूंजी की मदद से अंतिम अनुमान लगाया है। 2011-12 का संशोधित राष्ट्रीय अकाउंट स्टैटिक्स कंपनियों की बचत और निवेश में 2004-05 की तुलना में भारी वृद्धि दिखाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2012-13 में प्राक्कलित प्राइवेट कॉरपोरेट की कुल बचत ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल आय के अनुपात में 6.1 से बढ़कर 9.7 हो गई। ग्रॉस कॉरपोरेट कैपिटल फॉरमेशन के मामले में यही अनुपात 9.2 से बढ़कर 13.5 हो गया। इससे नहीं लगता कि कॉरपोरेट जगत निवेश करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल वास्तविक समस्या ठप परियोजनाओं ने खड़ी की है लेकिन सर्वेक्षण कहता है कि इस मामले में कुछ बदलाव हुए हैं। सर्वेक्षण ने एक रोचक बिंदु सामने रखा है कि निजी क्षेत्र की ठप परियोजनाओं के पीछे नियामक शर्तें नहीं बल्कि व्यावसायिक मांग की कमी वज़ह है। सन् 2011 में सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं में काफी वृद्धि हुई थी, जबकि 2012 की चौथी तिमाही से 2014 की पहली तिमाही के बीच ठप निर्माण परियोजनाओं में तीव्र वृद्धि हुई। ये सब 2011 के मौद्रिक-वित्तीय सख्ती और 2013 के वैश्विक आर्थिक झटके के परिणामस्वरूप हुए। मौद्रिक सख्ती को उलटने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो जो निजी निवेश का माहौल तैयार कर रही है।

क्या यह कथन संगत है कि भारत की विकास-अवस्था में बैंकों और बाज़ार का विकास निहित है? आर्थिक सर्वेक्षण यह भी बताता है कि निजी क्षेत्र के बैंक तमाम बढ़तों में हिस्सेदार बने हुए हैं और उनकी जमा पूंजी 2007 से लगातार 20 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। यह स्थिति तब भी है जबकि उसे पूंजी पर ज़्यादा वापसी राशि मिल रही है। ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं जिन्होंने ठप परियोजनाओं की दस्तक को महसूस करते हुए आधारभूत परियोजना के बारे में व्रत लिया। यह व्यापक तौर पर उल्लेखित आंकड़ा है कि बैंकों का 70 प्रतिशत एनपीए भूमि अधिग्रहण की समस्याओं की वज़ह से है। ये समस्याएं सुलझेंगी अगर परियोजनाओं के ठप होने की दर में कमी हो। सर्वेक्षण हमें आश्वस्त करता है कि ऐसा होने लगा है। सरकार को इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन की प्रगति ठप बिजली परियोजनाओं के लिए मददगार होगी और यह बात अन्य प्रकार की परियोजनाओं के लिए मददगार है।

भारतीय बैंकों में विविधता है। यह सार्वजनिक, विदेशी और निजी मालिकाना वाले बैंक हैं जोकि वित्तीय क्षेत्र की मज़बूती का स्रोत हैं क्योंकि बैंकों के मामले में समान रणनीति ख़तरे को जन्म देती है। आज निजी बैंक सार्वजनिक बैंकों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन वैश्विक आर्थिक संकट के तुरंत बाद वाले दौर में हालात उलट थे। तब जमा पूंजी के जाने से निजी बैंक ख़तरे की आशंका से घिर गए थे। सापेक्षिक प्रतियोगिता

के लक्षण समय के साथ बदले हैं जो बैंकिंग प्रक्षेत्र को संपूर्णता में स्थायित्व दे रहे हैं।

अन्य देशों की तुलना में भारत में सभी प्रकार के बैंक बेहतर स्थिति में हैं। ऐसा इसलिए कि यहां ब्रॉड पैटर्न नियमन है। जैसे कि लोन टू वैल्यू रेशियो कैप में लीवरेज का होना। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने हमें चेतावनी दी है, अंतरराष्ट्रीय लेखन में कैप लीवरेज में प्रत्यक्ष मूल्यांकन को महत्व दिया जा रहा है। बैसल 3 के बाद से आंतरिक ख़तरा आधारित पूंजी मानदंड व्यापक लीवरेज की अनुमति दे रहा है। पतन से पहले लीमैन ब्रदर्स का लीवरेज 30 था जबकि बीयर स्टर्नस का लीवरेज 33 था।

बैसल 3 ने पहली बार कुल लीवरेज को लीवरेज रेशियो के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जिसमें कुल पूंजी के मुक़ाबले 3 प्रतिशत इक्विटी ज़रूरी है। मगर यह अब भी लीवरेज की कैपिंग में 33.3 गुना उदार है। आरबीआई ने 4.5 प्रतिशत का उच्च लीवरेज रेशियो का आदेश दिया है। यह 22:1 के लीवरेज की अनुमति देता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय बैंकों के लिए मौजूदा लीवरेज 10:1 है जैसे कि सर्वेक्षण भी आश्वस्त करता है। विकसित अर्थव्यवस्था में लीवरेज रेशियो अभी भी 25:1 है। अत: हमारे बैंक तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में है।

हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुछ गैर-व्यावसायिक निर्णय लिए हैं, लेकिन बाह्य झटके भी विपरीत नतीज़े के लिए जिम्मेदार थे। गलतियां हमेशा संभव हैं, लेकिन मजबूत आधार और प्रोन्नत शासन प्रणाली यह भरोसा दे सकती है कि स्वतंत्र निर्णय केवल व्यावसायिक आधार पर लिए जाएं। निजी क्षेत्र को निश्चित तौर पर व्यवस्था के साथ खेलने और अपने दिवालिएपन को करदाता पर लादने से रोका जाना चाहिए। ऋण वसूली ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया का पुनर्गठन हो ताकि देरी रोकी जा सके जो कर्ज़दारों को पुनर्भुगतान से भागने में मददगार है लेकिन करदाताओं के निरुत्साह से सार्वजनिक बैंक सीमित न हों, क्योंकि किसी बड़े बैंक को व्यवस्थाजन्य प्रचलन के डर से विफल होने की अनुमति नहीं है।

बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को फिर से सशक्त करने के लिए कोई बड़ा आवंटन नहीं दिया गया है। यह तर्कसंगत है कि जिस हद तक अन्य नियमन लीवरेज को पहले ही कम कर चुका है, उसमें हमारे बैंकों को लीवरेज घटाने के लिए बड़ी पूंजी बनाए रखने के लिए बाध्य करना घातक होगा।

बड़ी पूंजी बफर्स और अन्य के बीच संभावित व्यापार वंचना और अन्य प्रत्यक्ष उपाय जोकि लीवरेज को प्रतिबंधित करता है, एक ऐसा मुद्दा है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। इस तरह के दूरदर्शी उपाय चक्र-विरोधी होंगे और अंतरराष्ट्रीय बैंकों की सेहत में सुधार लाएंगे (गोयल 2014)।

अंतत: कह सकते हैं कि दोहरे वित्तीय दमन का तर्क भ्रामक है क्योंकि आर्थिक सुधार के 20 वर्षों के बाद भी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अब घटकर 21.5 प्रतिशत पर आ गया है लेकिन बैंक स्वैच्छिक तौर पर 25 प्रतिशत से ज़्यादा व्यापारिक निर्णय रखते हैं। कई वर्षों से बैंक वैधानिक ज़रूरत को जरूरत से ज़्यादा रखे हुए हैं। एक स्वतंत्र निर्णय दमन नहीं है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने वृद्धि की संभावना को कम आंका है। ऐसा इसलिए कि इसमें जेएएम को शुद्ध रूप से पुनर्वितरण की पहल मानी गई है। यह वित्तीय सेवाओं का फैलाव है। क्रेडिट से बाहर गरीबों तक पहुंच आदि वास्तविक जरूरत को पूरा करते हैं जो उत्पादकता को बढ़ाएगी। यह टिकाऊ भी होगा क्योंकि बैंकविहीन आबादी में सुसज्जित बैंकिंग सेवा के लिए व्यापक बाज़ार की संभावना है।

अभी ब्याज दरें उच्च हैं और इसके कम होने पर पर पूंजी प्राप्ति की संभावना होगी।

अंतत: आर्थिक सर्वेक्षण ने वृद्धि की संभावना को कम आंका है। ऐसा इसलिए कि इसमें जेएएम को शुद्ध रूप से पुनर्वितरण की पहल मानी गई है। यह वित्तीय सेवाओं का फैलाव है। क्रेडिट से बाहर गरीबों तक पहुंच आदि वास्तविक जरूरत को पूरा करते हैं जो उत्पादकता को बढ़ाएगी। यह टिकाऊ भी होगा क्योंकि बैंकविहीन आबादी में सुसज्जित बैंकिंग सेवा के लिए व्यापक बाज़ार की संभावना है।

जेएएम ट्रिनिटी में ये फीचर इसलिए हैं क्योंकि यह सेवाओं का ऐसा गुलदस्ता है जो ग्राहकों की जरूरत को पूरा करता है। जन धन में सशर्त ओवरड्राफ्ट, बीमा, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण और रुपे क्रेडिट कार्ड्स शामिल है। कमतर अंतरन व्यय, तक़नीकी सहूलियतों वाले ये खाते वास्तव में उपयोगी और राजस्व उत्पन्न करने वाले हैं। बैंकों के प्रकारों में प्रस्तावित विविधता और आसान प्रविष्टि लाभकारी प्रतियोगिता की नई अवस्था ला सकती है। पीब्रिक्स और मोर्तार बैंक को मापना कठिन है। मोबाइल फोन की व्यापक पहुंच है और मोबाइल बैंकिंग की भरपूर संभावना है जिसने कुछ विकासशील देशों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है लेकिन भारत में पीछे है। उदाहरण के लिए देखें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत 2008 में की थी। दोनों ने बैंक लिंक्ड मॉडल को अपनाया न कि अफ्रीकन मॉडल को जिसकी सफलता में मोबाइल सेवा दात्री कंपनियों (एमएसपी) का आंशिक योगदान है। दक्षिण एशिया में मोबाइल फोन में मौद्रिक मूल्य नहीं रखे जा सके। सुरक्षा, स्थायित्व और डैटा रिकार्ड के लिए बैंक जिम्मेदार थे। प्रत्येक लेनदेन ग्राहक के अकाउंट के मार्फत ही होते थे।

इसके बावजूद भारत की तुलना में पाकिस्तान में इसका विस्तार तेजी से हुआ। गोयल (2015 ए) के अनुसार, महत्वपूर्ण अंतर लचीलापन और कार्यप्रणाली है। मसलन उच्च शुरुआती स्तर और सीमा, ज़्यादा आय वर्ग, व्यापक बिजनेस कोरेसपोंडेंट का माहौल, लेनदेन के कम ख़र्च, जैसे कि ग्राहक निबंधन के लिए उसकी भौतिक उपस्थिति की गैर-अनियार्वता आदि। ये सभी वर्गों में लाया गया और कस्टमाइज किया गया, जिसने बाज़ार बढ़ाया और संचयी समावेशी नवाचार और इस्तेमाल का नेक चक्र बनाया, वह भी सुरक्षा और स्थायित्व से कोई समझौता किए बगैर।

चूंकि प्रासंगिक सामग्री की रचना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण था, इसलिए नई पहल ने अंतत: मोबाइल बैंकिंग का तेजी से विस्तार किया। और इस बात पर ज़्यादा ध्यान के साथ कि बैंक नेतृत्व वाली मोबाइल बैंकिंग विस्तृत सेवा प्रदान करे।

एमएसपी और बैंकों का सहयोग नये ट्रेंड से भी मदद पा सकते हैं। इसमें डिजिटल मुद्रा के नये ट्रेंड, ई-कॉमर्स की ओर ग्राहकों का जाना, तक़नीकी परिवर्तन मसलन नीयर फील्ड कम्युनिकेशन, क्लाउड और चिप स्मार्ट फोन है, जिसकी संख्या भारत में 65 करोड़ के पार करने के अनुमान हैं। भुगतान की दुनिया में गैर-बैंकिंग कंपनियों मसलन गूगल और

एप्पल के प्रवेश ने प्रतियोगिता बढ़ाने के साथ नवाचार को भी बढ़ाया है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश भी वृद्धि के लिए सकारात्मक है। सर्वेक्षण ने इसे केंद्र की कम वित्तीय उपलब्धता की दृष्टि से विश्लेषित किया है लेकिन जिस परिणाम को सरकार ने स्वीकार किया है उसके निहितार्थ दूरगामी होंगे। यह बात वित्त आयोग के मूल संवैधानिक जनादेश तक जाती है जो पूरे देश में समान जन सेवा सुनिश्चित करता है। और यह टॉप डाउन योजना दृष्टिकोण से दूर भी है जो केंद्र की विभिन्न विवेकाधीन योजनाओं और रूकावटों में अस्थिर हो जाता है (गोयल 2015 बी)। यह राज्य को सशक्त करता है और प्रासंगिक अनुभवों पर ज़्यादा भरोसे की सहूलियत भी।

यह समग्र घाटा लक्ष्य पर ज़ोर देने के लिए विभिन्न मनमानी शर्तों से दूर जाता है। ख़ासकर राजस्व घाटा और स्थानीय क्षमता निर्माण और राजस्व उगाही के लिए प्रदर्शन अनुदान आदि मामले में भी यही बात लागू होती है। यह वास्तविक सेवा के नजदीक है और यह जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होगा। दूसरा अनुशासित पहलू चुनाव में आएगा। देखा जा चुका है कि मतदाता अच्छे गवर्नेंस और बेहतर सेवा को लगातार पुरस्कृत कर रहा है। हाल के वर्षों में वित्तीय एकत्रीकरण के लिहाज से राज्यों ने केंद्र से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए पूर्ण वित्तीय एकत्रीकरण और ख़र्चों की संरचना में भी सुधार होगा।

जन सेवा की खस्ताहाली की एक मुख्य वज़ह बहुएजेंसी प्रणाली है- केंद्र, राज्य, स्थानीय और विशेष उद्देश्य वाले निकाय- अक्सर समान लक्ष्य के लिए काम करते हैं लेकिन उनके बीच बहुत कम समन्वय होता है (श्रीरमण 2014)। चौदहवें वित्त आयोग ने इस भ्रम को हटाया है और राज्यों को प्रदर्शन के लिए ज़्यादा आजादी दी है लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य को जन स्वास्थ्य, साफ-सफाई और जल के मामले में पूर्ण क्षेत्राधिकार है। भारत में कुपोषित बच्चे और सामान्य तौर पर व्याप्त ख़राब पोषण के लिए इन तीनों की खस्ताहाली ही जिम्मेदार है। इसके कारण भारी मानवीय संसाधनों की हानि होती है। राज्य सरकार को अब इसका समाधान करना होगा।

हालांकि बजट में केंद्र ने कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाएं को जारी रखा है, लेकिन कुछ अन्य में कटौती की है। करों के अवक्रमण की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र ने राज्यों को दी जाने वाली मदद 20 से 40 प्रतिशत घटाई है।

स्वास्थ्य और शिक्षा मद के ज़्यादातर ख़र्च राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन उन्हें हुनरमंद बनाना ज़रूरी है। गरीबों की मदद के अलावा 'मेक इन इंडिया' को सफल बनाने के लिए भी। इंटर-स्टेट काउंसिल के पुनर्जीवन का इस्तेमाल बातचीत बढ़ाने, सहयोग करने और स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, पर्यावरण, साफ-सफाई के मुद्दे पर एक-दूसरे पर दबाव बढ़ाने में किया जा सकता है।

निश्चित ही गवर्नेंस के संस्थानों का पुनर्गठन अमल को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार के प्रथम वर्ष में यह कमी थी और न ही बजट और न ही आर्थिक सर्वेक्षण ने इस एजेंडा को समुचित रूप से आगे बढ़ाया है। सर्वेक्षण ने एपीएमसी की ख़ामियों की लाभदायक चर्चा की है, लेकिन बजट में इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसके बदले एक ख़तरनाक सलाह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ख़र्च ज़रूरी है क्योंकि वहां मज़दूरी कम हो रही है लेकिन ये वे व्यय हैं जिन्होंने विगत में स्फीति बढ़ाई है। ग्रामीण मज़दूरी तभी सुरक्षित ढंग से बढ़ सकती है जब उत्पादकता बढ़े और इसके लिए ख़र्च की संरचना में सुधार लाभप्रद है। उदाहरण के लिए देखें तो रेलवे की सुरक्षा और सेवा में सुधार के लिए नवाचार वित्त-व्यवस्था का इस्तेमाल प्रस्तावित है जो कि ग्रामीण भारत और आम आदमी के लिए लाभदायक होगा। सरकार के निर्माण ख़र्च ने विगत वर्षों में ग्रामीण मज़दूरी बढ़ाए हैं। सर्वेक्षण चाहता है कि सरकार इस पर फिर ध्यान दें। हालांकि भवन निर्माण पर अत्याधिक ज़ोर दिया जा चुका है। स्मार्ट सिटी का अर्थ खाली फ्लैट्स नहीं है। पुराने शहर को बदलना कठिन है लेकिन नये को बसाना भी आसान नहीं है। धीरे-धीरे बढ़ोतरी का तरीक़ा बड़े बदलाव से बेहतर काम करता है।

वित्त आयोग की सिफारिशें समग्र घाटा लक्ष्य पर ज़ोर देने के लिए विभिन्न मनमानी शर्तों से दूर जाती हैं। ख़ासकर राजस्व घाटा और स्थानीय क्षमता निर्माण और राजस्व उगाही के लिए प्रदर्शन अनुदान आदि मामले में भी यही बात लागू होती है। यह वास्तविक सेवा के नजदीक है और यह जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होगा।

हालांकि सरकार को अपारदर्शी और प्रतिगामी कर प्रणाली की विरासती छवि बदलनी होगी, लेकिन कॉरपोरेट और एफआईआई को कर छूट देने के लिए उसे हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी-20 और ओईसीडी गंभीरतापूर्वक बेस इरोजन और प्रोफिट शिफ्टिंग की पहल को आगे बढ़ा रही है जिससे भारत को भी जुड़ना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। दोहरा कर को रोकने के लिए जो संधियां हैं उनका इस्तेमाल- दोहरा कर नहीं- के रूप में होना देसी कंपनियों के लिए उचित नहीं है। यह कई तरह के सरकारी व्यय को नुक़सान पहुंचाता है जोकि अन्यथा देश के लिए फायदेमंद हो सकता है।

ओईसीडी का हालिया सर्वेक्षण बताता है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में कर अवशोषण के मामले सर्वाधिक हैं। बजट ने इसे बढ़ाया ही है। इसे नीचे लाने के लिए जीएसटी को अमल में लाना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह अब भी वादा ही है। पहले की सरकार की गलती यह थी कि वह विदेशी आवकों पर बहुत ज़्यादा आश्रित थी और ईक्विटी के लिए ग्रामीण व्यय को बढ़ावा देने के अलावा कठिन घरेलू सुधार की उपेक्षा कर रही थी। नई सरकार ने कभी-कभी यह डरावना संकेत दिया है कि वह भी उसी उसी जाल में फंसने जा रही है।

यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में बेहतर अमल होंगे ताकि ऐसी तुलना ज़्यादा समय तक संभव न हो। सर्वेक्षण और बजट में मौजूद कई रोचक अवधारणाओं (आइडियाज) को सही मौका मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित ही बड़े सुधार (आर्थिक बिग बैंग) को बल प्रदान करेगा। ❑

संदर्भ

गोयल, ए. (2015ए) : 'ग्रोथ ड्राइवर्स : आईसीटी ऐंड इनक्लूसिव इनोवेशंस', चैप्टर इन रीवाइविंग ग्रोथ इन इंडिया, प्रदीप अग्रवाल (सं). नई दिल्ली : कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/WP-2013-018.pdf

गोयल, ए. (2015बी): 'ससटेनिंग इंडियन ग्रोथ: इनटेरेस्ट वर्सस इंस्टिच्यूशंस', इंडिया रीव्यू 14(3): जुलाई-सितंबर

गोयल, ए. (2014ए) : 'बैंक्स, पॉलिसी ऐंड रिस्कस : हाउ इमर्जिंग मार्केट्स डिफर' . इंटरनेशनल जरनल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, 10 (1,2,3), पीपी 4-26

श्रीरमण, एस. (2014) : 'अ गवर्नेंस अनालाइसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया' चैप्टर 21 इन हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनोमी इन द टवेंटी फस्ट सेंचुरी : अंडरस्टैंडिंग द इनहेरेंट डाइनैमिज्म, **असिमा गोयल (सं)**, ओयूपी: नई दिल्ली, भारत

राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम : भावी रूपरेखा

स्वदेश सिंह

यांत्रिक युग में जब आज अधिकांश दैनिक कार्यकलाप यंत्राधारित हो चले हैं तो इन यंत्राधारित कार्यों और उनका संचालन करने वाले यंत्रों के बेहतर परिचालन के लिए निश्चित रूप से कुशल हाथों की आवश्यकता होगी। यह कुशलता यांत्रिक भी हो सकती है और यंत्रेतर भी।

किंतु दोनों ही परिस्थितियों में यह अर्थव्यवस्था की बेहतरी का अनिवार्य उपकरण है। ऐसे में, कौशल विकास कार्यक्रम की उपादेयता स्वत: स्पष्ट हो जाती है। वर्तमान सरकार अपने आरंभ से ही कौशल विकास को प्रधानता दे रही है और अब कौशल विकास को एक अलग कार्य के रूप में न देखकर हर मंत्रालय/विभाग के कार्यकलाप में कौशल विकास का अंश देखा जा रहा है

भारत विश्व के उन युवा देशों में से एक है, जहां 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या कुल आबादी की 54 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के साथ स्किल इंडिया के बेहतरीन समन्वय की ज़रूरत पर बल दिया है इसके बावजूद हमारे संभावित श्रमिकों की संख्या के 5 प्रतिशत से भी कम लोगों के पास ऐसा कौशल प्रशिक्षण है जो रोज़गार पाने के योग्य हैं और रोज़गार में हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्किल इंडिया कार्यक्रम तभी सफल होगा, जब यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ तालमेल बैठाकर काम करेगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "ग्रामीण जनसंख्या अब भी भारत की कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत है और इन ग्रामीण युवाओं के रोज़गार में बढ़ोतरी ही भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के ताला खोलने की कुंजी है। इसी सोच के साथ हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है। इसका वितरण योग्य छात्र के बैंक खाते में सीधे एक डिजिटल वाउचर के माध्यम से किया जाएगा।"

वित्त मंत्री के बजट भाषण से स्पष्ट है कि भारत सरकार अब देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कौशल विकास पर विचार कर रही है। जहां वित्त मंत्री ने कुशल भारत कार्यक्रम के साथ एक समन्वय बनाने की मांग की है, वहीं भारत सरकार के चार अन्य प्रमुख कार्यक्रमों– डिजिटल भारत, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा-में भी लाखों लोगों के कुशल हाथों की ज़रूरत है।

इस बजट में, इस वास्तविकता की स्वीकारोक्ति है कि कौशल प्रदाता हमेशा प्रशिक्षित युवाओं को नौकरियों से जोड़ने में सक्षम नहीं हैं और यह भी कि उन्हें बिना सोचे-समझे उद्यमी बनने की ज़रूरत है। अत: 20,000 करोड़ रुपये के कोष से एक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनांस एजेंसी (एमयूडीआरए-मुद्रा) बैंक के सृजन का प्रस्ताव और 3,000 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष के गठन को एक प्रगतिशील क़दम के रूप में देखा जाता है। इसके बदले में मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से माइक्रो-फाइनांस संस्थाओं का पुनर्वित्तीयकरण करेगा। दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी का राजकोषीय समेकन तभी वसूल किया जा सकेगा जब कुशल लोगों को और अधिक रोज़गार के अवसर और स्व-रोज़गार के अवसर मिलेंगे। ग्रामीण युवाओं के लिए उचित बाज़ार तक पहुंच उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

इस बजट में शिक्षा और कौशल विकास को अलग-अलग ढंग से नहीं देखा गया है। प्रत्येक बच्चे की पांच किलोमीटर पहुंच के भीतर एक सीनियर माध्यमिक विद्यालय सुनिश्चित करने के लिए, इस बजट में 80,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन की घोषणा की गई है और इसके अलावा या सीनियर माध्यमिक स्तर तक 7,5000 कनिष्ठ/मध्य विद्यालय का उन्नयन किया जाएगा। अंतत: सभी शिक्षा और कौशल का मुख्य उद्देश्य रोज़गार हासिल करना है। इसलिए, यह मायने नहीं रखता है कि वित्तमंत्री ने कितनी रक़म आवंटित की है, बल्कि अर्थपूर्ण यह है

लेखक शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से एम. फिल. किया है। आईआईएमसी, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद एनडीटीवी और बीबीसी हिंदी सेवा से जुड़े। कुछ समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के अध्यापक रहे। इन दिनों दिल्ली में इंडस रिसर्च सेंटर नाम से शोध केंद्र चलाते हैं। ईमेल: swadesh171@gmail.com

राष्ट्रीय कौशल मिशन

बजट 2015 की महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक घोषणा, राष्ट्रीय कौशल मिशन थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में कहा, "हम जल्द ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से एक राष्ट्रीय कौशल मिशन शुरू करेंगे। यह मिशन कई मंत्रालयों में कौशल की पहल को मज़बूती देगा और हमारे 31 क्षेत्र कौशल परिषद भर में प्रक्रियाओं और परिणामों का मानकीकरण करने में हमें सहयोग करेगा"

देश में तैयार युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजन करने के लिए एक राष्ट्रीय कौशल मिशन शुरू करने का सरकारी प्रस्ताव सही मायने में एक स्वागत योग्य क़दम है। यह मिशन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से काम करेगा और इसका लक्ष्य कई मंत्रालयों में फैले कौशल की तमाम पहल को मज़बूत करना है। इसके अलावा, सरकार का यह राष्ट्रीय कौशल मिशन रोज़गार को बढ़ाएगा और नौकरी चाहने वाले युवा आख़िरकार नौकरी देने वाले कैसे बनें, इसके लिए उनकी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रस्तावित राष्ट्रीय कौशल मिशन सबसे पहले युवाओं को बेरोज़गार बनाने में मदद करेगा। मनरेगा के लिए और अधिक कोष आवंटन तथा 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल कुशल कार्यबल को रोज़गार देने के लिए यह मिशन सही अर्थों में एक मंच प्रदान करेगा। उस के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों युवाओं के कौशल विकास पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ग्रामीण भारत में महिलाओं का कौशल विकास भी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं को ग्रामीण भारत भागीदार के रूप में हमें आगे लाने की ज़रूरत है। एक विस्तृत होते श्रम-बाज़ार के दबाव के बोझ तले दबे, दुनिया के सबसे युवा कार्यबल को आज बड़ी संख्या में 'नौकरी के लिए तैयार' किए जा रहे या किसी भी प्रमाणित क्षमता नहीं होने के साथ 'कौशल' की चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार का ज़ोर विकास को बढ़ावा देने और उच्च उत्पादकता के क्षेत्र में निवेश की सुविधा पर है ताकि आने वाले वर्षों में रोज़गार के अवसरों का एक विशाल पूल बनाया जा सके। अगर हम जनसांख्यिकीय का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें 2020 तक कौशल विकास के लिए कामकाजी आयु समूह में 850 मिलियन से ज़्यादा भारतीयों का एक लक्ष्य समूह बनाना होगा। यह वैश्विक कार्यबल का 28 प्रतिशत होगा। अगले दो वर्षों में, देश भर में 1000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना है और इस पर 15,000-20,000 करोड़ ख़र्च किया जाना है। घरेलू मांग पूरी करने के अलावा चीन, अमरीका, जापान, रूस, जर्मनी, मध्य पूर्व के देशों जैसे देशों की मांग को पूरा करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिज़ाइन किया जाएगा। सरकार ने विशेषज्ञता और रोज़गार के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ भी संबद्ध करने की योजना बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए हमें कौशल के पाठ्यक्रम मॉड्यूल पर काम करने की ज़रूरत है। कौशल या ट्रेडों के समान प्रकारों के लिए भी, लक्ष्य समूहों, प्रति-प्रशिक्षु लागत, अवधि, पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, योग्यता परीक्षण और प्रमाणन प्रणालियों के मामले में प्रावधान भिन्न होते हैं।

कि उन्होंने इस समय इस बात को महसूस किया है कि किस तरह शिक्षा, कौशल विकास अंततः रोज़गार पाने में मदद करेंगे। इसे लागू करने की ज़रूरत है और एक अलग तरीके से इसे देखा गया है।

एनएसडीसी के अध्यक्ष, दिलीप शेनॉय ने एक अख़बार में दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा, "कौशल विकास में चार प्रकार की गतिविधियों को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है। पहला, उस खंड के लिए, जिनके पास कौशल प्रशिक्षण के लिए भुगतान करने की क्षमता नहीं है, अनुदान आधारित योजनाएं शुरू किया जाना है और इसे जारी रखा जाना भी है; दूसरा, वकालत, प्रमाणन और मूल्यांकन जैसे कौशल प्रशिक्षण के विभिन्न तत्वों को लोकप्रिय बनाने और उसे मानकता प्रदान करने के लिएय तीसरा, कौशल विकास के टिकाऊ प्रारूप के सृजन के लिए प्रारंभिक समर्थन के लिए और चौथा प्रशिक्षुओं को कौशल ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक कोष के सृजन के लिए।

कौशल विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन

भारत में कौशल विकास कार्यक्रम का अनुभव हमें सिखाता है कि यह मायने नहीं रखता है कि इस कार्यक्रम में कितने पैसे निवेश किए जा रहे हैं, बल्कि मायने यह रखता है कि कौशल विकास कार्यक्रम में कितनी कुशलता के साथ पैसे उपयोग किए जा रहे हैं। इससे सीख लेते हुए सरकार ने एक स्वागत कदम उठाते हुए इस तरह के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए एक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया था।

मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को कौशल प्रशिक्षण के लिए एक उपयुक्त ढांचा डिज़ाइन करने के लिए कार्य सौंपा गया है ताकि प्रशिक्षित श्रमशक्ति के लिए आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम किया जा सके, तक़नीकी प्रशिक्षण दिया जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके और नवीन कौशल विकास एवं मौजूदा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा उनके प्रमाणन को अंजाम दिया जा सके।

पहले से ही 20 विभिन्न मंत्रालयों के तहत 60 विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, ये सभी अब कौशल विकास मंत्रालय के अधीन आ जाएंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी वित्त मंत्रालय और रोज़गार एवं प्रशिक्षण निदेशालय के तहत आते थे– जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। ये श्रम मंत्रालय के अधीन आ गए। अब, ये भी कौशल विकास मंत्रालय के अधीन काम करेंगे। इसी तरह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और आजीविका कार्यक्रम के तक़नीकी शिक्षा विंग भी कौशल विकास मंत्रालय का एक हिस्सा होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि काम का दोहराव मुमकिन नहीं हो और निगरानी तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन भी पहले से ज़्यादा आसान हों।

भारत में कौशल विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 159 प्रशिक्षण भागीदारों के साथ 27 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के 356 जिलों में 1408 केंद्रों के 82 लाख लोगों के प्रशिक्षण की क्षमता विकसित की है। ग्रामीण विकास विभाग के 556 जिलों में फैले हुए 577 कार्यात्मक ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान हैं। कपड़ा मंत्रालय एकीकृत कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियां अखिल भारतीय स्तर

पर प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन कर रही हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास संभावित 15 नये प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ 18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त, देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद से संबद्ध 11,964 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (2284 सरकारी और 9680 निजी) हैं।

देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से यह चुनौती कतई नहीं है कि देश के पास कौशल नहीं है, बल्कि चुनौती यह है कि कार्यबल को प्रशिक्षित करने और उन्हें प्रमाणित करने की एक उचित प्रणाली का अभाव है। कुशल जनशक्ति बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। हमारी श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए एक ठोस पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है। प्रशिक्षण और प्रमाणन के अलावा, हमें कुशल लोगों को यह आश्वासन देने के लिए सक्षम भी होना चाहिए कि उन्हें रोज़गार ज़रूर मिलेगा। ब्रिटेन में कुल कर्मचारियों की संख्या की 70 प्रतिशत आबादी कुशल लोगों की है, तो, जर्मनी में यह 75 प्रतिशत है, जापान में 80 प्रतिशत है और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है लेकिन भारत में, यह सिर्फ दो प्रतिशत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में पहले ही सूचित किया है मॉड्यूल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और प्रशिक्षण के लिए तौर-तरीक़ों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि तौर-तरीके अंतराल के मूल्यांकन और सुविधाओं एवं निधिकरण के विचार पर निर्भर करते हैं।

मेधा बनाम कौशल

भारत, अब तक, ज्ञान और बुद्धि वाले देश के रूप में मशहूर रहा है। हालांकि कौशल के रूप में यह नहीं जाना जाता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को किताबी ज्ञान से बाहर लाने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा एक सदी पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। गांधी लोगों से कहते थे कि सभी अपना काम खुद करें और अपने लिए अर्थार्जन भी करें। इसके लिए सभी हाथों को कौशल संपन्न किया जाना ज़रूरी है। चीन माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के औपचारिक कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के ज़रिये एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया। इसके विपरीत, भारत में, जो छात्र त्रिस्तरीय शिक्षा में नहीं जाते, उनके पास सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) के अलावा कुछ व्यावसायिक विकल्प ही हैं, जो निम्न प्रबंधित हैं और आम तौर पर चलन से बाहर वाले तौर-तरीक़ों से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, कार यांत्रिकी के लिए आईटीआई पाठ्यक्रम में कारब्यूरेटर्स पर व्यापक प्रशिक्षण शामिल हैं, जो 1990 के दशक के बाद चरणबद्ध तरीके से चलन के बाहर है।

गुणवत्ता बनाम मात्रा

यद्यपि, कुशल श्रम बल के मात्रात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, नीति निर्माताओं को कौशल कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलू पर भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। भारत के लिए आईटीआई की गुणवत्ता में उन्नति और प्रशिक्षुओं के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करके कौशल प्रशिक्षण के लिए संख्यात्मक लक्ष्य से परे जाने की आवश्यकता है।

पहले से ही 20 विभिन्न मंत्रालयों के तहत 60 विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, ये सभी अब कौशल विकास मंत्रालय के अधीन आ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि काम का दोहराव मुमकिन नहीं हो और निगरानी तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन भी पहले से ज़्यादा आसान हों।

निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है कि भारत के युवा सहज रूप से नियोजनीय नहीं है। कौशल की आवश्यकता सचमुच है। सितंबर, 2012 मे फिक्की की अर्नस्ट और यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के कार्यबल संख्या के केवल 20 फीसदी को ही कुछ प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त है और इस जनसमुच्चय में आने वाले 80 प्रतिशत नवागंतुकों के पास प्रशिक्षण के अवसर नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रशिक्षित नौकरी पाने की हालत में नहीं हैं यद्यपि उनके पास प्रमाणपत्र ज़रूर हैं। भारत में नौकरियां पाने की कठिनाई 2012 में 48 प्रतिशत थीं जब जबकि वैश्विक मानकता 34 प्रतिशत थीं। जो लोग प्रशिक्षित हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या में लोग कम वेतन, काम करने के ख़राब माहौल, घर के पास नौकरी की कमी और समाज में उपलब्ध नौकरी की निम्न हैसियत के कारण नौकरी पाने में अक्षम हैं।

नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति

सरकार नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति पर काम कर रही है। 30 करोड़ के मौजूदा कुशल कार्यबल की खाई को पाटने के लिए अपेक्षित नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का लक्ष्य है कि 2020 तक चार भारतीय में से एक को कौशल संपन्न करना है। भारत अगर लगभग 8 फीसदी की औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का प्रबंधन कर लेता है, तो उम्मीद है कि खुदरा, ऑटो, निर्माण और आईटी जैसे शीर्ष 10 उच्च विकास उद्योगों में 2022 तक (वर्तमान वृत्तिभोगी सहित) 24 करोड़ 50 लाख लोगों की आवश्यकता होगी। 25 प्रतिशत तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ आर्थिक विकास के मुख्य संचालक ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पैदा करेंगे। टीमलीज के मनीष सभरवाल ने एक साक्षात्कार में कहा, "लागत, गुणवत्ता और पैमाने की असंभव तिकड़ी प्राप्त करने के लिए, भारत को तीन ट्रैफिक जामों; केंद्र बनाम राज्य, वितरण बनाम वित्त, दो मानव संसाधन मंत्रालयों बनाम बाकियों पर भी ध्यान देना होगा।" सभरवाल के अनुसार जब तक विधायी और कार्यकारी समाधानों के बीच ये जाम रहेंगे तब तक भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश मुश्किल में रहेगा। उम्मीद है कि नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के बाद कौशल विकास की समस्याओं के कार्यकारी समाधान खोजना संभव होगा।

अगर इसे सही भावना के साथ लागू किया गया तो सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आए अंतराल को पाटने में मदद मिलेगी। एसोचौम एनएसडीपी 2015 के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों के हल पर प्रकाश डालता है : संस्थागत संरचना को व्यवस्थित करना– मौजूदा नीति में जटिल संरचना, कई क्षेत्रों और योजनाओं का प्रसार, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी– लगभग 31 लाख कर्मियों (12 लाख से अधिक नवागंतुकों की तुलना में) की

सुविधा के लिए बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009, राष्ट्र के कौशल विकास आवश्यकताओं में एक बड़े अंतराल को खुला छोड़ देता है और निजी क्षेत्र के सहयोग से कौशल विकास और प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए तत्काल उपायों की सिफारिश करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में बेमेल– मौजूदा कौशल विकास नीति आकस्मिक श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है और इससे कुशल श्रमिकों की कमी पैदा होती है। आकस्मिक कार्यबल को मिलाकर श्रम शक्ति का क़रीब 90 प्रतिशत के साथ सरकार के लिए एक अधिक नियमित ढंग से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है ताकि अकुशल श्रम के एक बेहतर अनुपात को सुनिश्चित किया जा सके। एसोचौम को आगामी नीति की सफलता को लेकर पूरा भरोसा है और इसका दृढ़ता से मानना है कि इससे भारत में सिर्फ कुशल कार्यबल में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी; इसी से भारत सरकार 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल पर ज़ोर दे रही है।

कौशल विकास, शिक्षा और उद्योग

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में वैश्विक सर्वोत्तम चलन के प्रकाश में भारत के कौशल विकास और शिक्षा विभाग को युक्तिसंगत किए जाने पर अभी ध्यान दिया जाना बाकी है। दुनिया भर के देशों ने शिक्षा और कौशल विकास की गहरी जड़ों को मान्यता दी है, जो उद्योगों की मांग और आर्थिक विकास की प्रवृत्ति के अनुसार मानदंडों को बदलने में भरोसा जगाता है।

कोरिया ने 1970 के दशक की शुरुआत में ही कौशल विकास व्यवस्था की कमी के मुद्दे की व्याख्या कर दी और यही कारण है कि देश में चल रहे रोज़गार कौशल विकास कार्यक्रम के तहत वहां बड़ी कंपनियों पर परियोजना प्रशिक्षण का दायित्व का भार डाल दिया गया। नियोक्ता सरकार से सहायता प्राप्त धन द्वारा बीमा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा की एक उपयुक्त दोहरी प्रणाली है, जो स्कूल आधारित और कार्य आधारित शिक्षण को आपस में जोड़ती है; प्रशिक्षु वोकेशनल स्कूल में एक या दो दिन और नियोक्ता के घर पर तीन से चार दिन बिताते हैं, प्रशिक्षुओं की प्रगति का मूल्यांकन अंतिम विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, जहां वो अपने प्राप्त सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, इस प्रकार मेकिंग जर्मनी संयुक्त शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण जिम्मेदारियों वाले नियोक्ता और व्यावसायिक स्कूल को एक साथ ले आता है।

प्रशिक्षण और प्रशिक्षक

हर साल श्रमिकों की संख्या में 12 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और निस्संदेह इतने बड़े प्रतिभाशाली समुच्चय को वास्तविक रूप में सक्षम होना है। हम जानते हैं कि कृषि विकास दर 4-5 प्रतिशत को भी पार नहीं करेगी, इसलिए देश के आर्थिक विकास में मुख्य भागीदारी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की होगी, ऐसे में शिक्षित कुशल श्रम की बड़ी आवश्यकता है।

मेक इन इंडिया के ख्वाब और अगले एक दशक के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कौशल विकास की स्वीकृति के साथ सुधार तभी हो सकेगा जब सरकार कौशल विकास, शिक्षा प्रणाली और भारतीय उद्योग को एकीकृत कर सकेगा। प्रशिक्षण, प्रशिक्षक की गुणवत्ता, प्रशिक्षण प्रक्रिया का मानकीकरण तथा प्रभावशाली मूल्यांकन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार एक नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति पर काम कर रही है। 30 करोड़ के मौजूदा कुशल कार्यबल की खाई को पाटने के लिए अपेक्षित नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का लक्ष्य है कि 2020 तक चार भारतीय में से एक को कौशल संपन्न करना है।

निर्धारित शर्तों पर आधारित कौशल विकास के लिए प्रशिक्षकों को बहुत बुद्धिमानीपूर्वक हासिल किया जाना है और आधारभूत शिक्षण कौशल और इस समय चल रही प्रवृत्ति के संदर्भ में ही मौजूदा प्रशिक्षकों पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, तेजी से बदल रही औद्योगिक आवश्यकतों और प्रौद्योगिकी के हिसाब से प्रशिक्षण सामग्री पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह महसूस किया जा रहा है कि प्रशिक्षकों की उपलब्धता हमेशा से एक मुश्किल काम है और उनकी कमी के कारण ही वो कौशल प्रशिक्षण बाज़ार में एक शानदार प्राथमिकता रहे हैं। एनएसडीपी-2009 के अनुसार, अपनी श्रम शक्ति की दक्षता में सुधार और उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 2022 तक भारत की 500 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है लेकिन पिछले तीन वर्षों में देश 40 लाख प्रशिक्षत लोगों की आवश्यकता के मुक़ाबले 10 लाख से ज़्यादा लोगों को भी प्रशिक्षित नहीं कर सका है। इस निम्न उपलब्धि में जागरूकता की कमी, छात्र प्रतिधारण की कमी और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों के अभाव की बड़ी भूमिका रही है।

साझेदारी

कौशल विकास में व्यावसायिक घरानों को भागीदार होना चाहिए, जिन्हें घर में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों पर होने वाले ख़र्च के लिए सीएसआर लाभ के लिए पात्र होना चाहिए। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि नौकरी कर रहे लोगों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली क़ारोबार की प्रवाह क्षमता को भी जोड़ेगी। सीआईआई जैसे संगठन वंचित वर्गों के युवाओं को प्रशिक्षित करने की पहल कर रहे हैं।

कौशल मंत्रालय को पूर्व कर्मचारियों की तरह अन्य समूहों की क्षमता का दोहन करना चाहिए और उन्हें भागीदार बनाना चाहिए। मंत्रालय ने एक अच्छी पहल की है और रक्षा मंत्रालय को भागीदार बनाने की संभावना है, जो सेवानिवृत्त अधिकारियों से बने प्रशिक्षकों का एक समूह बनाएगा और यह समूह नौकरी और व्यापार में युवाओं की मदद के लिए तैनात किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी के अनुसार, "15 लाख लोगों के साथ, हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। हर साल हमारे सशस्त्र बलों से लगभग 50,000 लोग सेवा के 10-20 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, जो जूनियर कमिशन्ड अधिकारियों और उससे भी नीचे स्तर पर आते हैं। इन पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और जो बदले में देश के हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न नौकरियों के अवसर प्रदान कर सकते हैं और उनमें से कुछ को उद्यमी बनने का मौका भी हासिल हो सकता है। कुल मिलाकर, स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर चल रहे पाठ्यक्रम का भारतीय उद्योग की मौजूदा और आगामी

(शेषांश पृष्ठ 79 पर)

दूरदर्शी और विकासोन्मुखी रेल बजट

अरविंद कुमार सिंह

इस बार रेल बजट पेश हुआ तो नयी घोषणाओं की कई वर्षों की रस्म मानो टूट गई। इसकी कुछ आलोचना भी हुई लेकिन अर्सेबार ऐसा हुआ कि विपक्षी सदस्यों तक ने रेल बजट का स्वागत इसके साहसिक क़दमों के लिए किया। रेल मंत्री ने स्वयं श्वेत-पत्र के साथ संसद के समक्ष उपस्थित होने का साहस दिखाया। नेटवर्क विस्तार, बेहतर अवसंरचनाएं बेहतर यात्री सुविधाएं, सुरक्षा, संरक्षा व पारदर्शिता को केंद्र में रखा गया है। रेल बजट के मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान प्रबंधन के पक्ष में दिया जाता है। रेलमंत्री ने इस दिशा में भरोसा जीतने का प्रयास किया है। देखना है कि उनकी साहसिकता व दूरदर्शिता कितनी ज़ल्द परिणाम दिखाना शुरू करती है

संसद में 26 फरवरी 2015 को रेल मंत्री ने 2015-16 का जो रेल बजट प्रस्तुत किया वह कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही भारतीय रेल के भविष्य के लिहाज़ से एक संतुलित, दूरदर्शी, विकासोन्मुखी और प्रगतिशील माना जा सकता है। रेल मंत्री ने लोक लुभावने वायदों से परहेज़ करते हुए सुरक्षा, संरक्षा, तेज रफ्तार और पारदर्शिता पर ज़ोर दिया है। साथ ही आम मुसाफिरों से जुड़े सारे अहम पहलुओं और उनकी दिक्कतों का ख़ास ख़्याल रखते हुए यात्री सुविधाओं के मद में ख़ासा इज़ाफ़ा किया है। रेलों को आधुनिक बनाते हुए उसके कायाकल्प के लिए रेल मंत्री ने पांच साल की विस्तृत योजना का ख़ाका भी संसद के समक्ष रखा है। भारी-भरकम निवेश के लिए परपंरागत लीक से हटकर नये रास्तों से संसाधन प्रबंधन का भरोसा भी रेल मंत्री ने जताया है।

एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही रेलवे का कायाकल्प प्रधानमंत्री के एजेंडे में रहा। कई मौकों पर वे इस भावना का सार्वजनिक प्रकटीकरण भी कर चुके हैं लेकिन एनडीए सरकार के पहले पूर्ण रेल बजट की सराहना प्रधानमंत्री और राजग के सहयोगी दलों ने ही नहीं कई विपक्षी नेताओं ने भी की। इस दफा रेल मंत्री ने ऐलानों से परहेज़ करते हुए रेलों की वास्तविक दशा के लिहाज़ से प्राथमिकताएं तय कीं और देश के समक्ष रेलवे की ज़मीनी हालात की जानकारी देते हुए श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसमें स्वीकार किया गया है कि भारतीय रेल अत्याधिक कम पूंजी निवेश की समस्या से जूझ रही है। इसी कारण क्षमता विस्तार और सेवा की गुणवत्ता में कमी आई है। संरक्षा मद में कम निवेश होने के कारण कई चुनौतियां सामने हैं। माल और यात्री यातायात की मांग को पूरा करने में आज रेलवे को दिक्कतें आ रही हैं।

रेल मंत्री ने व्यापक समीक्षा के साथ प्राथमिकताएं तय करते हुए अगले पांच सालों में प्रमुख मदों में 8 लाख 56 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का ख़ाका तैयार किया है। इसके तहत रेलवे के नेटवर्क विस्तार से लेकर आधारभूत संरचना के विकास और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। रेल बजट में सुरक्षा, संरक्षा और भावी योजनाओं के लिए चार लक्ष्यों के साथ पांच साल की कार्ययोजना भी तय की गई। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से लेकर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और दूसरे स्रोतों से निवेश की संभावनाओं की तलाश होगी। रेल मंत्री ने साफ तौर पर कहा केवल बजटीय समर्थन पर निर्भर रह कर रेलवे ने भारी क़ीमत चुकाई लेकिन अब बहुआयामी प्रयास करते हुए रेलवे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी।

रेलमंत्री ने वैसे तो आम आदमी का ख़्याल रखते हुए यात्री किराया नहीं बढ़ाया लेकिन

लेखक राज्य सभा टीवी में वरिष्ठ सहायक संपादक हैं। वह परिवहन व संचार विषय के विशेषज्ञ हैं तथा रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के परामर्शदाता रह चुके हैं। इससे पहले चौथी दुनिया, अमर उजाला, जनसत्ता एक्सप्रेस तथा इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन लोकसभा टीवी व कई अन्य चैनलों से भी जुड़े रहे। 'भारतीय डाक: सदियों का सफरनामा' पुस्तक हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तथा कई अन्य भाषाओं में प्रकाशित। ईमेल: arvindksingh.rstv@gmail.com

एक ही प्रबंध व्यवस्था के तहत विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली *भारतीय रेल* देश का सबसे बड़ा एकल नियोजक है। प्रशासनिक आधार पर 17 क्षेत्रीय रेलों और 68 मंडलों में विभक्त भारतीय रेल अपनी 65,000 किमी लंबी रेल पटरियों के सहारे देश की जीवन रेखा बनी हुई है।

12 वस्तुओं के माल भाड़े में 10 फीसदी की बढ़त करते हुए रेलों की सेहत का ख़्याल रखा। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया दोनों में भारतीय रेल प्रमुख सहभागी बनते हुए कई क़दम उठाने जा रही है।

एक ही प्रबंध व्यवस्था के तहत विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा एकल नियोजक है। प्रशासनिक आधार पर 17 क्षेत्रीय रेलों और 68 मंडलों में विभक्त भारतीय रेल अपनी 65,000 किमी लंबी रेल पटरियों के सहारे देश की लाइफ लाइन बनी हुई है। भारतीय रेल देश की परिवहन अवसंरचना का मुख्य आधार है। यह यात्रियों के लिए अनुकूल, सुरक्षित और यातायात का सस्ता साधन प्रदान करती है। रेल किराए सड़कों की तुलना में काफी कम हैं और सड़क परिवहन से रेलें छह गुना अधिक कार्यकुशल और पर्यावरण अनुकूल हैं। इसकी कई और खूबियां है।

रेल मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय साफगोई से माना कि बीते कुछ दशकों में रेल सुविधाओं में अधिक सुधार नहीं हो सका। इसकी मूल वजह रही रेलवे में कम निवेश होना। इससे क्षमता का बेहद दोहन हुआ और भीड़-भाड़ बढ़ी साथ ही कई दूसरे दुष्परिणाम दिखे। इस नाते बजट का पूरा फ़ोक़स रेल नेटवर्क को मज़बूती देने, माली हालत सुधारने और मुसाफिरों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित रहा। रेल मंत्री ने यात्री क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन तीन करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही रेल लाइनों के विकास के मद में राज्यों को भी भूमिका में रखने का प्रयास किया है।

इस बजट में रेलवे का योजना व्यय 64 हज़ार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1 लाख 11 हज़ार करोड़ किया गया। इसमें 41,600 करोड़ की राशि में केंद्र से मिलने वाला बजटीय समर्थन शामिल है। रेलवे का मौजूदा परिचालन अनुपात डीज़ल के दामों में कमी आने के नाते सुधरकर 2014-15 में 91.8 फीसदी हो गया। डीज़ल से बचत क़रीब 15,000 करोड़ रुपये की आंकी गई। 2013-14 में परिचालन अनुपात 93.6 फीसदी था। रेल मंत्री 2015-16 में इसे 88.5 फीसदी पर लाना चाहते हैं। मौजूदा माहौल में ऐसा करना संभव लग रहा है। इससे रेलवे को विकास मद में अधिक संसाधन मिल सकेंगे।

इस दफा यात्री किराए से होने वाली आय में 16.7 फीसदी वृद्धि आंकी गई है। इस नाते बजट में 50,175 करोड़ की आमदनी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं माल ढुलाई से होने वाली आमदनी का लक्ष्य 1,21,423 करोड़ रु. रखा गया है। अन्य कोचिंग और विविध आमदनियों के 4,612 करोड़ और 7,318 करोड़ होने का अनुमान है। इस तरह सकल यातायात प्राप्तियों के 1,83,578 करोड़ होने का अनुमान है, जो 15.3 फीसदी अधिक होंगी लेकिन साधारण संचालन व्यय में 2014-15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9.6 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव है। रेलवे में ईंधन ख़र्च 2013-14 में साधारण संचालन व्यय का 30 फीसदी था जो 2014-15 के संशोधित अनुमान में घटकर 27.4 फीसदी हो गया। वहीं 2015-16 के बजट अनुमान में साधारण संचालन व्यय और कम होकर 25 फीसदी होने की आशा है।

इस बजट में रेलवे का योजना व्यय 64 हज़ार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1 लाख 11 हज़ार करोड़ किया गया। इसमें 41,600 करोड़ की राशि में केंद्र से मिलने वाला बजटीय समर्थन शामिल है। रेलवे का मौजूदा परिचालन अनुपात डीज़ल के दामों में कमी आने के नाते सुधरकर 2014-15 में 91.8 फीसदी हो गया।

रेल मंत्री ने 9 चुने हुए गलियारों पर रेल की रफ्तार 160 से 200 किमी तक करने की योजना पर आगे बढ़ने का वादा किया और रेल विद्युतीकरण को महत्व देते हुए इस पर 1330 फीसदी अधिक धन दिया है। साथ ही रेलवे में नवाचारों के लिए कायाकल्प परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस साल रेलवे का अपना विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। अनुसंधान को गति देने के लिए आरडीएसओ को और मज़बूत बनाने के साथ रेलवे चार विश्वविद्यालयों मे रेलवे रिसर्च सेंटर भी खोलने जा रहा है। वित्त पोषण के लिए राज्यों और पीएसयू को भी रेलवे भूमिका से जोड़ना चाहती है। साथ ही प्रबंधन में सुधार के साथ धन के सही उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र बनेगा। रेलवे बोर्ड में अलग से साफ-सफाई और पर्यावरण निदेशालय बनाने का ऐलान करके रेल मंत्री ने एक नया संकेत दिया है।

सुरक्षा और संरक्षा मद में रेलवे का ख़ास फोकस है। इस दफा रेलवे 3,600 फुट ओवरब्रिज बनाने का इरादा रखती है। अब तक सालाना एक हज़ार ओवरब्रिज से अधिक नहीं बनते थे। वहीं साफ पानी की वाटर वेंडिंग मशीनें भी रेल यात्रियों की पुरानी मांग को पूरा करेंगी। जनता की मांग पर रेल मंत्री ने टिकट बुकिंग सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है और टिकट बुकिंग सुविधा अब भारतीय भाषाओं में भी सुलभ होगी। व्यस्त मार्गों पर 24 की जगह 26 कोचों वाली गाड़ियां चलने से भीड़भाड़ कम होगी। जम्मू-श्रीनगर की तरह कई स्थानों पर रेल सह सड़क टिकट की उपलब्धता से भी मुसाफिरों को राहत मिलेगी।

रेल मंत्री ने 400 स्टेशनों पर वाईफाई, 108 ट्रेनों में ई-कैटरिंग के साथ जनरल कोचों में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। इसी तरह यात्री सुविधाओं के लिए 138 नंबर और सुरक्षा शिकायतों के लिए 182 टोल फ्री नंबर मुहैया कराकर उनके लिए ठोस तंत्र विकसित करने पर ज़ोर दिया है। महिलाओं के डिब्बे में सीसीटीवी और महिला कांस्टेबलों की तैनाती, कोचों के भीतर ऊपरी सीटों पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक सीढ़ी भी इसी दिशा में अहम क़दम है। इसी तरह एक हज़ार स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी रेल मंत्री के एजेंडे में रहा।

रेल मंत्री ने 9 चुने हुए गलियारों पर रेल की रफ्तार 160 से 200 किमी तक करने की योजना पर आगे बढ़ने का वादा किया और रेल विद्युतीकरण को महत्व देते हुए इसपर 1330 फीसदी अधिक धन दिया है। साथ ही रेलवे में नवाचारों के लिए कायाकल्प परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस साल रेलवे का अपना विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है।

भारतीय रेल की दशा पर श्वेत-पत्र

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय रेल के मौजूदा हालात और चुनौतियों पर संसद में श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बीते दशकों में रेलवे की उपलब्धियों के साथ तमाम पहलुओं पर बेबाकी से तथ्य रखे गए। इसके पहले ममता बनर्जी के कार्यकाल में 2009 में श्वेत-पत्र और विज़न 2020 संसद के समक्ष रखा गया था। सुरेश प्रभु भी इसी साल विज़न 2030 लेकर आ रहे हैं ताकि भारतीय रेल के भविष्य के लिहाज़ से मोटा ख़ाका तैयार हो सके।

श्वेत-पत्र में भारतीय रेल पर लगातार बढ़ रहे दबाव और घटते निवेश से पैदा परिस्थितियों का विवरण भी दिया गया है। हालांकि 2012-13 में ही एक अरब से अधिक माल ढुलाई के साथ चीन, रूस और अमरीका के क्लब में शामिल हो चुकी भारतीय रेल ने कई सफलता की गाथा भी लिखी है। कई परियोजनाएं आकार भी ले रही हैं, लेकिन कई मोरचों पर रेल संकटों से भी जूझ रही है।

भारतीय रेल के इस 66 पेज के श्वेत-पत्र में माना गया है कि कुल परिवहन व्यय में कमी से रेलवे के व्यय में कमी आती जा रही है। सातवीं योजना के दौरान यानि 1985-90 में इसका व्यय 56 फीसदी था जो 11वीं योजना में घटकर 2012 तक 30 फीसदी हो गया। बीते दो दशकों में भारतीय रेल पर निवेश में कमी आई और जीडीपी में रेल का हिस्सा 1 फीसदी तक रहने के बाद 2012-13 में घटकर 0.9 फीसदी हो गया।

हालांकि आज़ादी के 64 वर्षों के दौरान भारतीय रेल की माल लदान में 1344 फीसदी और यात्री किमी में 1642 फीसदी की वृद्धि हुई, लेकिन मार्ग किमी में महज़ 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। भारतीय रेल का यातायात घनत्व विश्व मानकों के लिहाज़ से काफी है लेकिन यातायात की वृद्धि के अनुकूल नहीं। ज़ाहिर है कि ये आंकड़े भारतीय रेल के समक्ष गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। भारतीय रेल माल और यात्री सेवाओं की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और साफ-सफाई, समपालन, संरक्षा, टर्मिनलों की गुणवत्ता, गाड़ियों की क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा और टिकटों की आसान बुकिंग न होने जैसी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। लंबे समय से अल्प निवेश के कारण रेलवे में आधुनिकीकरण की गति धीमी रही और राष्ट्रीय माल और यात्री यातायात में रेलवे की हिस्सेदारी में कमी आई। वहीं उच्च घनत्व वाले नेटवर्क पर अत्यधिक तंगी नज़र आ रही हैं।

हालांकि भारतीय रेल का संरक्षा रिकार्ड लगातार बेहतर हुआ है और आज यह यूरोपीय देशों के बराबर है लेकिन बिना चौकीदार के रेल फाटकों पर सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं घटती हैं।

रेलवे में प्रौद्योगिकी उन्नयन, विद्युतीकरण और अवसंरचना का विस्तार समय का तकाज़ा है। भावी ज़रूरतों के लिहाज़ से भारतीय रेल को सभी इलाक़ों में क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। उसकी लंबित 362 परियोजनाओं को क़रीब पांच लाख करोड़ की भारी रक़म की दरकार है। इसमें प्राथमिकता के कामों पर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि चाहिए। सामाजिक लिहाज़ से वांछनीय परियोजनाओं को भी महत्व देने की ज़रूरत है। हाल के वर्षों में परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी होती गई है। निर्माण और भूमि की लागत कई गुना बढ़ी है। पूर्वोत्तर, कश्मीर और नक्सल प्रभावित राज्यों में कानून-व्यवस्था की दिक्कतों के नाते भी रेल परियोजनाएं देरी का शिकार हुई हैं।

संरक्षा के क्षेत्र में कई कठिनाइयां हैं। बीते छह वर्षों के दौरान रेल पथ नवीनीकरण में लगातार कमी आई है। हर वर्ष 4500 किमी रेल पथ का नवीनीकरण अपेक्षित है लेकिन इस मद में बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे को 11,563 समपार फाटकों को हटाने को चाहिए और रेल संरक्षा मद में सालाना 20,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। अगर ज़मीनी हक़ीक़त देखें तो यात्री क्षेत्र में लागतों की कम वसूली और माल की दरें उच्च होने के नाते राजस्व असंतुलित हो गया है। मालभाड़ा ही रेलवे का मुख्य स्रोत है और उसका एक लाख करोड़ रुपये योगदान है। लिहाज़ा चल स्टाक और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ख़ास ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। रेलवे में आंतरिक स्रोतों से निवेश 2010-11 में 28 फीसदी तक था जो गिरकर 2013-14 में 19.1 फीसदी रह गया। यानि बजटीय सहायता पर निर्भरता बढ़ती रही और आंतरिक स्रोतों से धन जुटाना ज़रूरतों के लिहाज़ से कम रहा। इस तरह तमाम पहलू रेलवे की ज़मीनी हक़ीक़त पर रोशनी डालते हैं।

रेल मंत्री ने पांच वर्ष का जो ख़ाका बनाया है उसमें सबसे अधिक ज़ोर लाइन क्षमता बढ़ाने पर है। इस मद में 2019 तक यानि पांच साल में 1.99 लाख करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे सालाना माल वहन क्षमता डेढ़ अरब टन हो सकेगी। इसी तरह रेल पथ नवीनीकरण, पुल और संरक्षा के कामों पर 1.27 लाख करोड़ रुपये व्यय होंगे। ख़ास प्राथमिकता वाली 77 परियोजनाओं के लिए रेल मंत्री ने 96,000 करोड़ रुपये व्यय का ख़ाका बनाया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर की राष्ट्रीय रेल परियोजनाओं के लिए 39,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। इससे इन इलाक़ों का कायाकल्प संभव हो सकेगा।

संसाधन प्रबंधन के तहत रेल मंत्री ने कई उपाय किए हैं। इनमें बीमा और पेंशन फंड से रक़म जुटाने, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक भी शामिल है। साथ ही विज्ञापनों से आय बढ़ाने का प्रयास होगा और राज्यों से भी। रेल मंत्री ज़मीनों के व्यावसायिक उपयोग से भी धन जुटाना चाहते हैं और कई परियोजनाओं के लिए सांसद निधि का उपयोग भी चाहते हैं। सांसदों से उन्होंने अपील भी की है। कई मदों में ख़र्च को कम करने के उपाय होंगे, इसमें ऊर्जा संरक्षण सबसे प्रमुख है। इसी तरह कौशल विकास के द्वारा रेलवे को और उत्पादक बनाने पर उनका ज़ोर है। वहीं रेलवे की परिचालन कुशलता में निरंतर सुधार के लिए निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने, जवाबदेही की व्यवस्था को और मज़बूत बनाने और कई पक्षों पर रेल मंत्री ने ध्यान दिया है।

रेलवे में मुसाफिरों और ख़ासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आलोचना होती रही है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया निधि का उपयोग होगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा के तहत पायलट परियोजना में चुनिंदा महिला डिब्बों में कैमरे लगेंगे। हालांकि यात्रियों की निजता का ख़्याल भी रहेगा। रेल मंत्री ने यात्री और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि के साथ कई दूसरे पक्षों पर ध्यान दिया है। वे आगामी 6 महीने में बिस्तरों के डिज़ाइन, गुणवत्ता और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। बिस्तरों का डिज़ाइन भी बेहतर होगा और मैकेनाइज्ड लांड्रियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

रेलवे मौजूदा लेखा प्रणाली में बदलाव के लिए कार्यदल का गठन भी करेगा। रेल मंत्री चाहते हैं कि लागत निर्धारण संबंधी डाटा ऑन लाइन हों। इसमें रेल लाइनों के निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन पर किए गए ख़र्च की लागत भी शामिल हैं। इसी तरह उत्पादकता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के लिहाज़ से गाड़ियों के परिचालन के ऑडिट का प्रस्ताव भी किया गया है।

रेल बजट 2015-16: मुख्य बातें

- रेल यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं
- योजना परिव्यय 1,00,011 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, 52 प्रतिशत की वृद्धि
- यात्री सुविधाओं के लिए आवंटन में 67 प्रतिशत की वृद्धि
- रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक बनेगा, पंचवर्षीय कार्ययोजना का प्रस्ताव
- रेल बजट में, उच्च निवेश के लिए संसाधन जुटाने पर जोर
- ग्राहकों के अनुभव में स्थाई और मापन योग्य सुधार लाने तथा रेल को यात्रा का सुरक्षित साधन बनाने पर बल
- पांच मिनट में रेलवे टिकटों के लिए हॉट बटन्स, क्वाइन वैंडिंग मशीनें, विकल्पों में से भोजन के चयन के लिए ई-कैटरिंग
- आदर्श स्टेशन योजना के दायरे में 200 अतिरिक्त स्टेशन लाए जाएंगे, बी श्रेणी के स्टेशनों में वाई-फाई की सुविधा
- यात्रियों की समस्याओं और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए चौबीसों घंटे हैल्पलाइन्स
- महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपनगरीय गाड़ियों के डिब्बों में निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे
- चुनिंदा रेलगाड़ियों में सामान्य श्रेणी के और भी डिब्बे जोड़े जाएंगे
- नौ रेल गलियारों की रफ्तार बढ़ाकर 160 और 200 किलोमीटर प्रतिघंटा की जाएगी
- चुनिंदा मार्गों पर ट्रेन प्रॉटैक्शन वार्निंग सिस्टम और ट्रेन कॉलिजन एवॉयडेंस सिस्टम लगाया जाएगा
- 9,400 किलोमीटर के दोहरीकरण/तिहरीकरण/चौहरीकरण की 77 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव
- 'स्वच्छ रेल: स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत स्टेशनों और गाड़ियों को साफ रखने के लिए नया विभाग

रेल मंत्री को भरोसा है कि इन उपायों से फिर से भारतीय रेल हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख वाहक बनेंगी। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावित क़दम मिशन मोड में किए जाएंगे। अनारक्षित श्रेणी के मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ी समस्या टिकट ख़रीदने की होती है। इनके लिए 5 मिनट के भीतर टिकट ख़रीदना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह देश के रक्षकों यानि फौजियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए के लिए वारंट को समाप्त कर रक्षा यात्रा प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय रेल आज कई चुनौतियों से जूझ रही है और परिसंपत्तियों को बदलने से लेकर आधुनिकीकरण जैसे मद में इसे भारी-भरकम धन चाहिए। कई खंडों पर यातायात का दबाव बढ़ने से सेवाओं के स्तर में गिरावट आई है। इसी नाते रेल मंत्री ने उन कमियों को दूर करने पर सबसे अधिक ज़ोर दिया है जिसे लेकर रेलवे की ख़ासी आलोचना होती रही है। रेल मंत्री ने इस बार बजट तैयार करने के पहले आम लोगों का सुझाव भी लिया था। रेल मंत्री ने 20,000 से अधिक लोगों के सुझावों का व्यापक अध्ययन करने के बाद कई मुददों को बजट में शामिल करने की कोशिश की। विशेषज्ञों, सांसदों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तो उनका संवाद हुआ ही।

अभी हमारी रेलें यात्री और माल गाड़ियों के संचालन के लिए एक ही रेल पथ और अवसंरचना का उपयोग करती हैं। इस नाते ज़्यादातर प्रमुख खंडों पर क्षमता से अधिक यातायात चल रहा है। उच्च घनत्व वाले 1219 खंडों में से 492 खंड तो 100 फीसदी से अधिक क्षमता पर काम करते हुए भारी दबाव में हैं। हमारे 40 फीसदी उच्च घनत्व के रेल नेटवर्क पर लगभग 80 फीसदी यातायात चल रहा है। लिहाज़ा भीड़-भाड़ कम करने, अनुरक्षण के लिए समय देने, बेहतर उत्पादकता एवं सुरक्षा के लिए इन्हें अपग्रेड किए जाने की नितांत ज़रूरत अरसे से महसूस की जा रही थी और क्षमता विस्तार की भी। इस बजट में इस दिशा में ठोस प्रयास दिखता है।

रेल बजट के बाद संसद में 27 फरवरी 2015 को पेश आर्थिक समीक्षा 2014-15 में रेलवे में अधिक सार्वजनिक निवेश की वकालत की गई। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर को अहम क़दम माना गया। इसमें कहा गया कि जिस तरह पिछली एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पहल के माध्यम से भारतीय सड़क मार्ग क्षेत्र का कायापलट किया वैसा ही काम डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कर सकता है। अलग माल गलियारे के बाद थोड़े निवेश से रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाया जा सकेगा।

ज़ाहिर है कि रेल मंत्री रेलवे में व्यापक सुधार चाहते हैं। सुधारों पर सवाल लाज़िमी है लेकिन तमाम दबावों को जूझ रही भारतीय रेल के लिए यह एक संभावनाओं भरा बजट है और अगर इसकी गति मंथर न हुई तो भारतीय रेल भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करते हुए यात्री और माल परिवहन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए राष्ट्रीय विकास में और महत्व की भूमिका निभाएगी। रेल मंत्री की इसे लेकर दूरगामी सोच है और शायद इसी नाते वे व्यापक बदलाव के पक्षधर हैं। रेल बजट में यही सोच कर उन्होंने ये बातें रखीं-

"कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेयर करने होंगे, कुछ कमजोरियां मिटानी होंगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ दिशाएं खोलनी पड़ेंगी।" ❑

योजना

आगामी अंक

अप्रैल 2015

विनिर्माण क्षेत्र

आर्थिक समेकन की 'मुद्रा'

प्रवीण शुक्ला

खेती-किसानी में जन सामान्य की घटती रुचि और औद्योगीकरण की लगातार विस्तार लेती दिशाओं ने उद्यमिता के नये-नये अवसर पैदा किए हैं लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पूंजी की होती है और उस पूंजी का अभाव एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने मौजूद है। ऐसे में अनौपचारिक क्षेत्र में वित्त की उपलब्धता और उसका विनियमन विचारणीय हो जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र के वित्त प्रदाताओं के लिए एक विनियामक की जो कमी अब तक महसूस की जा रही थी वह ''मुद्रा'' की स्थापना से कुछ हद तक पूरी होने की संभावना है

"जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था उसी प्रकार हमें विकास और प्रगति को एक जनआंदोलन बनाना है"– अपने लिए बढ़चढ़कर वोट करने वाले युवाओं के बीच अपने पंचवर्षीय कार्यकाल का ब्लूप्रिंट रखते हुए सितंबर 2014 में मैडिसन स्क्वायर, न्यूयॉर्क में भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के विज़न को स्पष्ट कर दिया था। आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत क्रयशक्ति सक्षमता के आधार पर दुनिया की दसवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह मौजूदा 2.05 ख़रब अमरीकी डालर से बढ़कर साल 2019 तक विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर 3.0 ख़रब अमरीकी डालर पहुंच जाएगी। इस बढ़त के पीछे जो स्पष्ट कारक हैं उनमें डेमोग्राफिक डिविडेंड, कृषि से उद्योगों की ओर अग्रसर होते मज़दूर, 25 करोड़ से अधिक का मध्यमवर्गीय उपभोक्ता, भारतीय बाज़ार में सेवाओं-उत्पादों के लिए पर्याप्त संभावनाएं व पूर्ण बहुमत वाली राजनीतिक इच्छाशक्ति शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने मैडिसन स्क्वायर की उसी सभा में कहा था कि "हम दुनिया के सबसे युवा लोगों का देश है जिसकी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से नीचे की है हम इस युवा शक्ति की बदौलत आगे बढ़ने वाले हैं"। अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो चुनाव उन्होंने जीता है उसके पीछे राजनीतिक के अलावा आर्थिक वज़हें भी हैं, जो 2014-15 के आर्थिक सर्वे में साथ-साथ निकल कर आ भी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक रोज़गार विकास दर (CAGR) साल 2004-05 में 2.8 प्रतिशत से गिरकर 2011-12 में 0.5 प्रतिशत रह गई है। यानी पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दस सालों के शासन में सामाजिक सेक्टर में निवेश के बावजूद उस दर से नौकरियां सृजित नहीं हो पाईं जिस दर से युवा आकांक्षाए थीं। उदाहरण के लिए एनएसएसओ के डाटा के अनुसार आर्थिक वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच क़रीब 1.39 करोड़ नौकरियां सृजित हुईं जबकि इन दो वर्षों में श्रमशक्ति में क़रीब डेढ़ करोड़ का इज़ाफ़ा, अब इस तेजी से बढ़ रही श्रमशक्ति, जिसमें लगातार युवा जुड़ते जा रहे हैं, उनमें से हर एक को नौकरी चाहिए। युवाओं की वज़ह से भारत में कामकाजी आयु बनाम कुल आबादी के अनुपात में कम से कम वर्ष 2030 तक लगातार बढ़ोतरी होगी, जबकि विकसित देश में श्रम अभाव की स्थिति बनी हुई है।

भारत के लिए यह संभावना तो है ही पर साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है, उसको अपनी इतनी बड़ी श्रम शक्ति को जल्द से जल्द कुशल श्रम में बदलकर छोटी इकाइयां विकसित करनी है। यह छोटी इकाइयां नौकरी चाहने वालों की जगह नौकरी रचने वाले उद्यमियों को आगे लाएंगी साथ ही भविष्य में यही छोटी-छोटी इकाइयां जब उन्नत होंगी तो तेजी से रोज़गार भी सृजित करेंगी। ज़्यादा से ज्यादा श्रम आधारित छोटी इकाइयां सही

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर छोटे क़ारोबारियों के लिए माईक्रोफाइनैंस के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। ईमेल: prathak.batohi@gmail.com

आर्थिक माहौल सरकारी निवेश और ख़रीद से बड़ी औद्योगिक इकाइयों में बदलकर विश्व में ज़्यादा-से-ज़्यादा अपनी सेवाओं और उत्पादों को निर्यात करें इसी मक़सद से 'मेक इन इंडिया'और 'स्किल इंडिया' को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है।

वित्तमंत्री ने वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि "आर्थिक पुनरुत्थान, उद्यमशीलता और स्थानीय विनिर्माण की बढ़ोतरी से होने वाला रोज़गार सृजन सरकार का फ़ोकस क्षेत्र होगा"। बजट में आर्थिक पुनरुत्थान हेतु कई बातें हैं जैसे कि अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी की घोषणा, कॉर्पोरेट निवेश हेतु उनके कैश रिज़र्व को बढ़ाने के लिए कर को 30 से 25 प्रतिशत करने की योजना, इनफ्स्ट्रक्चर पर 70 हज़ार करोड़ के निवेश का प्रावधान आदि। वैसे बजट से पहले ही इस पर काम शुरू हो चुका था जिसमें राष्ट्रीय सड़कों, राष्ट्रीय गैसग्रिडों व विद्युत ग्रामीण ढांचा निर्माण, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, कृषि सिंचाई, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए स्वायत्त सागरमाला परियोजना और नदियों की सफाई की व्यवस्था प्रमुख क़दम थे। बुनियादी ढांचा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक फास्ट ट्रैक आदि सरकारी निजी भागीदारी व्यवस्था, आईटी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जिससे गांवों में ब्रॉडबैंड संपर्क स्थापना और सरकारी प्रक्रियाओं में आईटी का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण संशोधन, श्रमसुधार और 150,000 स्क्वायर मीटर तक के कारखाने लगाने में पर्यावरणीय छूट, रूस से 10 नये परमाणु बिजलीघरों के समझौते, ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदानों का भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और नैचुरल गैस के मूल्यों में आई गिरावटें भारतीय उत्पादों/सेवाओं की क़ीमतें सस्ती कर सकती हैं और इनके आयात बिल भी सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत तक घट सकते हैं। आयात में बचत से घटने वाले वित्तीय घाटे और महंगाई में फरवरी तक आई नरमी के बाद से रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करके भारतीय उद्यमियों को नई ताक़त दे सकता है। अप्रत्यक्ष टैक्स के लिए एक टैक्स प्रणाली- जीएसटी को घरेलू बाज़ार के एकीकरण के लिए लागू करके, कौशल विकास को बढ़ावा देकर, राष्ट्रीय जनधन योजना जैसी योजनाओं के द्वारा बचत दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत, आधारभूत संरचनाओं में दीर्घकालिक निवेश और श्रम-भूमि सुधार साल 2015 की राजनीतिक चुनौतियां हैं वही यही अगर पूरी होती हैं तो यह चुनौतियां प्रचंड संभावनाओं में तब्दील हो जाएंगी।

बजट में आर्थिक पुनरुत्थान हेतु कई बातें हैं जैसे कि अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी की घोषणा, कॉर्पोरेट निवेश हेतु उनके कैश रिज़र्व को बढ़ाने के लिए कर को 30 से 25 प्रतिशत करने की योजना, इनफ्स्ट्रक्चर पर 70 हज़ार करोड़ के निवेश का प्रावधान आदि।

उद्यमशीलता हेतु बजट में 1000 करोड़ की राशि के साथ स्व-रोज़गार तथा प्रतिभा उपयोग (सेतु) फंड का ऐलान किया गया है जो नव-उद्यम और अन्य स्वरोज़गार गतिविधियों (विशेष रूप से प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र के सभी पहलुओं में मदद करेगा। आर्थिक सर्वे में कौशल बढ़ाने वाली व्यवस्थाओं में भारी कमी और भारत में औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल महज़ 2 फीसद होने की वजह से ही नवगठित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए 1,543. 46 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है। पिछले चार पांच वर्षों से वेंचर कैपिटल के रीटेल व आईटी कंपनियों में लगातार निवेश कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। महज़ ई-कॉमर्स के विकास से रोज़गार के 20 फीसदी अधिक अवसर बन सकते हैं। ऐसे प्रयासों से सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिशत बढ़ेगा और कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भरता भी कम होगी।

विनिर्माण ढांचे को उन्नत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता माल ढुलाई मार्गों और औद्योगिक गलियारों में आधारभूत निवेश के साथ दिखती जिसमें रेलवे में इस वर्ष किए जाने वाला निवेश साथ ही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए 1200 करोड़ का आवंटन, बंदरगाहों के निगमीकरण के लिए व्यवस्था आदि, फिर उर्जा के लिए पांच 4000 मेगावाट क्षमता विद्युत परियोजनाओं की योजना कुशल श्रम और अंत में पूंजी की उपलब्धता महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में अब तक के अप्रयुक्त हिस्से जो कि 0 से 10 लाख के टर्न ओवर वाले छोटे उद्यम हैं उनको फायनेंस के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना महत्वपूर्ण है।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) बैंक नॉनकॉर्पोरेट सेक्टर के वित्तीय समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम है, यह मुख्यत: रेगुलेशन और रीफाईनेंस के दो बिंदुओं पर कार्य करेगा। वर्ष 2014-15 के बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं इसके अतिरिक्त 3,000 करोड़ के ऋण गारंटी कोष का भी प्रावधान हैं जिससे माइक्रोइंटरप्राइज को दिए गए ऋण की गारंटी दी जाएगी। सरकारी अनुमान के आधार पर भारत में 5.77 करोड़ छोटी इकाइयां हैं, जिनमें 3.57 करोड़ इकाइयां सामाजिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की हैं जो आर्थिक व शैक्षणिक मानकों पर बैंक ऋण से महरूम रह जाते हैं, जिसकी पुष्टि पिछले वर्ष रिज़र्व बैंक की नचिकेत मोर कमेटी ने भी की थी। अब अगर इन 3.57 करोड़ इकाइयां में से महज़ पांच लाख इकाइयां भी इस वित्तीय पोषण से सुदृढ़ हो जाए तो उनका गुणात्मक लाभ सामाजिक रूप से पिछड़े इन वर्गों के लिए चल रहे अन्य कल्याण कार्यक्रमों से अधिक होगा। अब इसमें पहले से ही मिल रहे सरकारी ख़रीद में 51 प्रतिशत शेयर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) स्वामित्व वाली इकाइयों को जोड़ दें तो इन वर्गों के लिए आगे बढ़ने के लिए सकरात्मक रूप से अच्छी पहल होगी। ज्ञात रहे सार्वजनिक ख़रीद नीति के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक कंपनी को ख़रीद मूल्य के लिहाज़ से अपनी कुल सालाना ख़रीद का 20 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई से ख़रीदना अनिवार्य हैं जिसमें से भी 4 प्रतिशत हिस्सा एससी-एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आरक्षित किया गया है।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) बैंक नॉनकॉर्पोरेट सेक्टर के वित्तीय समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम है, यह मुख्यत: रेगुलेशन और रीफाईनेंस के दो बिंदुओं पर कार्य करेगा।

भारतीय माइक्रोफाइनेंस मुख्यत: दो व्यवस्थाओं पर टिका है पहली, नाबार्ड एवं गैरसरकारी संगठनों द्वारा प्रोत्साहित की गई

तालिका 1: संस्थागत और गैर-संस्थागत ग्रामीण ऋण (%)

स्रोत	1951	1961	1971	1981	1991	2002
संस्थागत एजेंसियां	7.2	14.8	29.2	61.2	64	57.1
सरकार	3.3	5.3	6.7	4	5.7	2.3
को-ओपरेटिव सोसायटी/बैंक	3.1	9.1	20.1	28.6	18.6	27.3
आरआरबी समेत वाणिज्यिक बैंक	0.8	0.4	2.2	28	29	24.5
बीमा	--	--	0.1	0.3	0.5	0.3
भविष्य निधि	--	--	0.1	0.3	0.9	0.3
अन्य संस्थागत एजेंसियां	--	--	--	--	9.3	2.4
गैर-संस्थागत एजेंसियां	92.8	85.2	70.8	38.8	36	42.9
मकान मालिक	1.5	0.9	8.6	4	4	1
आढती या कृषि बिचौलिए	24.9	45.9	23.1	8.6	6.3	10
पेशेवर साहूकार	44.8	14.9	13.8	8.3	9.4	19.6
व्यापारियों और आयोग एजेंट	5.5	7.7	8.7	3.4	7.1	2.6
रिश्तेदारों और दोस्तों के	14.2	6.8	13.8	9	6.7	7.1
अन्य	1.9	8.9	2.8	4.9	2.5	2.6

स्रोत: अखिल भारत ग्रामीण क्रेडिट सर्वेक्षण (1954); अ. भा. कर्ज़ व निवेश सर्वेक्षण, विभिन्न अंक।

स्वयं सहायता समूह जो बैंक से जमा-ऋण द्वारा जोड़ी गई (एसएचजी-बीएलपी) हो और दूसरी व्यवस्था है माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटयूशन (एमएफआई) जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देनदार समूह (जेएलजी) या व्यक्तिगत रूप से आगे आए लोगों का माइक्रो ऋण देते हैं। माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटयूशन (एमएफआई) भी तीन तरह की हैं पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एमएफआई-एनबीएफसी) जिसको भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित करता है और यह मुनाफ़ा कमाती हैं, दूसरी गैरसरकारी संगठन (ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 25 कंपनी) जो मुनाफ़ा नहीं कमाते हैं और तीसरी परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी बचत और क्रेडिट संस्था (एमएसीटीएस) जो परस्पर सहायता के लिए मुनाफ़ा कमाती हैं। तीनों ही प्रकार के माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को अपने संचालन के लिए पूंजी जुटानी पड़ती है, इन्हें पूंजी के लिए बैंकों की तरह डिपाजिट लेने की इज़ाज़त नहीं हैं। बैंक डिपाजिट पर 4 प्रतिशत ब्याज के बावजूद अपने लिए संचालन पूंजी क़रीब 5.5 से 7.5 प्रतिशत की दर से जुटा लेता है जबकि इन्हीं बैंकों से माइक्रोफाइनांस के लिए जुटाई गई पूंजी की लागत ही क़रीब 12-14 प्रतिशत आती है। इसमें वितरण और अन्य ख़र्च जोड़कर माइक्रोफाइनेंस संस्था क़रीब 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण दे पाते हैं। इसका मतलब छोटे व मझोले उद्यम जिन्हें बैंक ऋण नहीं देते उनको 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के ब्याज दर पर बेहद महंगे ऋण मिलते हैं जबकि दूसरी ओर विदेशी व्यावसायिक ऋण (ईसीबी) रीफाइनेंस की रिज़र्व बैंक की राहत से भारतीय कोर्पोरेटों को 7 प्रतिशत से भी सस्ती पूंजी का मार्ग मिला हुआ है। ज़ाहिर हैं की महंगे ऋण से किए गए उद्यम से बाज़ार में छोटे व मझोले उद्यमों के प्रतिस्पर्धी बने रहने की संभावना बेहद होगी, ऐसे में अगर किसी तरह यह लागत कम हो सके तो सस्ते उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सूक्ष्म उद्यम (माइक्रोइंटरप्राइज) भी ज़्यादा तेजी से खेड़े हो पाएंगे।

छोटे व मझोले उद्यम जिन्हें बैंक ऋण नहीं देते उनको 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के ब्याज दर पर बेहद महंगे ऋण मिलते हैं जबकि दूसरी ओर विदेशी व्यावसायिक ऋण (ईसीबी) रीफाइनेंस की रिज़र्व बैंक की राहत से भारतीय कोर्पोरेटों को 7 प्रतिशत से भी सस्ती पूंजी का मार्ग मिला हुआ है।

साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद विदेशी निवेशक भारतीय स्टाक मार्केट से गायब होने लगे तब कोर्पोरेट स्टाक मार्किट इक्विटी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क़र्ज़े की तरफ रुख करने लगे जिसका नतीज़ा यह हुआ की मार्किट की तरलता समाप्त हो गई। जब तरलता समाप्त हो गई तब कर्ज़े बहुत तंगदिली से संपदा की गुणवत्ता देखकर और बढ़ी ब्याज दरों पर दिए जाने लगे। उस वक्त तक माइक्रोफाइनेंस में कार्यरत माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटयूशन ने ग्राहकों की पात्रता ठीक से बिना जांचे-परखे संचालन ज़्यादा-से-ज़्यादा की कोशिश में ज़्यादा-से-ज़्यादा क़र्ज़ बांट दिया था। इससे संपदा की गुणवत्ता पर काफी असर हुआ था। नतीज़तन काफी कर्ज़ डूब रहा था। सौ बैंकों ने भी माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटयूशन को ऋण देना कम कर दिया। लगभग उसी वक्त सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े एमएफआई वाले राज्य में किसान आत्महत्या करने लगे, सरकारी जांच कमिशन में निकल कर आया कि एमएफआई साहूकार बन गए हैं। वे अत्यधिक ब्याज दरों को लागू करने लगे थे और ऋण की वसूली के लिए सख्ती का प्रयोग कर रहे थे। एसकेएस जैसे एमएफआई बैंक कर्ज़ के अतिरिक्त स्टाक मार्किट से इक्विटी के ज़रिये निवेश प्राप्त कर रहे थे, उन पर मुनाफा कमाकर और निवेश प्राप्त करने के आरोप लगने लगे। ऐसे में एमएफआई के संचालन को विनियमित करने के लिए आंध्र सरकार साल अक्टूबर 2010 में एक अध्यादेश लाई जिससे ऋणों की वसूली दुष्कर हो गई और कई बड़े माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटयुशनों को कई करोड़ के ऋणों का नुकसान भुगतना पड़ा। देश भर के बैंकों ने 31 मार्च 2010 तक 13,955 करोड़ रुपये के ऋण 1659 एमएफआई में तब तक निवेश कर रखे थे। इस निवेश के और बढ़ने की संभवाना थी, पर आंध्र के अध्यादेश के बाद बैंकों ने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटयूशन को पूंजी देने से इनकार कर दिया गया, जिसका प्रमुख कारण स्पष्ट नीति निर्धारण और विनियमन का ना होना था।

विनयमन के अभाव को देखते हुए सरकार ने माइक्रोफाइनेंस नियमन विधेयक 2011 को मंज़ूरी दे दी जिसमें इन संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण कराना अनिवार्य होना था। साथ ही उनके पास कम-से-कम पांच लाख रुपये का अपना कोष भी होना चाहिए, पर ज़ल्द ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के अलावा अन्य एमएफआई के विनियमन से इनकार कर दिया। 2011-12 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीटयूशन को पूंजी देने के लिए 100 करोड़ रुपये का भारत माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड को लघु औद्योगिक विकास बैंक

तालिका 2: भारत में माइक्रोफायनेंस का कुल विस्तार

वर्ष	कुल ग्राहकों की संख्या (करोड़ में)			ऋण (करोड़ रुपये में)			माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी* (प्रतिशत)
	एसबीएलपी	एमएफआई	कुल	एसबीएलपी	एमएफआई	एसबीएलपी	
2006-07	3.8	1.0	4.8	12,366	3,456	15,822	–
2007-08	4.7	1.4	6.1	16,999	5,954	22,953	35.03
2008-09	5.4	2.3	7.7	22,679	11,734	34,413	50.44
2009-10	6.0	2.7	8.7	28,038	18,343	46,381	55.22
2010-11	6.3	3.2	9.4	31,221	21,556	52,777	50.23
2011-12	6.1	2.7	8.8	36,340	20,913	57,253	-14.37
2012-13	6.5	2.8	9.3	39,375	22,300	61,675	31.37

एसबीएलपी = बैंक से जुड़े स्वयंसेवी समूह, एमएफआई = माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्युशन, * = माइक्रो ऋण में हिस्सेदारी

स्रोत : माइक्रोफाइनेंस इंडिया, सेक्टर रिपोर्ट 2013

आरेख 1: माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की ऋण वृद्धि दर

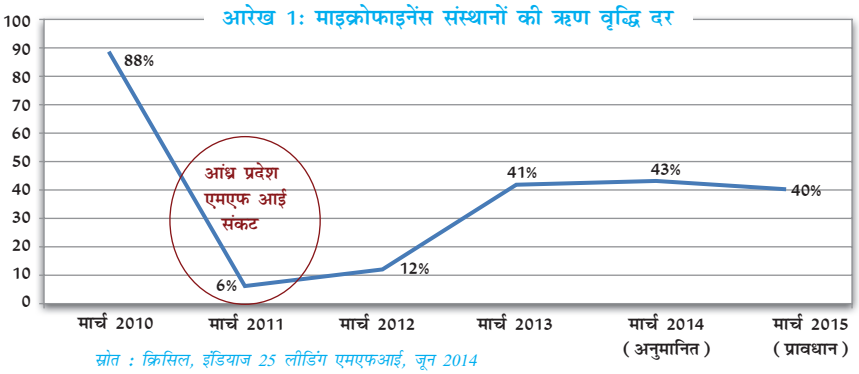

स्रोत : क्रिसिल, इंडियाज 25 लीडिंग एमएफआई, जून 2014

(सिडबी) के अधिकार में निर्मित किया। एक ऐसे समय में जबकि उधारकर्ताओं ने ऋण के भुगतान बंद कर दिया हो, बैंकों और निजी निवेशकों ने और पूंजी या निवेश से इनकार कर दिया हों, उस समय यह राशि ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को संभाला था। मार्च 2013 के बाद से माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का क़ारोबार पटरी पर आने लगा और ऋणों में काफी इज़ाफ़ा हुआ। आज भारत में क़रीब दस करोड़ लोग माइक्रोफायनेंस से जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2014 तक माइक्रोफाइनेंस संस्थानों का कुल पोर्टफोलियो 31,450 करोड़ रुपये का था जो क्रिसिल के अनुसार मार्च 2015 में बढ़कर 35,000 करोड़ रूपये के होने की संभावना हैं।

अब इन माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मुद्रा बैंक अपने लिए आवंटित हुए 20,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ भी इस वर्ष कम ब्याज दर पर रीफायनेंस कर दे तो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट पर दबाव काफी कम हो जाएगा। सस्ते कर्ज़ की वज़ह से लेनदार की भी ब्याज दर भी 3-4 प्रतिशत कम हो सकती हैं जिसके दूरगामी सकरात्मक प्रभाव होंगे। साथ ही जिन लोगों को लगता है कि वर्ष 2015 में सामाजिक सेक्टर में निवेश कम हुआ है। वे इस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष समाजिक निवेश मान सकते हैं।

मुद्रा बैंक का दूसरा अहम कार्य रेगुलेटर के रूप में होने वाला हैं जिसमें वह सूक्ष्म व लघु व्यवसायों को फाइनेंस उपलब्ध कराने पर नीति और दिशानिर्देश बनाएगा चूंकि यह कानून के द्वारा लाया जा रहा है, तो इसके पास माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पंजीकरण और एमएफआई की रेटिंग और उनका एक्रेडिएशन, अंतिम व्यक्ति तक फाइनेंस की पहुंच की योजनाएं योजना, तक़नीकि विशेज्ञता जैसे बायोमैट्रिक्स से खाताधारकों की पहचान, मनीट्रांसफर की सस्ती और मोबाइल सेवा आदि का विकास आदि प्रमुख कार्य होंगे। मुद्रा बैंक का दूसरा अहम् कार्य रेगुलेटर के रूप में होने वाला हैं। जिसमें वह सूक्ष्म व लघु व्यवसायों को धन उपलब्ध कराने पर नीति और दिशानिर्देश बनाएगा चूंकि यह कानून के द्वारा लाया जा रहा है, तो इसके पास माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पंजीकरण और एमएफआई की रेटिंग और उनका एक्रेडिएशन, अंतिम व्यक्तिक फाइनेंस की पहुंच की योजनाएं योजना, तक़नीकि विशेषज्ञता जैसे बायोमैट्रिक्स से खाताधारकों की पहचान, मनीट्रांसफर की सस्ती और मोबाइल सेवा आदि का विकास आदि प्रमुख कार्य होंगे। कुल मिलाकर यह बजट छोटे उद्योगों व स्वरोज़गार को बढ़ाने वाले माइक्रोफाइनेंस के लिए संजीवनी बनकर आया है। ❑

आरेख 2: लघुवित्त क्षेत्र का संचालन

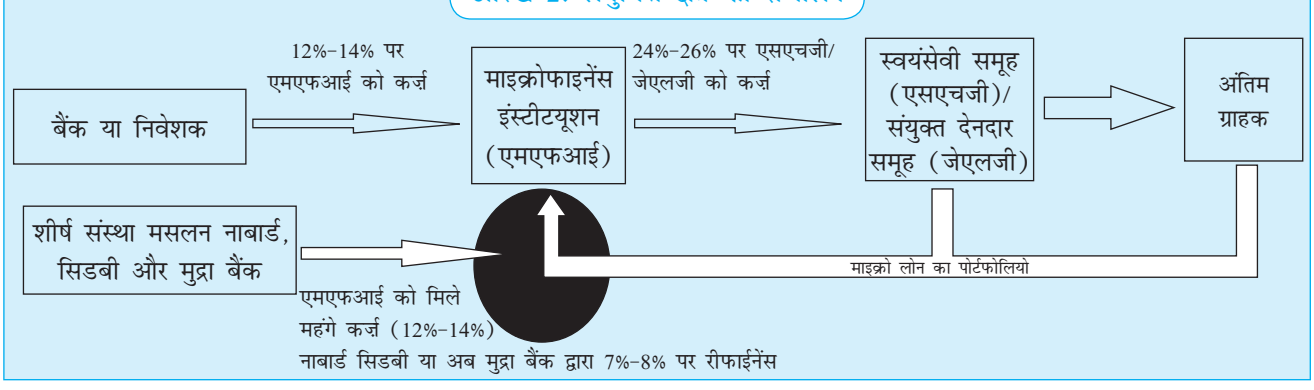

जन धन, आधार, मोबाइल और डिजिटल सशक्तीकरण

उमाशंकर मिश्र
सुबोध कुमार

पारदर्शिता, प्रभावोत्पादकता और पारस्परिकता (संवाद की दृष्टि से) इन तीन अभिनव गुणों की वज़ह सूचना प्रौद्योगिकी आज जनजीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर रही है और इसी वज़ह से वर्तमान सरकार भी शासन-प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल आधार देने के लिए ज़ोर दे रही है। सरकार की यह मंशा बजट आवंटन से लेकर प्रशासनिक कार्यों की स्थापना तक स्पष्ट दिखती है और मौज़ूदा बजट में की गई घोषणाएं डिजिटल भारत के लिए वास्तविक आधारशिला रखने वाली मालूम पड़ती हैं

ज़रा सोचिए उस भविष्य के बारे में जब सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान वाई-फाई से जुड़े होंगे। ब्रॉडबैंड-हाइवे की पहुंच हर गांव तक होगी और देश के सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से ई-सक्षम बनाया जाएगा। यही नहीं, विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना का विस्तार करके केंद्र से लेकर पंचायतों तक सभी सरकारी कार्यालयों को इसके तहत लाया जाएगा। यह सरकार द्वारा शुरू किए गए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की महज़ एक झलक भर है। सरकार अगले पांच साल में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का ऐलान कर चुकी है। इसी को ध्यान में रखकर 'डिजिटल इंडिया' नामक अभियान की शुरुआत की गई है। 'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज़ से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इस मुहिम के ज़रिये ई-गवर्नेंस, सबकी इंटरनेट तक पहुंच, इंटरनेट से शिक्षा, चिकित्सा जैसी सेवाएं दूरदराज तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों। इससे सरकारी व प्रशासनिक सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ सार्वजनिक जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

'डिजिटल इंडिया' एक व्यापक कार्यक्रम है, जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह-तरह के विचारों को एकल एवं व्यापक विजन को समाहित करता है, ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नज़र आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय डीईआईटीवाई द्वारा किया जाना है। जबकि, इस पर अमल समूची सरकार द्वारा किया जाना है। 'डिजिटल इंडिया' का विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये हैं– हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

बजट में प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' की गूंज सुनाई देती है। इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 'डिजिटल इंडिया' के विभिन्न आयामों का जिक्र करके सरकार की प्रतिबद्धता ज़ाहिर कर दी है। 'डिजिटल इंडिया' के लिए मौज़ूदा बजट में 2510 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फिलहाल अधिकतर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता केंद्र या राज्य सरकारों में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के बजटीय प्रावधानों के ज़रिये होती है लेकिन 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अलग-अलग परियोजनाओं के लिए ज़रूरी कोष का आकलन संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग करेंगे और उसी के अनुरूप धन का आवंटन किया जाएगा।

भारत जैसे विकासशील देश में आज भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे

वधर्मान महावीर खुला विश्वविद्यालय (कोटा) में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के शोधार्थी उमाशंकर मिश्र विकास संबंधी मुद्दों पर लिखते रहे हैं। उनके लेख, रिपोर्ट्स एवं शोधपत्र विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं वेबसाइट्स प्रकाशित हो चुके हैं। न्यू मीडिया, वेब पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, कृषि और परंपरागत उद्योग इत्यादि उनके रुचि के विषय हैं। ईमेल: umashankarm2@gmail.com

सुबोध कुमार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (कोटा) के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के संयोजक हैं। उनकी रुचि मीडिया स्टडीज, विज्ञान पत्रकारिता और न्यू मीडिया जैसे विषयों पर है। ईमेल: skumar@vmou.ac.in

गुजर-बसर करती है। यही कारण है कि हमारे देश में सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास की परिकल्पना की जाती है। इसी के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है लेकिन इन योजनाओं के संचालन में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से ज़रूरतमंदों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता था। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पहली बार विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की लीकेज को रोकने की पहल की गई है। 'जैम' (जन धन, आधार और मोबाइल) की तिकड़ी सब्सिडी में होने लीकेज को रोकने में एक मज़बूत विकल्प बनकर उभर सकती है। वित्तमंत्री का दावा है कि 'जैम' निश्चित तौर पर गेम चेंजिंग रिफॉर्म साबित होगा। 'जैम' की तिकड़ी एक प्रमुख शब्द बन चुका है। इस नये शब्द को प्रमुख वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इस बार के आर्थिक सर्वे में पहली बार पेश किया है। 'जैम' का उपयोग लक्षित जनसमूह तक सुविधाओं के हस्तांतरण को कैशलेस ढंग से लीक-प्रूफ बनाने में मददगार साबित हो सकता है। लेनदेन में पारदर्शिता लाने और काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में 'डिजिटल इडिया' के तहत प्रावधान किए जा रहे हैं।

कैशलेस सोसाइटी का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश इसका जीवंत प्रमाण कही जा सकती है। इस दिशा में सरकार ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। वित्तमंत्री की मानें, तो सरकार का ज़ोर सब्सिडी कम करने की बजाय इसके लीकेज को कम करने पर रहेगा। वित्त वर्ष 2014-15 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अनुमानित सब्सिडी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3,78,000 करोड़ रुपये, यानी 4.24 फीसदी है। मगर, गरीबी से लड़ने में यह कारगर साबित नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें लीकेज बहुत अधिक है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक, 'मौजूदा सब्सिडी योजनाओं के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि गरीब गृहस्थों की अपेक्षा अमीरों को सब्सिडी का ज़्यादा फायदा मिलता है।' सर्वेक्षण में विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के बुरे प्रभाव का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि बिजली में सब्सिडी का लाभ अपेक्षाकृत अमीरों को अधिक हुआ है। इसके मुताबिक, सर्वेक्षण में हालांकि कहा गया है कि सब्सिडी घटाना या ख़त्म करना न सुसंगत है और न वांछनीय ही। सर्वेक्षण के मुताबिक, 'जैम नंबर ट्रिनिटी -जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर- को अपनाने से राज्य ग़रीबों को लक्षित और कम विरूपित रूप में सब्सिडी दे पाएगा।' सर्वेक्षण में कहा गया है, 'सब्सिडी की राशनिंग, उचित लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने से कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए धन जारी होगा।' सरकार के तीन सूत्रीय 'जैम' पर अमल करके इस तरह की ख़ामियों को दूर किया जा सकता है। एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी का हस्तांतरण अब आधार कार्ड के ज़रिये लाभार्थियों के बैंक खाते में मिलना शुरू भी हो चुका है। आगे कई अन्य योजनाओं में भी इसकी झलक देखने को मिल सकती है।

डिजिटल इंडिया में हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ना है। ब्रॉडब्रैंड यानी तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन। इस तेज इंटरनेट से ऑनलाइन लेक्चर यानी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई, टेलिमेडिसन यानी डॉक्टरी मदद हर शख्स तक पहुंचाने की बात कही गई है। इसके अलावा मोबाइल फोन क्रांति के ज़रिये गरीबों तक बैंक खाते और सरकारी सहायता पहुंचाने की बात भी इसी 'डिजिटल इंडिया' का हिस्सा है। 'डिजिटल इंडिया' में तमाम तरह के फॉर्म भरना और सरकारी काम इंटरनेट के ज़रिये करना शामिल है। यानी आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और डिजिटल डाटा के चलते ये सारे काम जल्दी हो जाएंगे। एक तरह से 'डिजिटल इंडिया' ई-गवर्नेंस का एक सशक्त प्रयास कहा जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के आम बजट में भी 'डिजिटल इंडिया' की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इससे पहले इस अभियान की अवधारणा पर ज़ोर देते हुए रेल बजट में भी ढेर सुविधाएं ऑनलाइन किए जाने की घोषणा की गई थी। रेल बजट में ऑनलाइन सेवाओं की तरह आम बजट में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के लिए कार्य दिवस के दौरान रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने जा रही है। इसी तरह सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में डिजिटल साइन वाले इन-वॉयस और रिकॉर्ड मेंनटेन करने की सुविधा दी जा रही है। ज़ाहिर है कि इस तरह की ई-सर्विसेज एवं ई-शासन से समर्थता, साम्यता और दक्षता आएगी। जन सशक्तीकरण में भी इससे काफी मदद मिलेगी। सही मायनों में देखें, तो डिजिटल इंडिया हमें दुनिया से मुक़ाबला करने के लिए सक्षम बनाएगा।

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पहली बार विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की लीकेज को रोकने की पहल की गई है। जन धन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी सब्सिडी में लीकेज रोकने में एक मज़बूत विकल्प बनकर उभर सकती है। वित्तमंत्री का दावा है कि 'जैम' निश्चित तौर पर गेम चेंजिंग रिफॉर्म साबित होगा।

'डिजिटल इंडिया' के तहत इंटरनेट सुविधा के लिए ढाई लाख गांवों में साढ़े सात लाख किलोमीटर आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्यों को भागीदार बनाने का ऐलान किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यों द्वारा किए गए ख़र्च की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी। बजट भाषण में वित्तमंत्री जेटली ने बताया कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, जिसने इस पद्धति पर कार्यक्रम में भागीदारी को अपनाया है। वैसे तो वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में विशेष श्रेणी के राज्यों व अन्य राज्यों के बीच कोई भेद नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्वी राज्यों को ज़्यादा तेजी से विकसित होने का मौका दिया जाने पर जोर दिया गया है। 'डिजिटल इंडिया' में एक अन्य अहम काम है भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन को भारत में ही निर्माण करने की बात इस डिजिटल इंडिया में है। बजट में कर प्रस्तावों के ज़रिये भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक सामान दूसरे देशों से खरीदते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बनाना शुरू कर दें, तो यह देश के लिए काफी फायदेमंद होगा। टेबलेट कंप्यूटर, डिजिटल कैमरों, टीवी तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, कलपुर्जो व सहायक साज-सामानों के उत्पादन व आयात पर विभिन्न शुल्कों में राहत दी गई है। इसका सीधा असर आईटी इंडस्ट्री के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ना तय है।

बजट में 'सेतु' नाम से एक स्वरोज़गार और प्रतिभा का उपयोग तंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। 'सेतु' के ज़रिये स्वरोज़गार के क्रियाकलापों, ख़ासकर प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में क़ारोबार के लिए प्रोत्साहन और मदद मिल सकती है। 'सेतु' के लिए नीति आयोग में

शुरुआती तौर पर 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में ब्रॉडबैंड हाइवेज की स्थापना प्रमुख है। ब्रॉडबैंड हाइवेज ठीक उसी तरह से हैं, जैसे किसी हाइवे पर एक से ज़्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज़्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती हैं। इस कार्यक्रम का दूसरा मक़सद ग्रामीण इलाक़ों में मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी। देश भर में तकरीबन सवा अरब की आबादी में मोबाइल फोन कनेक्शन की संख्या जून, 2014 तक क़रीब 80 करोड़ थी। शहरी इलाक़ों तक भले ही मोबाइल फोन पूरी तरह से सुलभ हो गया हो, लेकिन देश के विभिन्न ग्रामीण इलाक़ों में अभी भी इसकी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के 55,000 गांवों में अगले पांच वर्षों के भीतर मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का गठन किया गया है।

इसी तरह पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी के ज़रिये सरकारी कामकाज में सुधार किया जाएगा। यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण- यूआइडीएआइ (आधार), पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा। साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराने में भी मदद मिल सकती है। ई-एजुकेशन, ई-कृषि, मोबाइल बैंकिंग, ई-हेल्थकेयर, ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रोसिक्यूशन की सुविधाएं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगी। प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा। संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करेंगी। गांवों व छोटे शहरों में लोगों को आइटी से जुड़े जॉब्स के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आईटी सेवाओं से जुड़े क़ारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाने की भी ज़रूरत होगी। इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अभी काफी मशक्कत करनी होगी। मगर, यह तो साफ है कि इंटरनेट सूचना के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सूचनाओं तक पहुंच जन-सशक्तिकरण का प्रमुख हथियार बन सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान गूगल इंडिया के सर्वे की रिपोर्ट इस बात का जीवंत प्रमाण है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार चुनाव के दौरान इंटरनेट पर लोग जिन चीजों को ज़्यादा सर्च कर रहे थे, उनमें 'इलेक्शन कार्ड कैसे प्राप्त करें' और 'मतदान कैसे करें' जैसे सवाल भी शामिल थे। लोगों को अभी चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में ब्रॉडबैंड हाइवेज की स्थापना प्रमुख है। ब्रॉडबैंड हाइवेज ठीक उसी तरह से हैं, जैसे किसी हाइवे पर एक से ज़्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज़्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती हैं। इस कार्यक्रम का दूसरा मक़सद ग्रामीण इलाक़ों में मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करना है।

इंटरनेट इस खाई को पाट सकता है और लोकतंत्र की मज़बूती का आधार बन सकता है लेकिन इंटरनेट की पहुंच की बात करें, तो दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नज़र आती है।

'डिजिटल डिवाइड' के एक तरफ अमेरीका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के देश हैं, जहां लोग इंटरनेट के सुपरहाइवे पर तेजी से दौड़ रहे हैं। दूसरी ओर अमरीका और एशिया के ऐसे देश हैं, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी इंटरनेट की पगडंडियों तक भी नहीं पहुंच पाया है। 'ई-साक्षरता' की इस खाई को ही 'डिजिटल डिवाइड' कहा गया है। सूचना, शिक्षा, रोज़गार, शासन एवं प्रशासन को मज़बूत करने में इंटरनेट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इंटरनेट आज रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। जिन लोगों तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, आने वाले वक्त में मुख्यधारा से उनका कटाव बना रहेगा।

ऐसे में सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को साक्षरता और जनस्वास्थ्य जैसी प्राथमिकताओं के समानांतर रखना होगा। प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की कवायद में जुटी हुई है, ताकि डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटा जा सके। हालांकि अभी इसके लिए भारत को लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए नियामक तय करने होंगे और मज़बूत टूल्स की पहचान करके उनका सही इस्तेमाल करना होगा। ❑

संदर्भ

वेबसाइट

1. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=108926
2. http://gadgets.ndtv.com
3. http://www.bbc.co.uk/hindi/news/story/2007/07/070725_digital_democracy.shtml

समाचार पत्र

1. फाइनेंसिएल एक्सप्रेस (28 फरवरी 2015) http://computer.financialexpress.com/egov-watch/egovwatch-budget-2015-focuses-on-digital-india-programme/9879/
2. हिंदुस्तान टाइम्स (24 अप्रैल, 2014) http://www.hindustantimes.com/elections2014/election-beat/digital-democracy-who-is- winning-war-for-votes-on-twitter/article1-1211958.aspx
3. साठे, जी (3 दिसंबर 2013) http://www.livemint.com/Leisure/3gDAIQzU8nmyOJgtAceF1H/Digital-Democracy.html
4. टीए, जे http://archive.indianexpress.com/news/to-digital-democracy-via-social-technology/1062301/

शोधपत्र

1. फ्रैंकलिन बी, (2012) डिजिटल जर्नलिज़्म
2. सिंह, एस., (एनडी) डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन इन द डिजिटल इकोनॉमी, 1-24

पुस्तकें

1. **कावामोटो, के. (2003):** डिजिटल जर्नलिज़्म: एमर्जिंग मीडिया एंड द चेंजिंग ऑरिजन्स ऑफ जर्नलिज़्म, लेन्हम, एडी. : रॉमैन एंड लिटिलफील्ड
2. **पैवलिक, जे. (2001):** जर्नलिज़्म एंड न्यू मीडिया, न्यूयार्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस
3. **राजन, एन. (2007):** 21वीं सेंचुरी जर्नलिज़्म इन इंडिया, नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशन्स
4. **एंग्डेल, एस. (2013):** इंटरनेट एक्टिविज़्म, मिशिगन : गेल ग्रुप
5. **गुप्ता ओ. एंड जासरा, ए. (2002):** इंटरनेट जर्नलिज़्म इन इंडिया, नई दिल्ली
6. **रोमानो, ए. (2005):** जर्नलिज़्म एंड डेमोक्रेसी इन एशिया : लंदन : रूटलेज
7. **सिद्दिकी, एच. (2010):** इन्साइक्लोपीडिया ऑन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज़्म इन द इंटरनेट एज. नई दिल्ली : अनमोल प्रकाशन

आम बजट में शिक्षा पर विशेष ज़ोर

कविता पंत

शिक्षा किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के सबसे बड़े दायित्वों में शामिल है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राजकोषीय व्यय का कितना हिस्सा शिक्षा के मद में ख़र्च किया जा रहा है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह ख़र्च किया जा रहा है। नये बजट में परंपरागत ख़र्चों के अलावा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास मिशन, नवाचार मिशन आदि के मदों में आवंटन कर अभिनव क़दम उठाए गए हैं

समाज के विकास में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान, अच्छा आचरण और तकनीकी दक्षता के बिना शिक्षा अधूरी है। प्राचीनकाल में भारत पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण हमने अपना प्राचीन गौरव खोया और शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी पिछड़ गए। सरकार ने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए ग़रीब और वंचित तबके से जुड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को प्रमुखता दी है। सरकार ने 2015-16 का बजट बनाते समय स्कूली शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा और उच्च शिक्षा को श्रेष्ठ बनाने पर विशेष ध्यान दिया है और मिड-डे मील सहित शिक्षा के लिए कुल 68,968 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस वर्ष बजट में स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता के लिए 42219.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। राज्यों को इसमें समस्या नहीं होगी क्योंकि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्र ने करों से होने वाली अपनी आय में से राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है। बजट में स्कूली शिक्षा को मज़बूत करने के लिए देश भर में 80 हज़ार माध्यमिक और 75 हजार जूनियर और मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक कॉलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अगर योजना के अनुसार इन प्रावधानों को गंभीरता से लागू किया गया तो आने वाले कुछ समय में देश भर में क़रीब डेढ़ लाख इंटर कॉलेज खुल जाएंगे जिसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को होगा।

बजट में सरकार ने शिक्षा में लैंगिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास करते हुए लड़कियों के लिए शिक्षा की पूर्ण तथा बराबर उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लड़के और लड़कियों के बीच गिरते लिंग अनुपात को कम करना, लड़कियों के लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करना और उन्हें स्कूलों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अब धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी और प्रत्येक छात्र को पढ़ाई का मौका मिलेगा। ग़रीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को अपनी पसंद के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण बनाया गया है जो पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित होगा। यह प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के ज़रिये जहां आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बैंक ऋण और छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा वहीं ऋण और छात्रवृत्ति प्राप्त

लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह 1986 से 2004 तक पीटीआई भाषा में मुख्य उप संपादक रहीं। इसके बाद इंडिया टीवी में समाचार संपादक और प्रोड्यूसर रहीं। संप्रति स्वतंत्र पत्रकारिता। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आलेख प्रकाशित। ईमेल: kavitapant24@yahoo.co.in

करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करेगा। सरकार का मानना है कि आईटी आधारित होने के कारण प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और कुशलता देखने को मिलेगी।

स्व-रोज़गार शुरू करने में युवाओं की मदद के लिए सेतु (स्व-रोज़गार और प्रतिभा का उपयोग) नाम की एक नई योजना भी इस बार बजट में शामिल की गई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्व-रोज़गार शुरू करने खासतौर से प्रौद्योगिकी संबंधी काम शुरू करने में सरकार मदद प्रदान करेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से है। देश की कुल आबादी का 54 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। इसलिए यह ज़रूरी है कि युवाओं को 21वीं शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित किया जाए और रोज़गार पर रखने योग्य बनाया जाए।

देश के जनसांख्यिकीय विभाजन को कम करने और ग्रामीण युवाओं को रोज़गार देने का प्रयास करते हुए बजट में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। योग्य छात्रों की छात्रवृत्ति डिजिटल वाउचर के ज़रिये सीधे उनके बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी।

सरकार जल्द ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू करेगी। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे कौशल संबंधी कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। साथ ही सभी 31 क्षेत्रीय परिषदों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा।

सरकार ने बजट में अल्पसंख्यक युवकों को समर्थ बनाने के लिए 'नई मंजिल' नाम की एकीकृत शिक्षा और आजीविका योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास औपचारिक स्कूल प्रमाणपत्र नहीं है ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके। पिछले बजट में भी सरकार ने अल्पसंख्यकों को हुनरमंद बनाने के लिए उस्ताद और नई रोशनी योजना शुरू की थी। उस्ताद योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को परंपरागत हुनर को निखारने के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। जिसमें बुनकर, हस्तशिल्प जैसे परंपरागत रोज़गार आते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक महिलाओं को रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी ही नई रोशनी योजना शुरू की गई थी।

बजट में हाल ही में शुरू की गई ''सुकन्या समृद्धि योजना'' के अंतर्गत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट देने का फैसला किया गया है। यह खाता माता-पिता या संरक्षक लड़की के नाम पर खोल सकते हैं। लड़की की आयु 10 वर्ष तक होनी चाहिए। एक लड़की के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। इस योजना की सुविधा केवल दो बेटियों के लिए ही मिलेगी लेकिन, यदि पहली बेटी के बाद जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं तो उनका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर तीसरी बेटी का भी खाता खोलने की अनुमति मिलेगी। यह खाता डाक घर और बैंक की अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है। यदि कोई बालिका जिसने इस नियम के आरंभ होने के एक वर्ष पहले दस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वह भी खाता खोलने की हकदार है। इस खाते में 9.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। खाता एक हज़ार रुपये की राशि से खोला जाएगा और एक वित्त वर्ष में इसमें न्यूनतम एक हज़ार और अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये जमा किए जा सकेंगे। खाते में रक़म खाता खोलने की तारीख से चौदह वर्ष पूरे होने तक जमा की जा सकेगी। अगर खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई है तो प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खाता 21 वर्ष में परिपक्व होगा। लड़की के 18 वर्ष का होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए उसमें से 50 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है।

खाता लड़की के दस वर्ष की आयु पूरी करने तक माता-पिता खोलेंगे और उसे संचालित करेंगे। 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वह खुद खाता संचालित कर सकती है। खाता भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है। लड़की की मृत्यु होने पर संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और राशि ब्याज सहित निकाल ली जाएगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले होता है तो विवाह की तारीख़ के पश्चात खाता जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। खाता बंद होने के बाद आहरण पर्ची द्वारा जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी।

वित्त मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत खुलने वाले खातों को कर में छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी कर चुका है। योजना के अंतर्गत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80 जी के तहत छूट दी जाएगी।

बजट में सरकार ने उच्च शिक्षा और शोध के शीर्ष संस्थानों को बढ़ावा देते हुए देश के अधिकतर राज्यों में एक नया केंद्रीय संस्थान खोलने की घोषणा की है। इसके तहत छह नए एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), एक नया आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) और दो नये आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) खोले जाएंगे। हर राज्य में आईआईटी और आईआईएम खोलने की योजना के तहत कर्नाटक में एक आईआईटी और जम्मू और कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश में एक-एक आईआईएम खोलना जाएगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश तथा असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोला जाएगा। इन मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज भी चलेंगे। इसके अलावा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स को पूर्ण आईआईटी का दर्जा किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षण और अनुसंधान संस्थान खोलने का भी फैसला किया है। ये महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। नगालैंड और ओडिशा में विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान शुरू किए जाएंगे।

पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन और गेमिंग केंद्र के नाम से एक राष्ट्रीय संस्थान शुरू किया जाएगा। हरियाणा और उत्तराखंड में एप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।

बजट में अटल नवाचार मिशन के लिए शुरू में 150 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। अटल नवरचना मिशन नवरचना संवर्द्धन मंच होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस मिशन में शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा और भारत में नवरचना, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करेगा। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्र में दोहराव के लिए श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। ❑

केंद्रीय बजट 2015-16: मुख्य बातें

उद्यमिता को प्रोत्साहन

मुद्रा बैंक

लघु वित्तीय संस्थाओं, जो ऐसी छोटी क़ारोबार इकाइयों को उधार देने के व्यवसाय में लगी हैं, को वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ की निधि और 3,000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक सृजित करने का प्रस्ताव। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुखता।

अटल नवोन्मेष मिशन

नीति के अंतर्गत अटल नवोन्मेष मिशन रूपी एक अभिनव योजना। इसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को संज्ञान में लाएंगे। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय नवोन्मेष हब होगा जो श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ की राशि निश्चित की गई है।

स्वरोज़गार व प्रतिभा उपयोग (सेतु)

एक औद्योगिकीय-वित्तीय प्रोत्साहन व सुविधाप्रदाता कार्यक्रम सेतु (स्व-रोज़गार और प्रतिभा का उपयोग) नामक तंत्र की स्थापना की गई है। यह कार्यक्रम अन्य स्व-रोज़गार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

इस बजट में सभी नागरिकों विशेषकर गरीबों व वंचितों के लिए एक वैश्विक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

मात्र 12 रु. प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपये के दुर्घटना मृत्यु जोख़िम को कवर करेगी।

अटल पेंशन योजना

यह अंशदान की अवधि के अनुसार एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नये खातों में पांच वर्ष के लिए लाभार्थियों के प्रीमियम के 50 प्रतिशत का अंशदान करेगी जो 1000 रुपए प्रति वर्ष तक सीमित होगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

दो लाख रुपये तक नैसर्गिक मृत्यु और दुर्घटना जोख़िम को कवर करेगी। 18-50 वर्ष आयु समूह के लिए इसका प्रीमियम 330 रुपये प्रतिवर्ष अथवा एक रुपये प्रतिदिन से कम होगा। पीपीएफ के 3,000 करोड़ और ईपीएफ निधि में लगभग 6,000 करोड़ की बिना दावे की जमाराशियों से एक **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष** बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका उपयोग कमज़ोर वर्गों वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्ड धारकों और छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायक जीवन साधन उपलब्ध कराने की भी एक योजना प्रस्तावित है। उन अल्पसंख्यक युवाओं को समर्थ बनाने के लिए इस वर्ष **नई मंज़िल** नामक एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका योजना आरंभ की जाएगी, जिसके पास औपचारिक स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं होता जिससे वे कोई या बेहतर रोज़गार प्राप्त कर पाते।

अवसंरचना

एक **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि** प्रस्तावित है और इसके लिए 20,000 करोड़ का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। यह आईआरएफसी और एनएचबी जैसे अवसंरचना वित्तीय कंपनियों में इक्विटी के रूप में निवेश बढ़ाने के लिए विश्वास बहाल करेगा। रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांड जारी करने की भी अनुमति दी गई है। अवसंरचना विकास के पीपीपी प्रारूप को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले जोख़िम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा उठाए जाने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इससे निवेश और रोज़गार दोनों ही बढ़ेंगे।

कौशल विकास

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से **राष्ट्रीय कौशल मिशन** की शुरुआत। यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों में बंटे कौशल संबंधी पहलों का समन्वय करेगा और 31 क्षेत्रों में कौशल विकास परिषदों की प्रक्रियाओं और परिणामों का मानकीकरण करेगा। गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पाकदक क्षमता के विकास के लिए **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** लाई गई है। इसके तहत 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिसका वितरण डिज़िटल वाउचर के द्वारा उत्तीर्ण छात्र के बैंक एकाउंट में सीधे जमा किया जाएगा।

निम्न और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को इच्छानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक **आईटी आधारित विद्यार्थी वित्तीय सहायता प्राधिकरण** बनाया गया है जो **प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम** के द्वारा छात्रवृत्तियों के साथ-साथ शिक्षा-ऋण योजनाओं पर भी नज़र रखेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छात्र केवल पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहे।

सोने से नकद

दुनियाभर में भारत में सोने की ख़पत सबसे ज़्यादा होती है और हर साल 800 से 1000 टन सोने का आयात होता है। देश में 20,000 टन से ज़्यादा सोने का स्टॉक होने का अनुमान है लेकिन इसमें से ज़्यादातर सोने का न क़ारोबार होता है और न ही इसका मुद्रीकरण होता है। **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना** के ज़रिये सोने के मुद्रीकरण के लिए केंद्रीय बजट में एक प्रस्ताव रखा गया है। यह योजना इस समय चालू स्वर्ण जमा योजना और गोल्ड लोन योजना की जगह लेगी। नई योजना से सोना जमा कराने वाले जमाकर्ताओं को अपने

केंद्रीय बजट 2015-16: मुख्य बातें

धातु खाते से ब्याज़ मिलेगा और ज़्वैलरों को अपने धातु खाते में ऋण मिलेगा। बैंक या अन्य डीलर इस सोने के बदले पैसे अदा कर सकेंगे।

एक और वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विकसित करने के लिए **गोल्ड सॉवरिन बांड** की स्थापना का प्रस्ताव है। सोने की बज़ाये इसे ख़रीदा जा सकेगा। इन पर एक निश्चित व्याज़दर मिलेगी और इसे सोने के तात्कालिक मूल्य पर बेचा जा सकेगा। अशोक चक्र वाले सोने के सिक्कों का उत्पादन का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे विदेशों से सोने के सिक्के मंगाने पर रोक लगेगी और भारत में जमा सोने का भी पुनर्नवीकरण किया जा सकेगा।

काले धन पर कानून

काले धन पर समेकित कानून बजट में लाया गया है। विदेशी संपत्ति छिपाने वालों को 10 वर्ष कारावास और कर एवं संपत्ति को छिपाने वालों पर कर की मौजूदा दर से 300 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। अपराधी को सेटेलमेंट कमीशन में जाने की भी अनुमति नहीं होगी। विदेशी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स रिटर्न भरने को अनिवार्य कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने या फिर अधूरी जानकारी देने पर 7 साल की कड़ी सज़ा का प्रावधान होगा। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों पर इस विधेयक के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। नये प्रबंध के अंतर्गत ईफाइलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

घरेलू काले धन को समाप्त करने के लिए नये **बेनामी लेन देन (रोकथाम) विधेयक** का प्रस्ताव है। संस्थाओं को अभियोग चलाने और बेनामी संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए सक्षम बनाता है। इससे बेनामी संपत्तियां रखना घटेगा और अटल संपत्ति के कारोबार में काले धन का कारोबार भी रूकेगा।

आयकर नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है ताकि रियल एस्टेट में 20 हज़ार से ज़्यादा के नक़द लेन देन को रोका जा सके। उल्लंघन की स्थिति में बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। नए कानून के तहत 1 लाख से अधिक की किसी भी ख़रीद और बिक्री के लिए पैन नंबर अनिवार्य कर दिया जाएगा और 20,000 से अधिक नक़द लेन-देन पर रोक लगा दी जाएगी। इसके लिए सीबीडीटी और सीबीईसी जैसे तक़नीकों का प्रयोग किया जाएगा।

स्वच्छ भारत कोष

केंद्र सरकार सभी कर योग्य सेवाओं पर दो प्रतिशत का **स्वच्छ भारत उपकर** लगा सकती है, जो अधिसूचित किए जाने की बाद लागू होगा। उससे प्राप्त राशि का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान में किया जाएगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम के तहत लिग्नाइट व पीट कोयले पर लगने वाले **स्वच्छ ऊर्जा उपकर** को 100 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 300 रुपये प्रति टन किया जाएगा। इथिलीन के पॉलिमर के बैगों पर एक्साइज ड्यूटी 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

जनधन, आधार और मोबाईल (जैम)

जनधन योजना, आधार और मोबाइल के सहयोग से गरीब और वंचित वर्गों तक अनुदान आदि सुविधाएं भ्रष्टाचारमुक्त ढंग से और लक्षित तरीके से पहुंचाने का प्रस्ताव है। दिसंबर, 2014 तक 72 करोड़ नागरिकों का आधार कार्ड में पंजीयन हुआ था। दिसंबर 2015 तक इसके एक अरब तक पहुंचने की आशा है। **आधार को बैंक एकाउंट से जोड़ना** इसका प्रमुख बिंदु है। दिसंबर 2014 तक एक करोड़ बैंक एकाउंट आधार से जुड़ चुके हैं। जन धन योजना के बाद इसमें काफी वृद्धि होगी। 9.75 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी सीधे उनके एकाउंट में दिए गए हैं।

90 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए **मोबाइल मनी** एक व्यवस्था देगी जिसके तहत उन्हें सीधा लाभ दिया जा सकेगा। अनेक मोबाइल सेवाप्रदाता कंपनियों ने पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इससे मोबाइल मनी **आधार कार्ड आधारित नक़द अनुदान** के भुगतान के लिए सर्वोत्तम माध्यम है।

औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार देश भर में फैले सभी गांवों में मौजूद 1,54,000 स्थानों पर विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करेगी। डाक विभाग का 89.76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसके लिए डाक विभाग को भुगतान बैंक का लाइसेंस और आईएफएससी कोड लेना होगा। इससे वे आधार कार्ड के साथ जुड़ सकेंगे।

सहकारी संघवाद: राज्यों को संसाधनों का वर्षवार हस्तांतरण

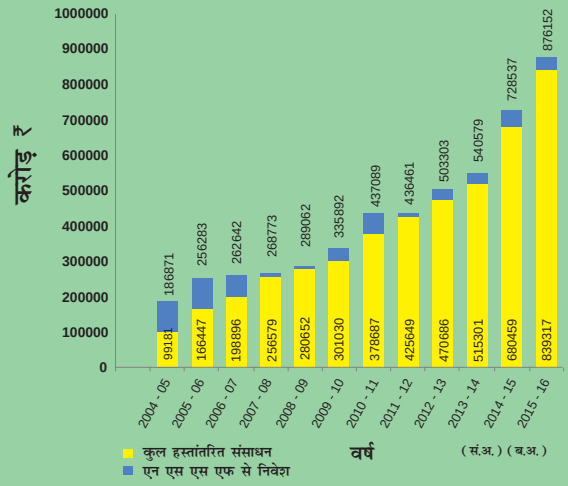

राज्यों को हस्तांतरित राजस्व में क्रमिक उछाल

राज्यों को हस्तांतरित संसाधनों के संघटन में पूर्ण बदलाव

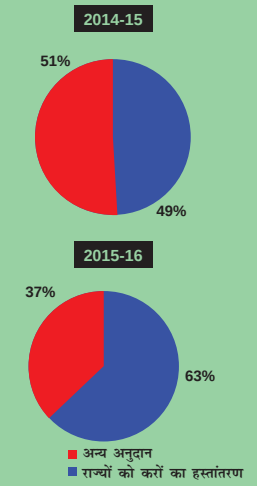

स्रोत: www.finmjn.nic.in/subkabudget/

क्या आप जानते हैं?

सिबिल स्कोर

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) का गठन अगस्त 2000 में हुआ। सिबिल भारत की पहली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सीआईसी) है, जिसका गठन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किया गया। सिबिल ऋणदाताओं (लोन प्रोवाइडर्स) को सुचारू रूप से व्यापार करने और उपभोक्ताओं को बेहतर और तेजी से क्रेडिट सुरक्षा मुहैया कराने में मदद करती है।

सिबिल किसी व्यक्ति विशेष के लोन और क्रेडिट कार्ड से संबंधित रिकॉर्ड जुटाने और उन्हें संभालने का काम करता है। सदस्य बैंक और क्रेडिट संस्थाएं हर महीने सिबिल के पास अपने आंकड़े जमा कराते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (सीआईआर) और क्रेडिट स्कोर बनाने में किया जाता है, जिसे लोन प्रदाताओं को दिया जाता है ताकि वो किसी लोन आवेदन के बारे में बेहतर मूल्यांकन कर सकें और लोन को मंजूरी दे सकें। सिबिल किसी रिकॉर्ड को मिटा या हटा नहीं सकता है। सिबिल गुड क्रेडिट और बैड क्रेडिट जैसी कोई लिस्ट भी नहीं बनाता है। क्रेडिट स्कोर किसी भी लोन प्रदाता पर पहला प्रभाव डालने का काम करता है। जितना बेहतर क्रेडिट स्कोर होता है, लोन मिलने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है।

सिबिल स्कोर को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर का 35 फीसदी वहन कर रहे हों और आपके सभी लोन और बकाया बिल चुकाए दिए गए हों। किसी देनदारी में छोटी की कमी आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आप जितना लोन चाह रहे होते हैं, उसका 30 फीसदी आपके स्कोर पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा आपकी कुल क्रेडिट सीमा और इस्तेमाल की जाने वाली रकम भी दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना आपके क्रेडिट स्कोर के लिए 15 फीसदी महत्व रखता है। अगर आप सही वक्त पर लोन चुका देते हैं तो यह आपके क्रेडिट स्कोर पर सकरात्मक प्रभाव डालता है। क्रेडिट स्कोर के लिए एक महत्वपूर्ण कारक वो राशि भी है, जिसके लिए आप नए लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपके अतीत में लिए लोन और लोन चुकाने की क्षमता के बारे में कई बैंकों की छानबीन भी आपके क्रेडिट स्कोर पर नकरात्मक प्रभाव डाल सकती है।

एक ही तरह का लोन लेने की तुलना में सुरक्षित लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों का ही होना आपको बेहतर क्रेडिट स्कोर दिलाने में मदद करता है। ऐसा करने से आपके स्कोर पर 10 फीसदी का प्रभाव पड़ता है। क्रेडिट स्कोर की रेंज 300 से लेकर 900 तक होती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 है, तो बेहतर क्रेडिट प्रबंध माना जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 92 फीसदी लोगों को क्रेडिट स्कोर और ऋण न चुका पाने के प्रभाव के बारे में पता ही नहीं था। इस तरह से ऋण के बारे में जागरूकता को लेकर भारत में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। ❑

माइक्रोबायोम

दुनिया को माइक्रोबायोम से अवगत कराने का काम जोशुओ लेडरबर्ग ने किया। माइक्रोबायोम का संबंध पर्यावरण समुदाय के सहजीवी, सहभोगी और रोगजनक सूक्ष्मजीवों से है, जो हमारे शरीर के कई हिस्सों मुंह की लार, पेट, त्वचा के ऊपरी और अंदरूनी हिस्से, आंखों और स्तन की ग्रंथियों में पाए जाते हैं।

ये रोगाणुओं से जुड़े माइक्रोबायोम हमारे शरीर में फायदेमंद तरीके से काम करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बेहतर होते हैं। ये जीवाणु प्रजातिगत रूप से जटिल और चयापचयी रूप से विविध होते हैं।

कार्बोहाइड्रेट से खाना पचाने और ऊर्जा पैदा करने के लिए इन जीवाणुओं की जरूरत होती है। क्योंकि फरमंटेशन और अबजोर्पशन प्रक्रिया के दौरान खाना हमारी आंत के ऊपरी हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स को पचा नहीं पाता है।

खाने और पीने से शरीर में दाखिल होने वाले वायरस, बैक्टीरिया, जीव विष, फंफूदी, आक्रमणकारी जीवाणुओं से माइक्रोबायोम शरीर का बचाव करते हैं।

ये पोषण तत्वों को संश्लेषित करते हैं और विटामिन बी-1, बी-2, बी-3, बी-6, बी-बी12, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन के-2 की कृत्रिम मिलावट और बाइल एसिड, ज़ेनोबायोटिक्स की रस प्रक्रिया में लगातार शामिल रहते हैं।

ये फायदेमंद सूक्ष्मजीव आंत के करीब पीएच को भी घटाते हैं। ऐसे में नुकसानदायक जीवाणुओं से लड़ कर ये शरीर और आंत का बचाव करते हैं।

मानव शरीर में माइक्रोबायोम की संख्या शरीर में पहले से मौजूद 100 ट्रिलियन से ज्यादा सूक्ष्मजीवों से भी अधिक होती है। शरीर में मानव कोशिकाओं से दस गुना ज्यादा रोगाणु कोशिकाएं होती हैं। हालांकि माइक्रोबायोम का कुल वजन 200 ग्राम ही होता है।

अगर असाधारण रूप से वृद्धि नहीं हो रही है तो आमतौर पर ये माइक्रोबायोटा रोगजनक नहीं होते हैं। ये सहजीवी सामंजस्य बनाए रखने के साथ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले ज्यादातर सूक्ष्मकीटाणु बैक्टीरिया नहीं होते हैं। बल्कि ये एकल अणु जीव आर्किया (Archaed) से जुड़े होते हैं।

एक सर्वे के मुताबिक, शरीर के किसी खास हिस्से में अलग तरह के सूक्ष्मजीवाणु एक ही जैसा काम अलग-अलग व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दो लोगों की जीभ पर दो अलग-अलग तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं।

ये सूक्ष्मजीव एक ही तरीके से चीनी को विभाजित करने का काम कर सकते हैं। ज्यादातर सूक्ष्मजीवों की डीएनए की आधुनिक तकनीकों की मदद से बहुत बार रिसर्च की जा चुकी है, जिसमें से ज्यादातर को मौजूदा तकनीक की मदद से लैब में अनुक्रमित नहीं किया जा सकता है। ❑

प्रस्तुति: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल: vchandra.iis2014@gmail.com

उदारीकरण के दौर में रोजगार व योजनाएं

अजीत झा

1991 को आज़ाद भारत के 68 वर्षीय इतिहास में आर्थिक विभाजन के वर्ष के रूप में देखा जा सकता है। इस विभाजन ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। कहीं-न-कहीं 70 और 80 के दशक में प्रभावी समाजवाद और साम्यवाद को 1991 में बाज़ारवादी नीतियों से बदल दिया गया। देश एक नई आर्थिक नीति के रूप में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर अग्रसर हो रहा था। एक तरफ साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने इस नीति को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की गोद में बैठना करार दिया था, वहीं उदारीकरण के समर्थक इसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहे थे

90 का दशक ऐसा दौर था, जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरह की अनिश्चितताओं से गुज़र रही थी। देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता, राजकोषीय घाटा और खाड़ी देशों में चल रहे संकट से भुगतान असंतुलन की समस्या गंभीर हो चुकी थी। मुद्रास्फीति की समस्या ने अर्थव्यवस्था की नींव को हिला कर रख दिया था, जबकि प्रमुख रूप से 7वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की दर और अनाज़ उत्पादन अपने लक्ष्य से कहीं ज़्यादा था लेकिन मुद्रा के असंतुलन और इससे जनित भुगतान असंतुलन ने देश को एक नई दिशा में मुड़ने को विवश कर दिया था। जिसे 1991 में 'नई आर्थिक नीति' का नाम दिया गया। इसके तहत बाज़ार को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया, पहले से चले आ रहे लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया और उद्योग से संबंधित कई नियमों को सरल बना दिया गया। आज भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समानता के आधार पर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 1991 में आरंभ की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने उदारीकरण के माध्यम से एक निवेश के अनुकूल परिवेश प्रदान किया। आज भारत को आज़ाद हुए 68 साल हो चुके हैं और इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा में ज़बरदस्त बदलाव आया है। औद्योगिक विकास ने अर्थव्यवस्था का मूलभूत स्वरूप ही बदल दिया है। आज के समय में विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है।

रोज़गार की स्थिति : लोगों का मानना है कि जहां एक ओर उदारीकरण के दौर में सकल घरेलू उत्पाद की दर औसतन 6 फीसदी से ज़्यादा रही है, वहीं रोज़गार की दर में लगातार गिरावट आई है, जिसे 'रोज़गार रहित विकास' के रूप में भी जाना जाता है।

उदारीकरण की नीतियों का नुक़सान इस बात से लगाया जा सकता है, कि 1993-94 में वर्तमान दैनिक स्थिति (CDS) के आधार

आकृति 1: रोज़गार और बेरोज़गारी की वृद्धिदर (%)

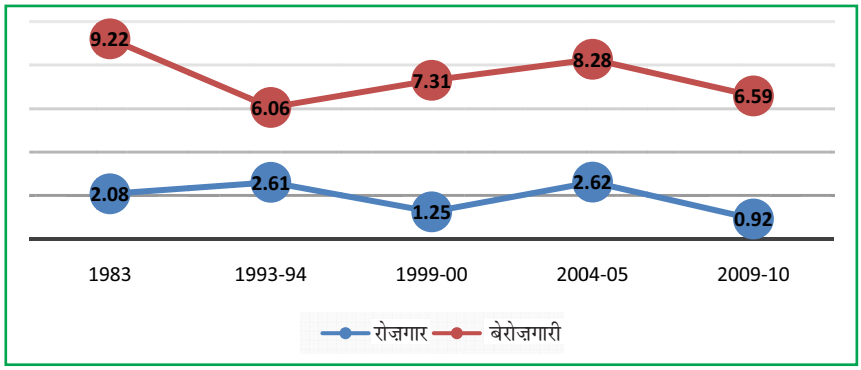

लेखक वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पी. एच. डी कर रहे हैं। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण संगठनों जैसे एनसीएईआर, आईएसआईडी, एसओएएस, आईएचडी के साथ कार्य किया है। ईमेल: ajitjha.jnu@gmail.com

पर जो बेरोज़गारी की दर 6.06 प्रतिशत थी, वो 1999-2000 में बढ़कर 7.31 प्रतिशत और 2004-05 में 8.28 प्रतिशत तक पहुंच गई। यद्यपि, बेरोज़गारी की दर में वर्ष 2004-05 से 2009-10 के बीच कुछ कमी आई है (आकृति-1), लेकिन तालिका-1 के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच रोज़गार की दर सिर्फ 0.4 प्रतिशत रही है, जो कि 2.1 प्रतिशत की पहले की दर से कहीं कम है। पपोला और साहू (2012) के अनुसार भी 1993-94 और 2009-10 के बीच रोज़गार की औसत वृद्धिदर 1.65 से ज़्यादा नहीं थी।

उदारीकरण के इस दौर में बड़े-उद्योग धंधों के आने से विदेशी मुद्रा का भंडार तो बढ़ा है, लेकिन छोटे उद्योग-धंधों वाले कामगारों को इससे फायदे के बजाए नुक़सान ही हुआ है। हाल के समय में उद्योगों में विनिर्माण, बिजली और निर्माण क्षेत्र अग्रणी रहे हैं। तालिका-2 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार का हिस्सा 2009-10 में 11 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 13 प्रतिशत हो गया है, वहीं बिजली और निर्माण क्षेत्र का हिस्सा भी क्रमशः 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 0.5 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है लेकिन वृद्धिदर के आधार पर सिर्फ निर्माण क्षेत्र में 2004-05 से 2011-12 के बीच 9 फीसदी की वृद्धि दर्ज़ की गई है। जबकि सेवाक्षेत्र में रोज़गार की बात करें, तो इसमें मोटे तौर पर व्यापार और वाणिज्य की हिस्सेदारी बढ़ी है (तालिका-2) लेकिन वृद्धिदर के आधार पर लोक-प्रशासन और सामुदायिक सेवा को छोड़कर और सभी सेवा क्षेत्रों में रोज़गार की दर में कमी आई है।

तालिका 1: विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार वृद्धिदर (प्रतिशत में)

क्षेत्रक	83-93 से 93-94	93-94 से 11-12	93-94 से 04-05	04-05 से 11-12
कृषि	1.4	-0.3	0.8	-2
खनन और उत्खनन	4.1	0	0.1	-0.3
विनिर्माण	2.9	1.9	2.7	1.1
बिजली, गैस और जलापूर्ति	5	3.3	-0.9	10
निर्माण	5.9	8.2	7.9	9.8
व्यापार, होटल और रेस्तरां	4.1	2.9	4.4	1.1
परिवहन, भंडारण, संचार	3.5	4.4	5.7	3.3
फाइनेंसिंग, बीमा, प्रॉपर्टी	7.2	4.4	7.5	0.7
लोक प्रशासन व सामुदायिक सेवा	2.4	2.6	2.5	3.1
कुल	2.1	1.3	2.1	0.4

स्रोतः रोज़गार व बेरोज़गारी पर विभिन्न चरणों के एनएसएस सर्वेक्षण के आधार पर परिकलित

तालिका 2: कुल रोज़गार में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा (प्रतिशत में)

क्षेत्रक	1993-94	1999-00	2004-05	2009-10	2011-12
कृषि*	63.96	59.90	56.59	53.14	47.82
खनन और उत्खनन	0.70	0.55	0.57	0.61	0.55
विनिर्माण	11.44	11.11	12.20	10.99	12.77
बिजली, गैस और जलापूर्ति	0.38	0.28	0.28	0.30	0.53
निर्माण	3.25	4.41	5.68	9.60	10.59
उद्योग	15.76	16.36	18.73	21.50	24.44
व्यापार, होटल और रेस्तरां	8.65	10.41	10.82	10.79	11.35
परिवहन, भंडारण और संचार	2.85	3.68	4.04	4.29	4.94
फाइनेंसिंग, बीमा, रीयल एस्टेट	1.02	1.23	1.70	2.09	1.72
लोकप्रशासन व सामुदायिक सेवा	7.76	8.42	8.11	8.18	9.74
सेवाएं	20.27	23.74	24.68	25.35	27.75
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन

स्रोतः उपरोक्त

औद्योगिक विकास के बावजूद इन 68 सालों में एक तथ्य जो नहीं बदला है, वह ये है कि आज भी भारत के 48 फीसदी लोग रोज़ी-रोटी के लिए कृषि और कृषि आधारित कामों पर निर्भर हैं। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विस्तार की बदौलत भारत में विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ तो रही है, लेकिन अभी भी इसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। भारत में कई जगहों में आज भी सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत ज़रूरतों की कमी है। इन मूलभूत ज़रूरतों के अभाव में उद्योग और सेवा क्षेत्र में जारी यह विकास इतनी ही गति से कितने दिनों तक बरकरार रह पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाज़ा तेज गति से दौड़ रहे विकास के घोड़े को अगर लंबी रेस का घोड़ा बनाना है, तो आधारभूत ढांचे, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत ज़रूरतों की सही खुराक सही समय पर इसे देते रहना होगा। इसके साथ ही साथ भारत सरकार को ग्रामीण इलाक़ों में भी रोज़गार के नये अवसर उपलब्ध कराने होंगे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, कृषक मज़दूरों और दिहाड़ी मज़दूरों को रोज़गार के अवसर मुहैया करवाने और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नये अवसर उपलब्ध कराना हर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ऊंची बनी होने के बावजूद भी सरकार अपनी ग्रामीण जनता की ज़रूरत के हिसाब से नये रोज़गार का सृजन नहीं कर पाई है। किसी तरह घिसट-घिसट करके चलने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इलाक़ों के कुटीर और शिल्प उद्योगों का ठप्प पड़ना, घटती खेतिहर आमदनी और मानव-विकास के सूचकांकों से मिलती खस्ताहाली की सूचना– ये सारी बातें एक साथ मिलकर जो माहौल बना रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ग्रामीण इलाक़ों में बेरोज़गारी बढ़ना तो है ही पर उसके साथ ही साथ शहरों की तरफ ग्रामीण जनता का पलायन होना भी एक बड़ी समस्या है। आंकड़ों से ज़ाहिर होता है, कि वांछित लक्ष्य तक पहुंचने की जगह रोज़गार के मामले में हमारी गाड़ी उलटे रास्ते पर लुढ़कने लगी है। फिलहाल केवल 47 फीसदी किसान स्वरोज़गार में लगे हैं और 36 फीसदी से ज़्यादा मज़दूरी करते हैं। इस 36 फीसदी की तादाद का 98 फीसदी दिहाड़ी मज़दूरी के भरोसे है यानी आज

तालिका 3: रोज़गार और गरीबी से जुड़ी प्रमुख केंद्रीय योजनाएं

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष	उद्देश्य	अनुदान एजेंसी	वर्तमान स्थिति
1	जवाहर रोज़गार योजना	1989	ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों के गरीब लोगों को 90 से 100 दिनों का रोज़गार प्रदान करना।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में 2001 में विलय
2	रोज़गार आश्वासन योजना	1993	कृषि कार्य के बाद के समय में रोज़गार के लिए तत्पर लोगों को रोज़गार प्रदान करना।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में 2001 में विलय
3	प्रधानमंत्री रोज़गार योजना	1993	10 लाख शिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार का अवसर प्रदान करना।	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2008 के बाद से प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम में विलय
4	ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम	1995	ग्रामीण क्षेत्र और छोटे से शहर में स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करना।	सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय	2008 के बाद से प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम में विलय
5	स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना	1997	शहरी बेरोज़गार और प्रछन्न बेरोज़गार को लाभदायक रोज़गार उपलब्ध कराना।	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित
6	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना	1999	ग्रामीण इलाक़ों में लोगों को सतत स्वरोज़गार का अवसर प्रदान करना था।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में नाम
7	संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना	2001	ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त कमाई रोज़गार एवं खाद्य सुरक्षा देना।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित
8	काम के बदले अनाज़ कार्यक्रम	2004	अनुपूरक मज़दूरी रोज़गार हेतु भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से 150 में शुरू किया गया।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	मनरेगा के भीतर सम्मिलित
9	मनरेगा	2006	मज़दूरी के लिए 100 दिनों की कानूनी गारंटी प्रदान करना।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	कार्यरत
10	प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम	2008	पारंपरिक कारीगरों, देश में ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं को सतत और स्थाई रोज़गार	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	कार्यरत
11	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2001	गांवों में स्वरोज़गार के अवसर को पैदा कर गरीबी हटाना।	ग्रामीण विकास मंत्रालय	कार्यरत
12	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	2013	शहरी परिवारों को लाभप्रद स्वरोज़गार तथा कुशल मज़दूरी का अवसर प्रदान करना।	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	कार्यरत

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी गरीबी उपशमन एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार

काम मिला तो ठीक वरना आसरा कल मिलने वाले काम पर टिका है। इसलिए भारत सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर नित नये प्रयास करते रहने होंगे।

रोज़गार संबंधित योजनाएं : कीनेसियन सिद्धांत (Keynes's theory of employment) के अनुसार 'पूर्ण रोज़गार' किसी भी अर्थव्यवस्था में एक सामान्य स्थिति नहीं होती है, अर्थव्यवस्था में हमेशा बेरोज़गारी के कुछ स्तर मौजूद होते हैं। जो श्रम और श्रम की आपूर्ति के लिए मांग के बीच असंतुलन की वज़ह से पैदा होता है। एक विकसित देश में बेरोज़गारी की समस्या सामान्यतय: प्रतिरोधात्मक होती है, वहीं विकासशील देशों में गरीबी और इससे जुड़ी बेरोज़गारी के कई रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक विकासशील देश की ज़्यादातर समस्या संरचनात्मक बेरोज़गारी, छुपी बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी की होती है। भारत में भी गरीबी और बेरोज़गारी (जो समस्या रूपी दो बहनें हैं) की समस्या योजना के प्रथम वर्ष से ही बनी हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, उस समय बेरोज़गारी का मुख्य कारण तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, पुराने और परंपरागत उद्योगों का नष्ट हो जाना, बंटवारे के कारण एक बड़े समूह का पलायन और कृषि के अलावा और किसी क्षेत्र का विकसित नहीं होना रहा था। 80 और 90 के दशकों में जहां गरीबी की दर में कमी आई, वहीं बेरोज़गारी की प्रकृति और रोज़गार संबंधी नीतियों में भी बदलाव आया। उदारीकरण के इस दौर में केंद्र और राज्य सरकारों के द्व ारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने को लेकर सामान्तय: 'मांग संचालित', 'संपत्ति सृजन' और 'स्वरोज़गार' से संबंधित कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने लाभदायक और कौशल पूर्ण रोज़गार को लेकर कई नई नीतियों का निर्माण किया है।

ऐसा देखा जाता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर कृषि और इससे जुड़ी छुपी बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी की समस्याएं होती हैं। अत: इन क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने को लेकर केंद्र सरकार ने वर्ष 1989 में 'जवाहर रोज़गार योजना' और 1993 में 'रोज़गार आश्वासन योजना' नामक दो प्रमुख योजनाएं चलाई। जवाहर रोज़गार योजना जिसे 2001 के बाद संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में विलय कर दिया गया, का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए प्रतिवर्ष 90-100 दिन का रोज़गार प्रदान करना था। वहीं रोज़गार आश्वासन योजना वैसे लोगों को रोज़गार प्रदान करती थी, जो कृषि कार्य के बाद के समय में रोज़गार के लिए तत्पर थे। बाद के वर्षों में इसे भी संपूर्ण रोज़गार योजना में विलय कर दिया गया (देखें तालिका-3)।

उदारीकरण के शुरुआती दौर में श्रमशक्ति की बढ़ती दर को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उदेश्य से वर्ष 1993 और वर्ष 1995 में क्रमश: 'प्रधानमंत्री रोज़गार योजना' और 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम'

आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री रोज़गार योजना का लक्ष्य वाणिज्य, सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में कम से कम 7 लाख लघु उपक्रम शुरू करना था। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख शिक्षित युवाओं को रोज़गार प्रदान करना था। वहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004 तक 22.75 लाख रोज़गार और क़रीब 1,86,252 परियोजनाओं को खादी ग्रामोद्योग संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2008 में 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दोनों योजनाओं को मिलाकर 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को सतत और स्थाई रोज़गार प्रदान करने हेतु पारंपरिक और लघु उद्यमों की स्थापना पर बल देना था। आंकडों के अनुसार 11 वीं योजना के अंत तक इस योजना के तहत 1.64 लाख नये उद्यम और 16.06 लाख नये रोज़गार के अवसर उपलब्ध हुए।

केंद्रीय बजट, 2015-16 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 के अंत तक 2.91 लाख लघु उद्यम और 25.52 लाख नये रोज़गारों का सृजन हुआ है। व्यय बजट, 2015-16 के अनुसार इस योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये की केंद्रीय परिव्यय की राशि तय की गई है। हालंकि वर्ष दर वर्ष वृद्धि के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में योजना के लिए निर्धारित राशि में कमी आई है (तालिका-4), जिसका एक मुख्य कारण नई सरकार द्वारा नये उद्यम के विकास हेतु MUDRA नामक संस्था की स्थापना हो सकता है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 20000 करोड़ रुपये की राशि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता हेतु आवंटित की गई है।

इसी तरह वर्ष 1997 और 1999 में केंद्र सरकार ने 'स्वर्णजयंती शहरी रोज़गार योजना' और 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना' को चलाया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा करना था। वर्ष 2011 में 'ग्राम स्वरोज़गार योजना' को 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' और वर्ष 2013 में 'शहरी रोज़गार योजना' को 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' में विलय कर दिया गया है। केंद्रीय व्यय बजट के अनुसार वर्ष 2015-16 में 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के लिए 510 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

ग्रामीण विकास से जुड़ा 'ग्रामीण आजीविका मिशन', पहले से चले आ रहे 'ग्राम स्वरोज़गार योजना' को और सुलभ और सुगम बनाने के क्षेत्र में एक नया आयाम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण इलाक़ों में एक सतत आजीविका और आय की व्यवस्था हेतु 'ग्राम स्वरोज़गार योजना' को पुर्नगठित कर 'राष्ट्रीय आजीविका मिशन' योजना चलाई गई है। समावेशी दृष्टिकोण और सामाजिक समावेश (जिसका मूल मंत्र 'सबका साथ सबका विकास' के रूप में नई सरकार ने भी दिया है) को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत यह तय किया गया है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और शारीरिक रूप से विकलांग परिवारों के कम से कम एक सदस्य को स्वयं सहायता समूह (SHGs) से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ महिला विकास और उद्यामिकरण को ध्यान में रखते हुए नियमित गोष्ठी, नियमित बचत, उधार लेन-देन, समय पर भुगतान और बचत खाते की नियमित व्यवस्था नामक एक पंचसूत्र की भी व्यवस्था इस योजना में की गई है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अगले 8-10 वर्षों के अंदर क़रीब 7 करोड़ गरीब परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। जिसके अंतर्गत क़रीब 600 जिलों, 6000 तालुकाओं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तथा 6 लाख ग्रामों तक इस योजना को ले जाने का लक्ष्य है। केंद्रीय व्यय बजट के अनुसार इसके लिए 2505 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है, जोकि कुल ग्रामीण परियोजना परिव्यय का 3.5 प्रतिशत है (आकृति-2)।

सामजिक आर्थिक और तक़नीकी कुशलता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण महिला किसानों के लिए एक 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना' की व्यवस्था भी इस बजट में की गई है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं के कौशल विकास के लिए एक 'ग्रामीण रोज़गार प्रशिक्षण केंद्र' बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इसी तरह जम्मू और कश्मीर राज्य में 'हिमायत' नामक कौशल योजना चलाने का प्रावधान भी किया गया है, जिसके अंतर्गत शहरी

तालिका 4: प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम पर केंद्रीय योजना परिव्यय

वर्ष	संख्या#	वार्षिक वृद्धि*
2004-05®	448.0	-
2005-06®	566.6	26.5
2006-07®	627.0	10.7
2007-08®	688.5	9.8
2008-09®	823.0	19.5
2009-10A	823.0	0.0
2010-11(A)	906.0	10.1
2011-12(A)	1037.0	14.5
2012-13(A)	1276.0	23.0
2013-14(A)	1418.0	11.1
2014-15®	1418.0	0.0
2015-16(B)	1050.0	-26.0

स्रोत : व्यय बजट, खंड -1, वित्त मंत्रालय
*#करोड़ रुपये, *प्रतिशत*

आकृति 2: मनरेगा और ग्रामीण आजीविका पर कुल ग्रामीण परिव्यय (प्रतिशत में)

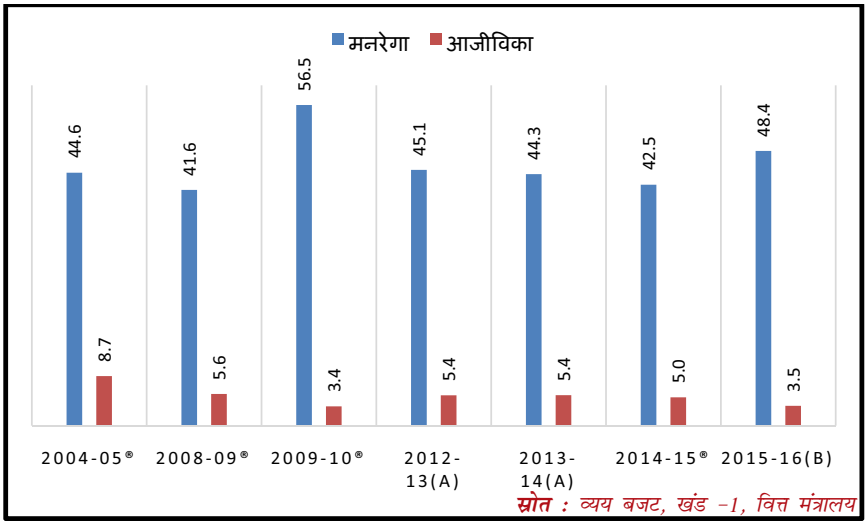

स्रोत : व्यय बजट, खंड -1, वित्त मंत्रालय

गरीब लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

उदारीकरण के इसी दौर में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था, कि ग्रामीण इलाक़ों में रोज़गार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यत: इन बेरोज़गारों में कृषक मज़दूरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बड़ी संख्या में ये खेतिहर मज़दूर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी प्रदेशों से रोज़गार के तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाने को विवश थे। सेवाक्षेत्र का बढ़ता आयाम इन गरीब मज़दूरों की पहुंच से कहीं दूर था। अत: ग्रामीण इलाक़ों में अतिरिक्त मज़दूरी रोज़गार पैदा करने के उदेश्य से वर्ष 2001 में 'संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना' शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मज़दूरों के लिए अकुशल मज़दूरी रोज़गार की व्यवस्था करना था।

वर्ष 2006 में नई सरकार ने 'राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा)' पारित किया जिसमें 'संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना' का विलय कर दिया गया। वर्तमान में इस योजना को (2009 के बाद) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार अधिनियम (मनरेगा) के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन का अकुशल मज़दूरी रोज़गार मुहैय्या कराना है। आंकड़ों के अनुसार अब तक क़रीब 62.57 करोड़ मज़दूरों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिसमें 23.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 15.4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 55.6 प्रतिशत महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। राष्ट्रीय रोज़गार कार्यक्रम का सही लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के क्रम में सरकार ने इसे *आधार* योजना के द्वारा प्रत्यक्ष नक़द हस्तांतरण योजना से जोड़ने का काम लगभग 300 जिलों में पूरा कर लिया है। तालिका 5 के अनुसार वर्ष 2015-16 में कुल परियोजना व्यय का 6 प्रतिशत और कुल ग्रामीण परियोजना व्यय का 48.4 प्रतिशत राशि इस योजना के लिए आवंटित की गई है। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में कुल परियोजना व्यय का हिस्सा कम हुआ है, लेकिन वर्ष 2013-14 के तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। साथ ही मनरेगा को संपत्ति सृजन और कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। उदारहण के तौर पर इस वर्ष से केंद्र सरकार ने 'कौशल विकास योजना' की शुरुआत की है, जिसका मुख्य लक्ष्य कौशल विकास में वृद्धि और उद्यमीकरण

तालिका 5: ग्रामीण रोज़गार और विकास पर केंद्रीय योजना परिव्यय (₹ करोड़ में)

वर्ष	मनरेगा		आजीविका		ग्रामीण विकास पर कुल परिव्यय		कुल योजना परिव्यय
	संख्या	प्रतिशत (1/7)	संख्या	प्रतिशत (1/7)	संख्या	प्रतिशत (1/7)	
2004-05®	5100.0	3.4	1,000.0	0.7	11,437.4	7.6	1,50,818.2
2005-06®	10000.0	4.9	862.0	0.4	18,334.0	8.9	2,05,338.2
2006-07®	12870.0	5.3	1,200.0	0.5	24,025.6	9.8	2,44,229.3
2007-08®	14800.0	5.1	1,800.0	0.6	32,000.0	10.9	2,92,337.0
2008-09®	16000.0	4.1	2,150.0	0.6	38,500.0	9.9	3,88,077.9
2009-10®	39100.0	9.2	2,350.0	0.6	69,170.0	16.3	4,25,590.1
2010-11(A)	40100.0	8.6	2,984.0	0.6	76,100.0	16.4	4,64,316.1
2011-12(A)	40000.0	7.9	2,914.0	0.6	74,100.0	14.6	5,08,596.1
2012-13(A)	33000.0	6.6	3,915.0	0.8	73,175.0	14.7	4,98,476.0
2013-14(A)	33000.0	5.5	4,000.0	0.7	74,429.0	12.3	6,03,573.4
2014-15®	34000.0	8.0	4,000.0	0.9	80,043.0	18.8	4,26,811.0
2015-16(B)	34699.0	6.0	2,505.0	0.4	71,642.0	12.4	5,78,381.7

स्रोत : व्यय बजट, खंड -1, वित्त मंत्रालय

कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। इस योजना के संचालन हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था वर्ष 2015-16 के केंद्रीय परियोजना व्यय में की गई है। इसके अतिरिक्त कुशल विकास और सामाजिक समरसता को नई योजनाओं में प्रमुखता से बल दिया गया है। उदारहण के तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले 49 करोड़ असंगठित मज़दूरों के लिए 'रिकोगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL)' के तहत कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

निष्कर्ष : ये बातें लगभग स्पष्ट है कि, विकास की दर रोज़गार की दर से अलग रही है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था रोज़गार रहित विकास से गुजर रही है जैसा की कई अर्थशास्त्रियों के लेखन और आंकड़ों से जान पड़ता है। संगठित क्षेत्रों में रोज़गार की दर लगातार कम होती जा रही है। जो भी नये रोज़गार सृजन हुए हैं, उनमें भी असंगठित रोज़गार ही ज़्यादा है। विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर 1991 के बाद बहुत ही कम हो गए हैं। सेवाक्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर बहुत कम रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि विनिर्माण के क्षेत्र में, जिस पर नई सरकार का बहुत बल है, ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर संचालित तक़नीकी पर ध्यान दिया जाए। ऐसा अनुमान है, कि आगामी सन 2020 तक भारत निर्माण के क्षेत्र में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार होगा। अत: हमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे मज़दूरों को उचित 'कौशल विकास व्यवस्था' और 'सामजिक सुरक्षा योजना' से जोड़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में केंद्र सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बना रही हैं, जिसके तहत इन मज़दूरों को यूनिक अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान किया जा रहा है। अभी के समय में मुख्यत: पांच बिदुओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है :

- आर्थिक और आधारभूत संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट में ग्रामीण विकास के लिए आरआईडीएफ कोष में दी गई राशि का सही तरीके से उपयोग किया जाए।
- मज़दूर संचालित तक़नीकी पर ज़्यादा बल दिए जाने की ज़रूरत है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। केंद्र द्वारा हाल में घोषित 'प्रधानमंत्री मुद्रा कोष' का इस्तेमाल कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवसाय को बढ़ावा देकर नये उद्यमी तैयार किया जा सकते हैं, जो स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के साथ रोज़गार सृजन में सहायक हों।
- शिक्षा और इससे जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर प्रमुखता से बल देने की ज़रूरत है।
- सरकारी योजनाओं को और ज़्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाए जाने की ज़रूरत है।
- सामजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विषमता कम करने पर बल देना होगा, ताकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। ❑

IAS

सम्पूर्ण, समर्पित, अनुभवी एवं सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की स्थायी टीम...

PCS

अशोक सिंह, अभय कुमार, राजेश मिश्रा, आर. कुमार, प्रो. पुष्पेश पंत, प्रो. माजिद हुसैन, मणिकांत सिंह

दीपक कुमार

वी. के. त्रिवेदी

प्रो. माजिद हुसैन सर को सम्मानित करते हुए नीरज सिंह (MD) एवं दिव्यसेन सिंह

सुबोध मिश्रा
(Aastha IAS)

पंकज मिश्रा
(Aastha IAS)

Our Programme

1. GS हिन्दी माध्यम, GS English Medium, CSAT हिन्दी/English Med.
2. Class Room Test Series (Hindi/Eng. Pre+Mains) Online Test.
4. पत्राचार कार्यक्रम (Correspondence Course)
5. VSAT Centres:- Gorakhpur, Jaipur, Varanasi, Jaunpur, Patna, Ranchi, Raipur, Barelly. (Operational Soon...)
6. Open Seminar How to Crack IAS Exam jaipur, Patna
7. साक्षात्कार मार्गदर्शन (Interview Guidance), (इलाहाबाद में मुख्य परीक्षा) परिणाम के तुरंत बाद...

Features:

- एक ऐसी संस्था जो कक्षा के साथ भी कक्षा के बाद आपके साथ।
- Team GSI & GS World एक संतुलित समर्पित एवं एकजुट होकर काम करने में तथा पढ़ाने में विश्वास करने वाली टीम है न कि दिखावे एवं रणनीति में।
- विस्तृत एवं समयबद्ध Course समापन, नियमित जाँच, सफल छात्रों समय समय पर मार्गदर्शन।
- सामान्य अध्ययन मुख्य एवं प्रारम्भिक परीक्षा के लिए उपयोगी अद्यतन प्रिंटेड अध्ययन समग्री तथा समसामयिकी के लिए पत्रिका जो हमारी छात्रों की तैयारी के प्रति गम्भीरता का सूचक है।
- मुख्य एवं प्रारम्भिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए Revision Classes.

Delhi Centre

सामान्य अध्ययन

28 फरवरी फाउंडेशन बैच

12 मार्च Pre. Exclusive Batch

GSI GS INSTITUTE & **GS World**

Face to Face Centres • Delhi • Allahabad • Indore

Allahabad Centre

सामान्य अध्ययन

23 फरवरी फाउंडेशन बैच

16 मार्च Pre. Exclusive Batch

For Enquiry Allahabad Centre:- Ph:. 08726027579

Head Office:- 705, IIND FLOOR, MUKHERJEE NAGAR, MAIN ROAD OPP. BATRA CINEMA, DELHI-9

Ph:. 011- 27658013, 7042772062/63, 9868365322

Regional Centres:- Allahabad, Indore, Lucknow (Coming Soon...)

YH-346/2014

स्थिर सरकार बनाम मज़बूत इरादे

ज्ञानेंद्र बरतरिया

मौजूदा बजट में कम से कम आधा दर्ज़न बिंदु ऐसे हैं, जिन्हें स्पष्ट तौर पर सरकार के आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जा सकता है। 1980 अथवा अन्य मौकों से विपरीत, मूल्यों के आधार वर्ष में परिवर्तन किए बगैर, इस वर्ष देश के आर्थिक विकास की दर 8 से 8.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद की गई है। यह चीन से आगे रहेगी और लगातार थकते जा रहे चीन की प्रतिस्पर्धा में आने का यह संभवतः सही अवसर भी है

देश का प्रत्येक बजट अपने दौर की राजनैतिक स्थितियों से निर्धारित होता है। जिस राजनैतिक स्थिति में जो सबसे अहम बिंदु होते हैं, उन्हें ठीक ढंग से सुलझाने की चेष्टा करने वाले बजट उल्लेखनीय हो जाते हैं। विकास ऐसा ही एक अहम बिंदु है। यही स्थिति आर्थिक संतुलन की, देश की दीर्घकालिक संभावनाओं की और भविष्य की संकल्पनाओं की होती है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष होता है, उन पहलुओं पर ध्यान देने का, जिनकी अनदेखी लंबे समय से की जाती रही हो, लेकिन देश के लिए वे महत्वपूर्ण हों। बहुत कम बजट इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने का उपकरण बन पाते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दूसरा बजट इसी श्रेणी का एक उदाहरण है।

2015 के बजट की समीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिए कि पूरे तीन दशक बाद यह एक ऐसी सरकार का बजट है, जिसे लोकसभा में अपने बूते भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। बजट सरकार की वृहद आर्थिक नीतियों का एक प्रतिबिंब होता है। और लोकतंत्र की एक प्रणाली जनित स्थिति यह है कि सरकार का आर्थिक चिंतन इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोकसभा में उसे अपने बूते बहुमत हासिल है या नहीं। कैसे?

देश और समाज की, विशेष तौर पर आर्थिक दृष्टिकोण से, हित चिंता करने के सिर्फ दो दृष्टिकोण होते हैं। एक दीर्घकालिक हितों की चिंता करना और दूसरे तात्कालिक हितों की चिंता करना। तमाम आर्थिक नीतियां इस कोष्ठक के भीतर बनती हैं, या बन सकती हैं।

जब देश में तीन दशक बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती है, तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इसका मूल कारण यह होता है कि जिन दीर्घकालिक हितों की लंबे समय से अनदेखी की जा रही होती है, वे नाज़ुक और क्रांतिक मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं। आम तौर पर जब सरकारें जनता के तात्कालिक हितों की चिंता करती हैं, तब वास्तव में वह अपने इस तात्कालिक हित की भी चिंता कर रही होती हैं कि जनता या लोकसभा में मौजूद उसके प्रतिनिधि उससे जरा भी नाराज़ न होने पाएं। इसे और गौर से देखें, तो हित चिंता इस बात की करनी होती है कि कहीं किसी प्रतिनिधि को या दल को सरकार पर भड़कने का, और आम लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का मौका न मिल जाए। सारा गणित इस संतुलन पर निर्भर करता है कि जो भी आमदनी है या हो सकती है, उसमें से कितना उपभोग तुरंत कर लिया जाना है और कितने को भविष्य के लिए बचाकर निवेश में बदलना है। ज़ाहिर है, सरकार की स्थिरता संदिग्ध होने की स्थिति में पहली प्राथमिकता तत्काल उपभोग से लोगों को प्रसन्न रखने की होती है। इससे दीर्घकालिक प्रश्न और गहरे होते जाते हैं।

यह बात समझने योग्य है कि न तो सरकार की स्थिरता का सवाल एक दल को मिले

लेखक अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर करने के बाद गत 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। इस दौरान दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा, जी न्यूज़, इंडिया टीवी आदि प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों व चैनलों में काम कर चुके हैं। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक विषयों पर लिखना इनकी रुचि है। ईमेलः gnbartaria@gmail.com

बहुमत का पर्यायवाची होता है, और न ही ठोस आर्थिक उपायों का सरकार की स्थिरता या बहुमत से कोई सीधा संबंध देखा गया है। जनता पार्टी की सरकार को भी 1977 से 1980 के बीच स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, लेकिन सरकार की स्थिरता लगातार संदिग्ध रही थी, हालांकि जनता पार्टी सरकार की आर्थिक नीतियां अपने दौर के लिहाज़ से ख़राब नहीं मानी जा सकती हैं। इसी प्रकार 1980 से 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को भी बहुमत प्राप्त था लेकिन तब सरकार गंभीर आर्थिक प्रश्नों का भी तात्कालिक समाधान निकालने में ही अधिक रुचि लेती थी। वास्तव में, जब एक दल या एक व्यक्ति के प्रभुत्व के सवाल राजनीति की प्राथमिकता बन जाते हैं, तो सरकार लोगों की वाहवाही लेने को ही अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आप देश के कई राज्यों के बारे में भी देख सकते हैं, जहां एक दल, एक गठबंधन या एक व्यक्ति की सरकार लंबे समय तक चलती रही, लेकिन वह अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लगातार गिरने से नहीं बचा सकी। उदाहरण के लिए बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आज भी देश में आर्थिक पिछड़ेपन के पर्याय बने हुए हैं, हालांकि इन राज्यों में राजनीतिक स्थिरता अपेक्षाकृत बेहतर रही है।

वापस नीति के बिंदु पर लौटें। सतही तौर पर ऐसा लग सकता है कि बहुत ही साहसपूर्ण नीतिगत परिवर्तन चंद्रशेखर की सरकार द्वारा या बाद में पी.वी. नरसिंहराव की सरकार द्वारा किए गए और दोनों ही अल्पमत सरकारें थीं। चंद्रशेखर सरकार तो कामचलाऊ सरकार ही थी लेकिन इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना ज़रूरी है। अगर कोई स्थिति मानना देश के लिए या सरकार के लिए अपरिहार्य हो जाता है, कुछ क़दम मज़बूरी में उठाने पड़ते हैं, तो उस मज़बूरी को सकारात्मक संदर्भ में नीति नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए 1980 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 अरब डॉलर ऋण लिया, और मुद्रा कोष की शर्तें भी स्वीकार कीं। शर्तों का यह अनुपालन ऐच्छिक नीति नहीं, मज़बूरी थी। इसी प्रकार की स्थिति चंद्रशेखर और पी. वी. नरसिंहराव सरकारों के समक्ष बनी थी।

1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में बनी सरकार को लोकसभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त था। पूर्ण बहुमत वाली इस सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि कर प्रणाली को उदार करना और आर्थिक उदारीकरण की दिशा में स्पष्ट ढंग से क़दम बढ़ाना था। इस दौर में भारत की आर्थिक नीतियां संभवत: पहली बार खुल कर समाजवाद के नारों से बाहर आने लगी थीं। आयकर और कारपोरेट आयकर की दरों में भारी कटौती इसका सबसे स्पष्ट लक्षण था। समाजवाद के चरम दिनों में भारत में आयकर की सर्वोच्च दर 97.5 प्रतिशत तक रह चुकी थी। 1984 में कारपोरेट आयकर की शीर्ष दर 65 प्रतिशत थी, जो घटाकर 55 प्रतिशत कर दी गई थी। इसी प्रकार आयकर की शीर्ष दर 1984 में 62 प्रतिशत थी, जो 1985 में घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद राजीव गांधी सरकार के समय बजट और राजकोषीय घाटे में अंधाधुंध वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा भंडार में ज़बरदस्त ह्रास हुआ और मूलभूत आर्थिक सवाल फिर गंभीर रूप लेने लगे। वास्तव में भारत को 1990-1991 में जिस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, वह संकट 1987 से 1989 के बीच पैदा हुआ था, हालांकि उसमें एक पहलू खाड़ी के संकट का और यूरोप में हुए राजनैतिक बदलाव का भी था। 1985-1990 के बीच सकल राजकोषीय घाटा 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया। इसका असर चालू खाते के घाटे पर पड़ा, जो 1990-91 तक सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत और कुल निर्यात का 43.8 प्रतिशत हो गया।

हालांकि स्पष्ट बहुमत की सरकार पर तुरंत कुछ न कुछ कर दिखाने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है, लेकिन ऐसी सरकार सबसे महत्वपूर्ण तौर पर कार्यपालिका को यह आत्मविश्वास देती है कि वह जो भी क़दम उठाने जा रही है, उसमें राजनैतिक जोखिम बहुत कम है। यह महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के अभाव में बनाई गई नीतियां अक्सर कागज़ों में रह जाती हैं, क्योंकि उनके साथ अनिश्चितता जुड़ी होती है।

जब हम अर्थव्यवस्था को आंकड़ों और विशेषकर बजट आंकड़ों की दृष्टि से देखते हैं, तो कई बार गंभीर आर्थिक पक्षों की अनदेखी हो जाती है। उदाहरण के लिए बेरोज़गारी की दर, लोगों की कुशलता में सुधार या वृद्धि की दर, प्रच्छन्न रोज़गार की ज़मीनी स्थिति, शहरीकरण की बढ़ती समस्याएं, बिजली, पीने के पानी, अवसंरचना, आंतरिक व्यापार की स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता की स्थिति, उद्योगों में विकास और उत्पादकता के सवाल, कृषि की विकास और वृद्धि दर, दूसरे देशों से अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना, निर्यात बाज़ार में होड़ आदि। आमतौर पर शायद इन्हें हम आंकड़ों के बजाए दीर्घकालिक समस्याओं के रूप में समझने लगते हैं, जैसे इनके समाधान से आर्थिक नीतियों का कोई विशेष संबंध ही न होता हो। यही वे प्रश्न भी होते हैं, जो संभवत: एक स्पष्ट जनादेश की स्थिर सरकार की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं।

स्पष्ट बहुमत की सरकार इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट बहुमत की सरकार का अर्थ है कि लोकसभा की दलीय स्थिति सरकार पर कोई नया या अनपेक्षित दबाव पैदा करने की स्थिति में नहीं होती है। जहां तक जनता की संभव-असंभव नाराज़गी का सवाल होता है, लोकतंत्र में उसकी चिंता सरकार को हर हाल में करनी ही होती है, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों न हो। लोकतंत्र हर हालत में एक सीमा से ज्यादा दीर्घकालिक चिंतन का निषेध करता है। शायद यही कारण है कि हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पूरे पांच साल का आर्थिक चिंतन या तो हमारे पास नहीं रहा है, या संदिग्ध रूप से ही रहा है।

हालांकि स्पष्ट बहुमत की सरकार पर तुरंत कुछ न कुछ कर दिखाने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है, लेकिन ऐसी सरकार सबसे महत्वपूर्ण तौर पर कार्यपालिका को यह आत्मविश्वास देती है कि वह जो भी क़दम उठाने जा रही है, उसमें राजनैतिक जोखिम बहुत कम है। यह महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के अभाव में बनाई गई नीतियां अक्सर कागज़ों में रह जाती हैं, क्योंकि उनके साथ अनिश्चितता जुड़ी होती है। इस कारण उससे संबद्ध व्यक्ति, प्रणाली और संस्थान नीति को अमल में लाने के बजाए, उसके धराशायी होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर राजनैतिक अनिश्चितता हो, तो महज़ ब्याज़ दरों के ज़रिये आप निवेश को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। निवेशक को लाभ नज़र आ सकता है, लेकिन अनिश्चितता के कारण उसे जोखिम भी नज़र आएगा।

इसके विपरीत स्पष्ट बहुमत के आत्मविश्वास के प्रभाव को आप एक अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं। संभवत: कई दशक बाद पहली बार ऐसा रेल बजट लाया गया, जिसमें कोई नई रेल चलाने की घोषणा करने के बजाए, रेलवे के मौजूदा ढांचे को बेहतर बनाने (या संभालने) को प्राथमिकता दी गई। यही स्थिति रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शुरू करने की है। किसी गठबंधन सरकार या बहुमत के लिए दूसरों की कृपा पर निर्भर सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं रहा होता।

वास्तव में सबसे बड़े रोज़गार नियोक्ता होने की रेलवे की छवि राजनीति के मानस में इस क़दर गहरी बैठी हुई है कि रेलवे मंत्रालय को अक्सर बड़े (और गरीब) राज्यों के नेताओं को संभवत: इस दृष्टि से सौंपा जाता रहा है कि वे विशाल मतदाता वर्ग को संतुष्ट रखने में मददगार हो सकेंगे। नई ट्रेनें ही नहीं, रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के कारखानों आदि को भी इसी 'सबसे बड़े रोज़गार नियोक्ता' होने की दृष्टि से देखा जाता रहा है। परिणाम यह है कि रेलवे प्रतिवर्ष हज़ारों करोड़ रुपये उस कच्चे माल और तैयार वस्तुओं की ढुलाई पर ख़र्च करता है, जो बिना सोचे समझे लगाई गई रेलवे फैक्ट्रियों तक आती जाती हैं। सिर्फ एक स्पष्ट बहुमत की सरकार इस परिपाटी से बाहर निकलने का साहस पूरे आत्मविश्वास से कर सकती थी। अन्यथा एक रेलमंत्री को किस तरह किराया बढ़ाने का प्रावधान रखने पर पद से हाथ धोना पड़ा था– यह पूरे देश ने देखा है।

कार्यपालिका का यह आत्मविश्वास आम बजट में किस तरह परिलक्षित होता है– इसे देखें। सरकार पर गठन के समय से ही बड़ा दबाव विदेशों में जमा काले धन की वापसी को लेकर था। स्थिति यह थी कि इस विषय पर विशेष जांच दल के गठन और पिछली सरकारों द्वारा दूसरे देशों के साथ किए गए गोपनीयता बनाए रखने के समझौतों की विवशता के बावजूद यह विषय सरकार की विश्वसनीयता को नुक़सान पहुंचा रहा था। सरकार ने काले धन को संगीन अपराध करार दिया, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए वर्तमान सत्र में एक नया विधेयक लाने की घोषणा की, विदेशी संपत्ति छिपाने वालों को 10 वर्ष कारावास की सजा और कर एवं संपत्ति को छिपाने वालों पर कर की मौजूदा दर से 300 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा है कि कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून उनके कर प्रस्तावों का पहला और प्रमुख आधार बनेगा।

इसका अर्थ समझने की चेष्टा करें। स्पष्ट बहुमत के अभाव वाली सरकार ऐसा प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती थी। कर भी लेती, तो उसके क्रियान्वयन को लेकर किसी को विश्वास नहीं रहता। ऐसे में न केवल मूल समस्या जस की तस रहती, बल्कि एक घोषणा और एक प्रस्तावित कानून भी अपना अर्थ खो बैठते। इसके विपरीत, यहां वित्तमंत्री ने कहा है कि काले धन के संबंध में वह जो कानून पेश करेंगे, वह उनके कर प्रस्तावों में सबसे अहम होगा। इसी प्रकार सरकार ने एक रुपये के प्रीमियम पर भारी-भरकम जीवन बीमा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तुत की है। जनधन योजना के बाद यह दूसरा बड़ा जनधनकारी उपाय है। इसी का एक अहम पहलू यह है कि सरकार इस बीमा निधि को पूंजी बाज़ार में लगाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि न केवल निवेश क्षेत्र सक्रिय बना रहेगा, बल्कि पूंजी बाज़ार को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार के पास एक और उपकरण भी रहेगा। यह वह आत्मविश्वास है, जिसके बूते कोई सरकार सचमुच काम कर पाती है।

सरकार ने एक रुपये के प्रीमियम पर भारी-भरकम जीवन बीमा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तुत की है। जनधन योजना के बाद यह दूसरा बड़ा जनधनकारी उपाय है। इसी का एक अहम पहलू यह है कि सरकार इस बीमा निधि को पूंजी बाज़ार में लगाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि न केवल निवेश क्षेत्र सक्रिय बना रहेगा, बल्कि पूंजी बाज़ार को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार के पास एक और उपकरण भी रहेगा। यह वह आत्मविश्वास है, जिसके बूते कोई सरकार सचमुच काम कर पाती है।

सरकार का यह आत्मविश्वास जिन पहलुओं में साफ तौर पर झलका है, उनमें दूसरा सबसे अहम पहलू कोयला ख़दानों की और थ्री-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का है। इन दो नीलामियों भर से सरकार को उतनी आमदनी हो सकती है, जितनी पिछले कई वर्ष में मिलाकर भी शायद न हो सकी हो। अब ध्यान कीजिए कि पिछली सरकार के लिए इन्हीं दो वस्तुओं को नीलामी के रास्ते पर न लाना किस तरह अस्तित्व का सवाल बन गया था। स्पष्ट बहुमत के ज़रिये भारत के लोगों ने खुद को इस दयनीयता से उबार लिया है।

मौजूदा बजट में कम से कम आधा दर्जन बिंदु ऐसे हैं, जिन्हें स्पष्ट तौर पर सरकार के आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जा सकता है। 1980 अथवा अन्य मौकों से विपरीत, मूल्यों के आधार वर्ष में परिवर्तन किए बगैर, इस वर्ष देश के आर्थिक विकास की दर 8 से 8.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद की गई है।

यह चीन से आगे रहेगी और लगातार थकते जा रहे चीन की प्रतिस्पर्धा में आने का यह संभवत: सही अवसर भी है। विस्तार में जाए बिना– जीएसटी का मार्ग प्रशस्त करना, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना, भारत को निवेश के लिहाज़ से एक उपयुक्त देश बनाना, सब्सिडी में सुधार करना, अधोसंरचना और कृषि क्षेत्र में निवेश में 700 अरब रुपये की वृद्धि करना– विशेषकर जब निजी निवेश में सुस्ती दिखाई देने लगी हो और पिछले दस वर्ष से अवोसंरचना में विकास का काम लगभग रुका पड़ा रहा हो, जैसे कि सड़क, ऊर्जा उत्पादन और बंदरगाहों के क्षेत्र में (इनमें निवेश पिछले 10 वर्ष में कुल ख़र्च के 10 प्रतिशत से घटकर 6.2 प्रतिशत रह गया था), 4000 मेगावॉट की पांच विशाल परियोजनाओं और एक लाख किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा मूलत: उस आत्मविश्वास को झलकाती है कि सरकार काले धन की उगाही और कोयला व स्पेक्ट्रम की नीलामी से पर्याप्त धन प्राप्त कर सकती है। कोई संदेह नहीं है कि राजकोषीय घाटे में कमी लाने के लक्ष्य को, इस वर्ष के लिए, शून्य दशमलव तीन प्रतिशत की ढील दी गई है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय घाटे को 2017-18 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक ले आने का लक्ष्य रखा गया है।

सबसे महत्वपूर्ण तौर पर बजट ने भारत की अर्थव्यवस्था को निराशा के दौर से बाहर निकालने का लक्ष्य सामने रखा है। यह राजनैतिक निश्चिंतता को सामाजिक और राष्ट्रीय आर्थिक निश्चिंतता में बदलने जैसा है। ❑

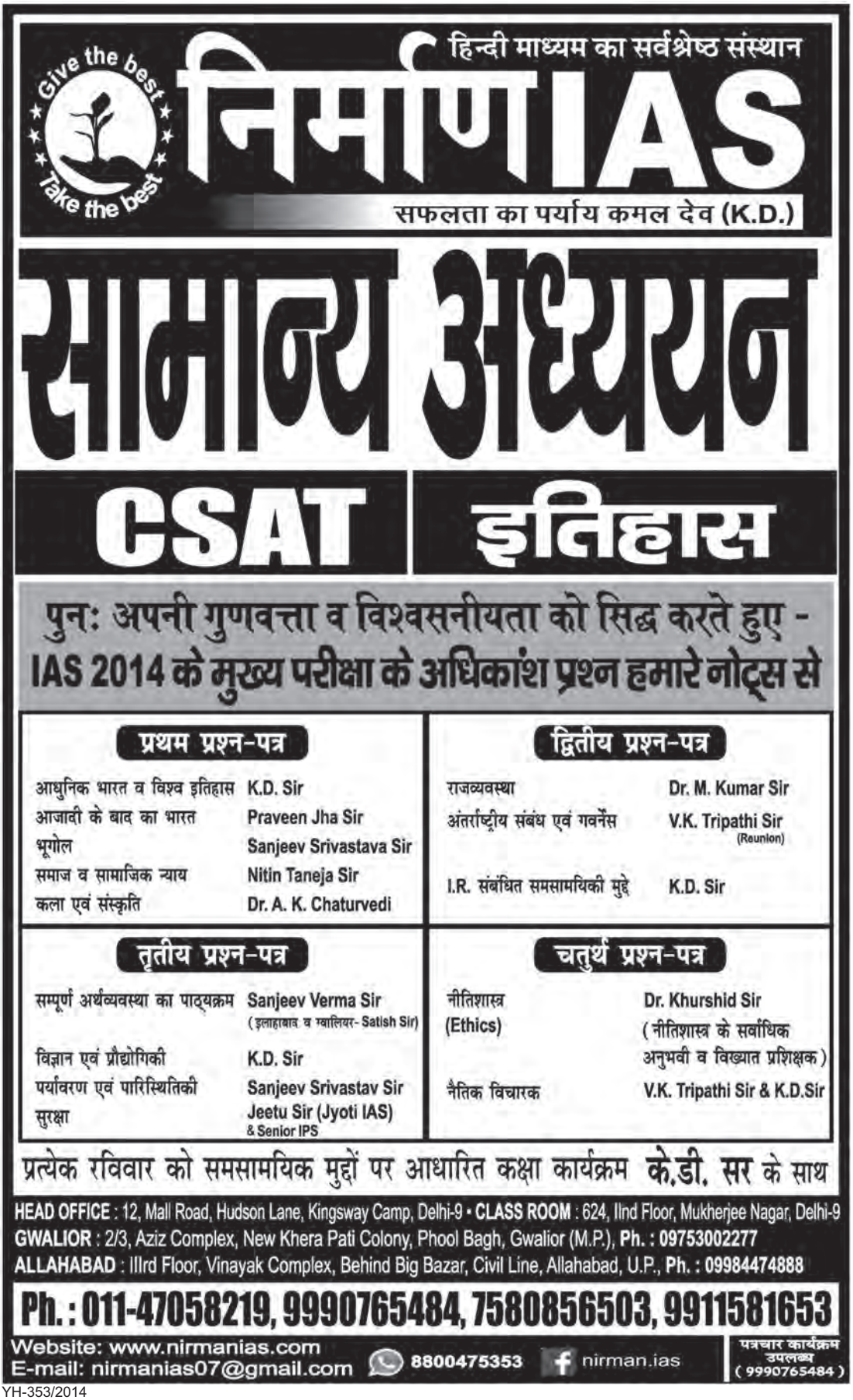
Give the best
Take the best
हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
निर्माण IAS
सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)
सामान्य अध्ययन
CSAT
इतिहास
पुनः अपनी गुणवत्ता व विश्वसनीयता को सिद्ध करते हुए -
IAS 2014 के मुख्य परीक्षा के अधिकांश प्रश्न हमारे नोट्स से
प्रथम प्रश्न-पत्र
आधुनिक भारत व विश्व इतिहास K.D. Sir
आजादी के बाद का भारत Praveen Jha Sir
भूगोल Sanjeev Srivastava Sir
समाज व सामाजिक न्याय Nitin Taneja Sir
कला एवं संस्कृति Dr. A. K. Chaturvedi
द्वितीय प्रश्न-पत्र
राजव्यवस्था Dr. M. Kumar Sir
अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं गवर्नेंस V.K. Tripathi Sir (Reunion)
I.R. संबंधित समसामयिकी मुद्दे K.D. Sir
तृतीय प्रश्न-पत्र
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम Sanjeev Verma Sir (इलाहाबाद व ग्वालियर- Satish Sir)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी K.D. Sir
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी Sanjeev Srivastav Sir
सुरक्षा Jeetu Sir (Jyoti IAS) & Senior IPS
चतुर्थ प्रश्न-पत्र
नीतिशास्त्र (Ethics) Dr. Khurshid Sir (नीतिशास्त्र के सर्वाधिक अनुभवी व विख्यात प्रशिक्षक)
नैतिक विचारक V.K. Tripathi Sir & K.D.Sir
प्रत्येक रविवार को समसामयिक मुद्दों पर आधारित कक्षा कार्यक्रम के.डी. सर के साथ
HEAD OFFICE : 12, Mall Road, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9 • CLASS ROOM : 624, IInd Floor, Mukherjee Nagar, Delhi-9
GWALIOR : 2/3, Aziz Complex, New Khera Pati Colony, Phool Bagh, Gwalior (M.P.), Ph. : 09753002277
ALLAHABAD : IIIrd Floor, Vinayak Complex, Behind Big Bazar, Civil Line, Allahabad, U.P., Ph. : 09984474888
Ph. : 011-47058219, 9990765484, 7580856503, 9911581653
Website: www.nirmanias.com
E-mail: nirmanias07@gmail.com
8800475353
nirman.ias
पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध
(9990765484)
YH-353/2014

मज़दूर वर्ग के लिए सामान्य बजट

देवेंद्र शर्मा

हर अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा चर्चित लेकिन सर्वाधिक वंचित सदस्य होता है मज़दूर। हर नीति बनाने के पहले उसकी चर्चा ज़रूर होती है लेकिन शायद ही कोई देश या कोई अर्थव्यवस्था हो जहां मज़दूर वर्ग अपनी न्यूनतम ज़रूरतें पूरी कर पाता हो। तो आखिर समाधान क्या हो? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। विद्वानों और नीति नियंताओं ने इस दिशा में भरसक प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में मज़दूरों के लिए निश्चित वेतन के अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा के उपकरणों से लैस करने का विचार भी बहुत चर्चित रहा है। नये बजट में सीधे-सीधे इस वर्ग पर केंद्रित बड़ी घोषणाएं नगण्य हैं तथापि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई प्रशंसनीय क़दम उठाए गए हैं जिनका फायदा निश्चित रूप से इस वर्ग को भी मिल सकता है

“सका साथ सबका विकास” के चुनावी वायदे के साथ सत्ता मे आई वर्तमान सरकार के लिए द्रुत गति से आर्थिक विकास राजनैतिक प्राथमिकता ही नहीं वरन अपने राजनैतिक आर्थिक दर्शन को क्रियान्वित करने का महत्वपूर्ण सुअवसर भी है। सत्तारूढ़ दल भाजपा को आरंभिक समय अर्थात् जनसंघ के दौर से ही एकात्म मानववाद पर आधारित विशिष्ट आर्थिक चिंतन की सरलतम राजनैतिक अभिव्यक्ति, उस समय के एक नारे ‘हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे को पढ़ाई, हर बीमार को दवाई’ में देखी जा सकती है।

मज़दूर की मज़दूरी या पारिश्रमिक का संघर्ष और उत्पादन में उसके अंशदान के निर्धारण का संकट पश्चिम में सदैव बना रहा। आज ही नहीं साम्यवाद के ढांचे के गिर जाने के बाद भी इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद के संघर्ष के मूल में इसी अंश पर अधिकार और वर्चस्व प्राप्त करने और बनाए रखने की राजनैतिक गाथा है। सत्ता अथवा शासन मज़दूर के इस अंश को कैसे सुरक्षित रखे, कैसे यह तय करें कि मज़दूर को क्या और कितना मिले? जिस मज़दूर देवता और श्रमशक्ति के स्तुति गीत तो गाए जाते हैं किंतु देने के समय स्तुति, प्रशंसा के अनुरूप प्रसाद नहीं दिया जाता। अतः वर्तमान समय में मज़दूरों की दशा सुधारने एवं उसको तथा उसके परिवार आश्रितों के सर्वांगीण विकास एवं ‘सकल-कल्याण’ के लिए बजटीय प्रावधानों का भली प्रकार से विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि इसी विधि से हम यह जान पाते हैं कि संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को वास्तविक लाभ क्या और कितना हुआ है, उसके परिवार की आवश्यकता पूरी करने वाली टोकरी में वास्तव में क्या दिया गया है? कितना दिया गया है? और कहां से दिया गया है? और यह जो दिया गया है वो कैसे पहुंचेगा?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी देश के 88 करोड़ मज़दूरों के हाथ में सकल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत आएगा और कैसे आएगा यह प्रश्न अब भी विचारणीय बना हुआ है। इसमें नीति क्या हो और उस नीति के क्रियान्वयन के लिए तंत्र क्या हो? अन्त्योदय का लक्ष्य प्राप्त कैसे हो? उस अन्त्यज तक संसद में घोषित लाभ पहुंचे यह कैसे संभव हो? यूं तो संविधान में समतामूलक समाज की बात कही गई है किंतु वर्तमान तंत्र उस लक्ष्य से निरंतर दूर होता जा रहा है। पश्चिम से आयातित ‘मज़दूर’ चिंतन चाहे वो साम्यवादी मान्यता या फिर पूंजीवादी सोच के पेंच में फंसा हुआ हो कोई न्यायपूर्ण नीति न देकर तात्कालिक राजनैतिक हित साधन का काम करता है। ‘कल्याणकारी राज्य’ की अवधारणा कुछ निर्देशित करने का प्रयास तो करती है, किंतु वेबर महाशय की अफसरशाही के लोहपाश में फंस कर दम तोड़ देती है, किंतु

लेखक सर्वोच्च न्यायालय में और जयपुर उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं। अर्थशास्त्र और विधि में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं तथा व्यावसायिक वित्त (business finance) में मास्टर्स की पढ़ाई भी की है। मज़दूर आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और मज़दूरों से जुड़े कई संगठनों में भागीदारी की है। ईमेल: devbhardwaz@hotmail.com

भारतीय नीतिशास्त्रों में स्पष्ट रूप से 'आय' क्या हो इसका नीतिपूर्ण निर्देश दिया गया है। शुक्राचार्य के अनुसार, वेतन देने में विलंब या कटौती नहीं करनी चाहिए। माता पिता, आश्रित पारिवारिक जनों का जिस वेतन से भरण-पोषण हो, वह मध्यम एवं इनके अतिरिक्त अन्य गुरुजनों जनों का भी भरण-पोषण जिससे हो, वह वेतन एवं अन्न वस्त्र मात्र जुटाने में समर्थ वेतन सम तथा जिससे केवल अपना ही भरण-पोषण हो वह हीन संज्ञक होता है। उसके अनिवार्य आश्रितों का जिससे सर्वांगीण पोषण हो उसे उतना पारिश्रमिक देना चाहिए। यह अन्यत्र आया है कि पारिश्रमिक नक़द या प्रकार में भी हो सकता है। इसी प्रकार कौटिल्य अपने नीतिग्रंथ अर्थशास्त्र में यह निर्देशित करते हैं कि वेतन के अतिरिक्त श्रमिक कर्मचारी के 'सकल-कल्याण' की भावना ही अंतर्निहित होनी चाहिए, कार्मिक के मृत्युपरांत भी राजा को चाहिए कि वह उसके आश्रितों पर कृपादृष्टि बनाए रखे। यहां तक कि कोष में कमी होने की स्थिति में भी पशु, ज़मीन आदि से भी सहायता करे। यह स्पष्ट है कि सकल पारिश्रमिक की अवधारणा भारतवर्ष में आदिकाल से मात्र वेतन तक ही सीमित नहीं है अपितु श्रमिक का 'सकल-कल्याण' महत्वपूर्ण रहा है।

मानव संसाधनों के विकास की दृष्टि से भी बजट का 20 प्रतिशत व्यय इसी मद में होना नितांत आवश्यक है, जो वर्तमान मे आधे से भी कम 9 प्रतिशत के लगभग है। दो अंकों की मुद्रास्फीति और जनसंख्या वृद्धि को झेल रही अर्थव्यवस्था में यह आंकड़ा उत्साहित नहीं करता है, वरन बेरोज़गारों की निरंतर बढ़ती संख्या भयभीत करती है।

सर्व-समावेशी, अंत्योदय आधारित एवं लक्षित आर्थिक नीतियों की वकालत ने भाजपा की पहचान को वैचारिक विशिष्टता दी थी। मज़दूर, विशेष रूप से असंगठित मज़दूरों के हितों के रक्षण के साथ राष्ट्रीय हितों के संवर्धन का सफल प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल (राजग 1) की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहली बार भवन निर्माण के मज़दूरों, ठेला, पटरी, रेहड़ी, पल्लेदारी, हम्माली, बुनकर, बीडी जैसे अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत मज़दूरों के पहचान और उसे पहचान-पत्र देने की पहल हुई। हालांकि एक बहुत बड़ी संख्या के ट्रेड उसमें भी बाहर ही रहे। मज़दूर की मज़दूरी के संघर्ष को उनकी सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर बड़ा और महत्वपूर्ण बनाने की पहल ने सरकार को मज़दूरों के हित सरक्षण को नया आयाम और अर्थ दिया, उन्हीं के कार्यकाल में साहिब सिंह वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई, जिसकी संस्तुतियां कई अर्थों में युगांतकारी थी। किंतु सत्ता बदलने के साथ वर्मा कमिटी की रिपोर्ट ठंडे बसते में चले गई। पूर्व के निर्णयों की पृष्ठभूमि मे वर्तमान बजट से महंगाई की मार से टूटे हुए मज़दूर वर्ग, मज़दूर संगठनों, इस क्षेत्र के चिंतक, विचारकों को अत्यधिक अपेक्षाए रहीं, इसमें संदेह नहीं।

सकल कल्याण की दृष्टि से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम-विकास, झुग्गी-झोपड़ी विकास, पेयजल, महिला एवम् बाल-विकास के मद में गत दशक में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई। मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए देखे तो संप्रग सरकार के शासनकाल का बजटीय आवंटन नकारात्मक ही कहा जाएगा। सरकार प्रदत्त उपरोक्त सभी सुविधाओं की आशा करने वाला मज़दूर वर्ग यदि 'चाय वाला' की पृष्ठभूमि वाले अपने प्रधानमंत्री से सहज़ उम्मीदें ना रखें, तो किससे रखे?

मानव संसाधनों के विकास की दृष्टि से भी बजट का 20 प्रतिशत व्यय इसी मद में होना नितांत आवश्यक है, जो वर्तमान मे आधे से भी कम 9 प्रतिशत के लगभग है। दो अंकों की मुद्रास्फीति और जनसंख्या वृद्धि को झेल रही अर्थव्यवस्था में यह आंकड़ा उत्साहित नहीं करता है, वरन बेरोज़गारों की निरंतर बढ़ती संख्या भयभीत करती है। राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण घटक के नाते मानव संसाधन को व्यर्थ जाने की क़ीमत का आकलन आंकड़ों के माध्यम से कठिन है, यह वर्तमान में संसाधनों के अनुपयोग को स्पष्ट करती ही है साथ में भविष्य की विफलता की ओर भी इंगित कराती हुई। कुल मिलाकर नीतियों की विफलता का द्योतक है। आशाएं अत्याधिक रहीं, बजट सत्र मे संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए दीनदयाल जी का उद्धरण देते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने देश के 54 करोड़ मज़दूरों की उम्मीदों को पंख लगा दिए थे।

पिछले सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट को आगे बढ़ाते हुए नई सरकार के बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 1000 रुपये की पेंशन की घोषणा, सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व क़दम माना गया, मज़दूर आंदोलन के इतिहास में पहली बार हाल में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पेंशन की मांग उठाई गई थी, जिसे छतीसगढ़ की राज्य सरकार ने कुछ ट्रेड में लागू भी किया, केंद्र सरकार ने घोषणा तो की थी, यद्यपि इसके क्रियान्वयन में समस्या यथावत है। असंगठित श्रमिकों की समस्या विकराल हो चुकी है, यदि सरकार कोई योजना लाती भी है तो भी मज़दूर की पहचान का संकट बना हुआ है। अत: मज़दूरों के पंजीकरण की सरल और राष्ट्रव्यापी एकरूप प्रक्रिया समय की आवश्यकता है। मज़दूर की सभी जानकारियों से युक्त पहचान-पत्र, जो जन-धन योजना के बैंक खातों, भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा, उसके कौशल के क्षेत्र, श्रेणी, स्तर से जुड़ा हो, एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकता है। अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं मज़दूर के पहचान के संकट के अभाव मे क्रियान्वित नहीं हो पाती है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ना बने यह भी आवश्यक है। किंतु बजट में ऐसे किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

मज़दूर की सभी जानकारियों से युक्त पहचान-पत्र, जो जन-धन योजना के बैंक खातों, भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा, उसके कौशल के क्षेत्र, श्रेणी, स्तर से जुड़ा हो, एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हो सकता है। अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं मज़दूर के पहचान के संकट के अभाव मे क्रियान्वित नहीं हो पाती है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ना बने यह भी आवश्यक है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कुल श्रम-शक्ति का 90 प्रतिशत है, साथ ही राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत (http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/nsc_report_un_sec_14mar12.pdf)। यह स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक वंचित वर्ग इस श्रेणी मे आता है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति की गणनाओं के अनुसार यह योगदान

तालिका 1: खेतिहर मज़दूर व सीमांत मज़दूर की शुद्ध आय-व्यय का ब्यौरा।

जोत अधिकार (एकड़ में)	श्रेणी	सकल आय (रु/मासिक)	व्यय (रु/मासिक)	प्रतिशत
<0.01	भूमिहीन	1380	2297	–
0.01-1.0	अति-सीमांत	1633	2390	–
1.0-2.5	सीमांत	1809	2672	–
2.5-5.0	छोटा	2493	3148	78 प्रतिशत
5.0-10.0	अर्ध-मध्यम	3589	3685	10 प्रतिशत
10.0-25.0	मध्यम	5681	4626	6 प्रतिशत
>25	बड़ा	9667	6418	6 प्रतिशत

स्रोत: *असंगठित क्षेत्र की कार्य परिस्थितियां और रोज़गार संवर्धन पर सेन गुप्ता समिति रिपोर्ट 2007*

60 प्रतिशत तक का है। आंकड़ों पर अभी भी विवाद बना हुआ है। इस पर भी सरकार को कुछ करना चाहिए था। इस बजट में इसका भी अभाव दिखा। सांख्यकीय आधार और पद्धति में जो भेद है वह इस आलेख की विषय वस्तु नहीं है, किंतु यह स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए इतनी बड़ी संख्या के निम्न आय वर्ग के मज़दूर वर्ग की आय, व्यय ओर बचत को बढ़ाने के प्रयास महत्वपूर्ण तभी सिद्ध हो सकते हैं जब इस वर्ग की व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती दिखे।

खेतिहर मज़दूर, और छोटी जोतों में काम करने वाले श्रमिकों को भी प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं में जोड़े जाने की आवश्यकता है। उनके घर परिवार की महिलाएं और वृद्ध सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा के ढांचे में लाने की आवश्यकता इस बजट के प्रावधानों ने और बढ़ा दी है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित मज़दूरों की स्थिति पर एक दृष्टि डालें तो इसकी भयावहता और अधिक स्पष्ट होती है।

उपरोक्त आंकड़ों से हम यह समझ सकते हैं कि भूमिहीन किसानों की दशा अत्यंत ख़राब है, इसमें भी 5 एकड़ से छोटी जोत के कृषि कार्य में शामिल भूमिहीन, सीमांत और छोटी जोत वाले कृषि मज़दूरों को यदि जोड़ दिया जाए तो इस समूह की आय न्यूनतम आय कानून में निर्देशित आय जितनी भी नहीं है, यह एक भयावह स्थिति है। नीचे दी गई तालिका में 2011 आंकड़ों पर आधारित है।

अन्य क्षेत्रों में भी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की समस्याएं लगभग समान हैं जो एक ही तथ्य की और इंगित करती हैं कि यह वर्ग आय और उपभोग के निम्न स्तर पर है। सामाजिक स्तर के अन्य आंकड़ों यथा– शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, अवसर की असमानता के दुश्चक्र में फंसा हुआ है। अत: मूल समस्या आय उपार्जन के अवसरों में वृद्धि करने से है। इन परिस्थितियों में कौशल विकास की योजनाएं स्वागत योग्य हैं, इसका विस्तार मज़दूर को स्वावलंबन के साथ-साथ आय अर्जन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाएगा। किंतु कौशल विकास एवं संवर्धन क्रियान्वयन एक चुनौती रहेगा। उद्यम विस्तार के लिए ऋण की उपलब्धता भी स्वागत योग्य है, इसे सरल और सर्वसुलभ बना पाए तो यह सफल हो पाएगी, इसमें भी कौशलयुक्त श्रमिक की पहचान का संकट बना रहेगा, इस समस्या से कैसे निबटा जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं। जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत एक रुपये मासिक के प्रीमियम में दो लाख रुपये का दुर्घटना एवं मृत्यु का बीमा भी एक महत्वपूर्ण क़दम है, इसमें बीमाधरक और उसके आश्रितों की बीमारी के इलाज़ को भी 'कैशलेस' करने की संभावना तलाशी जा सकती है अथवा अभी के ईएसआई अस्पतालों में इलाज़ की सुविधा देना भी सम्मिलित किया जा सकता है। इपीएफ और पीपीएफ में 3000 करोड़ रूपया जिसका कोई दावा नहीं कर रहा है, उसका उपयोग वृद्धों की पेंशन के लिए करना भी स्वागत योग्य क़दम है। चार करोड़ मकानों का निर्माण भी स्वागत योग्य क़दम है, यदि इस योजना का क्रियान्वयन होता है तो यह भी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्थक प्रयास होगा। रोज़गार सृजन और आय में वृद्धि के साथ-साथ 'अपना घर' के सपने को पूरा करने के लिए यह योजना बड़ा काम कर सकती है। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम भी स्वागत योग्य क़दम है, महिला सशक्तीकरण की यह पहल अभिनंदन योग्य है, 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' के राजनैतिक नारे को नीति और कार्यक्रम में रूपांतरण होने से यह सर्वशिक्षा अभियान के बाद यह एक

जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत एक रुपये मासिक के प्रीमियम में दो लाख रुपये का दुर्घटना एवं मृत्यु का बीमा भी एक महत्वपूर्ण क़दम है, इसमें बीमाधरक और उसके आश्रितों की बीमारी के इलाज़ को भी 'कैशलेस' करने की संभावना तलाशी जा सकती है अथवा अभी के ईएसआई अस्पतालों में इलाज़ की सुविधा देना भी सम्मिलित किया जा सकता है।

तालिका 2: जोत आकार के अनुसार संख्या व क्षेत्रफलवार विवरण

क्रमांक	क्षेत्रफल (हे)	कुल जोत	
		संख्या	क्षेत्रफल (हे)
(1)	(2)	(7)	(8)
1	0.5 से कम	103958	20439
2	0.5 - 1.0	34069	24502
3	1.0 - 2.0	33025	46779
4	2.0 - 3.0	17043	41026
5	3.0 - 4.0	9450	32367
6	4.0 - 5.0	6900	30573
7	5.0 - 7.5	9078	55605
8	7.5 - 10.0	5327	45645
9	10.0 - 20.0	8894	123569
10	20.0 व अधिक	10824	1121409
11	सभी वर्ग	238568	1541914

स्रोत : *भारत सरकार कृषि जनगणना, 2011*

और महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। हमारी श्रम-शक्ति में और वो भी असंगठित क्षेत्र में मातृशक्ति की महत्ती भूमिका है। पशुपालक मज़दूर में महिलाओं की संख्या कुल श्रमिक संख्या का 67 प्रतिशत है।

25000 करोड़ के ग्रामीण संरचना विकास बैंक का क्रियान्वयन यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अनुसार हुआ तो यह योजना आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख देगी। रोज़गार सृजन और आय के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवाह का एक सकारात्मक पहल की अपेक्षा इस योजना से है। साथ ही 5300 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई योजना भी आय को बढ़ाएगी, किंतु इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि पहले से ऋण के बोझ में आत्महत्या कर रहे खेतिहर मज़दूर पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं आए और यह योजना व्यय को न बढ़ाते हुए उसकी आय को बढाएं।

मुद्रा बैंक की भी घोषणा की गई है, उसका आग्रह ग्रामीण क्षेत्र होंगे कि नहीं यह अभी स्पष्ट नहीं। मनरेगा में सुधारों की अपेक्षा थी, इस योजना को विशुद्ध राजनीति में से निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास, भूमि सुधार, चरागाह विकास, वन्यीकरण, प्राकृतिक जल स्रोतों के सरक्षण एवं उनके विकास आदि के लिए लक्षित किया जा सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ, यह निराशाजनक है। इस योजना के लिए अतिरिक्त 5000 करोड़ का प्रावधान संतोषजनक है, किंतु एक ऐसी योजना जिसे स्वयं प्रधानमंत्री विफल मान चुके हो उसे नये उद्देश्य और नया लक्ष्य देने की नितांत आवश्यकता थी, इसके लिए पर्याप्त राजनैतिक साहस और आर्थिक नीति एवं कार्यकुशलता आवश्यक थी जिसके केंद्र में वह असंगठित मज़दूर होता, जो काम के अभाव में पलायन करता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर अमानवीय स्थितियों में 'कुछ' कमाने के लिए संघर्ष करता है। उसका रोज़गार की तलाश में पलायन रुके, उसे उसके गांव में रोज़गार मिले, उस रोज़गार से गांव में ढांचागत विकास एवं सुधार होते यह समय की आवश्यकता है आखिरकार उसके नाम से हज़ारों करोड़ का आवंटन हो रहा है, तो लाभ उसे हो यह भी सुनिश्चित करना है अन्यथा यह 'अर्जित आय' के स्थान पर 'हस्तांतरण आय' की तरह चलती रहेगी और समस्या को कम करने की बजाए उसे और अधिक बढ़ाएगा। इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के साथ-साथ इसे लोकोपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता है।

मज़दूर वर्ग के लिए बजट बहुत कुछ परंपरागत लीक पर ही था, नये प्रयास भी दिखे, हमारे योग्य प्रधानमंत्री जो निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन के लिए जाने जाते हैं। उनके नये प्रयास क्रियान्वयन की दृष्टि से सफल होंगे ऐसा विश्वास है। भारी आशाओं के साथ उनकी सरकार के ऐतिहासिक जनादेश ने सभी वर्गों में आशा एवं उत्साह का संचार किया है। आशाएं बड़ी हो तो उनको पूरा करने का बोझ भी अधिक रहता है, यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ तो निश्चित रूप से यह बजट महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्रियान्वयन के आंकड़े आने में अभी समय लगेगा। मेरी दृष्टि में बजट कितना सफल रहा यह बजट प्रस्तावों से नहीं पता चलता है? बजट प्रस्ताव दिशा बताते है, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताते हैं, सरकार की प्राथमिकता में कौन कहा खड़ा है, 'उसका नंबर कब आएगा' यह भर बताता है। बजट कितना सफल रहा यह यह क्रियान्वयन के आंकड़े आने पर चलेगा। सरकार की संकल्पशक्ति बजट प्रावधानों को कितना लागू कर पाई यह आंकड़े आने पर पता चलेगा। साथ ही सामान्य जनमानस में सरकार के प्रयासों की क्या छवि बन रही है यह भी महत्वपूर्ण है। बजट पर वास्तविक विश्लेषण आकलन 11 महीने बाद होगा जब क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े हमारे समक्ष आएंगे। तब तक के लिए मज़दूर वर्ग के लिए सामान्य बजट ही कहा जाएगा। ❑

हम आपको प्रशासक बनाते हैं, इतिहासकार नहीं!
नामांकन आरम्भ
SIHANTA IAS
इतिहास का एकमात्र मानक संस्थान

इतिहास
रजनीश राज
हिन्दी/English Medium

हिन्दी माध्यम
विश्व इतिहास के साथ
कक्षा आरम्भ
सायं 3:00 बजे से

English Medium
Class starts with
World History
6:00 pm

उपरोक्त सभी प्रतिभागी इतिहास में श्रेष्ठ अंक के कारण ही कामयाब हुए

संकल्पनात्मक विकास एवं लेखन शैली पर सर्वाधिक बल के कारण सिहान्ता के श्रेष्ठ अंकधारी

विष्णुकांत तिवारी-378 अंक
नरेश सैनी -376 अंक
रामाशीष -376 अंक
आलोक पाण्डेय-372 अंक
राजेन्द्र मीणा -371 अंक
मयंक प्रभा -371 अंक
द्रोपसिंह मीणा-371 अंक
क्रमशः

विशिष्ट बिंदु
- बेसिक से उच्च स्तर तक का अध्ययन।
- 100% कोर्स कवरेज एवं 100% प्रश्न-पत्र की गारंटी।
- समझ विकसित करने पर विशेष बल।
- प्रश्न समझने एवं उत्तर लिखने का कौशल विकसित करने पर सर्वाधिक बल।
- प्रत्येक अध्याय पर आकस्मिक टेस्ट एवं नियमित टेस्ट।
- मानचित्र की नियमित कक्षाएं।
- प्रत्येक अध्याय से संबंधित अभ्यास पुस्तिका एवं सार संक्षेप।

Plot No. 8-9, Flat No. 302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Web: www.sihantaias.com
Ph.: 011-42875012, 08743045487, 09990107573

YH-348/2014

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रियाएं

रवींद्र एच ढोलकिया

भारत में केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया में करीब चार महीने का समय लगता है। यह प्रक्रिया नवंबर महीने में वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले एक नोटिस से शुरू होती है जिसमें राजस्व और पूंजीगत खर्चों का ब्योरेवार औपचारिक प्रस्ताव और राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार वक्तव्य सभी अन्य मंत्रालयों, विभागों और औपचारिक निकायों से मांगा जाता है जो केंद्रीय सरकार के अंदर काम करते हैं

राजकोषीय नीति उन दो वृहत अर्थशास्त्रीय नीतियों में से एक है जो अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में मदद करती है। दूसरी नीति मौद्रिक नीति है। इन दोनों नीतियों की भूमिका और व्यापकता में स्पष्ट अंतर बताने के लिए दोनों की एक कामचलाऊ परिभाषा दी गई है। राजकोषीय नीति (फिस्कल पॉलिसी) ऐसी किसी भी नीति को कहते हैं जो सरकार के राजस्व और खर्चे को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। दूसरी तरफ मौद्रिक नीति ऐसी नीति है जो व्यवस्था में (मौद्रिक) तरलता की मात्रा और उसके मूल्य को सीधे प्रभावित करती है। चूंकि राजकोषीय नीति (फिस्कल पॉलिसी) की परिभाषा हमारे देश जैसी संघीय व्यवस्था में सरकार के तीनों स्तरों को शामिल करती है, इसलिए इस नीति को संपूर्णता में समझ पाना बहुत जटिल होता है। हालांकि इसमें राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों दोनों की तुलना में भारत सरकार की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जहां तक ख़र्च का संदर्भ है तो केंद्रीय सरकार देश के सकल सरकारी खर्चे को करीब 55 से 60 फीसदी ख़र्च करती है। उसी तरह जहां तक राजस्व की बात है तो उसका हिस्सा भी 55 फीसदी है।

हालांकि हाल के वर्षों में राज्यों की भूमिका बढ़ती जा रही है क्योंकि केंद्रीय करों में उनका हिस्सा बढ़ता गया है। ऐसा एक के बाद एक वित्त आयोग की सिफारिशों की वज़ह से हुआ है और दूसरी बात ये कि बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केंद्र द्वारा उन्हें तार्किक और व्यवस्थागत रूप से स्थानांतरित कर दी गई हैं। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों को वितरित किए जाने वाले संसाधनों में खासी बढ़ोतरी की सिफारिश की है। फिर भी पूरी अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति (फिस्कल पॉलिसी) में केंद्र सरकार की प्रासंगिकता और महत्व बरकरार है क्योंकि प्रमुख केंद्रीय करों द्वारा हासिल किया जाने वाला सकल राजस्व, अभी भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। नतीजतन केंद्र सरकार का राजस्व और व्यय के फैसले देश की राजकोषीय नीति (फिस्कल पॉलिसी) के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारक बन जाते हैं। इसीलिए सालाना केंद्रीय बजट की प्रस्तुति हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि ये देश की राजकोषीय नीति का इकलौता सबसे व्यापक वक्तव्य होता है।

उद्देश्य

अपने स्वभाव के मुताबिक ही राजकोषीय नीति के विविध उद्देश्य होते हैं। यह किसी खास क्षेत्र की नीति या जहां तक मौद्रिक नीति जैसी नहीं होती जिसका सिर्फ एक या हद से हद कुछेक उद्देश्य मात्र हों। सरकार के राजस्व और खर्चों का लघु और दीर्घकालिक पक्ष होता है। इसीलिए राजकोषीय नीतियों का भी अंशकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य होता है। अंशकालिक उद्देश्यों में शामिल है विपरीत और बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को सशक्त कर और उनका प्रतिकार कर आर्थिक गतिविधियों और अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को स्थिरता प्रदान करना, समतामूलक समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए

लेखक आईआईएम अहमदाबाद में पिछले तीस साल से अध्यापन कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रीय आर्थिक विकास, उत्पादकता अध्ययन, मैक्रोइकनॉमिक पॉलिसी मुद्दों, सार्वजनिक वित्त, स्वास्थ्य और लेबर इकनॉमिक्स पर व्यापक लेखन कार्य किया है। वे छठे केंद्रीय वेतन आयोग और भारत सरकार द्वारा गठित बचत व निवेश, सार्वजनिक व्ययों के प्रबंधन, देश की डाक व्यवस्था को मज़बूत बनाए जाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य भी रहे हैं। ईमेल: rdholkia@iimahd.ernet.in

आमदनी और धन को पुनर्वितरित करना और अवसर की समानता प्रदान करते हुए और उनके लिए सार्वजनिक सुविधाओं की रक्षा करते हुए ग़रीब और वंचित वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊपर लाना। यह सरकार का दायित्व माना गया है जबकि राजकोषीय नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य होता है समता के साथ-साथ उच्च विकास दर हासिल करना और जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण कार्य में बढ़ोतरी करना। यह स्पष्ट है कि राजकोषीय नीति को बचत के प्रवाह और समय के साथ अर्थव्यवस्था में निवेश-दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इन उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

प्रक्रियाएं

केंद्रीय बजट का इतना महत्व होने की वज़ह से यह अनिवार्य है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह उद्देश्यों, दृष्टि और सत्ताधारी दल के नीतिगत रोडमैप का एक राजनीतिक वक्तव्य बन जाता है। इसे लागू करने से पहले बढ़िया तरीके से तैयार किया जाता है, पेश किया जाता है और इस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। चूंकि इसका संबंध सरकार के राजस्व और खर्चों से होता है, तो ऐसे में इस पर संसद की मुहर लगनी ज़रूरी होती है और इसे एक वित्त विधेयक के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। इसी का परिणाम है कि किसी कानून को पेश करने के लिए जिन-जिन नियमों का पालन किया जाता है, उन सभी नियमों का पालन इस विधेयक के संदर्भ में होता है। इसमें विधेयक की एक औपचारिक प्रस्तुति होती है, उसका प्रकाशन होता है और उसे जनता के बीच विस्तृत तरीके से प्रचारित किया जाता है। उस पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, उस पर बहस होती है, विमर्श होता है और आखिरकार इसे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संसद में पारित किया जाता है। इस तरह से केंद्रीय बजट संघीय सरकार की राजकोषीय नीति का एक व्यापक वक्तव्य होता है। ऐसा सिर्फ तभी ही नहीं होता जब यह संसद में पेश किया जाता है, बल्कि ऐसा तब भी होता है जब इसे तमाम संशोधनों और सुधारों के साथ संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है।

अब तक की बातों से स्पष्ट है कि सरकार में किसी भी स्तर पर राजकोषीय नीति-जैसा कि भारत जैसे संघीय लोकतंत्र में बजट निर्माण में परिलक्षित होती आई है, एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें काफी समय लगता है। सामान्य स्थिति में इसी वज़ह से ऐसा साल में सिर्फ एक ही बार होता है।

हालांकि राजकोषीय नीति में अन्य होने वाले परिवर्तन जो कि सरकार के राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हों, सैद्धांतिक रूप से हालांकि संभव हैं, लेकिन न तो वो वांछनीय होते हैं और न व्यवहार्य। नतीजतन बजट के द्वारा आर्थिक गतिविधियों की स्थिरता और उनके प्रदर्शन को सीमित रूप से ही प्रभावित किया जा सकता है। इन उद्देश्यों के लिए मौद्रिक नीति को ज़्यादा सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना होता है। संघीय बजट सिर्फ एक सहायक भूमिका का निर्वाह कर सकता है और बजट, निवेश, विकास और मूल्य स्थिरता में एक आधारभूत ढांचे का निर्माण कर सकता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में अगर मौलिक उथलपुथल या गड़बड़ी का भाव स्थाई रूप से न होकर महज़ अस्थाई रूप का है, जिसके लिए किसी नीति की ज़रूरत हो, तो एक राजकोषीय नीति परिवर्तन जिसकी मियाद सालभर की होती है, एक स्थाई कारक से अस्थाई नतीजा देने वाला कारक बन सकता है। सिर्फ एक स्थाई या दीर्घकालिक वित्तीय उथलपुथल को ही राजकोषीय नीति के द्वारा काबू करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए कि किसी राजकोषीय नीति परिवर्तनों का प्रभाव किसी वांछित समष्टि-अर्थशास्त्रीय कुलयोग पर समय के साथ ही स्थिर रूप से उसके विस्तृत रूपों द्वारा महसूस किया जाता है।

सरकार में किसी भी स्तर पर राजकोषीय नीति-जैसा कि भारत जैसे संघीय लोकतंत्र में बजट निर्माण में परिलक्षित होती आई है, एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें काफी समय लगता है। सामान्य स्थिति में इसी वज़ह से ऐसा साल में सिर्फ एक ही बार होता है। हालांकि राजकोषीय नीति में अन्य होने वाले परिवर्तन जो कि सरकार के राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हों, सैद्धांतिक रूप से हालांकि संभव हैं, लेकिन न तो वो वांछनीय होते हैं और न व्यवहार्य।

बजट निर्माण

भारत में केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया में करीब चार महीने का समय लगता है। यह प्रक्रिया नवंबर महीने में वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले एक नोटिस से शुरू होती है जिसमें राजस्व और पूंजीगत खर्चों का ब्योरेवार औपचारिक प्रस्ताव और राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार वक्तव्य सभी अन्य मंत्रालयों, विभागों और औपचारिक निकायों से मांगा जाता है जो केंद्रीय सरकार के अंदर काम करते हैं। मंत्रालय और विभाग अपने नियमित और एक अंतराल पर चलने वाले कार्यों/गतिविधियों, प्रस्तावित कार्यों, परियोजनाओं और योजनाओं के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों की ज़रूरतों के लिए एक बहुत ही गहन आकलन तैयार करते हैं जो आने वाले वित्तीय वर्ष में करने होते हैं। अब तक, मंत्रालयों और विभागों को उनके अधीन चल रही गतिविधियों, परियोजनाओं और योजनाओं की देखरेख या निरंतरता के लिए जो मानव या भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, उन्हें न्यायोचित ठहराने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। वे गैर-योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं।

किसी भी नई गतिविधि, परियोजना या योजना को जिसमें मौजूदा योजनाओं का विस्तार भी शामिल हो, उसे मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार इन प्रस्तावों में पूरी तरह से न्यायोचित ठहराया जाता है। अगर वे स्वीकार हो जाती हैं तो इन प्रस्तावों में राजस्व और पूंजी खर्चों की प्रतिबद्धताओं पर विचार किया जाता है। इस तरह की किसी भी प्रस्तावित गतिविधियों के लिए जो तर्क होते हैं वो इस तरह के खर्चों के आकलित प्रभाव के संदर्भ में होते हैं जो उन मंत्रालयों और विभागों के इच्छित लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के बाद होते हैं। ये प्रस्ताव अधिकांशत: योजना व्यय का निर्माण करते हैं।

ज़ाहिर-सी बात है कि देश में सरकारी विभागों और संगठनों और ख़र्चों की विशालता को देखते हुए यह एक जटिल कार्य होता है। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली इकाइयों से इस तरह का प्रस्ताव हासिल करना होता है।

अगर पूरा संगठन अधिनायकवादी या व्यवहार में अत्यधिक केंद्रीकृत नहीं है तो इसके लिए एक काफी सक्षम, प्रभावी और गतिशील संचार व्यवस्था की ज़रूरत होती है जो केंद्र और परिधि के बीच निरंतर काम करती है। हालांकि हमारे यहां एक धारणा है कि हमारी सरकारी व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत माहौल में काम करती है, जिसमें सारा काम ऊपर से निर्देशित होता है लेकिन तथ्य यह है कि सरकार में अलग-अलग स्तरों पर ढेर सारा लचीलापन, आज़ादी और स्वायत्तता है। नतीजतन, बजट प्रस्तावों को एक समयबद्ध प्रक्रिया द्वारा नीचे से मंगाया जाता है और उसे अलग-अलग स्तरों पर संयोजित किया जाता है और फिर उसे केंद्रीय मंत्रालय या विभाग तक भेजा जाता है। उन विभागों या मंत्रालयों के लिए जहां शुल्क, दंड, कर, चुंगी आदि के द्वारा राजस्व हासिल होता है, उसी तरह के प्रस्ताव राजस्व की तरफ से भी बनाए जाते हैं, जिसमें अगर किसी तरह के संशोधन या रूपांतरण की संभावना हो तो उसका भी सुझाव दिया जाता है।

यह पूरी प्रक्रिया खासा समय लेती है लेकिन यह एक विकेंद्रित लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल अनिवार्य है। बजट निर्माण के विभिन्न चरणों और स्तरों में सरकारी संगठन, आम जनता की प्रभावशाली भागीदारी को शामिल कर सकते हैं लेकिन अभी तक ऐसा रहा है कि बजट निर्माण में लोगों की भागीदारी महज़ कुछ समूहों तक ही सीमित रही है। उसमें भी यह ज़्यादातर सलाह लेना, सुझाव लेना और गिने-चुने लोगों के साथ खास-खास बिंदुओं पर चर्चा करने तक शामिल रहा है जो समाज के विभिन्न वर्ग से आते हैं और अलग-अलग संघों, संस्थाओं, नियमों, क्षेत्रों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि हमारे बजट निर्माण की प्रक्रिया समुदाय और ज़मीनी स्तर के सभी हिस्सेदारों की प्रभावी भागीदारी की संभावना प्रदान करती है, लेकिन यह हक़ीक़त में हो नहीं पाता क्योंकि इसके साफ निर्देश नहीं हैं और कई बार ऊपर से निचले स्तरों पर देरी से किए संवाद की वज़ह से पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

जब नीचे से ये सारे प्रस्ताव संग्रहित, समायोजित और वित्त मंत्रालय में उच्च स्तर पर वर्गीकृत कर लिए जाते हैं, तो वह साथ ही एक साथ-साथ चलने वाली प्रक्रिया भी करता जाता है ताकि बजट के गणित में अनुरूपता दिखाई दे। इस स्तर पर बजट निर्माण को राजस्व और व्यय पक्षों में कई तरह की रुकावटों को स्वीकार करना होता है। साथ ही इसे उन चिंताओं को भी देखना होता है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियमों द्वारा लागू किए गए हैं, जो राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा (फिस्कल डिफिसिट) और उससे भी ऊपर सार्वजनिक कर्ज़ को लेकर होते हैं।

जहां तक राजस्व पक्ष की बात है तो जिन चिंताओं पर ध्यान दिया जाता है वो उन संभावित आकलनों को लेकर है जिसके आधार पर कई तरह के कर और गैर-कर प्राप्तियों का अनुमान लगाया जाता है। ये आकलन स्थिर रूप से संभावित व्यापक अर्थशास्त्रीय माहौल और उन आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में होते हैं जो वास्तविक आय और विविध क्षेत्रों, आयात, निर्यात, मूल्य स्तर में परिवर्तन, विनिमय दर, कॉरपोरेट मुनाफा और लेन-देन की मात्रा के सूक्ष्म कुलयोग के संक्षिप्त आकलनों द्वारा बनता है।

बजट निर्माण के विभिन्न चरणों और स्तरों में सरकारी संगठन, आम जनता की प्रभावशाली भागीदारी को शामिल कर सकते हैं लेकिन अभी तक ऐसा रहा है कि बजट निर्माण में लोगों की भागीदारी महज़ कुछ समूहों तक ही सीमित रही है। उसमें भी यह ज़्यादातर सलाह लेना, सुझाव लेना और गिने-चुने लोगों के साथ खास-खास बिंदुओं पर चर्चा करने तक शामिल रहा है जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं और अलग-अलग संघों, संस्थाओं, नियमों, क्षेत्रों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं।

अंतत: ये सारी गणनाएं दो मौलिक मान्यताओं पर सीधे तौर पर निर्भर हैं जो वास्तविक आय की बढ़ोतरी (स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद) और भावी साल में संभावित मुद्रास्फीति से संबंधित हैं। ये बजट के पीछे के अनुमान होते हैं या मूलत: लक्ष्य होते हैं जो बजट निर्माण में किए जाते हैं। इन दो लक्ष्यों से कोई भी विचलन बजट गणनाओं को प्रभावित कर सकता है जो राजस्व प्राप्तियों और राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों को अप्रासंगिक बनाकर बजट निर्माण कवायद की क्षमताओं पर सवालिया निशान लगा सकता है। इसीलिए अक्सर बीच-बीच में समीक्षाएं की जाती हैं। ख़ासकर तब जब कोई शक्तिशाली बाहरी झटका अर्थव्यवस्था को लगता है जो अर्थव्यवस्था के अनुमानों और बजट लक्ष्यों में संशोधन को ज़रूरी बना देता है।

जहां तक व्यय पक्ष का सवाल है तो ये चिंताएं उच्च स्तर पर होती हैं, जो प्रतिबद्ध व्यय के संदर्भ में होती हैं। इसमें आमतौर पर पिछले वर्षों सकल सार्वजनिक कर्ज़ों पर दिए गए ब्याज की अदायगी शामिल है। उसी तरह से केंद्रीय सरकार को पेंशन देनदारी को भी पूरा करने की आवश्यकता होती है। सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के वेतन भी प्रतिबद्ध व्यय के दायरे में आते हैं। जब तक कि सरकार मौजूदा साल में उन नौकरियों में कटौती का फैसला न ले ले। हाल के वर्षों में कई सारे कानून बनाए गए हैं जिनमें सब्सिडी के रूप में विशाल सार्वजनिक खर्चों की प्रतिबद्धताएं दिखाई गई हैं जैसे खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार कानून आदि-आदि। इसके अलावा भी अन्य कई सारी सब्सिडियां हैं जिसके लिए सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये और सुरक्षा मद में किए जाने वाले ख़र्चे किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रतिबद्ध ख़र्चों में शुमार नहीं किए जाते, लेकिन यह राजनीतिक और व्यावहारिक रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मसला होता है और उसे सरकार के द्वारा अर्ध-प्रतिबद्ध व्यय ही माना जाता है। उर्पयुक्त सारे प्रतिबद्ध व्ययों की पूर्ति करनी ही होती है और इन्हें कम करने या पुनर्आबंटित करने की छूट लगभग नहीं के बराबर होती है।

इस तरह के प्रतिबद्ध ख़र्चों का आकार जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के एक अच्छे-खासे प्रतिशत के बराबर होता है। सन् 2013-14 में जीडीपी का 3.3 फीसदी ब्याज अदायगी, 2.3 फीसदी वेतन और पेंशन, 2.2 फीसदी प्रमुख सब्सिडियां और 1.1 फीसदी रक्षा व्यय के बराबर था। कुल मिलाकर वे जीडीपी के 8.9 फीसदी के बराबर थी। इस तरह से केंद्रीय बजट की सारी की सारी राजस्व प्राप्तियां सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में इस्तेमाल हो गईं। किसी भी तरह का नई क्षमता निर्माण पर किया जाने वाला व्यय या नई परियोजनाएं या योजनाओं को ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों जैसे विनिवेश या सरकार के मौजूदा कर्ज़ को बढ़ावा

देते हुए नई सार्वजनिक उधारियों से ही किया जा सकता था।

केंद्रीय बजट के निर्माण का आखिरी चरण वित्त मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर उठाया जाता है जहां खर्चों और राजस्व के सारे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जो अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों से आते हैं और जिसमें उपर्युक्त वर्णित सारी वृहत आर्थिक चिंताएं भी शामिल हैं। बजट निर्माण में जो भी स्वतंत्रता और लचीलापन हो सकता है, उसका इस्तेमाल करते हुए फिर उन योग्यताओं, परियोजनाओं और समय-बद्ध योजनाओं आदि को पुनर्निर्मित और पुनर्संयोजित किया जाता है ताकि वे उस साल के बजट के विशेष उद्देश्यों के उपयुक्त हो सकें।

राजकोषीय उत्तरदायित्व के बाद से संघीय सरकार को एक निश्चित साल के लिए उस संदर्भ में बजट तैयार करना होता है जो आगामी तीन वर्षों के एक अनुमानित विस्तृत वित्तीय मानकों के हिसाब से होते हैं। वित्त मंत्रालय एक मध्य-कालिक स्पष्ट वित्तीय दृढ़ीकरण (कंसोलिडेशन) की योजना बना रहा है जिसमें एक स्पष्ट वित्तीय रणनीति पत्र होगा जो सालभर में कई प्रासंगिक वित्तीय और समष्टि संसूचकों के बारे में विशेष लक्ष्यों और अनुमानों की चर्चा करेगा। ये सारे दस्तावेज केंद्रीय बजट का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और सार्वजनिक बहसों और आपत्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण की भूमिका

केंद्र सरकार के बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के अधीन मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में एक पेशेवर आर्थिक विभाग होता है जो बजट निर्माण के साथ ही साथ एक स्वतंत्र अध्ययन करता है जिसमें उसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मदद करता है। वह भारतीय अर्थव्यवस्था के अतीत में हुए और ख़ासकर पिछले साल हुए प्रदर्शन का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। यह एक विहंगम दृष्टि होती है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की ताक़त, कमज़ोरी, अवसर और उसकी चुनौतियां/जोखिमों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही बेहतर प्रदर्शन के लिए भविष्य की रणनीतियां और उपलब्ध संसाधनों के बेहतरीन इस्तेमाल का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा समस्याओं पर विचार किया जाता है जिसे वर्तमान बजट में दूर किया जा सकता है। इस तरह से, बजट को आदर्श रूप में आर्थिक सर्वेक्षण की सीमाओं के अंतर्गत ही बनाया जाता है या बनाया जाना उपयुक्त होता है।

इसमें नीतिगत बदलावों और प्रस्तावित योजनाओं के लिए ख़ास सुझाव होते हैं जिस पर सरकार अमल कर सकती है। यह सभी पक्षों और क्षेत्रों पर अपनी राय देता है जिसमें केंद्रीय सरकार दिलचस्पी ले सकती है, साथ ही इसका खास केंद्रबिंदु वित्तीय नीति पर होता है। संक्षेप में कहें तो आर्थिक सर्वेक्षण लघु अवधि से लेकर दीर्घावधि तक केंद्रीय सरकार की वित्तीय नीतियों में लघु परिवर्तन का एक बहुत हद तक साफ रोडमैप देता है लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण में विजयी नीति के संदर्भ में दिए गए ख़ास अनुमोदन से वित्त मंत्री अलग राह अख्तियार करें तो कुछेक अपवादों को छोड़कर स्पष्ट तौर पर इसकी वज़ह बताते हैं कि उन्होंने ऐसा अस्थाई रूप से क्यों किया है। ऐसी प्रवृत्ति ख़ासतौर पर सन् 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से देश में रही है। यह एक विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व बढ़ाता है जो सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली संभावित वित्तीय नीति का आधार तैयार करती है। यह भविष्य की राजकोषीय नीति में परिवर्तनों के बारे में अनावश्यक अटकलों को कम करता है और लघु अवधि व दीर्घावधि के घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए अनिश्चितता के माहौल को कम करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण लघु अवधि से लेकर दीर्घावधि तक केंद्रीय सरकार की वित्तीय नीतियों में लघु परिवर्तन का एक बहुत हद तक साफ रोडमैप देता है। लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण में विजयी नीति के संदर्भ में दिए गए ख़ास अनुमोदन से वित्त मंत्री अलग राह अख्तियार करें तो कुछेक अपवादों को छोड़कर स्पष्ट तौर पर इसकी वज़ह बताता है कि उसने ऐसा अस्थाई रूप से क्यों किया है।

सुधारों का एजेंडा

कुल मिलाकर अर्थशास्त्रियों में इस बात पर मतैक्य है कि राजकोषीय नीति को दीर्घावधि लक्ष्यों और अर्थव्यवस्था के सकल माहौल में स्थाई उथल-पुथलों का निदान करना चाहिए। भारत जैसे एक संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक बहुत हद तक एक स्वायत्त संस्था है, वहां राजनीतिक मज़बूरियां अक्सर वित्तीय मामलों पर हावी हो जाती हैं। इसीलिए कुछ कठोर वित्तीय नियमों की ज़रूरत महसूस की गई ताकि सरकारों को वित्तीय समझदारी के स्वीकार्य नियमों पर चलने के लिए अनुशासित किया जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम इसी दिशा में उठाया गया एक क़दम है। हालांकि उसमें वर्णित नियमों जैसे कि शून्य राजस्व घाटा या सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी तक राजकोषीय घाटे की सीमा-वित्तीय नीतियों में तार्किक परिवर्तनों के लिए काफी नहीं है जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय उथल-पुथल के रूप में प्रदर्शित होते रहते हैं। उससे पहले तो प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति पर सहमति की आवश्यकता है और उसके बाद बजट निर्माण प्रक्रिया में उसे औपचारिक रूप से शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार जो है वो एक उच्च स्तरीय सशक्त कमेटी के गठन का है जिसमें अर्थशास्त्री और मैक्रोइकनामिक मैनेजर हों जो उसी तर्ज पर देश के लिए राजकोषीय नीति बनाएं जैसा कि प्रस्तावित मौद्रिक नीति कमेटी है। इसमें पेशेवराना रुख बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया में जिम्मेवारी आएगी। आख़िरकार, निवेशकों और उत्पादकों के बीच में इस बजट निर्माण प्रक्रिया की साख बढ़नी चाहिए और इससे उन्हें कम से कम ज़ोखिम और अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद मिलनी चाहिए।

आख़िरकार, उपर्युक्त वर्णित बजट प्रक्रिया को प्रभावकारी रूप से कई स्तरों पर लोगों और समुदाय के अर्थपूर्ण भागीदारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक बहु-स्तरीय बजट निर्माण प्रक्रिया में नीति-निर्माण के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप भी है। चूंकि हमारा देश बहुत तेज़ी से एक विशद राजकोषीय स्वायत्ता (फिस्कल ऑटोनोमी) और एक केंदीकृत व्यवस्था से सरकार के जिम्मेवार निचले स्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में वर्तमान प्रक्रिया को सहज बनाना और लोगों की भागीदारी को बढ़ाना बिल्कुल तार्किक है। ❑

आम बजट और पर्यावरणीय मुद्दे

प्रभांसु ओझा

पर्यावरण संरक्षण की चिंता आज हर ओर दिखती है। सरकार की ओर से लगातार यह चिंता व्यक्त की जाती रही है।

पर समाधान केवल चिंता व्यक्त करने भर से नहीं होता।

ऐसे में यह देखना लाज़िमी हो जाता है कि सरकारी खर्चों में पर्यावरण संबंधी विषयों की हिस्सेदारी कितनी है।

इस बार के आम बजट में उद्योगों एवं यातायात को पर्यावरण मित्रवत् करने के उपायों के साथ-साथ नमामि गंगे मिशन को मज़बूत करने के प्रावधान तथा स्वच्छ भारत कोष की स्थापना जैसे सकारात्मक उपाय दिखाई दे रहे हैं

विज्ञान और तकनीक के इस दौर में जिस तरह से अधिक से अधिक विकास की बात की जा रही है उससे पर्यावरण पर गहराता संकट पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। सरकारों कि नीतिगत सफलता इसी बात में निहित है की किस तरह से समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकें, विकास की दौड़ में पर्यावरण दांव पर ना लग जाए। हमारे विकास के नितांत भौतिकतावादी और पूंजीवादी मॉडल ने पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है इस बात में कोई दो राय नहीं है। हर दिन बड़े बड़े भवन तो बनते जा रहे हैं लेकिन बड़े पैमाने पर जंगल कटते जा रहे हैं। बड़े शहरों में शुद्ध हवा की खोज करना बेमानी लगने लगा है। पर्यावरण को दांव पर लगाए जाने का ही नतीज़ा है कि आए दिन भूकंप व सुनामी जैसी विनाशकारी आपदाएं आम हो चली हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सरकार अपने बजट में पर्यावरण को लेकर कितनी चिंतित है, क्योंकि समाज तभी तक है जब तक प्रकृति और पर्यावरण है। बजट के माध्यम से ही यह जाना जा सकता है कि विकास की समावेशी योजनाओं को लेकर सरकार कितना गंभीर है, सरकार ने कितनी योजनाएं पर्यावरण के विकास के लिए बनाईं इस बात के साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार द्वारा बनाईं देश के विकास की कितनी योजनाएं पर्यावरण विरोधी नहीं हैं। यह सुखद है कि मौजूदा सरकार के गठन के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री पर्यावरण के प्रति चिंतित और गंभीर दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ने प्रतीकात्मक रूप में देश में साफ-सफाई और पर्यावरण को लेकर एक जिम्मेदारी और जागरूकता का भाव पैदा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार विकास प्रक्रिया को जहां तक संभव है, हरी-भरी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार पेश किए गए बजट में पर्यावरण एवं वन के मद में कुल 1446 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है जिसमे 688 करोड़ रुपये वानिकी (राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास) तथा वन्य जीवन हेतु एवं 758 करोड़ रुपये पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु आवंटित किया है। हालांकि ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है की यह बजट कार्पोरेट दुनिया के क़रीब ज़्यादा है मगर जब गहरे से बजट का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं यह सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ही गंभीर है और बजट में भी इस बात के बाकायदा प्रावधान किए गए हैं जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस बजट में जिन प्रमुख पर्यावरणीय बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई है उनमें शामिल हैं– गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन को अधिक सशक्त बनाना, भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में स्वच्छ भारत कोष की स्थापना, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को रोकने की दिशा में कार्बन करों को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को

लेखक युवा पत्रकार हैं। पर्यावरण संबंधी विषयों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहते हैं। ईमेल: prabhansukmc@gmail.com

प्रोत्साहित करना आदि। यहां उल्लेखनीय है कि पर्यावरणीय परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए सुब्रमण्यम समिति का गठन मंत्रालय के प्रक्रियाओं, कानूनों और अधिनियमों की समीक्षा के लिए 29 अगस्त 2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। समिति को निम्नलिखित पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करनी थी : पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986, वन (संरक्षण) कानून, 1980 वन्यजीव (संरक्षण) कानून, 1972, जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) कानून, 1974 वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) कानून, 1981, समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी तमाम पर्यावरणीय योजनाओं का आधार बनाया गया है।

गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास

सरकार ने अपने पिछले बजट (2014-2015) में हमारी गतिशील सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक गंगा को बचाने के लिए *नमामि गंगे मिशन* शुरू किया और इसके लिए 1500 करोड़ की भारी भरकम धनराशि का प्रावधान किया, और यह बजट इस बार बढ़कर 2,100 करोड़ हो गया है, लगभग 600 करोड़ रुपये की वृद्धि गंगा के संरक्षण को लेकर सरकार की गंभीरता को ही दिखाती है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए न सिर्फ भारी भरकम धनराशि आवंटित की बल्कि कर संबंधी कई घोषणाएं भी की हैं जिससे स्वच्छ गंगा कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने जल संसाधन और नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कुल 4,173 करोड़ रुपये की कुल धनराशि का ऐलान किया है, इसके साथ ही सरकार ने घाटों के विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने गंगा को निर्मल बनाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि स्वच्छ गंगा कोष में दान देने वाले लोगों को दान दी गई राशि पर 100 प्रतिशत कर छूट का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कॉमन एफलुयेंट ट्रीटमेंट प्लांट संचालनों की सेवाओं को सेवाकर से छूट देने की घोषणा भी की है, इससे निजी क्षेत्रों को ऐसे प्लांट लगाने को प्रोत्साहन मिलेगा। यह एक अच्छा संकेत है। इनके साथ ज़रूरी है कि सरकार कुछ ऐसे कठोर क़दम उठाए जिससे गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली तमाम औद्योगिक कंपनियों से आने वाले क़चरे पर रोक लग सके। गंगा में फेंके जाने वाले क़चरे, मृत शरीर तथा आस्था के नाम पर गंगा में होने वाले प्रदूषण को रोके बिना गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता, भले ही सफाई के लिए कितनी भी धनराशि का आवंटन क्यों न कर लिया जाए। सरकार द्वारा वर्ष 2014-2015 के भी बजट मे भी पेश ऐसी तमाम योजनाएं प्रशंसनीय हैं जैसे कि स्वच्छ पेयजल के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, गंगा और यमुना के घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय, वन बंधु कल्याण, पूर्वोत्तर में ऑर्गेनिक खेती, नदी मुहाना विकास, नदियों के पास सोलर पार्क जैसे 100 करोड़ के बजट की तमाम योजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से प्रशंसनीय हैं।

इस बार पेश किए गए बजट में पर्यावरण एवं वन के मद में कुल 1446 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है जिसमें 688 करोड़ रुपये वानिकी (राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास) तथा वन्य जीवन हेतु एवं 758 करोड़ रुपये पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु आवंटित किया है।

कार्बन उत्सर्जन कम करने की पहल

पेट्रोल डीज़ल आदि से चलने वाले वाहन बढ़ते वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं। सरकार ने इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया है, साथ ही ऐसे वाहनों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही है जो पर्यावरण अनुकूल हों। इस तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर टैक्स दर को भी कम से कम रखने के प्रावधान किए गए हैं।

बिजली चालित वाहनों और हाइब्रिड वाहनों के विशेष कलपुर्जों पर लागू सीमा एवं उत्पाद शुल्क की रियायती दरें अब 31 मार्च, 2016 तक मान्य रहेंगी। इससे पहले इन रियायती दरों के 31 मार्च, 2015 तक ही लागू रहने का प्रस्ताव किया गया था। कोयले एवं लिग्नाइट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर की अनुसूचित दर प्रति टन 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये तथा स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रभावी दर प्रति टन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है। औद्योगिक उपयोग को छोड़ अन्य इस्तेमाल वाली इथिलीन के पॉलिमर्स से बनी बोरियों पर उत्पाद शुल्क 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया जा रहा है। प्लास्टिक से बनी थैलियों के प्रयोग को हतोत्साहित करना पर्यावरण के बचाव में अपनी अहम् भूमिका निभाएगा। बजट घोषणा के बाद हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता खुशी मना सकते हैं। बजट में इन दोनों प्रकार के वाहनों पर उत्पाद शुल्क को ख़त्म कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए बजट में 75 करोड़ रुपये की राशि का भी आवंटन किया गया है। बजट में सरकार ग्रीन वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आई। आयातित व्यावसायिक वाहनों के आयात पर लगने वाले शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है तथा ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक क़दम उठाए गए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2022 तक बढ़ाकर 1,75,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही सरकार ने 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें से प्रत्येक मेगा पॉवर प्रोजेक्ट की क्षमता 4 हज़ार मेगा वाट होगी। इन पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कुडनकुलम न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई को भी वर्ष 2015-2016 में चालू करने का एलान किया। इसके साथ ही 2020 तक ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा सहित शेष 20 हज़ार ग्रामों का विद्युतीकरण की बात इस बजट में की गई है। सौर उर्जा के प्रयोग को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना बहुत ही सकारात्मक क़दम है जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी और हर व्यक्ति तक रोशनी भी बहुत कम व्यय में पहुंचाई जा सकेगी। नक़दी लेनदेन को हतोत्साहित करते हुए वित्त मंत्री ने कैशलेस इंडिया की बात की है तथा 20 हज़ार से अधिक के नक़द भुगतान पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड से लेनदेन को अधिक से अधिक बढ़ावा दी जाने की बात कही है इससे जहां काले धन के प्रवाह पर रोक लगेगी वहीं नोटों के निर्माण में लगने वाले महंगे कागज़ की भी बचत होगी जो कि पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क़दम है। स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रमों

के वित्त पोषण के लिए कोयला आदि के प्रति मीट्रिक टन खनन पर स्वच्छ ऊर्जा उप-कर 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसी तरह औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर एथिलिन के पालिमरों के बोरों और बस्तों पर उत्पाद शुल्क 12 से बढ़ाकर 15 करने का प्रस्ताव भी किया गया है। अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों पर बढाया गया सेस भी प्रदूषण मुक्त स्वच्छ भारत की दिशा में एक प्रमुख क़दम है।

वित्त मंत्री के अनुसार अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों पर वास्तविक 'कार्बन टैक्स' अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। 2014 -2015 बजट की आर्थिक समीक्षा में भी यह बात कही गई है कि 'भारत ने सब्सिडियों में कटौती की है और कार्बन सब्सिडी व्यवस्था को कार्बन कराधान में परिवर्तित करते हुए जीवाश्म ईंधनों (पेट्रोल और डीज़ल) पर कर बढ़ा दिया गया है'। इस आर्थिक समीक्षा में यह बात भी कही गई है कि भारत के महत्वाकांक्षी सौर उर्जा कार्यक्रम के संयुक्त पर्याप्त कार्बन कराधान की यह पहल दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली पेरिस वार्ता में भी भारत सकारात्मक योगदान दे सकता है।

कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स को सस्ता करने वाली सरकार को क्या इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ई-क़चरा प्रदूषण आज एक प्रमुख समस्या है और उसमें कंप्यूटर जनित क़चरा लगभग 33 प्रतिशत है। सरकार ने ई-क़चरा से निपटने के लिए बजट मे कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है।

स्वच्छ भारत कोष

खुले में शौच भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने प्रदूषण को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है ख़ासकर गांवों में। वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए 6 करोड़ शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य की बात करते हुए यह जानकारी दी कि वर्ष 2014-2015 की अवधि के दौरान 50 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। रेलवे भी पिछले वर्ष के 120 की तुलना में 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नये शौचालय बनाएगा। यात्री डिब्बों में जैव-शौचालयों का प्रावधान किया जा रहा है, अभी तक 17,388 जैव-शौचालय लगाए गए हैं। जैव शौचालयों में वर्तमान शौचालयों की तुलना में एक चौथाई कम पानी लगता है इसलिए रेलवे कुछ चुनिंदा ट्रेनों में इनका उपयोग करना चाहता है। इन वैक्यूम टॉयलेट्स में पानी का न्यूनतम उपयोग किया जाता है और मानव अपशिष्ट हवा द्वारा अवशोषित किया है।

इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा विद्यालय परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए 'स्वच्छ भारत कोष' की स्थापना की गई है। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार करने और गंगा नदी के संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों में जनसाधारण की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 80छ में संशोधन का प्रस्ताव है। इस उपबंध का भी प्रस्ताव है कि स्वच्छ भारत कोष में किसी दाता द्वारा दिए गए दान और स्वच्छ गंगा निधि में घरेलू दाताओं द्वारा किए गए दान की कुल राशि पर कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-135 की उपधारा (5) अधीन निगमित सामाजिक दायित्व के लिए ख़र्च की गई कोई राशि दाता की कुल आय से कटौती के योग्य नहीं होगी। स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के महत्व पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 10 (23 ग) में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि की आय को आयकर से छूट दी जा सके। ये संशोधन 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होंगे। स्वच्छ भारत कोष (निवासी और अनिवासी दोनों द्वारा) और स्वच्छ गंगा निधि (निवासी द्वारा) में दिए गए दान (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किए गए सीएसआर अंशदान को छोड़कर) आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत 100 फीसदी कटौती के पात्र होंगे।

स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार करने और गंगा नदी के संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों में जनसाधारण की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 80छ में संशोधन का प्रस्ताव है। इस उपबंध का भी प्रस्ताव है कि स्वच्छ भारत कोष में किसी दाता द्वारा दिए गए दान और स्वच्छ गंगा निधि में घरेलू दाताओं द्वारा किए गए दान की कुल राशि पर कोई कर नहीं लगेगा।

पिछले बजट में स्वच्छ पर्यावरण की पहलों के वित्तपोषण हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपकर 50 रुपये प्रतिटन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दिया गया था जो इस बार लगभग 4 गुना अधिक बढ़ा दिया गया है। इस बार के बजट में स्वच्छ पर्यावरण पहलों के लिए वित्त पोषण के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उप-कर को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। पिछले बजट में इस बात के प्रावधान थे जिसमें आर्सेनिक, क्लोराइड, भारी विषैले पदार्थों, कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित 20,000 बसावटों को अगले तीन वर्षों में सामुदायिक जल सुदृढ़ीकरण संयंत्रों द्वारा साफ और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जाने का संकल्प लिया गया था। इस बार भी सरकार स्वच्छ पेयजल के अपने संकल्पों पर अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दृढ़ नज़र आई।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर बजट में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का समावेश बहुत ही सकारात्मक क़दम है, हालांकि एक बजट में हम सिर्फ इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ सिर्फ पर्यावरण के पक्ष में हो। वर्तमान दौर में विकास और पर्यावरण साथ-साथ चलें ऐसे रास्तों की खोज करनी ही पड़ेगी। वर्तमान सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ ही समावेशी विकास की दिशा में दूरदर्शी मालूम पड़ती है। तथापि घटते जंगल, कटते पौधों, कम होते बाघ, गायब होते तमाम पशु-पक्षी बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग आदि भी बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को पूरी गंभीरता के साथ विचार करना होगा और कम से कम आगामी बजट में तो इन मुद्दों का ध्यान ज़रूर रखना होगा। इसके अलावा आम जनता के रूप में भी हमारी यह जिम्मेदारी है की पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तथा स्वच्छ और स्वास्थ्य भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। बिना हमारे योगदान के सिर्फ सरकार के भरोसे कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। ❑

संदर्भ

इंडियाबजट.एनआईसी.इन (Indiabudget-nic-in)
आर्थिक सर्वेक्षण 2014-2015, भारत सरकार
आम बजट 2014-2015, भारत सरकार
आम बजट 2015 -2016, भारत सरकार
प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (pib), भारत सरकार
पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, भारत सरकार
इकोनोमिक टाइम्स, दिनांक 1 मार्च 2015
वित्त मंत्रालय की वेबसाइट, भारत सरकार

मैक्ग्रॉ-हिल एजुकेशन

Mc Graw Hill Education

McGraw Hill Education WINNING WE EDGE Series

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015

अन्य उपयोगी पुस्तकें

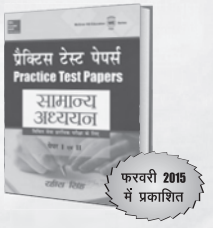

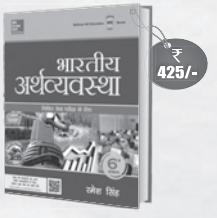

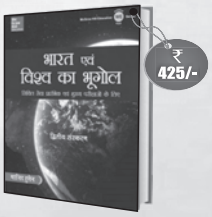

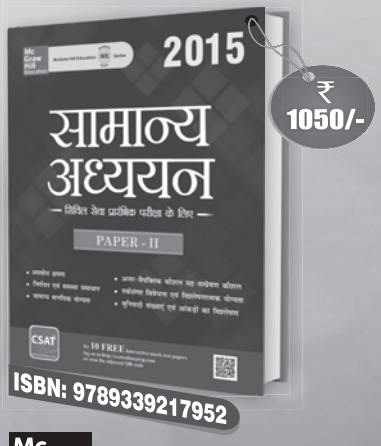

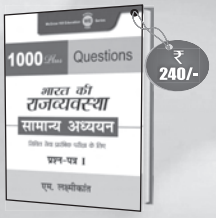

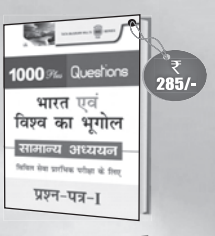

Mc Graw Hill Education

मैक्ग्रॉ-हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-४, सैक्टर-६३, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301
फोन: 91-120-4383502/4383503, फैक्स: +91-120-4383401, वैबसाइट: ***www.mheducation.co.in***

➡ उत्तर भारत: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/राजस्थान/ मध्य प्रदेश: आशीष पराशर (ashish.prashar@mheducation.com) ; दिल्ली/राजस्थान: दिलीप चौरसिया (09560072125); दिल्ली/*एन-सी-आर* : जनेन्द्र अत्री (09210117762); हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश: सागर भटट् (07042799344) ; मध्य प्रदेश: रोहित शैल (07042799341) उत्तरप्रदेश/उतराखंड: जगदीश ध्यानी (07042799338), जितेन्द्र मिश्रा (07042799339)

➡ पूर्वी भारत: बिहार/झारखंड/उड़ीसा: रणविजय कुमार (07042799348) ;

➡ पश्चिम भारत: महाराष्ट्र/गोवा/गुजरात/छत्तीसगढ़: जूनियस रॉडिक्स (09833054319); महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़: सोरभ कानुगोई (08378991475); गुजरात: नरेन माहतो (08238388926)

विक्रय एवं प्रकाशन हेतु जानकारी हेतु लिखें *info.india@mheducation.com*

www.facebook.com/UPSCtitlesbyMcGrawHill www.facebook.com/civilservicesmainexaminationtitlebymcgrawhill

SHIPPING FREE Above ₹ 500/-

Prices are subject to change without prior notice.

For online purchase of MHE products please log on to www.tmhshop.com

YH-347/2014

कृषि क्षेत्र को अपर्याप्त आवंटन

भुवन भास्कर

देश की आबादी के सबसे बड़े हिस्से के लिए जीविका का स्रोत रही कृषि को गत कुछ वर्षों से निराशा हाथ लग रही है। साथ ही कृषि अवसंरचना के विकास के नाम पर भी आवंटन का एक हिस्सा कृषि के खाते में जुड़ जाता है लेकिन इससे प्रत्यक्ष कृषि गतिविधियों को प्रत्यक्षतः कुछ हासिल हो नहीं पाता है। मौजूदा बजट में भी कृषि क्षेत्र को विशेषज्ञों की अपेक्षा के कम आवंटन हासिल हुआ है और कृषि वृद्धिदर भी 1.1 प्रतिशत पर अटकी मालूम पड़ रही है। हालांकि ऋण दायरे में विस्तार और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी कुछ उम्मीद की किरणें भी मौजूद हैं लेकिन व्यापक हित के लिए कृषि जगत का राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान के भरोसे रहना होगा

जब वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए तो वे अपने साथ न केवल व्यक्तियों बल्कि संस्थानों, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के लिए भी समान रूप से आशाओं का पिटारा लेकर आए। इसे सरकार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा में एक नये युग की शुरुआत के लिए अवसर के रूप में देखा गया। विशेषकर, आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में वृद्धि दर 8.5 फीसदी के आसपास रहने और इसके दहाई अंक तक पहुंचने के अनुमान के बाद, कृषि क्षेत्र एक बड़े पैकेज़ की आशा कर रहा था। वर्तमान में कृषि के 1.1 फीसदी वृद्धि का ढर्रा (सर्वेक्षण के अनुसार) अर्थव्यवस्था के दहाई अंक छूने के सपने को गंभीरता से क्षीण करता है। हालांकि, जैसे ही बजट प्रावधानों को स्पष्ट किया गया और विभिन्न आवंटनों की स्थिति साफ हुई, कृषि क्षेत्र और इसके साथ ग्रामीण भारत को विकसित करने का प्रयास लड़खड़ाने लगा। इसकी शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री ने 2015-16 में कृषि के लिए केंद्रीय बजट सहायता में 2014-15 के संशोधित अनुमान के आधार पर 14.3 फीसदी की कटौती कर दी। यहां तक कि बजट अनुमान स्तर से इस वर्ष राशि आवंटन 10.4 फीसदी कम है। इसे 2014-15 में 31,322 करोड़ रुपये के मुक़ाबले 2015-16 में 28,050 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय के वार्षिक आवंटन का एक बड़ा हिस्सा इसके फ्लैगशिप कार्यक्रम 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)' पर ख़र्च किया जाता है लेकिन इस वर्ष आरकेवीवाई के लिए आवंटित राशि को लगभग आधी कर दी गई है। इसे 2014-15 के संशोधित अनुमान (आरई) 8,444 करोड़ रुपये से घटाकर 4,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' दाल, तिलहन, गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने का दूसरा बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए 2014-15 के संशोधित अनुमान के मुक़ाबले इसमें 530 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। आवंटन भी 2014-15 के लिए बजट अनुमान से 630 करोड़ रुपये कम है। केवल एक कार्यक्रम जिसे आवंटन में विशेष महत्व दिया गया, वह है 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना', इसके लिए 2015-16 के बजट अनुमान में पिछले वर्ष के 1,000 करोड़ रुपये के स्थान पर 1,800 करोड़ रुपये दिया गया। यह योजना पिछले वित्त वर्ष में शुरू नहीं हो पाई थी। कुछ अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2015-16 के बजट अनुमान में अलग से 3,500 करोड़ आवंटित की गई है, इस प्रकार लघु सिंचाई, जल संभर विकास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में कुल 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। फिर भी, यह राशि पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 323 करोड़ रुपये कम है।

इसलिए वित्त मंत्री ने दहाई अंकों की वृद्धि दर का सपना दिखाने वाला बजट क्यों

लेखक आर्थिक विषय के पत्रकार हैं और सीएनबीसी आवाज़, जी बिजनेस, इकानॉमिक टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के साथ कार्यरत हैं और शेयर बाज़ार, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और एग्री कमोडिटी से जुड़े विषयों पर लिखते रहते हैं। ईमेल: bhaskarbhuwan@gmail.com

प्रस्तुत किया जहां बीमार कृषि को सहायता देने वाले आवंटन में कमी कर दी गई। उनके अपने शब्दों में 'इस बड़े क्षेत्र के लिए मैं राज्यों से महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपील करता हूं।' वित्तमंत्री पहले भी विभिन्न मौकों पर यह दोहरा चुके हैं कि 14वें वित्त आयोग के प्रस्तावों के मुताबिक राज्यों को केंद्र की ओर से 1,76,000 रुपये देने के बाद उनके पास बहुत कम वित्तीय गुंजाइश बची है।

चिंता की बात यह है कि राज्यों को कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए ज़रूरी धनराशि में योगदान देने के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश नहीं दिया गया है। कृषि पर राज्यों द्वारा ख़र्च किए जाने के उत्साहहीन रिकॉर्ड को देखते हुए, बिना किसी गंभीर क्रियान्वयन योग्य प्रस्ताव के वित्तमंत्री द्वारा तय लक्ष्य शुभेच्छा की हद प्रतीत होता है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण ऋण के लिए बजट में लक्ष्य को काफी हद तक बढ़ाया गया लेकिन सिंचाई और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) जैसे अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र के हिस्सा को इस आशा के साथ कि राज्य बढ़े हुए कर हस्तांतरण के आधार पर अपने हिस्से के ख़र्च को बढ़ाएंगे, लगभग 5,500 करोड़ रुपये कम कर दिया गया।

केंद्र और राज्यों के बीच की हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं है। इसलिए आरकेवीवाई और एनएफएसएम जैसे बड़े कार्यक्रम जो कृषि में 2004-05 से 2013-14 के बीच 3.5 फीसदी से अधिक वृद्धि के प्रति जिम्मेवार थे, को एक धक्का लग सकता है। कृषि क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने के सरकार की योजना के लिए यह एक वास्तविक डर है और केवल धनराशि की कमी की मज़बूरी बताने से सरकार खुद को कृषि क्षेत्र की चिंताओं की जटिलता से स्वयं को नहीं बचा सकती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज़ की गई लेकिन पिछले तीनों वर्षों से यह 1 से 2 फीसदी के बीच ठहरी हुई है। अब यदि सरकार 8 फीसदी की विकास दर हासिल भी कर लेती है और कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं होता है, तो देश कभी भी अपना सामाजिक क्षेत्र का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। यह ग्रामीण और शहरी भारत के बीच एक ख़तरनाक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर सकती है क्योंकि अभी भी 65 फीसदी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।

ग्रामीण ऋण के लिए बजट में 8.5 खरब रुपये वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है। संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ने कहा 'कृषि ऋण हमारे मेहनती किसानों के प्रयासों को सहारा प्रदान करता है, इसलिए, मैंने 2015-16 के लिए 8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे भरोसा है कि बैंक इस लक्ष्य को पार कर जाएंगे।' यहां भी लागू किया जाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि खाद्य विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने एक साक्षात्कार में इंगित किया कि 8.5 लाख करोड़ कृषि कर्ज़ का 96 फीसदी वास्तव में 4 फीसदी ब्याज दर पर कृषि वाणिज्य उद्योग को चला जाता है। निस्संदेह वित्त मंत्री ने इस पहलु पर विचार किया और लघु और हाशिए के किसानों को केंद्रित कर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए 1 लाख करोड़ के आवंटन के साथ ग्रामीण ऋण के दायरे में विस्तार किया। नाबार्ड में उपलब्ध विभिन्न फंड के तहत कृषि और ग्रामीण विकास को केंद्रित कर इसमें 25,000 करोड़ रुपये ग्रामीण ढ़ांचा विकास फंड (आरईडीएफ), 15,000 करोड़ रुपये दीर्घ-अवधि ग्रामीण ऋण फंड, 45,000 करोड़ लघु-अवधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त फंड और 15,000 करोड़ लघु-अवधि आरआरबी पुनर्वित्त फंड का आवंटन किया गया है।

8.5 लाख करोड़ कृषि कर्ज़ का 96 फीसदी वास्तव में 4 फीसदी ब्याज दर पर कृषि वाणिज्य उद्योग को चला जाता है। निस्संदेह वित्त मंत्री ने इस पहलु पर विचार किया और लघु और हाशिए के किसानों को केंद्रित कर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए 1 लाख करोड़ के आवंटन के साथ ग्रामीण ऋण के दायरे में विस्तार किया।

आरआईडीएफ को आवंटन से लघु और हाशिए के किसानों पर केंद्रित प्रभावी और परेशानी रहित कृषि ऋण के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मदद देने का स्पष्ट संदेश है। आरआईडीएफ के तहत 25,000 करोड़ रुपये के जारी रहने से ग्रामीण संपर्क को बड़ा लाभ मिलेगा। नाबार्ड द्वारा 31 मार्च, 2014 को स्वीकृत संचयी आरआईडीएफ ऋण से सड़क एवं पुलों के माध्यम से 43 फीसदी ग्रामीण संपर्क स्थापित किया गया। क्रमशः 43 फीसदी और 14 फीसदी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा सामाजिक क्षेत्र के परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। आंध्र प्रदेश (अविभाजित), तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आरआईडीएफ के तहत लाभान्वित होने वाले प्रमुख लाभार्थी हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा), फिच समूह की एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है का मत है कि दीर्घ-अवधि ग्रामीण ऋण फंड आवंटन में वित्त वर्ष 15 में 5,000 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 16 में 15,000 करोड़ रुपये के बजटीय वृद्धि कृषि आधारित और सहायक उद्योगों, कृषि ढ़ांचा में संलग्न कंपनियों और माल गोदाम के निर्माण में संलग्न उद्यमों के लिए अच्छा संकेत है। इन गतिविधियों के लिए आगे उधार देने हेतु सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड से कम दर पर फंड प्राप्त करते हैं, के पास अतिरिक्त संसाधन होगा। यह कृषि उत्पादन और लंबी अवधि में उत्पादकता को सुधारेगा। इसके अलावा सरकार ने नाबार्ड के आधार पूंजी में वृद्धि के लिए 2015-16 में 300 करोड़ रुपये का फंड देने का भी प्रस्ताव रखा है। जैसा कि नाबार्ड के अध्यक्ष श्री हर्ष कुमार भानवाला ने ध्यान दिलाते हुए कहा ''पिछले कुछ वर्षों में कृषिगत जीडीपी में पूंजी निर्माण का स्तर अपने अधिकतम ऊंचाई 17 फीसदी से 14 फीसदी पर फिसल गया है और इस प्रकार के उपाए हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायक होगा। यह एक मात्रात्मक उछाल है और किसी संभावित परिणाम की स्थिति में खेती से जुड़े लोगों को अपना स्थिति कायम रखने में भी सहायक होगा।''

ग्रामीण युवकों के लिए रोज़गार उत्पादन हेतु 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन फिर अपर्याप्त प्रतीत होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वर्तमान सरकार की दूसरी पसंदीदा परियोजना है जिसका कार्य उर्वरकों के असंतुलित उपयोग पर रोक लगाना और उत्पादन में सुधार लाना है। गत वर्ष इसके लिए 156 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी और इस वर्ष आवंटन को 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत तीन वर्षों में सभी 145 मिलियन

कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में कहा ''सरकार मिशन मोड में प्रत्येक किसान को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू करेगी। मैं इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि और देश भर में 100 सचल मृदा परीक्षण प्रयोशालाएं स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित करता हूं'' और इस वर्ष सरकार ने क्रियान्वयन रिपोर्ट में कहा ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। 47 सचल मृदा परीक्षण प्रयोशालाएं स्थापित करने के लिए 12 राज्यों को फंड जारी किया जा चुका है।'' इसक सीधा मतलब है कि कृषकों को कार्ड जारी करने कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, के भारतीय शोध परिषद में कृषि विषय के इंफोसिस चेयर प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा ''शोध के संबंध में कृषि को बहुत अधिक बढ़ावा दिए जाने और इसमें बजट में आवंटित राशि से अधिक निवेश किए जाने की ज़रूरत है। योजना ख़र्च में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गई है। एक मात्र उल्लेखनीय तथ्य राज्यों को आवंटित राशि में (वित्त आयोग कर योगदान को 32 फीसदी से 42 फीसदी करके) बढ़ोतरी है। राज्यों को कृषि कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेनी होगी, लेकिन अपने भारी बकाया राशि को देते हुए, मुझे संदेह है कि वे ऐसा करेंगे। बहुत तो समय पर वेतनमान भी नहीं दे पाते हैं।''

मुआवज़े के स्तर पर बजट में 2015-16 के लिए 2,43,810.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 2,66,691.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से कम है लेकिन यह कमी पूर्ण रूप से पेट्रोलियम मुआवज़े के मामले में है, जिसे 30,000 करोड़ रुपये से अधिक तक कम होने की उम्मीद है। अभी वैश्विक तेल क़ीमत कम होना एक राहत की बात है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल पर सीमा-शुल्क 7.5 फीसदी से 5 फीसदी होने से कुछ कृषि उत्पादों के लागत में कमी आएगी। खाद्य और उर्वरक के लिए मुआवज़े में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है।

जटिल उर्वरकों के लिए मुआवज़ा आवंटन 9 फीसदी बढ़ाया गया है वहीं उर्वरक मुआवज़े में गत वर्ष की तुलना में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यही थोड़ी-सी चिंता की बात है क्योंकि विशेषज्ञ कुछ युक्तिसंगत मुआवज़े की आशा कर रहे थे लेकिन मुआवज़ों के मूल कारण में कोई सुधार नहीं किया गया है, जिसका पता कृषि और कृषि समुदाय द्वारा कुछ समय से झेल रहे समस्याओं के बारे में वित्त मंत्री द्वारा लगातर जिक्र करने से चलता है। खेती योग्य क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में बारिश में बहुत कमी आई है और उत्पादों में लगातार कमी से उनकी दिक्कतें दुगुनी हो गई, जिससे देश भर में कृषक समुदाय की दशा दयनीय होती जा रही है। इस प्रकार की परिस्थिति में सरकार पूर्ण रूप से अवगत है कि किसानों की आमदनी में इज़ाफ़ा ही एकमात्र चीज़ है जिसे उत्पाद चक्र में सुधार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। बेहतर कृषि लाभ प्राप्त करने में किसानों की सहायता के लिए वित्त मंत्री ने एक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार बनाने की ज़रूरत को दोहराया है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार बनाएं, जिसे औसत मूल्य का आकस्मिक लाभ मिलेगा। मैं एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार निर्मित करने के लिए इस वर्ष नीति आयोग में राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं।'' कृषि क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार है जो कृषि बाज़ार व्यापार के विकास को काफी हद तक प्रभावित करेगा। इसके अलावा यह मध्यस्थता के स्तर को भी प्रभावित करेगा और मूल्य स्थिरता प्रदान करने के साथ ही किसानों के लिए भी हितकर होगा। हालांकि वित्त मंत्री के वक्तव्य में ही मूल बातें छिपी हैं। इस पर केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ कार्य करना होगा और विभिन्न मुद्दों को हल करने में अनिश्चित देरी होने की संभावना है। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विचार पहली बार पिछले बजट में उठाया गया था और इस संबंध में सरकार द्वारा प्रकाशित की गई कार्रवाई की रिपोर्ट में कहा गया है, ''राज्यों ने सीधे बाज़ारीकरण, संविदा कृषि और निजी बाज़ार बनाने की अनुमति के संबंध में अपने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया है और इस संबंध में उनमें से 9 के पास लागू नियम हैं। नियमित अंतराल पर मॉडल अधिनियम और उससे बाहर सुधार करने के लिए राज्यों से अपील की जाती है।''

कुछ महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र हैं जिसे इस बजट में पूर्ण रूप से नजरअंदाज़ कर दिया गया। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए खेती पर आधारित आमदनी बढ़ाने हेतु रास्ते ढूंढ़ने पर ज़ोर दिया, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कहा। सरकार का मेक इन इंडिया पर पूरा ज़ोर देने से यह क्षेत्र कुछ बड़ी सुधार घोषणाओं

तथापि ''कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाज़ार– कुछ मुद्दे और आगे का रास्ता'' प्रवेशिका से आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के आठवें अध्याय में कर्नाटक के एक उदाहरण को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है, ''कर्नाटक में मुख्य बाज़ार के 155 में से 51 क्षेत्र और 354 उप-क्षेत्र को शामिल कर एकल लाइसेंस तंत्र बनाया गया है। राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज लि., राज्य सरकार और एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज का संयुक्त उद्यम स्वत: नीलामी और नीलामी उपरांत की सुविधाएं (वजन, बीजक बनाना, बाज़ार शुल्क संग्रह, लेखांकन), बाज़ार में परखने की सुविधा, माल की गोदाम से बिक्री की सुविधा, माल पर फंडिंग की व्यवस्था, लाभ प्रौद्योगिकी के द्वारा मूल्य वितरण आदि सुविधाएं मुहैया कराता है। खंडित बाज़ार को समाप्त करने से व्यापक तौर पर भौगोलिक सीमा में निजी क्षेत्र को विपणन के बुनियादी ढांचे में निवेश का अवसर प्रदान किया।'' हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि सरकार अन्य राज्यों से ज़रूरी सहायता प्राप्त करे जिससे यह महत्वपूर्ण सुधार को वास्तविकता में बदला जा सके।

इसके अलावा, 2022 से पहले ग्रामीण क्षेत्र में 4 करोड़ मकान तैयार करने की घोषणा भी एक सकारात्मक क़दम है और इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लहर की तरह प्रभाव पड़ेगा लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र हैं जिसे इस बजट में पूर्ण रूप से नजरअंदाज़ कर दिया गया। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए खेती पर आधारित आमदनी बढ़ाने हेतु रास्ते ढूंढ़ने पर ज़ोर दिया, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कहा। सरकार का मेक इन इंडिया पर पूरा ज़ोर देने से यह क्षेत्र कुछ बड़ी सुधार घोषणाओं, विशेषकर तब जब केंद्र ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रमुखता दी है, की उम्मीद कर रहा था लेकिन इस क्षेत्र को केवल फलों ओर सब्जियों के लिए प्री-कोल्ड स्टोरेज की कुछ निश्चित सेवाओं के लिए सेवा कर में छूट मिली है। वित्त मंत्री ने

बजट भाषण में कहा, '' फलों और सब्जियों सें संबंधित कुछ निश्चित प्री-कोल्ड स्टोरेज सेवा के लिए कर छूट को बढ़ाया गया है ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को लाभकारी महत्व मिल सके।'' बजट दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि सेवा पर कर में छूट प्री-कंडीशनिंग, प्री-कूलिंग, पकाने, वेक्सिंग, खुदरा पैकिंग और फलों व सब्जियों पर लेबल लगाने पर दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया गया कि रेल, सामानों या सड़क से खाद्यान्न की ढुलाई में सेवा कर में छूट चावल और दालों सहित अनाज़, आटा, दूध और नमक तक ही सीमित होगा। इसमें कहा गया है कि कृषि उत्पादों की ढुलाई में छूट अलग से दी गई है, जो कि जारी रहेगी। सरकार ख़राब होने वाली वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण में रखना चाहती है ओर इन रियायतों से किसानों की आमदनी में बमुश्किल कोई फर्क पड़ेगा।

दूसरा क्षेत्र जिसे पूर्ण निराशा हाथ लगी है, वह है कृषि निर्यात क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत की स्थिति मज़बूत है। उचित सहायता देकर सरकार एक तीर से दो निशाने लगा सकती थी, पहला बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढ़ाकर और दूसरा किसानों को बेहतर मूल्य चुका कर। लेकिन बजट में इस उप-क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं था।

फसल बीमा पर भी वित्त मंत्री ने चुप रहना ही बेहतर समझा। कोल्ड चेन और मालगोदाम कृषि ढ़ांचा का का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मल्टी-ब्रांड खुदरा में एफडीआई की अनुमति देने की बहस के बीच, इन संसाधनों में निवेश प्राप्त करना एक बड़ा लॉजिक था। कोल्ड चेन और मालगोदाम कृषि उत्पादकों उनके पैदावार को सुरक्षित रखने की सर्वर्धित क्षमता प्रदान कर सशक्त बनाता है परिणामस्वरूप अपने उत्पादों की मोलभाव के समय उन्हें ठोस आधार मिलता है। इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके लिए वित्त मंत्री से आशा थी कि वे कुछ ठोस योजनाओं की घोषणा करेंगे लेकिन आरआईडीएफ के तहत ग्रामीण बुनियादी ढ़ांचा की बात को छोड़कर इस समस्या के हल के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है।

दूसरा क्षेत्र जिसे पूर्ण निराशा हाथ लगी है, वह है कृषि निर्यात क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत की स्थिति मज़बूत है। उचित सहायता देकर सरकार एक तीर से दो निशाने लगा सकती थी, पहला बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढ़ाकर और दूसरा किसानों को बेहतर मूल्य चुका कर। लेकिन बजट में इस उप-क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं था।

संक्षेप में आम बजट 2015-16 में किसानों के आधारभूत मुद्दों और सिंचाई, कृषि ऋण, मृदा स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढ़ांचा और किसानों के लिए बेहतर आमदनी जैसे कृषि के मामलों के हल के लिए अच्छा संकेत मिलता है लेकिन इन योजनाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी राशि से आवंटित राशि बहुत कम है और केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा किए जाने वाले संपूरक ख़र्च पर बहुत अधिक निर्भर है। इन योजनाओं पर ख़र्च करने के लिए राज्यों पर किसी विशेष प्रकार का शर्त नहीं लगाया गया है और यह अंतर इन योजनाओं के पूरा होने पर गंभीर संदेह खड़ा करता है। फसल बीमा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि निर्यात और मालगोदाम जैसे क्षेत्रों को भी बिना हल किए ही छोड़ दिया गया है जो कि इस क्षेत्र पर नज़र रखने वालों को निराश करता है।❑

CSGS-IAS

सिविल सेवा के लिए हिन्दी माध्यम को समर्पित संस्थान

सामान्य अध्ययन (प्री+मुख्य परीक्षा) बैच प्रारंभ

16 March 2015

01 April 2015

वैकल्पिक विषय

लोकप्रशासन — विजयपाल सिंह परिहार

भूगोल — ओजांक शुक्ला

इतिहास — राकेश पाण्डे

Test Series Every Sunday

Online Learning Visit www.csgsias.org

834, First Floor, Opp. Bartra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar Delhi-09 | 9818041656, 9311602617

YH-340/2014

मेक इन इंडिया की ओर मजबूत क़दम

दीपू राय

सरकार के पहले पूर्ण बजट में यह संकेत मिलता है कि सरकार मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दे रही है लेकिन वित्तीय मोर्चे पर सरकार की हालत बेहतर नहीं है। टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए टैक्स बेस बढ़ाना ज़रूरी होगा ताकि उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी

वित्तमंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि पिछले 9 महीने में विकास का यह उभार नहीं दिखा है और उम्मीद है कि हमारी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 7.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी। वित्तमंत्री का पूरा ज़ोर गरीबी दूर करना, रोज़गार देना और आर्थिक विकास पर था। लोगों को बजट का बेसब्री से इंतज़ार केवल भविष्य के आर्थिक ढांचे की तस्वीर के लिए नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान और उसके बेहतर इस्तेमाल से नये भारत की कल्पना के वादों को जांचने की दृष्टि से था। दरअसल अब से पहले भारत की ग्रोथ स्टोरी को कभी भी विनिर्माण से जोड़कर नहीं देखा गया। इसकी सबसे बड़ी वज़ह ख़राब अवसंरचना, बेहतर रिटर्न और वित्तीय अनुपलब्धता के साथ योग्य कामगार का अभाव रहा है। डेमोग्रॉफिक डिवेडेंड की बात दशकों से हो रही है लेकिन इसे भारत के लिए विनिर्माण हब से जोड़कर नहीं देखा गया। नई सरकार ने मेक इन इंडिया के साथ इस डेमोग्राफिक डिवेंडड को जोड़ने का साहस किया है। नई सरकार के पहले पूर्ण बजट को मेक इन इंडिया के तराजू पर तौलना होगा। इस लिहाज़ से बजट में कौशल बढ़ाने या टैक्स छूट से निवेश और विनिर्माण बढ़ाने वाली नीतियों की विवेचना से पहले डेमोग्राफिक डिवेडेंड का मूल्यांकन बेहद ज़रूरी है।

संगठित क्षेत्र में विनिर्माण सेक्टर से जुड़े महज़ दस फीसदी कामगारों का कुल योगदान 65 फीसदी है जबकि 90 फीसदी असंगठित कामगार महज़ 35 फीसदी आउटपुट देते हैं। जिससे साफ है कि औसतन संगठित क्षेत्र का एक कामगार की उत्पादकता असगंठित क्षेत्र के मुक़ाबले 17 गुना ज़्यादा है। यही नहीं श्रम मंत्रालय की 2015 की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय कामगार की उत्पादकता विदेशियों के मुक़ाबले कम है।

बजट 2015 के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास को गति देने की थी। इसलिए सबको उम्मीद थी कि इस बजट में 'मेक इन इंडिया' की झलक मिलेगी। चूंकि बजट देश का हिसाब-किताब होता है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में 15 बार विनिर्माण और 10 बार मेक इन इंडिया शब्द जिक्र किया है। रोज़गार के साथ आर्थिक विकास और ज़रूरी अवसंरचना की चुनौती को बजट में संबोधित किया गया है।

सरकार ने मेक इन इंडिया के साथ सरकारी ख़ज़ाने में पैसा आने और ख़र्च करने के तौर तरीक़ों को भी नई दिशा दी है। सरकार ने आमदनी और ख़र्च के फासले यानी राजकोषीय घाटा के लिए तय समय तक तीन फीसदी पर लाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। जिसके दो निहितार्थ हैं एक तो इससे अवसंरचना ख़र्च को पूरा करने में आसानी होगी दूसरे राज्यों को 14वें वित्तीय आयोग के सिफारिशों के मद्देनज़र बड़ा हिस्सा राज्यों को देने में मदद मिलेगी। सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने या कहें मेक इन इंडिया के मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती है और उसके लिए अवसंरचना पर

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। गत एक दशक से ज्यादा समय से विभिन्न समाचार संस्थानों के साथ कार्यरत रहे हैं। अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा ग्रहण की है। आर्थिक, सामाजिक विषयों पर लेखन में उनकी गहरी रुचि है। ईमेल: dipurai@gmail.com

तालिका 1: सरकार के राजस्व पर दबाव			
रेवेन्यू (करोड़ रु)	बजट	संशोधित बजट	बदलाव
कॉरपोरेशन टैक्स	4,51,005	4,26,079	-24,926
इनकम टैक्स	2,84,266	2,78,599	-56,67
कस्टम	2,01,819	1,88,713	-13.106
यूनियन एक्साइज	2,07,110	1,85,480	-21,630
सर्विस टैक्स 2,15,973	1,68,132	-47,841	
डिविडेंड एंड प्रॉफिट	90,229	88,781	-1448
अन्य गैर टैक्स	99,009	1,02,830	3821
कुल आमदनी	11,89,763	11,26,294	-63.469

ख़र्च ज़रूरी होगा। इस लिहाज़ से राजकोषीय प्रबंधन के लक्ष्य में रियायत फायदेमंद होगा।

सरकार की आमदनी के दो स्रोत हैं। पहला टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स जैसे नेचुरल रिसोर्स या सरकारी कंपनियों के लाभांश शामिल है। सरकार के रेवेन्यू का मुख्य स्रोत होने के नाते कर नीति एक नीतिगत अस्त्र की तरह होती है। इसलिए 28 फरवरी 2015 को पेश अपने पहले पूर्ण बजट में सरकार ने करों के मोर्चे पर कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि अप्रत्यक्ष कर के सबसे बड़े सुधार यानी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 अप्रैल 2016 से लागू करेंगे। इसके साथ ही घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट में टैक्स प्रस्तावों में बदलाव के संकेत भी दिए गए हैं। हालांकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्स हॉलिडे, लेबर रिफॉर्म और कंपनीज़ एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नहीं छुआ गया है। मोटेतौर पर बजट में घोषित टैक्स प्रस्ताव काला धन को रोकने के साथ विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले हैं।

भारत के विनिर्माण हब बनने में सबसे बड़ी रुकावट टैक्स का ढांचा है। इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए जीएसटी का विचार 2006 में लाया गया लेकिन राज्यों के रेवेन्यू और जीएसटी को व्यावहारिक स्वरूप देने में देरी होती गई। संघीय ढांचागत स्वरूप को बरकरार रखते हुए अगले साल से सरकार जीएसटी को लागू करने का संकेत दे दिया है। बजट में इसका सीधा संकेत सेवा कर में बदलाव से मिलता है। सरकार ने सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। अगर कर योग्य सेवाओं पर 2 फीसदी के स्वच्छ भारत सेस को जोड़ लें तो आने वाले समय में 16 फीसदी सेवा कर देना होगा। सेवा कर की दर में बढ़ोतरी से साफ है कि सरकार

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कारोबारी जगत को मिली छूट

सरकार का मानना है कि देश में मेक इन इंडिया को तवज्ज़ों देना है इसलिए निवेश का माहौल बेहतर होना चाहिए। जनरल एंटी एवायडेंस रूल्स के तहत इनकम टैक्स को सख्त अधिकार दिए जाने की वकालत की गई थी। उदोगजगत इस नये नियमों में रियायत चाहता था। सरकार ने इसे लागू होने की तारीख़ को दो साल के लिए बढ़ा दिया। अब 31 मार्च 2017 के बाद निवेश के मामले इसके दायरे में आएंगे।

कॉरपोरेट टैक्स में रियायत

वित्तीय वर्ष 2015-16 से अगले चार के दौरान कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटकर 25 फीसदी हो जाएगा। बजट के इस प्रस्ताव ने उद्योग जगत को चौंका दिया। हालांकि बहुत तरह की रियायतों और छूटों को ख़त्म किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि बाकी देशों ख़ासकर प्रतियोगी एशियाई देशों के मुक़ाबले भारत में कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा था। इसलिए इसमें कमी लाना ज़रूरी था।

संपत्ति कर

सरकार ने करदाताओं और कर वसूली प्रशासन के अनुपालन भार को हल्का करने के लिए संपत्ति कर ख़त्म कर दिया है। इसकी जगह सरकार ने एक करोड़ से ज़्यादा आमदनी वालों पर 2 फीसदी का सेस लगा दिया है। सरकार का कहना है कि संपत्ति कर से जहां हज़ार करोड़ बचते थे वहीं दो फीसदी सेस से क़रीब 9 हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व आएगा।

एडिशनल डेप्रिसिएशन का प्रावधान

क़ारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार ने चुनिंदा सेक्टर में एडिशनल डेप्रिसिएशन को है। जैसे विनिर्माण और बिजली सेक्टर में कोई नया प्लांट या मशीनरी ख़रीदने के 180 दिन के भीतर शुरू करता है तो सरकार मौजूदा साल के साथ अगले साल भी डेप्रिसिएशन अलाउंस क्लेम करने की सुविधा दे रही है। यह बदलाव वित्तीय साल 2015-16 से लागू होगा।

पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने पर फायदा

पहली अप्रैल 2015 को या उसके बाद आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने वालों को 35 फीसदी तक का अतिरिक्त डेप्रिसएशन के साथ नये प्लांट और मशीनरी लगाने पर 15 फीसदी का निवेश भत्ता का प्रस्ताव किया गया है। निवेश भत्ता पहली अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच नये प्लांट या मशीनरी लगाने पर मिलेगा।

नई नौकरी पर डिडक्शन मिलेगा

सरकार ने नौकरी देने पर 80जेजेए के तहत टैक्स में रियायत देती है जो अभी तक केवल कॉरपोरेट को मिलता था लेकिन अब कोई भी व्यक्ति 50 लोगों को नियमित कर्मचारी के रूप में रखता है तो उसे 80जेजेए के तहत छूट मिलेगी।

न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (MAT)

फिलहाल कोई कंपनी अगर एओपी की सदस्य है तो वह न्यूनतम वैकल्पिक कर के दायरे में आती है। नये बजट में पार्टरशीप फर्म की तरह उनके हिस्से को बुक प्रॉफिट से बाहर रखा गया है। यानी उस हिस्से के मुनाफे पर एमएटी नहीं लगेगा।

तक़नीकी सेवाओं पर रॉयल्टी में रियायत

मेक इन इंडिया के तहत क़ारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कंपनियों को टैक्स में रियायत दी है। अप्रवासी को रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं की फीस पर टैक्स 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

जीएसटी को लागू करने जा रही है। जीएसटी का न्यूट्रल रेट 22 से 27 फीसदी के बीच (चालू उत्पाद शुल्क 12.5 फीसदी तथा राज्यों का 14 फीसदी वैट) होगा। अप्रत्यक्ष कर की दर को इसके आसपास लाना ज़रूरी है। सरकार जीएसटी के समय झटका नहीं देना चाहती इसलिए सर्विस टैक्स रेट में बढ़ोतरी की गई है।

मेक इन इंडिया के लिहाज़ से दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव कस्टम ड्यूटी में किया गया है। ऐसी 22 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है जिसका इस्तेमाल घरेलू विनिर्माण में इनपूट के बतौर होना है। ट्रक या बस बनाने वाले निर्माता को कस्टम ड्यूटी के ज़रिये राहत भी दी गई है। तगड़ी प्रतियोगिता के दौर में भारी वाहनों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया है।

अवसंरचना पर ज़ोर

बजट में सरकार के अवसंरचना में निवेश को नये सिरे से परिभाषित किया गया। सड़क और रेल के सकल बजटीय समर्थन को बढ़ाया गया। सड़क पर 14,031 करोड़ रुपये और

रेलवे के बजटीय समर्थन को 10,050 करोड़ किया गया है। बजट में सरकारी कंपनियों की पूंजी ख़र्च या निवेश योजना का अनुमान क़रीब 80 हज़ार करोड़ बढ़ाकर 3,17,889 करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार ने बजट में 20 हज़ार करोड़ के सालाना बजट से राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष बनाने की पहल की है। इसके अलावा अवसंरचना के लिए पैसा जुटाने का नया माध्यम टैक्स फ्री इंफ्रा बांड लाने की भी घोषणा की गई है।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती डुईंग बिजनेस में भारतीय स्थिति को सुधारना है। इसलिए ऑनलाइन या ईगवर्नेंस पर ज़ोर दिया गया है। सरकार ने प्री क्लियरेंस जैसी योजनाएं शुरू की है। जिसमें 20 हज़ार मेगावाट से ऊपर के पावर प्रोजेक्ट, सड़क और बंदरगाह को प्री क्लियरेंस दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे निजी क्षेत्र की कंपनियों और क़ारोबारियों का विश्वास बढ़ेगा। इस प्रावधान से सार्वजनिक निजी भागीदारी को नई जान मिलेगी।

मेक इन इंडिया के लिए बजट में नये उद्योग लगाने के लिए ज़रूरी वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। सरकार ने स्टार्टअप इनक्यूबेशन, सीड कैपिटल और सेल्फ इंप्लायमेंट (सेतु) की शुरुआत की है।

हालांकि इन तमाम घोषणाओं के बावजूद न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (मैट) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जैसे कुछ मुद्दों पर रियायत की उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन सरकार ने इस बजट के ज़रिये नए क़ारोबारियों और उनके निवेश के लिए बेहतर स्कील्ड ह्यूमन रिसोर्स मुहैया कराने का भी संकेत दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोज़गारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा क़दम है।

सरकार के पहले पूर्ण बजट में यह संकेत मिलता है कि सरकार मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दे रही है लेकिन वित्तीय मोर्चे पर सरकार की हालत बेहतर नहीं है। टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए टैक्स बेस बढ़ाना ज़रूरी होगा ताकि उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी। ❑

सर्विस टैक्स में बदलाव: कर सुधारों का नया अध्याय

सर्विस टैक्स में बड़े बदलाव हुए हैं जो तीन चरणों में लागू होंगे। ये तीन चरण होंगे- 1. पहली मार्च 2015, 2. पहली अप्रैल 2015, 3. वित्त विधेयक की अधिसूचना की तारीख़

तालिका 2: सर्विस टैक्स के बदलाव और लागू होने की तारीख़

पहली मार्च 2015 से बदलाव	
एग्रीगेटर पर रिवर्स चार्ज मेकानिज़्म के तहत सर्विस टैक्स	01 मार्च 2015
डिजिटली साइन्ड इनवायस के साथ ई-रिकॉर्ड रखना	01 मार्च 2015
सिंगल प्रिमाइस के लिए रजिस्ट्रेशन (दो दिन में)	01 मार्च 2015
CENVAT क्रेडिट का टाइम 6 की जगह एक साल हुआ	01 मार्च 2015
सभी रेजिडेंट फर्म को एडवांस रुलिंग का फायदा	01 मार्च 2015
पहली अप्रैल 2015 से सर्विस टैक्स में बदलाव	
सर्विस टैक्स की छूट	
बुजुर्ग पेंशन बीमा योजना पर सर्विस टैक्स नहीं	01 अप्रैल 2015
क्लिनिकल इंस्टैबिलशमेंट के साथ मरीज ट्रांसपोर्टेशन	01 अप्रैल 2015
सर्विस टैक्स छूट ख़त्म	
कंस्ट्रक्शन या बाकी सेवाओं पर(सरकारी)	01 अप्रैल 2015
चाय, कॉफी, चीनी, दूध प्रोडक्ट, खाद्य तेल की ढुलाई	01 अप्रैल 2015
MF एजेंट, डिसट्रीब्यूटर्स, AMC पर लगेगा सर्विस टैक्स	01 अप्रैल 2015
बिजनेस क्लास के 40: किराए पर सर्विस टैक्स	01 अप्रैल 2015
रोड, रेल पैसेंजर, गूड्स ढुलाई के 30 प्रतिशत पर सर्विस टैक्स	01 अप्रैल 2015
रिवर्स मेकानिज़्म बदला 100 प्रतिशत सर्विस टैक्स रिसिवर देगा	01 अप्रैल 2015
सर्विस टैक्स दर 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी होगी	

आम बजट के सामाजिक आयाम

मनीष गोविल

सामाजिक क्षेत्र में राजकोषीय व्यय बढ़ाने की मांग हमेशा से होती आई है और लोक कल्याणकारी राज्य का ऐसा दायित्व भी बनता है कि वह इस क्षेत्र में ख़र्च बढ़ाए लेकिन सीधे-सीधे ऐसा करना सहज़ नहीं होता। मौजूदा बजट में बीमा योजनाओं और भविष्य निधि कोषों के बेहतर उपयोग के ज़रिये सामाजिक क्षेत्र को पूरक निधि उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए उनकी आवश्यकता के हिसाब से तैयार की गई योजनाएं भी इस बजट की बड़ी विशेषताएं हैं

वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में रक्षा, आंतरिक सुरक्षा आदि पर ख़र्च करने के अलावा समाज कल्याण की आवश्यकताओं के लिए भी काफी कुछ प्रावधान किया गया है। प्रतीत होता है कि सामाजिक मुद्दे की पटकथा काफी पहले सरकार के व्यापक अभियान और फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे कि बैंकिंग हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छता और सफाई के लिए स्वच्छ भारत, विकास के लिए मेक इन इंडिया आदि द्वारा लिखी जा चुकी थी। इन सभी कार्यक्रमों का बजट में काफी विस्तार से उल्लेख है और इनमें समाज की स्थिति को ऊपर उठाने की पर्याप्त संभावना भी है। सामाजिक उत्थान को लेकर सरकार की चिंता और गंभीरता को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा– जहां तक सामाजिक और आर्थिक सूचकांकों का सवाल है, पिछले सात दशकों से हम प्रतिशत और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर कार्य करते रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि क्रमबद्ध परिवर्तन से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अब हनुमान कूद के बारे में सोचना होगा।

इस बात को और भी रेखांकित करते हुए संशोधित अनुमान से अधिक कुल अतिरिक्त सरकारी निवेश को 1.25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। तीन प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को अब दो के बजाय तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा। वर्ष 2015-16 में 3.9 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 3.5 प्रतिशत और वर्ष 2017-18 में 3.0 प्रतिशत और इसके लिए भी एफआरबीएम एक्ट में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। सामाजिक महत्व के कुछ बड़े विभागों के लिए किए गए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधानों का वर्णन और विश्लेषण यहां प्रस्तुत है।

कृषि

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांवों में रहता है और खेती पर निर्भर है। बजट में इससे जुड़े जिन दो प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया गया वे है, मिट्टी और पानी। मिट्टी की उर्वरता को स्थाई रूप से बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है जो 'परंपरागत कृषि विकास योजना' को भी सहायता देगी। पानी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना शुरू की गई है जिसका लक्ष्य है हरेक खेत को पानी उपलब्ध कराना और प्रति बूंद अधिक फसल की व्यवस्था करने के लिए पानी का अधिकतम उपयोग करना है। सूक्ष्म सिंचाई, जलसंभर विकास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु 5,300 करोड़ आबंटित किए गए हैं।

किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं : नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की निधियों में 25,000 करोड़ रुपये, दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में 15,000

लेखक सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) हैं तथा लेखा, कर-परामर्श आदि सेवाओं के साथ प्रबंधन परामर्श फर्म चलाते हैं। वह भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सामाजिक, ग्रामीण और अवसंरचना योजनाओं-परियोजनाओं में परामर्श देते रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा लखनऊ मट्रो रेल प्रमुख हैं। ईमेल: govilmanish7@gmail.com

करोड़ रुपये, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु 45,000 करोड़ रुपये और अल्पावधिक आरआरबी पुनर्वित्त निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये। इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकों द्वारा 8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस प्रयास में जनधन योजना से खासा लाभ मिलेगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन विशेषकर सोशल ऑडिट आदि के द्वारा गुणवत्ता और प्रभाव बढ़ाने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

किसानों को उनकी फसल का सर्वोत्तम मूल्य दिलाने के लिए नीति में एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का सृजन किया गया है। यह किसानों की आय को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें मूल्य वृद्धि के नियमन से मिलने वाला आकस्मिक लाभ भी शामिल होगा और यह किसानों को स्थानीय साहूकारों की चंगुल से भी मुक्ति दिलाएगा।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकों द्वारा 8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस प्रयास में जनधन योजना से खासा लाभ मिलेगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन विशेषकर सोशल ऑडिट आदि के द्वारा गुणवत्ता और प्रभाव बढ़ाने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

असंगठित क्षेत्र और छोटे व्यापारियों को सहायता द्वारा उद्यमिता को प्रोत्साहन

असंगठित क्षेत्र देश में सबसे अधिक 62 प्रतिशत रोज़गार उत्पन्न करता है। इसमें 5.77 करोड़ छोटे व्यापारिक संस्थान शामिल हैं जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा व्यवसायों से जुड़े हैं और सामान्यत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उधार देने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 20,000 करोड़ की निधि और 3,000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म एकक विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक सृजित करने का प्रस्ताव रखा गया है जो सभी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं, जो ऐसी छोटी क़ारोबार इकाइयों को उधार देने के व्यवसाय में लगी हैं, को वित्तीय पोषण प्रदान करेगा। इस क़दम से देश में कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए उद्यमिता और रोज़गार-अवसरों में वृद्धि होगी।

इस बजट में ट्रेड डिस्काउटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) की स्थापना की गई हैं जो सूक्ष्म, लघु और मंझौले उद्यम क्षेत्र में नक़दी की स्थिति में सुधार लाएगा। दिवालियापन के कानून में सुधार से कानूनी निश्चितता और गति आएगी और वित्तीय वर्ष 2015-16 में समग्र दिवालियापन कोड बनाने से व्यापार करना आसान हो जाएगा।

इस बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार देश भर में फैले सभी गावों में मौजूद 1,54,000 स्थानों पर विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करेगी। डाक विभाग को भुगतान बैंक का लाइसेंस लेना होगा। इससे प्रधानमंत्री जनधन योजना में काफी मदद मिलेगी और इसका बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार सेतु (स्व-रोज़गार और प्रतिभा का उपयोग) नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक औद्योगिकीय-वित्तीय प्रोत्साहन व सुविधाप्रदाता कार्यक्रम होगा जो अन्य स्व-रोज़गार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। इसके लिए नीति आयोग के तहत 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विशेषकर ग़रीब और वंचितों के लिए जन धन से जन सुरक्षा तक

भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन-किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई है जो दो लाख रुपये के दुर्घटना मुत्यु जोखिम को कवर करेगी। ऐसी ही एक और योजना है अटल पेंशन योजना। यह अंशदान की अवधि के अनुसार एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नये खातों में पांच वर्ष के लिए लाभार्थियों के प्रीमियम के 50 प्रतिशत का अंशदान करेगी जो 1000 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित होगा।

अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो दो लाख रुपये तक नैसर्गिक मृत्यु और दुर्घटना जोखिम को कवर करेगी। 18-50 वर्ष के आयु समूह के लिए इसका प्रीमियम 330 रुपये प्रतिवर्ष अथवा एक रुपये प्रतिदिन से कम होगा।

पीपीएफ के 3,000 करोड़ और ईपीएफ निधि में लगभग 6,000 करोड़ की बिना दावे की जमाराशियों से एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका उपयोग कमजोर वर्गों वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्ड धारकों और छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा। ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायक जीवन साधन उपलब्ध कराने की भी एक योजना प्रस्तावित है। उन अल्पसंख्यक युवाओं को समर्थ बनाने के लिए इस वर्ष नई मंजिल नामक एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका योजना आरंभ की जाएगी, जिसके पास औपचारिक स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं होता जिससे वे कोई या बेहतर रोज़गार प्राप्त कर पाते।

अटल पेंशन योजना अंशदान की अवधि के अनुसार एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नये खातों में पांच वर्ष के लिए लाभार्थियों के प्रीमियम के 50 प्रतिशत का अंशदान करेगी जो 1000 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित होगा।

केंद्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव होने के बाद भी विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए इस वर्ष किए जाने वाले आबंटन इस प्रकार हैं–

अनुसूचित जाति	30851 करोड़ रुपये
अनुसूचित जनजाति	19980 करोड़ रुपये
महिला	79258 करोड़ रुपये

महिला सुरक्षा और जागृति के लिए निर्भया फंड में 1000 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं।

ये सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जो ग़रीबों, वंचितों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। जनधन योजना के आधार पर इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि किसी

भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था में अभाव की चिंता न करनी पड़े। परंतु इसके लिए एक परिणाम देने वाला तंत्र और उसमें राज्य सरकारों का उचित सहयोग सुनिश्चित करना होगा।

अवसंरचना

रेलवे और सड़कों दोनों को सकल बजटीय सहायता पर परिव्यय क्रमशः 14,031 करोड़ और 10,050 करोड़ बढ़ा दिया गया है। इससे सरकार का अवसंरचना के विकास के प्रति गंभीरता का पता चलता है। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पूंजी व्यय 3,17,889 करोड़ होना अनुमानित है, इसमें संशोधित अनुमान 2014-15 से लगभग 80,844 करोड़ की वृद्धि है। वस्तुतः अवसंरचना में सभी निवेश वर्ष 2015-16 में 2014-15 के मुक़ाबले सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के केंद्र की निधियों और संसाधनों से 7,000 करोड़ बढ़ जाएंगे।

नीति के अंतर्गत अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना की गई है। यह एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को संज्ञान में लाएंगे।

सरकार एक राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करने और इसके लिए 20,000 करोड़ का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए धन प्राप्त करना चाहती है। रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांडों को जारी करने की भी अनुमति दी गई है। अवसंरचना विकास के पीपीपी प्रारूप को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले जोखिम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा उठाए जाने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इससे निवेश और रोज़गार दोनों ही बढ़ेंगे।

नीति के अंतर्गत अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना की गई है। यह एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को संज्ञान में लाएंगे। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय नवोन्मेष हब होगा जो श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ की राशि निश्चित की गई है।

एक सुव्यवस्थित व सक्रिय बाज़ार के लिए समुचित उपभोक्ता संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। अतः बजट में क्षेत्रीय तटस्थ वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए एक कार्यबल बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। यह भारतीय वित्तीय कोड तैयार करने और सीधे-साधे ग्राहकों को भटकाए जाने से बचाव का साधन उपलब्ध कराएगी।

कर प्रणाली

इस बजट का ज़ोर प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने पर है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से दरों के संबंध में प्रतिस्पर्धी है, इसके लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है, यह बचतों को प्रोत्साहित करता है और बिचौलियों से कर की उगाही नहीं करता है। ऐसी प्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी के माध्यम से जिस आधुनिकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कर रहे हैं, उसके समरूप है। सेवा कर को 2016-17 से लागू होने वाले जीएसटी के साथ तालमेल बैठाने के लिए 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। करों को सुसंगत और जीएसटी के अनुकूल बनाने से अप्रत्यक्ष करों के बारंबारता और दोहराव की समस्या को कम किया जा सकेगा जिससे अंतिम उपभोक्ता के लिए मूल्य-वृद्धि नहीं होगी। यदि सरकार यह सुनिश्चित करे कि घटे हुए मूल्य का लाभ अंतिम उपभोक्ता को मिले, तो इसका काफी लाभ होगा और सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा।

ईपीएफ, इएसआई और एनपीएस में प्रस्तावित सुधार भी 15000 रुपये की निश्चित मासिक आय वाले कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएंगे। इससे कर्मचारियों को काटकर मिलने वाले वेतन में वृद्धि होगी और उसे अच्छी सुरक्षा भी मिलेगी। सीएसआर के अलावा स्वच्छ भारत अभियान में अंशदान को भी आयकर से 100 प्रतिशत छूट दे दी गई है।

ग्रीन इंडिया, पर्यटन का विकास, विभिन्न राज्यों में आईआईटी, एम्स आदि संस्थान खोलना आदि का लक्ष्य भी जीवन, विकास और अन्य सामाजिक पैमानों का स्तर बढ़ाना है। यह परिवर्तन करते हुए भी यह ध्यान रखा गया है कि कुल रोज़गार सर्जन, ग़रीबी उन्मूलन और अवसंरचना विकास बाधित नहीं हो। आर्थिक विकास में राज्यों की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई है। अनुदानों की विभेदीकरण इस प्रकार किया गया है कि लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल सके। छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या वर्तमान एक करोड़ से 10.3 करोड़ तक बढ़ाए जाने पर ज़ोर है। इसी प्रकार रसोई गैस के लिए 6335 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर 11.5 करोड़ ग्राहकों को सीधे दिए गए हैं। इससे बीच में होने वाली गड़बड़ियों और लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाने की अक्षमता को दूर करने में सहायता मिलेगी। हालांकि इसमें भी राज्य सरकारों की भूमिका अहम् होगी।

ईपीएफ, ईएसआई और एनपीएस में प्रस्तावित सुधार भी 15000 रुपये की निश्चित मासिक आय वाले कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएंगे। इससे कर्मचारियों को काटकर मिलने वाले वेतन में वृद्धि होगी और उसे अच्छी सुरक्षा भी मिलेगी। सीएसआर के अलावा स्वच्छ भारत अभियान को भी 100 प्रतिशत आयकर से छूट दे दी गई है।

बजट में श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने पर भी ख़ासा ज़ोर दिया गया है। निम्न और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को इच्छानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक आईटी आधरित विद्यार्थी वित्तीय सहातया प्राधिकरण बनाया गया है जो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के द्वारा छात्रवृत्तियों के साथ-साथ शिक्षा-ऋण योजनाओं पर भी नज़र रखेगा। कुशलता विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय कुशलता मिशन की भी शुरुआत की गई है। यह मेक इन इंडिया की तर्ज़ पर बनाया गया है और आर्थिक व सामाजिक उन्नति में सहायक होगा। बहरहाल, अतिरिक्त संसाधनों के विकास और राज्यों को मिली स्वायत्तता से संघीय ढांचे और प्रधानमंत्री की टीम इंडिया को बल मिलता है जो बजट के सामाजिक लाभ को बढ़ाने में सहायक होगी। ❑

जनता के स्वास्थ्य की चिंता करता बजट

रवि शंकर

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काफी संतुलित बजट है। स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च करने के साथ-साथ इस बार सरकार ने लोगों के स्वस्थ रहने की भी चिंता की है। कुछ और प्रावधान किए जा सकते थे, परंतु फिर भी बजट एक स्वस्थ भारत की आशा तो जगाता ही है। स्वच्छ भारत और योग लोगों को स्वस्थ रहने में सहायता करेंगे। यह एक बड़ी नीतिगत पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए

नई सरकार का बहुप्रतीक्षित पहला बजट आ गया है। हालांकि पिछले वर्ष भी सरकार के गठन के तुरंत बाद बजट पेश किया गया था, परंतु तब कहा गया था कि उसे अपने हिसाब से बजट बनाने का मौका नहीं मिला। इस बार ऐसा कोई कारण नहीं है। इसलिए यह बजट सरकार के विकास के मॉडल और उसको पूरा करने के तरीके का खुलासा करने वाला बजट है। यदि हम स्वास्थ्य के मामले को देखें तो इस बजट में प्रधानमंत्री की नीतियां साफ दिखती हैं। पिछले वर्ष 2014 में सरकार गठन के तुरंत बाद पेश बजट में नीतिगत तौर पर कोई पहल या बदलाव देखने को नहीं मिला था, परंतु इस बार कई पहल और बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

सबसे प्रमुख बात है सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट में प्रावधानों को बढ़ाए जाने की। आगे हम देखेंगे कि सरकार ने इस बार अनेक ऐसे नये बजटीय प्रावधान किए हैं तो अनेक वर्तमान प्रावधानों को या तो समाप्त कर दिया है या फिर उन्हें काफी कम कर दिया है। इस पूरे परिदृश्य पर नज़र डालने से सरकार की भावी नीतियों और देश को लेकर विज़न का पता चलता है। संभवत: सरकार चाहती है कि लोग अपनी चिंता स्वयं करें और सरकार को उनकी चिंता कम से कम करनी पड़े। आदर्श के रूप में यह सही भी है, परंतु आज की स्थिति में यह कितना व्यवहार्य हो पाएगा, यह देखने की बात है। फिर भी सरकार ने अनेक ऐसी पहलें की हैं, जिनका सीधा फ़ायदा देश की आम जनता को होने वाला है। कुछ पहलें ऐसी भी हैं जिनका सीधे तौर पर तो नहीं, परंतु परोक्ष रूप से लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार की सबसे प्रमुख पहल ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए दिखती है। सरकार ने इस वर्ष ग़रीबों की चिंता विशेष तौर पर की है। इस बजट की ऐसी ही एक घोषणा इस बजट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के रूप में की गई है जिससे बीमा की पहुंच बढ़ाई जा सके। इसे प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत दो लाख के कवरेज की योजना पेश की जाएगी। इन सामाजिक योजनाओं के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति पैसे के अभाव में बीमारी या बुढ़ापे की दिक्कतों से नहीं जूझे। यह एक अच्छी योजना है।

अभी तक बीमा करवाना ग़रीब और निचले तबके के लोगों के लिए कठिन काम हुआ करता था। हर महीने कुछ सौ रुपये निकाल पाना भी उनके लिए कठिन होता था। परंतु अब यह अपने सरलतम रूप में है। हरेक महीने एक रुपये की कटौती किसी के लिए कोई भार नहीं है और इसमें दो लाख रुपयों का बीमा मिलना किसी सौगात से कम नहीं है।

लेखक गांधी दर्शन के शोधार्थी और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। उन्होंने पंचवटी फाउंडेशन के लिए गौसंपदा के आर्थिक वैज्ञानिक-पर्यावरणीय आयामों पर पांच खंडों में शोध ग्रंथ के संकलन व संपादन के अलावा पारंपरिक कृषि पर शोध कार्य किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की शोध परियोजना के अंतर्गत 'राष्ट्रवादी पत्रकारिता' विषय पर पुस्तक प्रकाशित। ईमेल: ravinoy@gmail.com

मध्यम और उच्च वर्ग के लिए भी सरकार ने प्रावधान किए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसे 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रावधान बीमा कंपनियों को तो फ़ायदा पहुंचाएगा, परंतु इससे जनता के स्वास्थ्य को कितना लाभ पहुंचेगा, कहना कठिन है। हालांकि सरकार का यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है कि अत्यंत वरिष्ठ नागरिक के मामले में निर्दिष्ट बीमारियों के कारण होने वाले ख़र्चों पर कटौती की सीमा 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी जाए। इसी प्रकार बजट में एक स्वागत योग्य प्रस्ताव यह भी है कि आश्रित विकलांग व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित देखभाल के संबंध में कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी जाए। इसके साथ ही गंभीर विकलांगता की दशा में कटौती की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

सरकार की स्वच्छ भारत योजना भी परोक्ष रूप से देश के स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान में साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के तहत 2,500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। ग्रामीण इलाक़ों में बीमारियों का एक बड़ा कारण साफ पेय जल की अनुपलब्धता है। शौचालय और स्वच्छता के लिए 3,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस बजट में छह करोड़ शौचालय बनाने की बात की गई। परंतु शौचालय बनाने की पिछले वर्ष की दर काफी कम रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकार ने इस वित्त वर्ष में 26.5 लाख शौचालय बनवाए हैं। यह संख्या अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के बीच बनाए गए शौचालयों की संख्या से क़रीब आधी है। ऐसे में सरकार के सामने यह चुनौती रहने वाली है कि शौचालय निर्माण के लिए बजट आबंटन के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन पर भी ध्यान दे।

फिर भी बजटीय प्रावधानों को देखें तो स्वच्छ भारत के लिए किया गया आबंटन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहने वाला है। स्वच्छता रहेगी तो एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। वातावरण स्वस्थ होगा तो लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। इसलिए भले ही स्वच्छ भारत योजना स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय न हो, परंतु इसका सीधा प्रभाव इस पर ही पड़ने वाला है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिए गए 6,000 करोड़ रुपये भी परोक्ष रूप से स्वास्थ्य बजट का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। ऐसा ही एक प्रावधान है योग को आयकर से मुक्त करने का। इस बजट में योग को परोपकारी कार्य घोषित कर दिया गया है और इससे होने वाली आय को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। यह कदम उन तमाम योग गुरुओं द्वारा बनाए गए ट्रस्टों को सीधा मदद करेगा जो योग सिखाने के काम में लगे हुए हैं। परंतु इससे अधिक यह देश के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएगा। अब योग का प्रचार करना और प्रशिक्षण देना सरल हो जाएगा और इसके उपप्रयोग से लोग स्वस्थ रह सकेंगे।

पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,912 करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि इस बार इसके लिए केवल 18,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यानी कि लगभग 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। परंतु वहीं चिकित्सा और जनस्वास्थ्य के लिए 5,174 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य बजट में कुछ बढ़ोतरी ही दिखती है।

आज यह साबित हो चुका है कि योग स्वस्थ रहने का एक सर्वोत्तम उपाय है और लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। परंतु सभी को योग का सही शिक्षण उपलब्ध नहीं रहा है। पिछले दिनों जब योगगुरू रामदेव और श्री श्री रविशंकर ने अपने प्रयासों से योग को स्वास्थ्य से जोड़कर प्रस्तुत किया तो लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया लेकिन यहां समस्या यह थी योग का शिक्षण देने से होने वाली आय करमुक्त नहीं थी और इसलिए कई ट्रस्टों को कोर्ट में जाना पड़ा। बजट का यह प्रावधान ऐसे अनेक अदालती मामलों का अंत कर देगा। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने कई मामलों में योग से होने वाली आय पर करमुक्ति को उचित ठहराया था। इसलिए सरकार का यह क़दम बहुप्रतीक्षित था। योग की भांति ही अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों विशेषकर प्राकृतिक चिकित्सा की आय को भी करमुक्त घोषित किया जाना चाहिए।

बहरहाल, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को लेकर सरकार से जिस पहल की आशा थी, वह पूरी नहीं हुई है। सरकार ने जब अलग आयुष मंत्रालय बनाया था, तब लगा था कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार कोई नया संदेश देना चाहती है। ऐसा लगा था कि शायद इस बार भारतीय चिकित्सा प्रणालियों पर सरकार विशेष ध्यान देने वाली है। परंतु बजट में सरकार का यह संदेश झलक नहीं पाया। आयुष के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हैरत है कि अलग मंत्रालय भी अपने लिए अधिक बजट आबंटन नहीं मांग पाया है।

उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण इलाक़ों में आमतौर पर मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं और वे भारतीय चिकित्सा प्रणालियों या होम्योपैथी से सरलता से रोकी जा सकती हैं। इसी प्रकार शहरों में मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों अधिक फैल रही हैं। पिछले दिनों फैली स्वाइन लू की बीमारी भी वास्तव में मांसाहार और उससे हुए संक्रमण से जुड़ी बीमारी है। इसकी रोकथाम भी आयुर्वेद के द्वारा अधिक सरलता से की जा सकती है। समझा जा सकता है कि देश को स्वस्थ रखने और करने के लिए चलाए जाने वाले मिशनों में प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों की भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। इस बार यह आशा थी कि सरकार इसके लिए विशेष प्रयास करेगी, परंतु इस बजट से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।

इस वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में बड़ी कटौती की गई है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 21,912 करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि इस बार इसके लिए केवल 18,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यानी कि लगभग 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। परंतु वहीं चिकित्सा और जनस्वास्थ्य के लिए 5,174 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य बजट में कुछ बढ़ोतरी ही दिखती है। इसी प्रकार पिछले वर्ष नये एम्स खोलने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए थे, इस वर्ष चिकित्सा संस्थाओं जिनमें एम्स भी शामिल है, के लिए 630 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो स्वास्थ्य का बजट घटा नहीं, बल्कि बढ़ा ही है।

स्वास्थ्य के लिए बढ़े बजट के बाद भी स्वास्थ्य जगत प्रसन्न नहीं है। असंतोष का सबसे प्रमुख कारण है सर्विस कर में बढ़ोतरी। इससे कई सारी सेवाएं महंगी होने वाली हैं। बढ़ोतरी से अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें महंगी हो सकती हैं। निजी अस्पतालों में खाना भी महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।

देश में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और असम में एक-एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और बिहार में एम्स जैसा एक और शीर्ष संस्थान खोलने का फैसला किया है। अनुपूरक बजट में भी ऐसे चार संस्थान खोलने की बात हुई थी लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक अच्छा संस्थान बनाने में सरकार कई-कई साल लगा देती है जबकि वहीं मेदान्ता जैसे कॉरपोरेट अस्पताल साल भर में ही बन कर तैयार हो जाते हैं। इसलिए सरकार अगर ऐसी संस्थाओं को बनाने के लिए एक समयसारिणी भी बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही स्वास्थ्य के लिए सिर्फ चिकित्सकों की ही नहीं पैरा मेडिकल स्टाफ की भी बड़ी आवश्यकता है। इसकी कमी को भी नये संस्थान खोलकर पूरा किया जा सकता था। परंतु बजट में इसकी चिंता नहीं की गई है।

एक और मंत्रालय महिला और बाल विकास, प्रकारांतर से स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। इसके बजट में आश्चर्यजनक रूप से कमी की गई है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए पिछले बजट में 18,691 करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि इस बार केवल 8,754 करोड़ रुपये दिए गए हैं यानी कि आधे से भी कम। इसी प्रकार मिड डे मील के बजट में भारी कटौती की गई है। मिड डे मील के लिए पिछली बार के 13,215 करोड़ रुपयों की बजाय केवल 8,900 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ये दोनों ही देश के स्वास्थ्य को प्रकारांतर से प्रभावित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव भले ही न पड़े परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री और बाल कुपोषण को समाप्त करने के प्रयासों में इससे कमी आएगी।

सरकार ने इस बजट में पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जैसे तंबाकू पदार्थों को महंगा कर दिया है। इसका भी आमजन के स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और शायद इनका प्रयोग थोड़ा घटे। इनके प्रयोग को घटाने के लिए वैसे भी सरकार ने इसके विज्ञापनों को संशोधित करने का काम किया ही है।

सरकार ने इस बजट में पान मसाला, गुटखा और सिगरेट जैसे तंबाकू पदार्थों को महंगा कर दिया है। इसका भी आमजन के स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। महंगा होने से शायद इनका प्रयोग थोड़ा घटे। इनके प्रयोग को घटाने के लिए वैसे भी सरकार ने इसके विज्ञापनों को संशोधित करने का काम किया ही है। देखना यह है कि विज्ञापनों और बढ़ते दामों से इसकी ख़पत पर असर क्या पड़ता है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काफी संतुलित बजट है। स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च करने के साथ-साथ इस बार सरकार ने लोगों के स्वस्थ रहने की भी चिंता की है। हालांकि, कुछ और प्रावधान किए जा सकते थे। ❑

(पृष्ठ 28 का शेषांश)

ज़रूरतों के साथ सुसंगत बनाने की ज़रूरत है। प्रमाणन अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की तरह बेहद गंभीर होना चाहिए और नियोक्ता भी इसी तरह चाहते हैं। इस प्रकार यह दुनिया भर के छात्रों के लिए व्यापक संभावनाओं को खोलता है।

निष्कर्ष

बेहतर भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन स्तम्भ हैं; सार्थक शिक्षा प्रणाली, मज़बूत कौशल विकास व्यवस्था और कार्यबलों के परामर्श में क़ारोबार की सक्रिय भागीदारी। एक बार जब ये तीनों लागू हो जाएंगे, तब बेरोज़गारी का मौजूदा श्राप, ग़रीबी, अशिक्षा, तक़नीकी जानकारी की अयोग्यता और हमारे उत्पादों/वैश्विक बाज़ार में सेवाओं की अक्षमता की कोई जगह नहीं होगी।

मंत्रालय भी राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए उसी तरह है, जिस तरह राज्य सबसे बुनियादी स्तर पर शून्य लीकेज के साथ साधन संपन्नतापूर्वक इस कार्य के लिए विभाजित कोषों का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न मंत्रालय अपने संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास का संचालन करें, जिसके बाद समन्वय और उपयुक्त पर्यवेक्षण सफलता की एकमात्र कुंजी होगी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर विचार करना चाहिए। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर महिलाओं की भागीदारी 70 प्रतिशत के स्तर को छू लेती है, तो हम अपना आर्थिक विकास दर 4.2 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।

कौशल विकास केंद्रों को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो सरकार से हासिल होने वाले कोष का दुरुपयोग करे, इसके बजाए वो भारत को सक्षम कार्यबल की जन्मभूमि बनाए। हमने देखा है कि पर्यवेक्षकों ने किस तरह ऐसी गतिविधियों पर रिपोर्टों और आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा किया है; इस तरह हम पाते हैं कि एक पारदर्शी और सक्षम रिपोर्टिंग प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है, जहां इस तरह के केंद्रों का विवरण, प्रशिक्षक, प्रशिक्षु, प्रशिक्षण के तौर-तरीके और कार्य निष्पादन पद तक सहज़ पहुंच हो सके ताकि कार्य उपयुक्त रूप से संपन्न हो सके। क़ारोबार के लिए भारतीय श्रम बल के लिए रोज़गारपरकता और कुशल कर्मियों की निरंतर आपूर्ति, जैसी नियमित काम की संभावना, इसका प्रमुख लक्ष्य है; अत: निरंतर कौशल विकास मूलमंत्र है। ❑

संदर्भ

http://businesstoday.intoday.in/story/union-budget-2015-16-skill-andeducation-mission-work/1/216366.html

http://economictimes.indiatimes.com/jobs/budget-2015-skilldevelopment-needs-more-funds-says-nsdc-ceo dilipchenoy/articleshow/46404539.cms

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-12-10/ news/56917316_1_skill-development-institutes-entrepreneurship

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-01-12/ news/57983307

http://ibnlive.in.com/news/india-2022-high-on-skills-but-low-onjobs/406769-7.html

http://www.business-standard.com/article/news-cm/new-nationalskill-development-policy-2015-to-reinforce-india-s-growth-story-115020600789_1.html

http://www.merinews.com/article/integrate-skill-developmenteducation-system-and-indian-industry/15903887.shtml

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009

सीआईआई कौशल विकास पहल: सकारात्मक कदम

http://www.livemint.com/Politics/ptTZcI17XE5ipp2T3bWm1K/ Skills-ministry-to-create-army-of-trainers.html?utm_source=cop y

यूएनडीपी रिपोर्ट 2011

बजट के आईने में महिला उत्थान

सुभाष सेतिया

महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए बराबरी के अवसर इन दिनों राजनीतिक बहस के प्रश्न बन चुके हैं और गाहे-बगाहे चुनावों के मुद्दे भी इनके इर्द-गिर्द केंद्रित हो जाते हैं। ऐसे में यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है। आम बजट जो सरकारी नीतियों का आईना माना जाता है, उसके आईने में नारी जगत से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा से तस्वीर बहुत कुछ साफ हो सकती है। इतना स्पष्ट है कि इस बार कतिपय बजटीय प्रावधान इस मोर्चे पर सरकार की साफ नीयत को बयां कर रहे हैं लेकिन आवंटित राशि की अपर्याप्तता हमेशा की तरह एक चुनौती है

हर वर्ष फरवरी के अंतिम दिन संसद में पेश होने वाला बजट यों तो अगले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा होता है किंतु उसमें देश के विकास के लिए सरकार की दृष्टि और नीति की स्पष्ट रूपरेखा भी मौजूद रहती है। 2015-16 का बजट इस हिसाब से सामान्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार का पहला पूर्ण बजट है। इसके महत्व का अन्य कारण यह है कि लगभग दो दशक के बाद किसी राजनीतिक दल की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जो गठबंधन के दबाव अथवा समझौते से मुक्त होकर अपनी नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन कर सकती है। साथ ही चुनाव से पहले पार्टी और उसके नेताओं ने देश की जनता से कई बड़े वादे किए थे जिसके फलस्वरूप इस सरकार के प्रति आम लोगों की अपेक्षाओं का स्तर काफी ऊंचा है। ज़ाहिर है कि ऐसी स्थिति में सरकार के इस पहले पूर्ण बजट से जनता को काफी उम्मीदें थीं। सरकार ने पिछले 9 महीने के अपने कार्यकाल में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की है किंतु उन सबके लिए आर्थिक प्रावधान तथा उनके क्रियान्वयन की दिशा में उठाए जाने वाले नये क़दमों का खाका इस बजट में ही दिखाई दिया है। सरकार की प्राथमिकताओं में महिला सुरक्षा तथा समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने के प्रयासों का अहम स्थान है।

वित्त मंत्री ने 2015-16 के बजट में महिला सुरक्षा को मज़बूत बनाने तथा इस संबंध में समाज में जागरूकता लाने के लिए 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद पिछली सरकार द्वारा बनाए गए निर्भया कोष में 1000 करोड़ रुपये की और अतिरिक्त राशि आवंटित की है। इस राशि का कुछ हिस्सा दिल्ली पुलिस भी महिला सुरक्षा के उपायों पर ख़र्च कर सकेगी। इसी तरह रेलमंत्री ने भी 26 फरवरी को अपने बजट में महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष का इस्तेमाल करने का संकेत दिया था। इसके अलावा उन्होंने महिला रेल डिब्बों में महिलाओं की निजता को बनाए रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी घोषणा की। इस दिशा में एक अन्य उपाय के रूप में रेल मंत्री ने महिलाओं के लिए एक अलग हेल्पलाइन नंबर 182 शुरू करने की बात भी कही। रेल मंत्री ने आरक्षित डिब्बों में मिडिल बे महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का भी संकेत दिया।

आम तथा रेल बजट में शामिल किए गए ये सभी निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक हैं क्योंकि महिलाओं के प्रति अन्याय तथा उत्पीड़न के आंकड़े बताते हैं कि स्थिति बहुत भयावह है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं अन्याय का मूल कारण है हमारी सामाजिक सोच जिसके अंतर्गत लड़की को लड़के की तुलना में हेय और कमज़ोर माना जाता है। यही कारण है कि देश की 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों की

लेखक आकाशवाणी से अपर महानिदेशक समाचार के पद से सेवानिवृत हैं। कहानी, कविता और स्त्री विमर्श पर कई पुस्तकें : भारतीय नारी, कितनी जीती कितनी हारी, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, हार में जीत, पानी की लकीर आदि। ईमेल: setia_subhas@yahoo.co.in

तुलना में महिलाओं का अनुपात केवल 943 है, जबकि बाल लिंग अनुपात केवल 918 है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में तो यह अनुपात 900 से भी कम है। इसी भेदभाव के दृष्टिकोण का नतीज़ा है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। यही नहीं, हर साल 10 लाख बच्चियां गर्भ में ही मार दी जाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली के आंकड़े चौंकाते भी हैं और डराते भी हैं।

दिल्ली की नई आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी में विशेष महिला सुरक्षा दल गठित करने तथा यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने 'हिम्मत' नाम से एप सेवा प्रारंभ की है जिससे संकट की स्थिति में महिलाएं विशेष बटन दबाकर अपनी लोकेशन की सूचना तत्काल पुलिस को दे सकती हैं। ऐसे क़दमों का समावेश केंद्रीय बजट में भी किया जा सकता था।

महिलाओं का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने में महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का काफी योगदान है। अगले वित्त वर्ष के बजट में महिला कल्याण की योजनाओं के लिए 79,258 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किंतु बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय के लिए 2015-16 में 10,382 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित आवंटन से लगभग आधा है। इसका कारण यह बताया गया है कि वित्त आयोग की सिफारिश पर करों से प्राप्त राशि में राज्यों के हिस्से में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दिए जाने से राज्यों के पास इन योजनाओं के लिए पहले से अधिक धन उपलब्ध होगा। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कुछ अन्य मंत्रालयों के आवंटन में भी कमी की गई है।

सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए धन का प्रावधान सुधारने की दृष्टि से 2005 में लिंग आधारित बजट व्यवस्था यानी जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग शुरू की गई। इसके अनुसार सरकार के सभी विभागों के ख़र्च में महिलाओं के उत्थान के लिए किए जाने वाले ख़र्च का अलग से स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके तथा पुरुषों व महिलाओं में असमानता की खाई को पाटा जा सके। अभी तक 57 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में यह व्यवस्था अपनाई गई है किंतु ज़मीनी स्तर पर अधिक सफलता नहीं मिली। चिंता की बात यह है कि बजट का केवल 5 प्रतिशत महिलाओं पर ख़र्च हो पाता है और बाकी धन मंत्रालय के अन्य विभागों पर व्यय हो जाता है।

लड़कियों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई अभिनव योजना सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किए गए धन को अगले वित्त वर्ष से आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इससे इस योजना के लिए आम लोगों से भी मदद मिल सकेगी। इस जमा पर मिलने वाला ब्याज भी कर से मुक्त होगा। बजट में सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 97 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें अगले दो ढाई वर्षों तक 200 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात बढ़ाने तथा शिक्षा के माध्यम से उन्हें आत्म-सम्मान के साथ जीवन बिताने लायक बनाने के उद्देश्य से इस क्रांतिकारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के शहर पानीपत से की गई क्योंकि हरियाणा में लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों का अनुपात देश में सबसे कम है। हरियाणा में 1000 लडकों पर केवल 834 लड़कियां हैं। यह योजना इस मायने में अनूठी है कि इसमें लड़कियों की संख्या में संतुलन लाने के साथ-साथ उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुरू में इसे देश के ऐसे 100 ज़िलों में लागू किया जा रहा है, जो लिंग अनुपात के मामले में अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बहुत सार्थक तर्क दिया कि लोग बेटी को तो पढ़ाते नहीं और बहू पढ़ी-लिखी चाहते हैं। जब बेटी नहीं पढ़ेगी तो बहू शिक्षित कहां से आएगी। इस कार्यक्रम में कुपोषण की समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि देश में 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं जिनमें से 70 प्रतिशत लड़कियां हैं। आज भी 18 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक शिक्षा तक प्राप्त करने में अक्षम हैं। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इसका ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। योजना के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह में महिला तथा बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने घोषणा की कि जो गांव अपने यहां लड़कों और लड़कियों की संख्या समान करने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे उन्हें एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए धन का प्रावधान सुधारने की दृष्टि से 2005 में लिंग आधारित बजट व्यवस्था यानी जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग शुरू की गई। इसके अनुसार सरकार के सभी विभागों के ख़र्च में महिलाओं के उत्थान के लिए किए जाने वाले ख़र्च का अलग से स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके तथा पुरुषों व महिलाओं में असमानता की खाई को पाटा जा सके।

स्त्री-पुरुष असमानता की सबसे चिंताजनक स्थिति रोज़गार के क्षेत्र में देखने को मिलती है। यों तो समूचे विश्व में यह असमानता मौजूद है किंतु भारत में रोजगार के मामले में स्त्रियों की दशा अत्यंत सोचनीय है। देश में सकल श्रम बल में स्त्रियों का हिस्सा केवल 24 प्रतिशत है, इनमें भी अधिकतर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जहां वेतन और काम की शर्तों के लिए कानूनी व्यवस्थाएं न के बराबर हैं। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में समान कार्य के लिए कम मज़दूरी दी जाती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार देश में 86 प्रतिशत महिलाओं के श्रम का कोई मूल्यांकन ही नहीं किया जाता, इस कारण वे वित्तीय दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर हैं। सबसे अधिक महिला कामगार कृषि क्षेत्र में हैं। किंतु कृषि के सिकुड़ते दायरे के कारण गांवों में रोज़गार के अवसर पिछले अनेक वर्षों से कम होते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप शहरों की ओर पलायन विकराल रूप लेता जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए यूपीए सरकार ने गांवों में रोज़गार की गारंटी का कार्यक्रम मनरेगा शुरू किया था। इस बजट में मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 34,699 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने आश्वासन दिया कि वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के बाद इस

कार्यक्रम के लिए 5000 करोड़ रुपये और दिए जा सकते हैं। महिला रोज़गार की दृष्टि से यह उपाय अत्यंत लाभदायक है क्योंकि मनरेगा में 50 प्रतिशत काम महिलाओं को दिए जाने का नियम है। इसके अलावा मनरेगा की गतिविधियों का भी विस्तार किया जा रहा है जिससे और अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार मिल सकेगा।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में पिछले दिनों अनेक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष क़दम उठाए गए। इसमें स्वच्छता अभियान का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें स्कूलों, गांवों तथा अन्य स्थानों पर महिला शौचालयों के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। 15 अगस्त 2015 तक सभी स्कूलों में लड़कों-लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह महिला सशक्तीकरण तथा उन्हें स्वाभिमान एवं सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बहुत बड़ा क़दम है। इससे उन्हें न केवल शारीरिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी बल्कि यौन शोषण कम करने में भी मदद मिलेगी। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि 2014-15 में देश में 50 लाख शौचालय बन जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में कुल 6 करोड़ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए 2 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर लगाने की भी घोषणा की। 5 वर्षों में इस कार्यक्रम पर 2 लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष के लिए इसमें 6244 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम की सफलता की महिला कल्याण में अत्यंत उपयोगी भूमिका है क्योंकि शौचालयों की कमी का सबसे अधिक दुष्परिणाम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है।

इसी तरह वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषित 2022 तक गांवों में 4 करोड़ तथा शहरों में 2 करोड़ मकान बनाने की महत्वाकांक्षी योजना से भी महिलाएं लाभान्वित होंगी क्योंकि एक स्थाई छत हर गृहिणी का सपना होता है। सामाजिक सुरक्षा की अन्य अनेक योजनाएं विशेषकर बीमा सुरक्षा योजना भी महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायक होंगी।

बजट में घोषित इन सभी उपायों से निश्चय ही महिलाओं के उत्थान में मदद मिलेगी किंतु यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मीडिया में महिलाओं को लेकर बजट से पहले जो अपेक्षाएं व्यक्त की जा रही थीं, उनकी तुलना में बजट प्रावधान अपर्याप्त हैं। महिला विकास मंत्रालय के लिए आवंटन में कटौती और जेंडर बजटिंग में धीमी प्रगति पर अनेक महिला संगठनों ने निराशा व्यक्त की है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उपाय घोषित किए गए हैं उन पर गंभीरता और ईमानदारी से अमल किया जाए। महिला सशक्तीकरण से संबंधित एक बुनियादी पहलू की इस बजट में कोई चर्चा नहीं हुई। वह है संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण। यह प्रस्ताव कई वर्षों से विचाराधीन है किंतु राजनीतिक स्तर पर आम सहमति न बन पाने के कारण संसद इसे पारित नहीं कर पाई। लोकसभा में केवल 11 प्रतिशत महिला सदस्य हैं और राज्यसभा में और भी कम 10.6 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

स्कूलों, गांवों तथा अन्य स्थानों पर महिला शौचालयों के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। 15 अगस्त 2015 तक सभी स्कूलों में लड़कों-लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह महिला सशक्तीकरण तथा उन्हें स्वाभिमान एवं सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बहुत बड़ा क़दम है।

लड़कियों के प्रति भेदभाव और उन्हें अवसर देने में हिचकिचाहट की जो प्रवृत्ति सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक स्तर पर मौजूद है वही राजनीति में भी परिलक्षित होती है। अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए जिनमें 70 में से 67 सीटें प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी ने 7 मंत्रियों में एक भी महिला को सम्मिलित नहीं किया। यह संतोष का विषय है कि केंद्र सरकार में इस बार 7 मंत्रियों को स्थान मिला है। किंतु देश के कई राज्यों में सत्ता और शासन में भागीदारी के मामले में महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश की सभी विधानसभाओं में विधायकों की कुल संख्या 4120 है जिनमें से केवल 360 महिलाओं को मंत्री पद दिया गया है। यह कुल संख्या का केवल 9 प्रतिशत है। दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब, ऐसे अभागे राज्य हैं जहां एक भी महिला मंत्री नहीं है। दुःख की बात यह है कि पंजाब में महिला विधायकों का प्रतिशत 12 है जबकि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत है। सत्ता और शासन में महिलाओं की यह घोर अनुपस्थिति इस बात की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि राजनीतिक, प्रशासनिक और विधायी स्तर पर समुचित भागीदारी को बढ़ाया जाए क्योंकि इसके बिना महिलाओं के उत्थान का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ❑

फार्म-4

योजना (हिंदी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण:

प्रकाशन का स्थान	: नयी दिल्ली
प्रकाशन की अवधि	: मासिक
मुद्रक का नाम	: डॉ. साधना राउत
नागरिकता	: भारतीय
पता	: प्रकाशन विभाग, 665 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, नयी दिल्ली-110003
प्रकाशन का नाम	: डॉ. साधना राउत
नागरिकता	: भारतीय
पता	: प्रकाशन विभाग, 665 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, नयी दिल्ली-110003
संपादक का नाम	: जय सिंह
नागरिकता	: भारतीय
पता	: 648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, डॉ. साधना राउत, एतत् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक

केंद्रीय बजट 2015-16

रुपया आता है

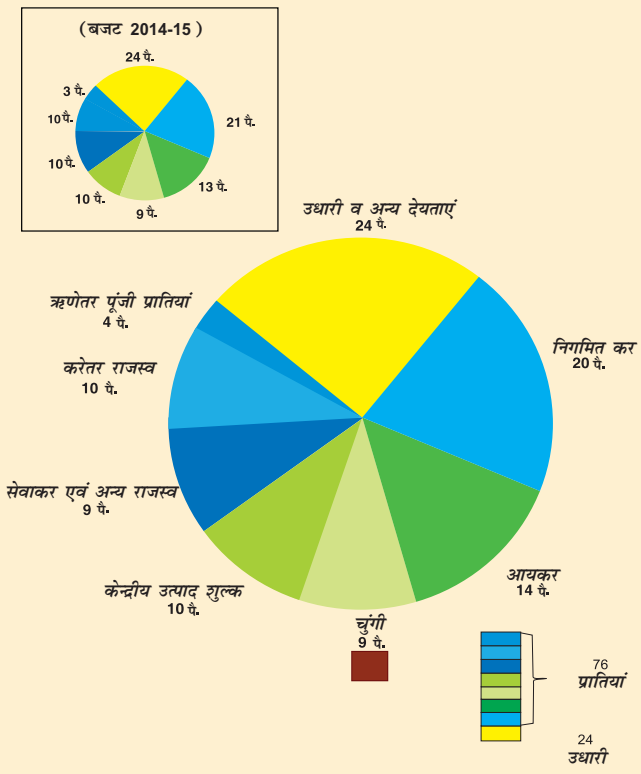

नोट: कुल प्राप्तियों में राज्यों का कर व राजस्व का हिस्सा शामिल

रुपया जाता है

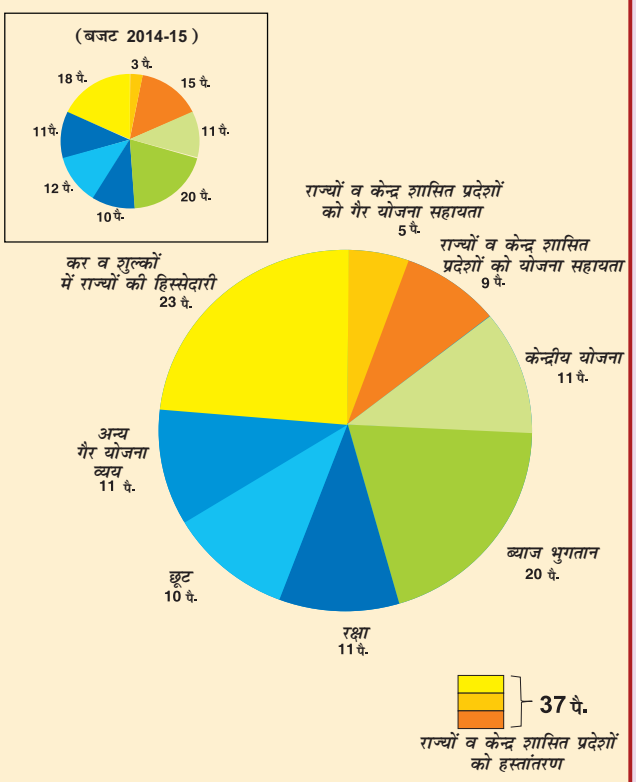

नोट: कुल खर्च में राज्यों का कर व शुल्क का हिस्सा शामिल

स्रोत: बजट एक नजर में (2015-16)

चित्र: पीआईबी फोटो

बजट पेश करने से पहले संसद भवन परिसर में सहयोगियों के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली

प्रकाशक व मुद्रक : डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक : जय सिंह

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L.-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
10 मार्च, 2015 को प्रकाशित • 16-17 मार्च, 2015 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

अब बाजार में उपलब्ध

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

प्रतियोगिता परीक्षाओं में

सफलता

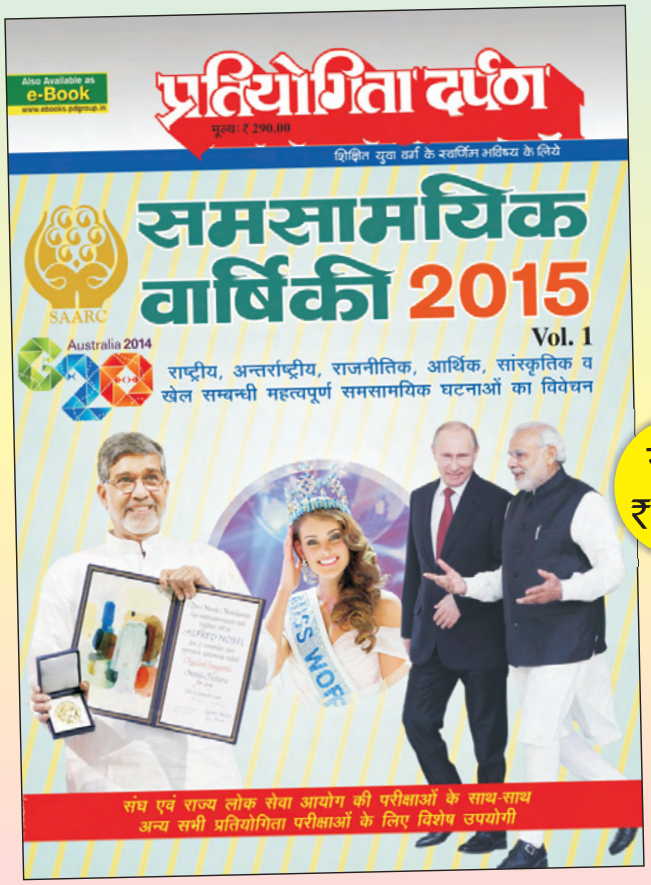

नवीन आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

मूल्य ₹ 290/-

समसामयिक ताजा घटनाओं का विश्लेषण, खेल समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग व्यापार, विशिष्ट व्यक्तियों, पुरस्कारों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी सामग्री

कोड 870

ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

English Edition Code No. 801
• ₹ 270.00

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।

प्रतियोगिता दर्पण

2/11ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 फोन : 4053333, 2530966, 2531101, फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
ब्रांच ऑफिस : • नई दिल्ली फोन : (011) 23251844/66 • हैदराबाद फोन : (040) 66753330
• पटना फोन : (0612) 2673340 • कोलकाता फोन : (033) 25551510 • लखनऊ फोन : (0522) 4109080

YH-339/2014